चतुर्दश माला, खंड 16, अंक 23

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2005
2 पौष, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parl... ...ling
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 4 Jan 2007

(खण्ड 16 में अंक 21 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)
अंक 23, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2005/2 पौष, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 445, 447 और 448	1-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 446, 449 से 461	36-85
अतारांकित प्रश्न संख्या 4487 से 4532, 4533, 4534 से 4553, 4554**, 4555 से 4645	85-306
सभा पटल पर रखे गए पत्र	306-337
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	337
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
नौवां और दसवां प्रतिवेदन	337-338
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	338
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	338
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
पच्चीसवें से अट्ठाइसवां प्रतिवेदन	339
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
नौवां और दसवां प्रतिवेदन	339-340
राज्य सभा से संदेश	340
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) तमिलनाडु में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति, राहत कार्य तथा राहत कार्यों के दौरान हुई भगदड़	
श्री शिवराज पाटिल	341-342

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित ! चिन्ह इस बात का धोतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

**संसद सदस्य श्री पारस नाथ यादव द्वारा सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4554 को हटा दिया गया, देखिए 5-5-2006 को जारी प्रश्न सूची का शुद्धि पत्र।

विषय **कॉलम**

(दो) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रियरंजन दास मुंशी 343-344

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 127वें और 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 344

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 344-345

(पांच) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 345-346

(छह) महासागर विकास विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 347

(सात) वित्त संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रेमचन्द गुप्ता 248-249

सदस्य द्वारा निवेदन

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे, लोगों के लिए कार्डों के संबंधी में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में 349-354

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005

कुछ सदस्यों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने हेतु समिति की रिपोर्ट के बारे में प्रस्ताव .... 355 और 346-471

श्री प्रणव मुखर्जी 355-358

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 359-367

श्री बसुदेव आचार्य 367-372

श्री मोहन सिंह 372-375

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 375-377

श्री ब्रजेश पाठक 377-381

श्री कपिल सिब्बल 382-400

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 400-403

श्री गुरूदास दासगुप्त 403-409

श्री अनंत गुढ़े 409-411

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 411-416

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 416-418

श्रीमती रंजीत रंजन 418-420

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा 420-436

श्रीमती मेनका गांधी 436-440

श्री सुनील कुमार महतो 440-442

डा. एम. जगन्नाथ 442-443

डा. राजेश मिश्रा 443-445

श्री खारबेल स्वाईं 445-450

श्री उदय सिंह 450-452

श्री लाल मुनी चौबे 452-455

श्री जुएल ओराम 455-460

श्री प्रभुनाथ सिंह 460-462

मोहम्मद सलीम 462-468

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 468-422

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री किसनभाई वी. पटेल 423

(दो) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 423-424

(तीन) पॉग डैम के शेष विस्थापितों को बसाए जाने की दृष्टि से "आवंटन नियमों" में संशोधन के लिए राजस्थान सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. चन्द्र कुमार 424-425

विषय	कॉलम
(चार) दार्जिलिंग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	425-426
(पांच) उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के लिए अनुच्छेद 371 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	426
(छह) मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सी.जी.एच.एस. औषधालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	427
(सात) राजस्थान में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	427-428
(आठ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग पर फाटकों का निर्माण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	428-429
(नौ) हरियाणा में एक रक्षा अकादमी स्थापित किए जाने और सैन्य कार्रवाही में शहीद हुए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने जिससे कि उन्हें कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के समान मुआवजा उपलब्ध हो सके, की आवश्यकता	
श्री किशन सिंह सांगवान	429
(दस) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के उन किसानों को जिनकी जमीनें वायुसेना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है, मुआवजा दिलाए जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द	429-430
(ग्यारह) छंटनी किए गए उन मजदूरों जिन्हें कन्याकुमारी जिले के त्रिवेन्द्रम रेलवे डिवीजन में निर्माण कार्य में लगाया गया था, को पुनः वापस लेने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	430
(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्भल और गजरौला के बीच हसनपुर होते हुए एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
डा. शफीकुर्रहमान बर्क	430-431
(तेरह) सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	431
(चौदह) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल	431-432

विषय कॉलम

(पन्द्रह) नई दिल्ली के साथ हवाई सम्पर्क सहित बिहार में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी 432

(सोलह) उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की कृषि योग्य भूमि को यू.पी.एस.आई.डी.सी. और एल.आई.डी.ए. द्वारा अधिगृहीत किए जाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक 432-433

(सत्रह) तमिलनाडु के होसूर में आई.टी. कंपनियां और टाइडल पार्क स्थापित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम 433-434

(अठारह) केरल में चाय, कॉफी और रबर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए समुचित उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 434

(उन्नीस) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के स्थायी हल ढूंढने के लिए महाजन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 434-435

(बीस) आरक्षण नीति को सांविधिक आधार प्रदान करते हुए विधि अधिनियमित करने, जिसमें इसे कार्यान्वित न करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का उपबंध हो, की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले 435-436

चार्टर्ड अकाउटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005 471

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रेमचन्द गुप्ता 471-473

खंड 2 से 29 और 1 473

पारित करने के लिए प्रस्ताव 473

लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2005 473

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रेमचन्द गुप्ता 473

खंड 2 से 32 और 1 473-474

पारित करने के लिए प्रस्ताव 474

विषय	**कॉलम**

कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005 474

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रेमचन्द गुप्ता 474

खंड 2 से 32 और 1 475

पारित करने के लिए प्रस्ताव 476

विदाई उल्लेख 476-480

राष्ट्रगीत 480

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 481

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 482-486

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 487

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 488-490

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2005/2 पौष, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री असादूद्दीन ओवेसी, प्रश्न संख्या 442।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता

***442. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा, रोजगार गारंटी योजना आदि जैसी अपनी विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से सहायता मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की आवश्यकता का आकलन करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) समाज कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास और निर्धनता उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में सहायता हेतु विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राशि (करोड़ रुपए) (अनुमानित)
1	2	3
1.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	450
2.	एच.आई.वी./एड्स III	900
3.	क्षय रोग नियंत्रण II	765
4.	प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य II	1575
5.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	589
6.	कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण	675
7.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली	675
8.	पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य	337
9.	वेक्टर-बोर्न रोग नियंत्रण	900

इसके अतिरिक्त, स्वशक्ति-II परियोजना, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्व-समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है, के लिए भी विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है। इस परियोजना के लिए राशि का निर्धारण अभी किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) घरेलू तथा विदेशी धनराशि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध निधि संबंधी आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए धनराशियां प्रदान की जाती हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का भाग क यह है, कि क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है अथवा कोई बात-चीत जारी है क्या किसी परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी है या विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई नौ परियोजनाओं का कोई पूर्व-मूल्यांकन किया गया है?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है। मूल प्रश्न रोजगार गारंटी योजना से संबंधित था। क्या सरकार रोजगार गारंटी योजना के लिए विश्व बैंक से धन उपलब्ध करायेगी जैसा कि अभी तक नहीं किया गया है?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रश्न समझने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय: ओवेसी जी, आप मंत्री महोदय से क्या पूछना चाहते हैं?

...(*व्यवधान*)

श्री पी. चिदम्बरम: नौ परियोजनाएं हैं जिन्हें विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान परम्परा के अनुसार भारत सरकार तथा यदि राज्य सरकार की कोई विशिष्ट परियोजना है तो उसके लिए संयुक्त दल विश्व बैंक से चर्चा करता है। वर्तमान स्थिति में किसी परामर्शदाता की नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। विश्व बैंक निःसन्देह अपना दल भेजेगा। उस समय राज्य सरकार को बातचीत में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार बातचीत करेगी। अतः ये वह परियोजनाएं हैं जिन्हें विश्व बैंक को भेजा गया है। हमें उम्मीद है कि इनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति मिल जाएगी।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: कई राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए विश्व बैंक को भेजा है। क्या मंत्री महोदय हमें इस बात की जानकारी देंगे? प्रश्न यह है कि 25 अक्तूबर को वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा एक ज्ञापन जारी किया गया था। इस ज्ञापन के अनुसार 11 राज्यों को विदेशों से वित्तीय सहायता लेने पर रोक लगा दी थी। अनेक राज्यों जैसे उदाहरण के लिए मेरे राज्य आन्ध्र प्रदेश ने संरचनात्मक समायोजन ऋण के लिए विश्व बैंक का रुख किया है। क्या माननीय मंत्री ज्ञापन पर ध्यान देंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्ञापन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में राज्यों द्वारा वित्त पोषण की मांग की गयी है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस ज्ञापन पर ध्यान देंगे?

अध्यक्ष महोदय: वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता क्या वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किए गए ज्ञापन में 11 राज्य सरकारों को विदेशों से वित्त पोषण पर रोक लगा दी है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है अथवा नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य के हाथ में कुछ कागज हैं। मुझे ऐसे किसी ज्ञापन की जानकारी नहीं है जो राज्यों को विदेशों से वित्त पोषण पर रोक लगाता है। विदेशों से वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों को भारत सरकार से सम्पर्क करना होता है। यदि भारत सरकार परियोजना से संतुष्ट होती है तो वह इसे बाह्य एजेंसी को भेज देती है। कृपया ज्ञापन मुझे दे दीजिए मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।

जहां तक आंध्र प्रदेश सरकार के संरचनात्मक समायोजन ऋण का प्रश्न है, यह विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में रोजगार गारंटी से सम्बन्धित योजना में धन उपलब्ध कराने के बारे में जानकारी नहीं दी है, जब कि देश में जबर्दस्त बेरोजगारी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांवों में जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना में किस प्रकार के उपाय मंत्री जी करने जा रहे हैं और रोजगार गारंटी के लिए कितने पैसे का उपबंध करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह इस विषय से संबंधित नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न विश्व बैंक से सहायता से संबंधित है। अभी हमारे पास राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सांताश्री चटर्जी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों का पालन किया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय किसी भी ऋण के सम्बंध में उसकी भुगतान अवधि, ब्याज और प्रतिबद्धता शुल्क आदि से सम्बंधित शर्तें होती हैं, लेकिन यदि आप किसी अन्य प्रकार की राजनीतिक शर्तों की बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक शर्तें नहीं होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आर.पी. वर्मा - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, पूरे भारत का हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, जहां बहुत ही पिछड़े इलाके हैं, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल-विकास, निर्धनता उन्मूलन की अधिकतम जरूरत है। प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विश्व-बैंक से सहायता की बात है। मैं इन राज्यों का विरोध नहीं करता हूं, उन्हें सहायता मिलनी चाहिए।

लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की तमाम जो लम्बित योजनाएं हैं क्या सरकार उन पर विश्व-बैंक से सहायता के लिए पहल करेगी, जिससे इन प्रदेशों को भी सहायता मिल सके और ये प्रदेश भी देश के विकास में अग्रणी हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अत्यंत ही सामान्य व्याख्यात्मक प्रश्न है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई परियोजनाएं हैं जिनके लिए विश्व बैंक की सहायता ली जा रही है। उदाहरण के लिए हम चल रही सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को ले सकते हैं। बिहार में डी.पी.ई.पी. चरण-III की योजना है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में यू.पी. डी.पी.ई.पी. तथा यू.पी. में स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना है। हमारे पास गैर-राज्यीय विशिष्ट परियोजनाएं भी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश और बिहार सम्मिलित है। मेरे वर्तमान विभाग में 64 परियोजनाओं की एक लम्बी सूची है और उनमें से अधिकांश क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में, तथा अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए परियोजनाएं हैं। यदि आप विशेषकर उत्तर प्रदेश या बिहार की सूची चाहते हैं तो मुझे आपको इसे देने में खुशी होगी।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: हमारे महाराष्ट्र के कई प्रपोजल विश्व बैंक के पास पड़े हुए हैं जो केन्द्रीय सरकार के माध्यम से जाते हैं। उनमें ग्रामीण विकास के बारे में, ग्रामीण पेय-जल के बारे में हमारी स्कीमें भी हैं। मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के पेयजल के बारे में, सड़क-निर्माण और सिंचाई के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कई प्रपोजल वहां पड़े हुए हैं। क्या महाराष्ट्र के इन प्रपोजलों को भी विश्व-बैंक से सहायता मिलेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: विशिष्ट मामले, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, स्वष्टतः प्रत्येक राज्य से जुड़े हुए प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बंध है तो वहां एक महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना है और महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका परियोजना पर अभी कार्य चल रहा है।

श्री बी. विनोद कुमार: महोदय, सभा में रखे गए लिखित उत्तर को मैंने पढ़ा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या मेरे राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश से सिंचाई के सम्बंध में कोई परियोजना विश्व बैंक को भेजी गई है।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार से इसका पता करना अच्छा होगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह ज्यादा आसान होता यदि उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा होता और मैंने जवाब दिया होता। फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा।

जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बंध है वहां सिंचाई और जल प्रबंधन परियोजना है, वहां ग्रामीण जल परियोजना, एक शहरी जल परियोजना तथा एक आजीविका परियोजना है। इन सभी योजनाओं पर अभी काम चल रहा है और ये विचाराधीन हैं।

विद्युत के पारेषण में निजी भागीदारी

***443. श्री बसुदेव आचार्य: क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) का विचार विद्युत का उत्पादन करने वाली निजी कंपनियों को कुछ नई विद्युत पारेषण परियोजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी.जी.सी.आई.एल. का निजी कंपनियों के साथ पारेषण परियोजना, में पहले ही संयुक्त उद्यम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) ने संयुक्त उद्यम के जरिए तथा 100% निजी क्षेत्र भागीदारी (अर्थात् स्वतंत्र पारेषण कंपनी) माध्यम से कुछ पारेषण सुविधाएं विकसित करने के लिए निजी कंपनियों की प्रतिभागिता की मांग की है। इसके ब्यौरे अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा क्रियान्वित की जा रही पारेषण परियोजना के ब्यौरे अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं।

अनुबंध-I

पी.जी.सी.आई.एल. की उन पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे, जो संयुक्त उद्यम के गठन हेतु चर्चा के विभिन्न चरणों में हैं।

1. आई.एल. एंड एफ.एस./तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा त्रिपुरा के पल्लटना नामक स्थान पर विकसित की जा रही 750 मे.वा. को गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट से विद्युत आहरण के लिए 400 के.वी. ए.सी. पारेषण परियोजना। पारेषण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1700 करोड़ रुपये है। परियोजना का अनुमानित आरंभन समय 2008/2009 है।

2. गुजरात के सूरत में हजीरा नामक स्थान पर एस्सार द्वारा विकसित की जा रही 1500 मे.वा. (2 x 750) की गैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना से विद्युत आहरण के लिए 400 के.वी. ए.सी. पारेषण परियोजना/पारेषण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 690 करोड़ रुपये है। परियोजना का अनुमानित आरंभ करने का कार्यक्रम 2008-2009 है।

3. हिमाचल प्रदेश में जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा विकसित की जा रही 1000 मे.वा. (4 x 250 मे.वा.) की करचम-वांगचु जल विद्युत परियोजना से विद्युत निकासी के लिए 400 के.वी. ए.सी. पारेषण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है। परियोजना के अप्रैल, 2011 तक चालू किये जाने की आशा है।

4. गुजरात में सूरत के निकट टॉरेन्ट पावर जेनरेशन कंपनी द्वारा विकसित की जा रही 1095 मेवा. की विद्युत उत्पादन परियोजना से विद्युत के आहरण के लिए 400 के.वी. ए.सी. पारेषण परियोजना। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 220 करोड़ रुपये है और इसे 2008 तक चालू किए जाने की आशा है।

अनुबंध-II

पी.जी.सी.आई.एल. की उन पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे, जो संयुक्त उद्यम माध्यम से क्रियान्वयनाधीन/क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं।

1. ताला एच.ई.पी., इस्ट-नार्थ इंटरकनेक्टर तथा उत्तर क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली

पी.जी.सी.आई.एल. और टाटा पावर इस पारेषण परियोजना को संयुक्त उद्यम माध्यम से क्रियान्वित कर रहे हैं और इस संयुक्त उद्यम कंपनी में उनका क्रमशः 49% एवं 51% का इक्विटी हिस्सा है। 2005 की पहली तिमाही के मूल्य स्तर पर संयुक्त उद्यम हिस्से की अनुमोदित अनुमानित परियोजना लागत 1612 करोड़ रुपये है और इसमें पावरग्रिड का इक्विटी अंशदान 70:30 ऋण एवं इक्विटी अनुपात के आधार पर 237 करोड़ रुपये है (इक्विटी का 49%)। परियोजना क्रियान्वयन के अग्रिम चरण में है और इसे 2006 तक चालू करने की संभावना है।

1. पार्बती-II (800 मे.वा.) एच.ई.पी. और कोलडैम (800 मे.वा.) एच.ई.पी. से संबद्ध विशिष्ट पारेषण लाइनें

इस परियोजना के लिए मैसर्स रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड को भावी संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में अभिज्ञात किया गया है। पावरग्रिड और मैसर्स रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम कंपनी में 26% और 74% इक्विटी हिस्सा होगा, जो शीघ्र ही इनके द्वारा गठित किए जाने की आशा है, उक्त पारेषण परियोजना की संयुक्त उद्यम हिस्से के रूप में अनुमानित लागत 2005 की दूसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर 660 करोड़ रुपये है। परियोजना को 2008/2009 तक चालू किया जाना निर्धारित है।

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तापीय तथा पन बिजली, दोनों, स्टेशनों से बिजली प्राप्त करने के लिए की गई थी। जहां तक पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा बिजली प्राप्त करने की बात है तो यह अच्छा काम कर रहा है। इससे जुड़ी हुई कई सफलता की कहानियां भी हैं। प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि कुछ परियोजनाओं में 100 प्रतिशत स्टेक निजी कम्पनियों को दिए जा रहे हैं जबकि कुछ मामलों में 51 प्रतिशत स्टेक बेचा जा रहा हैं तथा कुछ में 74 उनको सौंपा जा रहा है। जब पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन स्वयं विद्युत कर्षण के लिए स्वयं पारेषण लाइनें बनाने में सक्षम है - जैसा कि इसने पूर्व में भी किया है - तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निजी कम्पनियों को शत प्रतिशत स्टेक सौंपने का प्रस्ताव क्यों किया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सर्व प्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन की प्रशंसा की कि विगत में इसने अच्छा काम किया।

महोदय, माननीय सदस्य को तथा इस सभा को देश में विद्युत के बारे में समग्र परिदृश्य को समझना चाहिए। जब हमने 2012 तक विद्युत उत्पादन में 1,00,000 मेगावाट की वृद्धि करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है तो पूरे देश में इसका पारेषण कैसे हो इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इस कार्य के लिए हमारे सामने संसाधन सम्बंधी बाधा है और इस स्थिति में पॉवर

ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा इस प्रकार का सृजन संभव नहीं है। इसलिए यथासंशोधित विद्युत अधिनियम ने शुरू में 1991 में विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को 49 प्रतिशत तक के लिए खोल दिया था और बाद में यहा 100 प्रतिशत तक हो गया। फिर ऐसा पारेषण के मामले में भी किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान हमने पाया कि निवेश के लिए पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन को 20,000 करोड़ रुपये तथा निजी भागीदार से 10,000 करोड़ रुपये की हमें जरूरत थी जबकि संशोधित मूल्यांकन में हमने पाया कि निवेश करने के लिए हमें केवल 20,000 करोड़ रुपये की जरूरत है जिसमें से 18,000 करोड़ रुपये पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा खर्च किये जायेंगे जबकि 2,000 करोड़ रुपये निजी भागीदार से आयेंगे। प्रारम्भिक परियोजना टाटा पॉवर के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू की गयी थी। हमें विश्वास है कि टाटा पॉवर के साथ मिलकर चमत्कार कर सकेंगे परन्तु वहां भी पॉवर ग्रिड कारपोरेशन और टाटा पॉवर की भागीदारी क्रमशः 49 और 51 प्रतिशत है। इस नीति में शत प्रतिशत निजी क्षेत्र की भागीदारी के द्वार खोलने पर विचार किया गया है। वास्तविक स्रोत से लेने के बाद विद्युत के वितरण के प्रति हम अधिक चिन्तित है। इस नीति के अंतर्गत हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गयी है। अतः ऐसा नहीं है कि पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली है। पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने स्वीकार किया है कि उनकी संसाधन सृजन की क्षमता देशभर में विद्युत पारेषण की अपेक्षित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यदि विद्युत उत्पादन के लिए एक रुपया खर्च किया जाता है तो विद्युत पारेषण पर भी एक रुपया खर्च किया जाना चाहिए। परन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में विद्युत की अधिक उपलब्धता है और कुछ में इसकी कमी है। हम कमी वाले क्षेत्रों से विद्युत प्राप्त करके उन क्षेत्रों में भेजने की स्थिति में नहीं हैं जहां इसकी अधिकता है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): आपने उलटा कह दिया है। जहां इसकी अधिकता है।

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में ले जाना न कि कमी वाले क्षेत्रों से अधिकता वाले क्षेत्रों में ले जाना।

जब एक लाख मेगावाट के लक्ष्य को अंतिम रूप दिया गया तो एक लाख मेगावाट विद्युत के पारेषण और लेने के कार्य को भी अंतिम रूप दिया गया था। यह बाद के विचार हैं कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक उत्पादित एक लाख मेगावाट विद्युत का पारेषण एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा नहीं हो पायेगा। हमें निजी कम्पनियों का अनुभव है। आप एनरॉन कम्पनी के विषय में तो जानते ही हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि संयुक्त उद्यम लगाने की स्थिति में भी अधिक शेयर निजी कम्पनी के पास क्यों हैं?

दूसरे, पूर्वी क्षेत्र अब अधिक दबाव में हैं।

अध्यक्ष महोदय: किस बात का दबाव?

श्री बसुदेव आचार्य: विद्युत उप-स्टेशनों का दबाव। पूर्वी क्षेत्र जिसका मुख्यालय अब पटना में है, के गठन के उपरान्त, इन दिनों बहुत से उप-स्टेशन बन गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप पारेषण घाटा के विषय में नहीं पूछ रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इसको दो भागों में बांटने तथा एक अन्य मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इसे दो भागों में बांटने तथा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का मुख्यालय कोलकाता में बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का जवाब दूंगा कि निजी कम्पनियों या निजी पूंजी को शत प्रतिशत भागीदारी को बढ़ावा क्यों दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही जवाब दिया है कि यह इस नीति की रूपरेखा के अंतर्गत ही है। अब हम यह देखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि 49:51 का अनुपात या 40:60 तथा शत प्रतिशत भागीदारी करना सम्भव क्यों है। यह इसलिए कि हमें संसाधनों की आवश्यकता है।

सभी राज्य सरकारों ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है कि केवल इसी माध्यम से हम घाटे के क्षेत्रों से अधिकता वाले क्षेत्रों या अधिकता के क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत पारेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तलचर में सबसे अधिक उत्पादकता वाली इकाई में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपकी ब्याज दर के संबंध में व्यस्त हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: तलचर की उत्पादकता इकाई जिसकी क्षमता 3000 मेगावाट है, वह तलचर से कोलार 2000 मेगावाट विद्युत पारेषण कर रही है। अतः आप क्षमता की कार्य प्रणाली और इसके वास्तविक कार्य के बारे में समझ सकते हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि हमें

इस बारे में पूरा विश्वास है और मध्यावधि समीक्षा में दिखायी गई कार्य निष्पादन से पता चलता है कि 9400 मेगावाट से अधिक की पारेषण क्षमता स्थापित की जा चुकी है। अब दसवीं योजना के अंत तक यह 16,000 मेगावाट होगी और ग्यारहवीं योजना के अंत तक पारेषण क्षमता 37,000 मेगावाट होगी। अतएव आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि यह बढ़ोतरी 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत नहीं बल्कि कई मामलों में 50 प्रतिशत से भी अधिक है।

मुख्यालय को दो भागों में विभाजित करने के प्रश्न के संबंध में मैं कहना चाहूंगा यह पारेषण के प्रश्न से संबंधित नहीं है। तथापि माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा है तो मैं इस संबंध में तथ्य प्राप्त करके उन्हें सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वे अभी मंत्री नहीं है। उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया। परन्तु कोई भी पारेषण घाटे के बारे में नहीं पूछ रहा है।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, कोलबैड मेथेन से विद्युत उत्पादन हो रहा है, इसका एक उदाहरण गुजरात में है जहां कोल इंडिया लिमिटिड और ओ.एन.जी.सी. ने मिलकर प्रोजेक्ट शुरू किया है। क्या देश में ऐसे किसी और प्रोजेक्ट की योजना आपके पास है? राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र में मेथेन काफी मात्रा में उपलब्ध है, क्या वहां के लिए कोई परियोजना बनाएंगे?

अध्यक्ष महोदय: मेथेन क्या है? क्या आप ट्रांसमिशन के बारे में पूछ रहे हैं?

श्री भंवर सिंह डांगावास: अध्यक्ष महोदय, जब पैदा होगी, तभी तो ट्रांसमिशन होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक जैनरेशन का सवाल है, यह मामला इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न ट्रांसमीशन से संबंधित है। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने गुजरात के बारे में पूछा है तो उन्हें बताना चाहूंगा कि गुजरात में हाजीरा और बैसाना नामक स्थानों पर हम पॉवर प्रोजैक्ट चला रहे हैं जहां से विद्युत उपलब्ध होगी। जहां तक उन्होंने राजस्थान के बारे में जानकारी चाही है, तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस संबंध में मेरे मंत्रालय द्वारा जानकारी उपलब्ध, कर उन्हें सूचित किया जायेगा।

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे राज्य जम्मू-कश्मीर को ट्रांसमीशन के माध्यम से कैसे जोड़ा जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जम्मू और कश्मीर को कैसे शामिल करते हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, वहां पनबिजली परियोजना की व्यापक सम्भावनाएं हैं, जो कि पहले ही पूरी क्षमता से चलायी जा रही हैं। जहां तक विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम के अन्य मुद्दों का संबंध है, इस बारे में अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया कि जहां कोयले के पर्याप्त भंडार हैं वहां लागत के अनुसार विद्युत उत्पादन कार्य बेहतर रहेगा। विद्युत पारेषण अंतर-राज्य और अंतर-क्षेत्रीय ग्रिडों के माध्यम से होता है। उत्तरी ग्रिड जम्मू-कश्मीर को विद्युत मुहैया कर रहा है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन की सफलता और इन मुद्दों पर इसकी क्षमता के बावजूद सरकार ने लगभग 31,10 करोड़ रुपए की लागत को लगभग चार परियोजनाओं और 897 करोड़ रुपये की दो अन्य योजनाओं के टाटा और रिलायंस जैसी निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दे दिया है।

महोदय, इन सब बातों के बावजूद पारेषण घाटा अभी भी हजारों करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है?

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि आप ये मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, हमने देखा है कि आम आदमी जो कि अपने पम्प सैट के लिए कुटीर ज्योति या कनेक्शन लेना चाहता है, हमारे इन सारे प्रयासों के बावजूद अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है। परन्तु अभी भी यह क्षेत्र 74 प्रतिशत तक रिलायंस और 51 प्रतिशत तक टाटा जैसे निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या वह इन परियोजनाओं की गति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है यह 2008 से 2011 के दौरान चालू होने वाली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन परियोजनाओं को गति देने की उनकी क्या योजना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पारेषण घाटा संबंधी परियोजनाओं का जहां तक संबंध है मैं माननीय सदस्य को केवल यही सूचना दे सकता हूं कि यह सत्य है कि आठवीं योजना से पहले समग्र पारेषण घाटा काफी ज्यादा था, नौवीं योजना में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और दसवीं योजना का

कार्यनिष्पादन काफी अच्छा है। यह इस मायने में है कि उच्च वोल्टेज पर पारेषण घाटा केवल 3 से 4 प्रतिशत तक है। यह विश्व औसत और यूरोप के समान ही है। परन्तु और भी पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें इस पर विचार कर रही हैं और कुछ राज्य सरकारों ने विद्युत चोरी और तार डालने आदि के विरुद्ध सख्त प्रावधान किये हैं। उन्हें कानून के कठोर प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है।

परन्तु जहां तक ग्यारहवीं योजना या 2009 से 2011 के बीच चालू होने वाली परियोजनाओं का संबंध है, संयुक्त उद्यम की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने तथा पारेषण घाटे को निम्न स्तर पर लाया जाए।

[हिन्दी]

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ने बिहार में काम किया है, मैं माननीय मंत्री जी को उसके लिये बधाई देना चाहता हूं लेकिन वहां स्थिति 'चिराग तले अंधेरा' वाली बात है। पॉवर ग्रिड द्वारा अच्छा काम करने के बावजूद बिहार के रोहतास और भोजपुर जिलों में डी.पी.ए.पी. और डी.एम. स्कीम के अंतर्गत पॉवर नहीं जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन जिलों में यह योजना चालू करेगी या नहीं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिला स्तर पर पूछी गई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन बिहार के संदर्भ में इन जिलों की वस्तुस्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य, को सूचित किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्र में यह रिपोर्ट आयी है कि प्रत्येक राज्य में विद्युत की कमी से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्रीजी एक नयी नीति लायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस नीति की क्या विशेषताएं हैं और इसका कार्यान्वयन कब तक किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: किस बारे में नीति?

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: बिजली या विद्युत संबंधी नीति।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पारेषण से संबंधित है। पारेषण के बारे में विशिष्ट प्रश्न उठायें। इसके अंतर्गत आप पूरी नीति से संबंधित मसले नहीं उठा सकते।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। यह आज के समाचार पत्र में छपा है। मैंने इसे पढ़ा है। इसीलिए मैं उनसे इस नीति की विशेषताएं और इसके कार्यान्वयन कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न के अंतर्गत नहीं आता। आप केवल पारेषण से संबंधित बात ही पूछ सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पारेषण से संबंधित नहीं है। यदि प्रश्न विशिष्ट रूप से नीति के बारे में होता तो मैं इसका जवाब देता कि संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद हमने राजीव गांधी ग्रामीण योजना के नाम से एक प्रशंसनीय कार्यक्रम चलाया है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 10 प्रतिशत ऋण 5.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। हमने केवल यही एक अच्छा कार्य किया है। यह केवल पारेषण से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: आपने केवल यही एक अच्छा कार्य किया है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने विद्युत के क्षेत्र में यही एक ऐसा अच्छा कार्य किया है जो पहले कभी नहीं किया गया।

• **अध्यक्ष महोदय:** यह पारेषण के लिए है।

[हिन्दी]

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

\+

***444. श्री हेमलाल मुर्मू:**

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एस.सी.एस.एस.) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जमा की गई राशियों पर हाल ही में एक प्रतिशत अधिक ब्याज दर का निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक-वार और राज्य-वार कितने वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए;

(घ) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से वरिष्ठ

नागरिकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने और उन्हें ऋण सेवाओं का लाभ दिलाने और अन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वरिष्ठ नागरिक बचत (एस.सी.एस.) योजना, 2004 भारत सरकार की एक लघु बचत योजना है जिसे डाकघरों और विनिर्दिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज तिमाही आधार पर प्रतिवर्ष नौ प्रतिशत की समान दर पर देय है। यह बाजार में उपलब्ध किसी भी बचत योजना पर उपलब्ध ब्याज दर से अधिक है। 60 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक तथा 55 वर्ष और उससे ऊपर लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त व्यक्ति एस.सी.एस. योजना, 2004 के अंतर्गत निवेश के लिए पात्र हैं। चूंकि कोई पात्र निवेशक एकाधिक खाते खोल सकता है और समस्त खातों को मिलाकर जमाराशियां अधिकतम 15 लाख रुपए की उच्चतम सीमा के अधीन होती हैं, इसलिए पिछले एक वर्ष के दौरान, बैंकवार, राज्यवार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों की सही संख्या का उल्लेख करना व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, इस योजना के अंतर्गत कुछ सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के खोले गए खातों की राज्यवार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गयी है।

(घ) और (ङ) इसके अलावा, आर.बी.आई. की मौद्रिक तथा ऋण नीति के संदर्भ में बैंकों को किसी भी आकार की सामान्य जमाराशियों की तुलना में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की उच्च तथा नियत दरें उपलब्ध कराने हेतु मियादी जमा योजनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है। विभिन्न बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान हेतु समर्पित काउंटरों के अतिरिक्त, विविध ऋण सुविधाएं यानी पेंशन की एवज में ऋण, चिकित्सा व्यय की पूर्ति हेतु ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि भी मुहैया करा रहे हैं।

अनुबंध

वरिष्ठ बचत योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य का नाम	बैंक का नाम							
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	पंजाब नेशनल बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	इलाहाबाद बैंक	केनरा बैंक	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10685		65	85				12638
2.	असम	1878							
3.	बिहार	354	14			22			
4.	छत्तीसगढ़	1282							
5.	दिल्ली	40565	5584	1050	1446			59	259
6.	गुजरात	9146	137	10900	4272			231	43
7.	हरियाणा	1928	801	10					202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	60	147						
9.	जम्मू-कश्मीर	61	137						
10.	झारखण्ड	3795	110			17			
11.	कर्नाटक	3716	104	370			1289		3514
12.	केरल	1558	78	25			226		260
13.	मध्य प्रदेश	2352	61		108				486
14.	महाराष्ट्र	29598	528	12800	22003			37	7997
15.	मेघालय	27							
16.	उड़ीसा	3606			58				223
17.	पंजाब	842	114	10	191				
18.	राजस्थान	805	531	60					640
19.	तमिलनाडु	9570	206	585				12	2642
20.	त्रिपुरा	22							
21.	उत्तर प्रदेश	15314	897	190	54	81			1209
22.	उत्तरांचल	1184	231			6			
23.	पश्चिम बंगाल	6421	233	2100		314		34	2215
24.	अंडमान निकोबार	4							
25.	चण्डीगढ़	782	382	25					
26.	गोवा	695							
27.	पांडिचेरी	125		1					121
	कुल	146375	10235	28191	28217	440	1515	373	32449

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में एक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को बैंकों, एल.आई.सी. तथा डाकघरों में सभी बचत योजनाओं के अंतर्गत लाभकों की संख्या बढ़ाने और वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे बचतघरों में विशेष सुविधा प्रदान करने का विचार है? यदि हां, तो सरकार कब तक ऐसा करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: हमने एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की घोषणा की है। इसके लिए हमने 9 प्रतिशत की आकर्षक

ब्याज दर की घोषणा की है। इसके लिए बैंकों और डाकघरों में बचत खाते खोले जा सकते हैं। मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों से खाते खोलने की अपील करता हूं। मुझे इसमें और अधिक कुछ नहीं करना है। वरिष्ठ नागरिकों को उनके लिए विशेष खाता योजना का लाभ उठाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मियादी बचत योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर देय ब्याज दरें क्या हैं? क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दरों में वृद्धि सहित देश के लघु निवेशकर्ताओं की ब्याज दर में वृद्धि करने का है, जैसा कि चीन ने अपने देश में लोगों को आकर्षक बचत योजनाओं का पैकेज देकर बचत के आकार को ऊंचाई पर पहुंचाया है? क्या हमारे देश में भी यह व्यवस्था है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: चालू ब्याज दर की तुलना में विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर वर्तमान ब्याज की दर काफी आकर्षक है। किसी भी चालू छोटी बचत योजना पर ब्याज की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये लिखित जवाब में दी गई तालिका देख रहा था। इसमें देश के अलग-अलग प्रांतों के आंकड़े हैं जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान में सिर्फ 2000 वरिष्ठ नागरिकों ने अपने खाते खोले हैं। वहां गांवों के आस-पास बैंक नहीं हैं और इसलिए वे लोग अपने खाते नहीं खोल पाते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर हैं, वहां कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ लोग जो शहर नहीं आ सकते, वे अपने खाते वहां खोल सकें या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खाते खोल सकें। क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हमारे पास कुछ सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की राज्यवार सूचना है परन्तु सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सूचना नहीं है। इसे इकट्ठा करने में काफी समय लगेगा। परन्तु केवल भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और राजस्थान के डाकघरों के आंकड़ों को लिया जाए तो यह पता चलता है कि 17,001 खाते खोले गये हैं। परन्तु यदि अन्य बैंकों के आंकड़े भी लिये जाएं तो यह संख्या काफी अधिक होगी। यह योजना पूरे देश के लिए है। यह आसानी से उपलब्ध एवं एक सुगम योजना है। यह खाता बिना झंझट के खोला जा सकता है और ब्याज दर काफी आकर्षक है। अब यह वरिष्ठ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इसका लाभ उठाया जाए और खाते खोले जाएं।

अध्यक्ष महोदय: ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम: प्रत्येक बैंक शाखा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत खाते खोलेंगीं। यदि आप ग्रामीण शाखा में जाकर खाता खोलने के लिए कहेंगे तो वह खाता खोल देंगे।

मोहम्मद सलीम: महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न माननीय मंत्री द्वारा अभी-अभी दिये गए उत्तर पर आधारित है। जवाब में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि यह योजना डाकघरों और कतिपय चयनित बैंकों के माध्यम से संचालित की जा रही है। यह सभी बैंकों और शाखाओं पर उपलब्ध नहीं है। यदि आप जवाब के साथ संलग्न सूची में क्षेत्रीय और राज्यवार आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये समानुपातिक नहीं है। इस मामले में वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं को और आकर्षक बनाने के लिए क्या मंत्री महोदय और बैंकों तथा इस योजना के अंतर्गत शामिल न किये गए अन्य बैंकों को भी उनकी शाखाओं के माध्यम से इस योजना के संचालन हेतु कहेंगे?

हमें इस बारे में काफी शिकायतें मिलती हैं। वरिष्ठ नागरिक निजी क्षेत्र के म्युचअल फंड में निवेश करके अपना धन गंवा देते हैं। इसमें लालच भी शामिल है। सामान्यतया हम मंत्री महोदय को लिखते हैं परन्तु कोई पृथक प्रकोष्ठ (सेल) नहीं है। इसके साथ ही, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या वे मंत्रालय या बैंकिंग विभाग या कम्पनी कार्य विभाग जो भी हो, में एक पृथक प्रकोष्ठ (सेल) बनाएंगे जहां कि ये शिकायतें सुनी जा सकती हों और इसके उपाय भी किये जा सकें।

श्री पी. चिदम्बरम: जब पहले यह योजना कार्यान्वित की गयी थी तो केवल डाकघरों के माध्यम से ही इसका कार्यान्वयन किया गया था। नवम्बर 2004 में हमने इस योजना के संचालन

का प्रसार सरकारी क्षेत्र की कुछ निश्चित शाखाओं में किया है। अब हमने चार निजी क्षेत्रों के बैंकों में इसका विस्तार किया है। अब यह मेरे बताने की बात नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक अपना पैसा कहां रखें। मेरा मुद्दा यह है कि मुझे किसी वरिष्ठ नागरिक से यह शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि वह किसी बैंक की शाखा में खाता नहीं खुलवा सके। वस्तुतः मेरी सूचना तो यह है कि सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक कवर किये गए हैं।

यह हो सकता है कि कुछ बैंक शाखाएं यह सुविधा नहीं दे रही हों परन्तु मैं सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से अपील करता हूं कि वे सभी सम्भव शाखाओं में इस योजना का विस्तार करें। मुझे अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि कोई वरिष्ठ नागरिक डाकघर या सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा में इस योजना का लाभ न उठा पाया हो। मैं समझता हूं कि यह सभी वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध है और मैं बैंकों से कहूंगा कि इसका और अधिक शाखाओं पर विस्तार करे।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा अनुपूरक प्रश्न संख्या 444 के (घ) भाग से संबंधित है। यह सामान्य सुविधाओं के बारे में है। वरिष्ठ नागरिक आमतौर पर माह में कम से कम दो बार बैंक जाते हैं - अगर वे पेंशनभोक्ता हैं तो यह देखने की पेंशन के रुपये जमा हुए और बैंक से अपने निर्वाह के लिए धन निकालने। बैंकों में लम्बी लाइनें लगी होती है क्योंकि बैंक बहुत सी सुविधाएं, जैसे कर इकट्ठा करने, बिजली का बिल जमा करने आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कुछ प्राथमिकता दी जाएगी या उनकी पृथक् पंक्ति या उनके लिए बैठने का अलग इंतजाम किया जाएगा क्योंकि अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार, वे पांच-दस मिनट से अधिक खड़े होकर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। क्या यह छोटी सी परन्तु उपयोगी सुविधा उन्हें दी जाएगी? यह इसलिए, क्योंकि बहुत से बैंक का कार्यस्थल बहुत छोटा और प्रथम तल पर है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खड़े होकर प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह छोटी सी सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि लाईन में खड़े युवा लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे विश्वास है कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों की इस आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हैं। वरिष्ठ नागरिकों को कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं मैं संक्षिप्त में उनके बारे में बताऊंगा। उदाहरण के लिए कुछ शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पृथक् काऊन्टर हैं। मैं समझता हूं कि पंक्ति लगाये जाने की स्थिति में अधिकांश शाखाओं में वरिष्ठ नागरकों को प्राथमिकता दी जाती हैं। इन दिनों छोटी शाखाओं में शायद ही लम्बी पंक्ति होती है। वरिष्ठ नागरिकों को मियादी जमा पर आधा प्रतिशत अधिक ब्याज की दर दी जाती है। कुछ बैंकों में विशेषतः जीवन व स्वास्थ्य कवर सहित मियादी बचत खाते खोले जाते हैं। मैं निश्चित तौर पर यह विचार बैंक प्रबन्धन तक पहुंचा दूंगा। परन्तु मुझे विश्वास है कि वे इसके प्रति संवेदनशील हैं। आज इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा है कि हर बैंक खातों की संख्या और ग्राहक प्राप्त करना चाहता है। मैं यह सूचना उन तक प्रेषित कर दूंगा।

[हिन्दी]

निर्यात वस्तुओं पर प्रशुल्क

+

***445. डा. चिन्ता मोहन:**

श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों द्वारा उत्पन्न की जा रही प्रशुल्क संबंधी बाधाओं के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग को निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वस्त्रों के निर्यात के लिए विभिन्न विकसित देशों, विशेष रूप से अमरीका द्वारा अन्य तरह की बाधाएं भी खड़ी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए हैं: और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग के समक्ष विकसित देशों में किराए की अधिकताओं, किराया वृद्धि और उच्च किरायों जैसी शुल्क संबंधी बाधाएं आ रही हैं। इसके अतिरिक्त, विकसित देशों ने क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं (जैसे नाफ्टा) और प्राथमिकता योजनाओं (जैसे ई.यू.जी.एस.पी.) के माध्यम से भारत के कुछ प्रतिस्पर्धियों को प्राथमिकता वाली शुल्क पहुंच प्रदान की है।

इसके फलस्वरूप भारतीय वस्त्र निर्यातकों के समक्ष अलग-अलग शुल्कों के कारण कीमत संबंधी भारी प्रतिकूलता आ रही है।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका को वस्त्र निर्यात के समक्ष भी लेबलिंग/मार्किंग आवश्यकताओं, श्रम एवं पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन, सुरक्षा मानदंडों, वीजा का सत्यापन आदि जैसी कुछ गैर-शुल्क बाधाएं (एन.टी.बी.) आ रही है।

(ङ) और (च) एन.टी.बी. शुल्क की अधिकताओं, शुल्क वृद्धि और अधिक सुल्कों के मुद्दे संयुक्त राज्य अमरीका सहित विकसित देशों में वस्त्र एवं अपैरल के आयात के संबंध में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के तहत गैर-कृषि बाजार पहुंच (नामा) वार्ताओं के माध्यम से हल किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यथाशीघ्र विकसित देशों के वस्त्र शुल्क की अधिकताओं, शुल्क वृद्धि, उच्च वस्तु शुल्क और एन.टी.बी. को समाप्त करना है।

डा. चिन्ता मोहन: बहुत सारे व्यापारिक शुल्क होने के बावजूद चीन विश्व कपड़ा बाजार में सबसे आगे है। हमारा उद्देश्य उसी स्तर पर पहुंचना होना चाहिए। उस स्तर पर पहुंचने के लिए हमारी क्या योजना है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, यह टैरिफ का सवाल डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में है, चाइना का अपना प्रोडक्शन है और उसका प्रोडक्शन बहुत जाइंट है, लेकिन जो चाइना को लागू होता है, वह इंडिया को भी लागू होता है। यह ठीक है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के नीचे हमारा एक्सपोर्ट जनवरी, 2005 से पूरा हो गया है और चाइना का अभी दो साल बाकी है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीस हैं - जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें जो बेरियर्स लगे हैं, वे हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत प्रोबलम देते हैं। चाइना और इंडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन: विभिन्न निर्यात शुल्कों के मद्देनजर आप अपने हथकरघा एवं विद्युतकरघा क्षेत्रों को कैसे संरक्षित करेंगे?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, यह हैंडलूम और पावरलूम सैक्टर का सवाल नहीं है, यह पूरा टैक्सटाइल, एप्रेल्स का और जो भी एक्सपोर्ट्स है, इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट 26 परसैंट बढ़ा है और यूरोपियन कंट्रीस में तकरीबन 15 परसैंट बढ़ा है, लेकिन वहां नॉन टैरिफ बेरियर्स का भी प्रोबलम है और उनकी जो हाई टेरिफ है, स्पेशली अमेरिका, जिसका हमारे ऊपर अन्य एक्सपोर्ट में इतनी प्रोबलम होती है। इसमें हैंडलूम और पावरलूम भी आ जाता है, यह टोटल एक्सपोर्ट की बात है। इसलिए न सिर्फ हैंडलूम, पावरलूम के टोटल एक्सपोर्ट में अमेरिका के जितने टेरिफ लगे हैं, इसके लिए ठीक है कि अभी हम लोग हांगकांग में मिले थे, इसमें हमारी बहुत बातें दूसरी कंट्रीज के साथ भी चल रही हैं, इसमें हमें सब के साथ थोड़ा और भी लाभ मिला था, लेकिन अमेरिका की ओर से हमारे ऊपर हाई टेरिफ बेरियर्स का बहुत प्रेशर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन - उपस्थिति नहीं।

श्री काशीराम राणा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि भारतीय टैक्सटाइल उद्योग, जो टेरिफ बेरियर्स का शिकार हो चुका है और उससे हमारे एक्सपोर्ट पर भी बहुत गंभीर असर हुआ है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि उसका हमारे एक्सपोर्ट पर इतना असर नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारा एक्सपोर्ट रैपिडली गिरता जा रहा है, इसके लिए जो भी बेरियर्स हमारे सामने हैं, उन्हें कैसे एलिमिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए, इसके बारे में कोई कंक्रीट सजेशन नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन है, उसके जरिए नॉन एग्रीकल्चरल मार्किट एक्सेस हैं, उसके थ्रु ये इश्युज सुलझाए जाएंगे। मेरा प्वाइंट यह है कि इन बेरियर्स को दूर करने के लिए क्या कोई कांउटर बेरियर्स हमारी और लगाने के लिए सरकार या मंत्रालय कोशिश करेगा और जो भी बेरियर्स हैं - जैसे डब्ल्यू.टी.ओ. की बात की, लेकिन मुझे हांगकांग, डब्ल्यू.टी.ओ. की इन्फोरमेशन है, उसमें टैक्सटाइल के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, ई.यू और चाइना, इन दोनों ने भी अपने एग्रीमेंट में रिलैक्सेशन दिया है, जिससे उसके एक्सपोर्ट पर कोई असर न हो। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि वर्ल्ड-ट्रेड-आर्गनाइजेशन ही हमारा प्रोबलम सोल्व करेंगे, क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि ये जो सब ब्रेरियर्स लगा रहे हैं तो हम भी उनके सामने कुछ करके कंक्रीट स्टेप्स लें।

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष जी, यह हमारे एक्सपोर्ट का सवाल है और अमेरिका और यूरोपियम कंट्रीज, जो अपने

हिसाब से हाई टैरिफ लगाते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट वहां ज्यादा न बढ़े, इसलिए इनका अपनी ओर से प्रयत्न है, वह ठीक है। उनके जो दोस्त हैं, उन्हें लिब्रल कंसेशन बहुत देते हैं, हमारे ऊपर कम से कम अमेरिका का 32 परसेंट तक का प्रैशर है, लेकिन इसमें चाइना या इंडिया का अपने हिसाब से वे लोग सोचते हैं। हमारी जो प्राबल्म है कि हम नॉन टैरिफ बैरियर और बाकी जितने भी टैरिफ्स हैं, उनके बारे में बातचीत हो। इसके साथ-साथ अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हों या दूसरी कंट्रीज हों, अभी हांगकांग में मिले थे तो हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स को नोटीफाई किया है, जिस फार्मूले से आने वाले दिनों में और भी ये टैरिफ्स रिड्यूस होंगे।

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा: सरकार इन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

कोई जवाब नहीं आया है। सरकार क्या कर रही है, जो डब्ल्यू.टी.ओ. करेगा, क्या वही हम देखेंगे।

श्री शंकर सिंह वाघेला: हमारी सरकार ही ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया डब्लू.टी.ओ. में कर रही है, जो भी करना चाहिए। जो भी कामर्स मिनिस्टर गये, पूरा पुट-अप किया, टैक्सटाइल और इसमें जो कंसेशन हमको मिला तो पूरी कॉटन की जो सब्सिडी है, डवलप्ड कंट्रीज ने स्वीकारा कि ड्यू कोर्स में कॉटन सब्सिडी वे अपने किसानों को देते हैं, वह बन्द करेंगे। वह कॉटन वाला मामला भी टैक्सटाइल से संलग्न है।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार विश्व के विभिन्न भागों में तेजी से बढ़ते हुई पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता बाजार के प्रति जागरूक है। इस नए बढ़ते हुए बाजार में सामंजस्य स्थापित करने और इन बाजारों में बेहतर सुविधाएं और अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: आप ईको फ्रेंडली और गोल्डन जूट की भी बात करते होंगे तो हमारा जूट एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा बढ़ रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में 26 परसेंट बढ़ा है, यूरोपियन कंट्रीज में 15 परसेंट बढ़ा है, इसलिए और भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, कामर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर यहां लोकल जो डोमेस्टिक मर्चेण्ट्स की, ट्रेडर्स की और एक्सपोर्टर्स की प्राब्लम्स हैं, वह भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, इतना हमें विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विशिष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि अमरीकन और यूरोपियन बाजार में हमारे कपड़ा उद्योग के विरुद्ध पाटन रोधी (एंटी डम्पिंग) से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यह हमारे देश के कपड़ा उद्योग पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा पाटन रोधी कार्रवाई (एंटी डम्पिंग) के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री बिक्रम केशरी देव: यह निर्यात पर शुल्क से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: यह अमेरिका को तय करना है कि इनके यहां जो डम्पिंग होती है, विशेषकर चाइना की डम्पिंग पूरी दुनिया में हो रही है, न सिर्फ अमेरिका में, हम भी उसमें हैं। लेकिन वह हमारे यहां डम्पिंग होती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: उनके द्वारा की जा रही पाटन रोधी कार्रवाई (एंटी डम्पिंग) को रोकने के लिए आपकी क्या पाटनरोधी (एंटी डम्पिंग) नीति है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: एण्टी डम्पिंग बाहर की हमारे यहां जो है, उस पर हम इम्पोर्ट ड्यूटी भी डालते हैं, जो भी करना है, जो करना चाहिये हम वह सब कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को तय करना है कि वे क्या एक्शन लेंगे। फिर भी ज्यादा इम्पोर्ट की फीगर न बढ़े, इसका चिन्ता वे लोग करते हैं। 12 परसेंट के करीब हमारा एक्सपोर्ट इन फीगर बढ़ता है तो शायद यूरोपियन कंट्रीज के लोग फिर आगे इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यह इनकी प्राब्लम है। हमारी ओर से चाइना की जो भी डम्पिंग होती है, उसके ऊपर बार-बार सर्वे करते हुए विदित दि पैरामीटर्स इम्पोर्ट ड्यूटी हम डालते रहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 446, श्री शिशुपाल पटले - उपस्थित नहीं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर - उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

भारत और रूस के बीच समझौता

+

***447. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:**

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। भारत और रूस ने जून, 1994 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर एक अंतरसरकारी करार सम्पन्न किया है।

(ख) इस करार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का आदान-प्रदान
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सूचना का आदान-प्रदान
- विज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय जानकारी तथा अनुभव का अन्तरण।
- परस्पर हित की समस्याओं पर सेमिनारों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय प्रदर्शनी का आयोजन।
- भारत गणराज्य और रूसी फेडरेशन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एकीकृत दीर्घकालीन कार्यक्रम (आई.एल.टी.पी.) के ढांचे के अन्तर्गत और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में अन्य द्विपक्षीय कार्यक्रमों, परियोजनाओं, करारों और संविदाओं के आधार पर संयुक्त वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान तथा विकास कार्यों का कार्यान्वयन।
- संयुक्त विज्ञान और अनुसंधान केन्द्रों, प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक समूहों और डिजाइन ब्यूरो का सृजन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में किसी अन्य रूप में सहयोग जिस पर दोनों पक्ष परस्पर सहमत हों।

(ग) इस करार से भारतीय वैज्ञानिकों को रूसी कार्यशालाओं में कार्य करने के साथ-साथ रूसी वैज्ञानिकों को भारत में समस्याओं पर कार्य करने के लिए आमंत्रित करने का भी अवसर मिला है। हमने परस्पर हित के अनेक उत्कृष्ट केन्द्रों की भी स्थापना की है जिनका उद्देश्य अपने-अपने विषयगत क्षेत्रों में संकेन्द्रित सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास करना है।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत और रूस के बीच समझौते में भारत को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है। मंत्री महोदय ने उत्तर में लिखा है कि इस करार से भारतीय वैज्ञानिकों को रूसी कार्यशालाओं में कार्य करने के साथ-साथ रूसी वैज्ञानिकों को भारत में समस्याओं पर कार्य करने के लिए आमंत्रित करने का भी अवसर मिला है। हमने परस्पर हित के अनेक उत्कृष्ट केन्द्रों की भी स्थापना की है, जिनका उद्देश्य अपने-अपने विषयगत क्षेत्रों में संकेन्द्रित सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास करना है। यह जवाब बिल्कुल ही अपूर्ण है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानकारी चाहता हूं। रूस ने भारत को भरोसा दिलाया था कि असैनिक परमाणु ऊर्जा सहित उसकी तमाम ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण सहयोग करेगा। दोनों देशों के बहुउद्देशीय परिवहन विमानों तथा पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संयुक्त विकास की दिशा में एक प्रतिबद्धता जतायी थी, इसके बारे में क्या हुआ?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि रूस और हमारे बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं फिर चाहे वह एक्सलरेटर्स का क्षेत्र हो या चिकित्सकीय उपयोग के

लिए लेजर कॉलेबरेदान वर्क ऑन माइक्रोट्रान, हाई एन.डी. (निडबियम) कंसंट्रेशन लेसर ग्लास, सट्रीक कैमरे का विकास, हाई एनर्जी गामा रे टेलीस्कोप आदि का संयुक्त विकास का क्षेत्र हो। मैं इस बारे में आगे भी और बहुत कुछ बता सकता हूं। हम बहुत बड़े क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे उसका उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, अभी दिसम्बर में भारत के प्रधानमंत्री रूस यात्रा पर गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने और कौन-कौन से समझौते हुए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है तो इस बारे में वर्ष 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 2002 में उसका नवीनीकरण किया गया था।

जहां तक आई.टी.एल.पी. कार्यक्रम का संबंध है तो वर्ष 1987 में एक दीर्घावधि कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2000 में इसे अगले दस वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के रूस के दौरे के समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सवाल का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दिया है। अक्तूबर 2000 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, के बीच सहमति बनी थी कि प्रत्येक वर्ष भारत और रूस शीर्ष स्तर पर वार्ता करेंगे। इस समझौते के तहत यह हुआ था कि सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी और प्रौद्योगिकी सहयोग और एटॉमिक पावर के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग की सहमति बनी थी, इन क्षेत्रों में सहयोग की घोषणा के बाद जो भी कार्य हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहूंगी कि अब तक क्या प्रगति हुई है?

एटॉमिक पावर के क्षेत्र में रूस-भारत सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं राजस्थान से आती हूं, वहां पर जल संसाधनों की कमी रहती है, कोयला भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजस्थान के लिए रावत-भाटा में परमाणु बिजलीघर काम कर रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या केन्द्र सरकार की राजस्थान के किसी भाग में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की कोई योजना है? राजस्थान में कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां पर एटॉमिक एनर्जी का प्लांट लगाए जा सकते हैं, उदयपुर में भी एटॉमिक एनर्जी के उत्पादन हेतु प्लांट लगाया जा सकता है। मेरा प्रश्न है कि राजस्थान के किसी भाग में एटॉमिक प्रोजेक्ट लगाने की क्या सरकार की कोई योजना है? इसलिए यह मैं जानना चाहती हूं क्योंकि भारत और रूस के बीच सहयोग में निजी क्षेत्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे रूस के सहयोग से चल रहे परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्न माननीय प्रधान मंत्री जी के विषयान्तर्गत आते हैं। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नहीं आते जहां तक सहयोग के अन्य क्षेत्रों का संबंध है तो यदि माननीय सदस्य उनके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं अभी देने को तैयार हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार विश्व विख्यात है। यह सत्य है कि वर्ष 1994 से ही रूस के साथ लगातार सहयोग चल रहा है। बहुत से संयुक्त अनुसंधान केन्द्र और अनुसंधान प्रयोगशालाएं भी विकसित किए जाने का प्रस्ताव था।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1994 से अब तक हमारे देश में या रूस के साथ संयुक्त रूप से कितनी संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं और ये केन्द्र अभी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं।

इनके कार्यकरण में मुख्य रूप से क्या अंतर है? अर्थात हमारी पारंपरिक विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशालाएं और ये संयुक्त प्रयोगशालाएं किस प्रकार कार्य कर रही हैं? इसका आकलन किस प्रकार किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई संयुक्त प्रयोगशालाएं हैं?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले, वस्तुतः वर्ष 1987 से ही हमारे यहां अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में लगभग 360 प्रयोगशालाएं थीं। अभी भी 112 परियोजनाएं चल रही हैं। हमारे यहां वस्तुतः, संयुक्त रूप से लगभग 500 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त वस्तुतः हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित किए हैं और वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः बहुत से ऐसे उत्कृष्ट केन्द्र उच्च प्रौद्योगिकी के अंतिम उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, उदाहरणार्थ अंतरिक्ष अनुसंधान में, उपग्रहों के प्रक्षेपण में, धातु विज्ञान, चूर्ण धातु विज्ञान (पाउडर मैटेलर्जी) आदि।

उदाहरण के लिए यदि किसी धातु का उच्च तापमान पर क्षय होने लगता है तो आप उसे धातु पर कैसे कार्य करेंगे? अब यहां एक चूर्ण धातु विज्ञान केन्द्र है जिसे हम संयुक्त रूप से चलाते हैं जिसमें हम उस धातु को जंग लगने से बचाने के लिए उसका उपचार करते हैं। अतः इन सभी केन्द्रों की स्थापना चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में, 'लेजर बीम' का सरणिकरण (चैनेलाइजेशन) करने हेतु शीशे के पाइपों का निर्माण आदि के क्षेत्र में की गई है। इन सब प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है और हमने उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की है।

वस्तुतः, जहां तक पारंपरिक ज्ञान का संबंध है हमने रूस में आयुर्वेद के बारे में एक केन्द्र स्थापित किया है जिसमें विकलांग बच्चों पर आयुर्वेद के प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। अतः वे केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। अतः हम रूसियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः, यह हमारे सर्वाधिक बड़े और उत्तेजक कार्यक्रमों में से एक है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मुझे इसका ब्यौरा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप इसके लिए एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया है, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 1994 में जो करार हुआ था, उसे एक दशक से ज्यादा हो गया है। अब करार तो बहुत होते हैं लेकिन बरसों तक, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस करार में ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य हुआ है जिसका हम उल्लेख कर सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। वे बहुत विस्तारपूर्वक इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। हमारा 'सुपर कम्प्युटिंग' का एक अति आधुनिक अनुसंधान केन्द्र है। वस्तुतः हमने जिस 'परम' कम्प्यूटर की स्थापना की है उसे स्थानान्तरित करके रूसियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में हमारे पास बहुत अधिक कौशल है। हमने सुपर कम्प्यूटर बनाया है। हम 'सिरामिक मैटीरियल', सतह अभियांत्रिकी, जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, 'गैस हाइड्रेट्स' आदि पर काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि महासागरों के तल में मिथेन गैस बहुतायत में है। हम उसे मिथेन गैस को प्राप्त करने के लिए रूसियों के साथ एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। यह गैस ईंधन का सर्वाधिक स्वच्छ माध्यम है। रूसियों के साथ हमारी एक बहुत बड़ी परियोजना है। वस्तुतः इस क्षेत्र में हमने विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक विकास किया है।

अध्यक्ष महोदय: हम वास्तव में अपने वैज्ञानिकों के बहुत आभारी हैं। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र हेतु स्वतंत्र विनियामक आयोग

+

***448. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**

प्रो. एम. रामदास:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अपने कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विद्युत विनियामक आयोग को आबंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को केंद्रीय सहायता के माध्यम से क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करना अनिवार्य है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि की स्थापना और व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है।

अधिनियम की धारा 166 (2) में भारत सरकार द्वारा विनियामकों (रेग्यूलेटरों) के फोरम का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस फोरम का अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष होता है और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष फोरम के सदस्य है। भारत सरकार ने रेग्यूलेटरों का फोरम गठित किया है। भारत सरकार द्वारा विनियामक सूचना प्रबंध प्रणाली (आर.आई.एम.एस.) के विकास हेतु फोरम को हाल ही में लगभग 40.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इससे विनियामक आयोग प्रभावकारी निर्णय के माध्यम से विनियामक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वांछित और संबंधित आंकड़े एकत्र कर सकेंगे।

(ङ) और (च) विद्युत अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार निर्धारित तिथि से छह माह के भीतर राज्य के लिए एक आयोग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गठित करेगी जिसे (राज्य का नाम) विद्युत विनियामक आयोग के नाम से जाना जायेगा। यह अधिनियम विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अथवा, राज्य सुधार अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को भी संरक्षित करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अधिसूचित/गठित कर लिया है।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: माननीय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि भारत सरकार ने विनियामकों के एक मंच का गठन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मंच का संक्षिप्त ब्यौरा और इसके निदेश पद आदि के बारे में जानना चाहता हूं और क्या यह विनियामक आयोग राज्य आयोग को देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कृषि तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विद्युत की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सहायता देगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह मंच मूलतः एस.ई.आर.सी. और सी.ई.आर.सी. के बीच समन्वय का काम करेगा। वे एक साथ बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे कि क्या राज्यों और केन्द्र में जो अधिनियम या नियम बनाए गए हैं उनका समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य विशेष पर किसी विशेष प्रश्न के लिए मुझे अलग से सूचना की आवश्यकता है।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति दांव पर है। इन परिस्थितियों में क्या राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे को कम करने हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने कोई प्रक्रिया अपनाई है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वास्तव में इस मामले में अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग तरीके से निपटा जाता है। कुछ राज्य सुधार पैकेज को पहले ही कार्यान्वित कर चुके हैं और एस.ई.आर.सी. राज्यों के अपने विनियमों के अनुसार एक वैधानिक रूप से गठित उपकरण है जो उत्पादन घाटे, बिजली की चोरी तथा उत्पादन लागत का मूल्यांकन तथा श्रमशक्ति की तैनाती के पहलुओं को देखेगा। अतः इसका कोई सीधा सा उत्तर नहीं है। यह राज्य की प्रकृति और उनके अपने राज्य के मामले पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अजीत जोगी। आपको देखकर प्रसन्नता हुई। आपका स्वागत है।

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार हर राज्य को रेगुलेटरी कमीशन बनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अब भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलेटरी कमीशन नहीं बनाया है? यदि ऐसे कुछ राज्य हैं तो उन पर भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रेगुलेटरी कमीशन बनने के बाद से समाज के वंचित वर्ग, विशेषकर आदिवासी, दलितों और गरीब किसानों को कम रेट पर बिजली देना संभव नहीं है तो क्या इसके लिए भारत सरकार कोई सब्सिडी ऐसे राज्यों को देगी जहां आदिवासी दलित और गरीब किसानों की संख्या ज्यादा है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जहां तक रेगुलेटरी कमीशन का सवाल है, सिर्फ नागालैंड और अरुणाचल को छोड़कर सभी प्रांतों में रेगुलेटरी कमीशन बन चुके हैं। जहां तक अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का सवाल है, अतिशीघ्र वे लोग भी इन कमीशनों की तैयारी में लगे हुए हैं और यह काम हो जाएगा। जहां तक पिछड़ा वर्ग, एस.सी., एस.टी. और वीकर सैक्शंस

का सवाल है, उनको सेन्टर से सब्सिडी नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कदम जो यू.पी.ए. सरकार ने उठाया है, सन् 2009 के अंदर गांवों में और छोटे कस्बों में हर घर में बिजली मुहैया करने के लिए राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत एस.सी., एस.टी., आदिवासी क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक धन दिया जाएगा और सबसे ज्यादा लाभ उनको होगा और बहुत ही कम मूल्यों पर बिजली उपलब्ध होगी तथा एस.सी., एस.टी. के घरों में तो फ्री में बिजली चार्जिंग कराने तक का प्रावधान होगा।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर दिया जा चुका है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप कुछ राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है जबकि कुछ राज्य अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ऐसे राज्यों को कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है जिन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में बहुत अच्छा काम किया है।

अध्यक्ष महोदय: इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, यह सत्य है कि अधिकांश राज्यों में विद्युत के क्षेत्र में एक विनियामक तंत्र होना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया भी है। यह भी अनिवार्य है कि पूर्वोत्तर के कुछ छोटे राज्य जो स्वयं के बल पर एक विनियामक आयोग का व्यय वहन नहीं कर सकते वे एक संयुक्त विनियामक आयोग बना सकते हैं। इन छोटे राज्यों में से कितने राज्यों में एक संयुक्त विनियामक प्रणाली है? वे कैसा कार्य कर रहे हैं? उनके सम्मुख क्या-क्या कठिनाइयां हैं? हमने स्थायी समिति के प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें हल किया जाएगा। क्या-क्या समस्याएं हैं और वे किस प्रकार से उन्हें हल कर रहे हैं?

सी.ई.एस.सी. और एस.ई.एस.सी. जिन समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं उनमें से एक है आधारभूत शुल्कों की उपलब्धता।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में कहें। अन्यथा, आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैं ए.बी.टी. के बारे में जानना चाहता हूं। क्या-क्या समस्याएं हैं और वे किस प्रकार उन्हें हल कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह सरकार न केवल विद्युत के क्षेत्र में अपितु कई अन्य विषयों के बारे में भी पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रति विशेष और विशिष्ट रूप से ध्यान देती है। वह जम्मू-कश्मीर व इस देश के कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्रों के प्रति भी विशेष ध्यान देती है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बारे में पूछे गए इस प्रश्न विशेष के बारे में मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि मिजोरम और मणिपुर में एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है जो बहुत संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहा है।

जैसा कि इन्होंने उल्लेख किया है तो जहां तक विशेष राज्यों की समस्याओं का सम्बन्ध है तो जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह सब प्रत्येक राज्य की समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे पूरी तरह से निपटना एस.ई.आर.सी. के हाथों में है। इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें कोई समस्या आती है तो वे इसे सी.ई.आर.सी. के ध्यान में ला सकते हैं और वह मंच इससे प्रभावी रूप से निपटेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना

***446. श्री शिशुपाल पटले:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई लघु हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस.एच.टी.पी.) के अंतर्गत शिल्पकारों/बुनकरों के लाभ हेतु कोई प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कुल कितने शिल्पकारों/बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस.एच.टी.पी.), मौजूदा के साथ-साथ नये शिल्पियों/कालीन बुनकरों के कौशल को उन्नत करने, रोजगार अवसरों को बढ़ाने, सिद्धहस्तशिल्पियों के कौशल को नये प्रशिक्षणार्थियों को अन्तरित करने और उच्च बाजार मांग वाले शिल्पों के उत्पादन आधार को भी बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2002-03 में आरम्भ की गई थी।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 से और नवम्बर, 2005 तक, स्कीम के तहत् प्रशिक्षित कारीगरों/कालीन बुनकरों की कुल संख्या और निर्मुक्त धनराशि, राज्य-वार निम्न प्रकार से है:-

विशेष हस्तशिल्प परियोजना (एस.एच.टी.पी.) के तहत वर्ष 2002-03 से और नवम्बर, 2005 तक राज्य-वार प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और निर्मुक्त धनराशि।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	75	17.28
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	10.26
3.	अरुणाचल प्रदेश	30	2.94
4.	असम	2390	119.07
5.	बिहार	75	7.91
6.	छत्तीसगढ	90	6.19
7.	चण्डीगढ	–	–
8.	दिल्ली	–	2.02
9.	गोवा	15	1.28
10.	गुजरात	60	9.11
11.	हरियाणा	45	7.20
12.	हिमाचल प्रदेश	170	20.29
13.	जम्मू-कशमीर	1390	59.79
14.	झारखण्ड	30	5.40
15.	कर्नाटक	75	11.03
16.	केरल	105	7.94
17.	मध्य प्रदेश	45	6.82
18.	महाराष्ट्र	15	14.06
19.	मणिपुर	–	15.76
20.	मेघालय	40	2.10
21.	मिजोरम	120	1.62
22.	नागालैंड	765	26.02
23.	उड़ीसा	80	7.35
24.	पंजाब	105	6.06
25.	पाण्डिचरी	15	12.70
26.	राजस्थान	30	3.42
27.	सिक्किम	–	–
28.	तमिलनाडु	60	44.60
29.	त्रिपुरा	45	7.78
30.	उत्तर प्रदेश	3785	239.42
31.	उत्तरांचल	180	21.95
32.	पश्चिम बंगाल	150	16.79
	कुल	9985	714.16

[अनुवाद]

स्वर्ण भण्डार

***449. श्री महावीर भगोरा:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना में अपने कार्यकलापों हेतु प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य किन-किन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक सर्वेक्षण में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के भूकिया पट्टी में अनुमानतः 6000 करोड़ रुपये के लगभग 95 टन स्वर्ण भण्डार का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) ने देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना में अपने कार्यकलापों हेतु प्रमुख रूप से ध्यान देने योग्य जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, वे क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

(i) राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और ज्ञान आधार का सृजन करना और उसे अद्यतन बनाना।

(ii) खनिज संसाधनों की पहचान करना और उनका प्रारंभिक मूल्यांकन करना।

(iii) जल संसाधन विकास, परिवहन, प्राकृतिक आपदा और आपदा प्रबंधन तथा सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए भूवैज्ञानिक इन्पुट प्रदान करना।

(ख) और (ग) जी, हां। जी.एस.आई. ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भूकिया स्वर्ण प्रॉस्पेक्ट में लगभग 95 टन स्वर्ण धातु की सम्भावना का पता लगाया है।

प्रतिभा पलायन

***450. श्री के.एस. राव:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान वैज्ञानिकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैज्ञानिकों के विदेश जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार देश में बिना किसी प्रतिबंध के अपनी रूचि के क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने हेतु एक दीर्घावधि नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिभावान वैज्ञानिक हुए हैं। तथापि, वर्ष 2020 तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के हमारे देश के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक संख्या में प्रतिभावान वैज्ञानिकों की आवश्यकता है।

वर्तमान में, भारत में सक्रिय अनुसंधान में कार्यशील वैज्ञानिकों की संख्या 120 प्रति मिलियन है जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह संख्या 2691 है। तथापि, विकासशील और विकसित राष्ट्रों में उपलब्ध संसाधनों एवं अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की कोई तुलना करना और निष्कर्ष निकालना अव्यावहारिक होगा।

(ग) वैज्ञानिक उद्यम की वैश्विक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह विचार है कि वैज्ञानिक गतिशीलता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभर रहे क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा और रोजगार के लिए उपलब्ध बेहतर अवसरों को ध्यान में रखकर विदेश चले जाते हैं। भारत में अवसरों में हो रही वृद्धि से कई वैज्ञानिकों को विशेषकर कुछ हाई टेक क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के क्षेत्र में भारत लौटने हेतु आकर्षित किया गया है। विदेश में भारतीय डायसपोरा की उपलब्धता भी देश में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं/कार्यों का निष्पादन करने में अत्यंत सहायक रही है। सरकार ने देश में वैज्ञानिकों के प्रतिधारण/वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से अनेक पहलें और उपाय किए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने देश में वैज्ञानिकों की रूचि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां और विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं। समय-समय पर किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:-

नीतियां

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, 2003।
- उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि।
- वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि ताकि वह अनुसंधान की अपनी रूचि का अनुशीलन अपेक्षाकृत लम्बे समय तक कर सकें।
- वैज्ञानिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय संस्थानों को अग्रिम प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

स्कूली छात्रों को आकर्षित करने के लिए विद्यालय केन्द्रित कार्यक्रम

- बाल विज्ञान कांग्रेस।
- यू-प्रोब (विद्यालयों में मौसम विज्ञान की शुरूआत)।
- भू-प्रणाली विज्ञान में गणितीय माडलिंग पर स्कूल।
- राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम।

– किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (के.वी.पी.वाई.)

– विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में एस.ई. आर.सी. स्कूल।

– विज्ञान में नेतृत्व के लिए युवाओं हेतु सी.एस.आई.आर. के कार्यक्रम (सी.पी.वाई.एल.एस.)।

युवा विज्ञानिकों को लक्षित कार्यक्रम

– स्वर्ण जयंती अध्येतावृति।

– युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक योजना।

– एस.ई.आर.सी. विजिटिंग अध्येतावृत्ति।

– अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्येतावृत्ति (ब्वायजकास्ट) के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर।

– मिशन होप (उच्चतर शिक्षा - उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के अवसर) - जिसका उद्देश्य आकांक्षाओं को वास्तविक उद्यम में परिवर्तित करना (सी.ए.आर.ई.) है।

– अनुसंधान तथा विकास को कैरियर के रूप में अपनाने हेतु प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित व अभिप्रेरित करने के लिए सम्पर्क कार्यक्रम।

– कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां, रिसर्च एसोसिएटशिप और सीनियर रिसर्च एसोसिएटशिप।

– हीरक जयंती अनुसंधान प्रशिक्षु (इंटर्न्स) पुरस्कार योजना, जे.आर.एफ. - जी.ए.टी.ई. और शोध अध्येताओं को उद्यमवृत्ति सहायता।

– आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली और युवा स्नातकपूर्व छात्रों को इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुकला आदि के क्षेत्र में शिक्षण को कैरियर के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करना है।

– उद्यमिता विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।

कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए कार्यक्रम

- रामानुजन अध्येतावृत्ति।

– जे.सी. बोस राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

– रमन्ना अध्येतावृत्ति।

– श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति।

– एस.ई.आर.सी. वैयक्तिक परियोजनाएं।

– वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता।

– विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते क्षेत्रों में सहयोग करने हेतु अल्पकालिक तकनीकी पद देने का अवसर प्रदान करना।

– जैव प्रौद्योगिकी और जीव विज्ञान में पोस्ट डाक्टोरल अध्येतावृत्ति।

अवसंरचना विकास कार्यक्रम

– उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान में तेजी लाना (आई.आर.एच.पी.ए.)

– उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार हेतु निधि (फिस्ट)

– विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन के केन्द्रों की स्थापना।

– विज्ञान के नए तथा अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ व्यावसायिकों के कोर दलों का सृजन।

– नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

***451. श्री गणेश सिंह:**

श्री श्रीचंद कृपलानी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थित संयंत्रों, को निर्धारित ग्रेड के कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्युत संयंत्रों को उचित गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) ताप विद्युत संयंत्रों को विभिन्न संबद्ध स्रोतों से उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता के अनुसार तैयार किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के विशिष्ट स्थलों में स्थित विद्युत केंद्रों को 1 जून, 2002 से वार्षिक औसत आधार पर कच्चा कोयला अथवा बेनिफिसिएटेड या मिश्रित कोयला जिसमें 34% से अधिक राख की मात्रा न हो, का उपयोग करना होगा:–

- वे विद्युत केंद्र जो पिटहैड से 1000 किलोमीटर से दूर स्थित है और
- वे विद्युत केंद्र जो शहरी क्षेत्र या संवेदनशील क्षेत्र या अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित हों, चाहे पिटहैड संयंत्र को छोड़कर पिटहैड से उसकी दूरी कुछ भी हो।

देश में इस प्रकार के 35 ताप विद्युत संयंत्र हैं।

(ग) से (च) सामान्यतः मध्य प्रदेश समेत देश के सभी विद्युत संयंत्रों को अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति की जाती है। किन्तु एम.ओ.ई.एफ. की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मानदंड के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्थित 4 विद्युत संयंत्रों में से कोई भी संयंत्र नहीं शामिल होता है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का कोयला आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ संयुक्त सैंपलिंग एनेलिसिस एग्रीमेंट है। इससे विद्युत केंद्रों को कोयले की आपूर्ति की नियमित रूप से समुचित ऑडिट हो पाती है तथा कोयले की गुणवत्ता के अनुसार उनके द्वारा भुगतान सुनिश्चित होता है। किंतु किसी भी ताप विद्युत संयंत्र में अधिक बड़े या बाहरी तत्वों के साथ मिश्रित कोयला प्राप्त होने पर मामले को उचित कार्रवाई हेतु कोयला कंपनियों/कोयला मंत्रालय के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

जाली क्रेडिट कार्ड्स

*452. **श्री निखिल कुमार:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली क्रेडिट कार्डों के प्रयोग से देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार/राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसी जालसाजी को रोकने के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने जानकारी दी है कि उनके ध्यान में कुछ मामले लाए गए हैं जिनमें गैर कानूनी प्रौद्योगिकी तरीकों का प्रयोग करके क्रेडिट कार्डों को जाली बनाया गया है। उनकी अनुलिपि तैयार की गई है। अलग-अलग बैंक आर.बी.आई. को 1 लाख रुपए तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की जानकारी दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कैलेण्डर वर्ष 2004 तथा नवम्बर 2005 की समाप्ति तक जाली क्रेडिट कार्डों का प्रयोग करके की गई धाखाधड़ियों से संबंधित विशेष आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

बैंक का नाम	मामलों की संख्या	शामिल राशि (लाख रुपए में)
एस.बी.आई. कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	5	9.36
आन्ध्रा बैंक	1	19.50

(ग) और (घ) आर.बी.आई. द्वारा 12 मई, 2001 के परिपत्र के तहत बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ियों जैसे आवेदन के स्तर पर धोखाधड़ी, गुम/चोरी हुए कार्डों के दुरुपयोग तथा असली आवेदक द्वारा कार्ड प्राप्त न होना, जाली/रूपांतरित कार्ड आदि से निपटने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा गया है।

अलग-अलग बैंकों में धोखाधड़ी निवारण/रोकथाम समितियां/कार्य दल हैं जो धोखाधड़ियां रोकने के तरीके तैयार करते हैं और धोखाधड़ी रोकने संबंधी सक्रिय नियंत्रण एवं प्रवर्तन उपाय करते हैं।

[हिन्दी]

करदाता

*453. **श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आयकर दाताओं की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष करदाताओं की जनसंख्या में तो बढोतरी हुई है किन्तु उसकी तुलना में उसी अवधि में करदाताओं की संख्या में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जनता को आयकर देने और आयकर रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या कर दाताओं के कर की बकाया राशि में सतत् वृद्धि हो रही है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कर की बकाया राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) आयकर विभाग द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार आयकर निर्धारितियों की संख्या 3.2 करोड़ है।

(ख) जी, नहीं। आयकर निर्धारितियों की संख्या में सतत् रूप से वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष की समाप्ति	कर निर्धारितियों की संख्या (करोड़ में)
31 मार्च, 2003	3.00
31 मार्च, 2004	3.02
31 मार्च, 2005	3.08

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जनता को अपने आयकर अदा करने और अपनी विवरणी दायर करने के लिए शिक्षित करना सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है। इस संबंध में उठाये गये कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

i. जनता को विवरणी दायर करने, करों का भुगतान करने के उसके दायित्व और इन देयताओं के गैर-अनुपालन के परिणामों के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जन चेतना अभियान।

ii. करदाताओं की विभिन्न शंकाओं के लिए फोन के माध्यम से सम्पूर्ण भारत से पहुंच वाले आयकर सम्पर्क केन्द्र के रूप में ज्ञात काल सेन्टर की स्थापना।

iii. छोटे करदाताओं को आय की अपनी विवरणी दायर करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए कई शहरों में मदद केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

iv. जन शिकायतों के निवारण के लिए हेल्पलाइनें पहले से ही कार्यरत हैं।

v. विभाग की वेबसाइट **डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. इनकमटैक्स इण्डिया.गव.इन** जनता को शिक्षित करने और मदद के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुगत सामग्री और सूचना प्रदान करती है।

vi. करदाताओं के लाभार्थ और सूचनार्थ "टैक्सपेयर्स इनफार्मेशन सीरीज" शीर्षक से पुस्तिकाओं का प्रकाशन।

(ङ) जी, हां।

(च) गत तीन वित्त वर्षों के अन्त में कर की बकाया धनराशि निम्नानुसार थीं:-

वित्त वर्ष	बकाया कर की धनराशि (करोड़ रुपए में)
2002-03	72,290
2003-04	87,885
2004-05	98,912

(छ) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत यथा निर्धारित बकाया कर देयताओं की वसूली के लिए किये जा रहे सांविधिक उपायों के अतिरिक्त (जिनमें बैंक खातों, कर्जदारों आदि की कुर्की, अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री आदि शामिल है) प्रत्यक्ष बकाया करों की शीघ्र वसूली करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये जा रहे हैं:-

i. कार्य बल द्वारा बड़े मामलों में बकाया धनराशि की वसूली की निगरानी करना।

ii. आयुक्तों (अपील) और आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष लम्बित बकायों की पर्याप्त धनराशि वाले मामलों की पहचान करना और ऐसी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए इन प्राधिकारियों से अनुरोध करना ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही मांग की वसूली की जा सके।

iii. 180 दिन से अधिक मांग के स्थगन की अनुमति न देने के लिए अध्यक्ष, आयकर अपीलीय अधिकरण को अनुरोध करना जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 254(2क) में यथा-विनिर्दिष्ट है।

iv. उच्च मांग वाले मामलों के शीघ्र निपटान के लिए समझौता आयोग से अनुरोध करना।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्र में अध्ययन

*454. **श्री सुब्रत बोस:** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के तटीय क्षेत्रों में अध्ययन कराने के लिए सरकार द्वारा एक तटीय निगरानी एवं भविष्यवाणी प्रणाली (सी.ओ.एम.ए.पी.एस.) शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तटीय निगरानी एवं भविष्यवाणी प्रणाली सी.ओ.एम. ए.पी.एस. शुरू किए जाने के बाद से इसके लिए आबंटित/खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) तटीय निगरानी एवं भविष्यवाणी प्रणाली (सी.ओ.एम. ए.पी.एस.) द्वारा अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं; और

(ङ) इन अध्ययनों से यदि कोई लाभ हुए हैं तो वे क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। वर्ष 1989-90 के दौरान तटीय समुद्र मानीटरन और पूर्वानुमान प्रणाली (कोमेप्स) की शुरुआत की गई थी ताकि देश के तटीय जल में समुद्री प्रदूषकों के स्तर के बारे में डाटा एकत्र किए जा सकें।

(ख) इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बड़े शहरों, नगरों और औद्योगिक महत्व के अन्य स्थानों के निकट तटीय जल में मौजूद प्रदूषकों में कमी/वृद्धि होने की प्रवृति का विश्लेषण करना है। 72-80 स्थानों पर प्रदूषण तथा अन्य संबद्ध 25 पैरामीटरों (जैसे जीव रसायन ऑक्सीजन मांग, रोगजनक जीवाणु, तलछटों में केडमियम, मरकरी तथा सीसा जैसी विषाक्त धातुओं) पर डाटा एकत्र किए गए।

(ग) कोमेप्स प्रारंभ किए जाने के बाद से इसके लिए आबंटित निधियों/इस पर किए गए खर्चों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	आबंटित निधि	किया गया व्यय
1	2	3	4
1.	1989-90	50,00,000	36,33,000
2.	1990-91	50,00,000	61,77,000
3.	1991-92	1,00,00,000	1,04,99,000
4.	1992-93	1,00,00,000	1,57,40,000
5.	1993-94	1,20,00,000	1,31,95,000
6.	1994-95	1,20,00,000	1,78,78,000
7.	1995-96	2,00,00,000	1,99,38,000

1	2	3	4
8.	1996-97	2,00,00,000	1,60,79,000
9.	1997-98	2,00,00,000	1,98,64,000
10.	1998-99	1,50,00,000	1,49,81,000
11.	1999-2000	1,50,00,000	1,62,00,000
12.	2000-01	2,05,00,000	2,25,00,000
13.	2001-02	4,05,00,000	2,15,00,000
14.	2002-03	2,00,00,000	1,92,22,000
15.	2003-04	2,00,00,000	1,75,00,000
16.	2004-05	2,00,00,000	1,99,98,970
17.	2005-06*	2,50,00,000	78,70,477

*15 दिसंबर 2005 की स्थिति के अनुसार व्यय की स्थिति

(घ) तटीय क्षेत्रों की योजनाबद्ध मॉनीटरिंग से अपने समुद्रों की स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है तथा प्रदूषकों के कम, मध्यम और उच्च सान्द्रता वाले स्थानों का पता लगाया जा सकता है। प्रदूषकों की उच्च सान्द्रता वाले क्षेत्रों का गहनता से मॉनीटरन किया जा रहा है। इन स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) स्वच्छ समुद्री जल की गुणवत्ता वाले क्षेत्र:

मुंबई को छोड़कर भारत की तटरेखा से लगभग 1 किमी. आगे समुद्र स्वच्छ है और स्वच्छ जल की गुणवत्ता प्रमाणित है। मुंबई में 5 किमी. से आगे का समुद्र स्वच्छ है। इसका मुख्य कारण यह है कि घुलित ऑक्सीजन के स्तर और अन्य पैरामीटर स्वच्छ समुद्री जल की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं।

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है:

गुजरात के वाडीनार और कांडला, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, गोवा के मंडोवी और जुआरी, कर्नाटक के मंगलौर पत्तन, केरल के केनानौर और कालीकट, तमिलनाडु के कुड्डलोर और पश्चिम बंगाल तट में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता काफी अधिक पाई गई और तलछटों तथा जीवजात में अमोनिया, भारी धातुओं जैसे अन्य विषाक्त तत्व स्वच्छ जल की तुलना में उच्चतर (लगभग 15 प्रतिशत) पाए गए।

(iii) निम्नलिखित क्षेत्रों का गहन मॉनीटरन करने की जरूरत है:

पोरबंदर, दमनगंगा मुहाना तथा गुजरात का वापी औद्योगिक एस्टेट, कर्नाटक का मंगलौर तट, कोच्चि पश्चजल, केरल का क्विलॉन, पारावुर, तमिलनाडु के तूतीकोरीन और अरूमूगनेरी, उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कहीं कम तथा कहीं सामान्य था। परंतु समुद्री जल में अमोनिया, रोगजनक जीवाणु तथा तलछटों में भारी धातुओं जैसे कुछ तत्वों में सामान्य मान की तुलना में उच्चतर सान्द्रता (लगभग 25%) थी प्रदूषकों का निश्चित स्रोत और सान्द्रता में उच्च वृद्धि के आसार होने के कारण इन क्षेत्रों का गहन मॉनीटरन करने की जरूरत है।

(iv) निम्नलिखित क्षेत्रों की चिंता है:

गुजरात में वेरावल पत्तन, महाराष्ट्र में वर्सोवा क्रीक, माहिम खाड़ी और थाणे क्रीक, केरल में वेली, आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह और काकीनाडा खाड़ी (नहर) में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न ज्वार अवधि के दौरान शून्य से निम्न तक थी तथा उच्च ज्वार अवधि के दौरान उनके स्तरों में केवल मामूली (30-50% तक) वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त केडमियम और सीसा जैसी विषाक्त धातुओं के स्तर कुछ स्थानों (जैसे थाणे क्रीक) में तलछटों में उच्च थे तथा पीएच मान बहुत कम (वेली) था। यदि इस समय इन्हें नियंत्रित करने के उपाय नहीं किए गए, तो ये क्षेत्र अगले 5 से 6 वर्षों में प्रदूषण की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र बन जाएंगे।

हेक्सा-क्लोरो-साइक्लो-हेक्जेन (एच.सी.एच.) जैसे ओर्गेनोंक्लोरीन कीटनाशकों के स्तरों का भारत के पूर्वी तट के समानांतर विभिन्न स्थानों पर एकत्र की गई समुद्री मछली की 32 प्रजातियों का विश्लेषण किया गया। दोनों रसायनों के स्तर स्थलीय जानवरों और अन्य खाद्य वस्तुओं में देखे गए रसायनों की अपेक्षा बहुत कम थे। ये स्तर स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सीमाओं (5 पार्ट/बिलियन सुरक्षा सीमा है) से काफी कम है। यह इस बात का संकेत है कि जिन स्थानों से नमूने एकत्र किए गए उन स्थानों में समुद्री मछली कीटनाशक अपशिष्टों से संदूषित नहीं हुए हैं।

(ङ) कोमेप्स कार्यक्रम से एकत्रित डाटा के लाभ:-

- एकत्रित डाटा आधारभूत डाटा बन गए हैं, जो भविष्य में प्रस्तावित परियोजनाओं में जल गुणवत्ता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक और पत्तन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने में बहुत उपयोगी हैं।

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अच्छी तरह परामर्श करने से विशेष रूप से मुंबई, वेरावल पत्तन, वेली और पुरी जैसे अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण स्तरों को कम करने के लिए मुंबई तथा पुरी में उपयुक्त शोधन संयंत्रों की स्थापना करने को बढ़ावा मिला है, जिससे पुरी के समुद्री जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है तथा निकट भविष्य में मुंबई में भी समुद्री जल की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।

- प्रदूषण स्तरों से संबद्ध डाटा से प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह योजना बनाने में मदद मिली है कि भविष्य में किसी क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग/औद्योगिक एस्टेट स्थापित किए जा सकते हैं।

- इस कार्यक्रम से विशेष रूप से तट से समुद्र तक स्वच्छ समुद्री जल की गुणवत्ता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए देश के तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तरों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित किया गया। इस प्रकार की सूचना मात्स्यिकी और नमक बनाने वाले उद्योगों के लिए उपयोगी है। इससे तटीय समुदायों की जीविका बढ़ाने के लिए एक संसाधन अभिवृद्धि तकनीक के रूप में जलकृषि को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

भारत और चीन द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

***455. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और चीन ने अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों हेतु और धात्विक और अधात्विक खनिज शोध के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ढांचा स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) इस समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में खनन निवेश, विधान और गवेषण पर सूचना का आदान-प्रदान करने, अनुसंधान, नीतियों और विनियमनों, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य देशों में संयुक्त उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस बात पर सहमति हो गई है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो जैसे अधीनस्थ संगठन और खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा चीन के तदनुरूपी संगठन इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए पारस्परिक रूचि की परियोजनाओं की पहचान करेंगे।

सुनामी का प्रभाव

***456. श्री एल. गणेशन:** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रायद्वीपीय भारत और एंटार्कटीक क्षेत्र के आसपास के तटीय और मुक्त समुद्री क्षेत्रों में सुनामी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वानस्पतिक और प्राणि शास्त्रीय दोनों दृष्टि से समुद्री जीवन के संबंध में इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या गत दिसंबर में भारतीय तट को प्रभावित करने वाले सुनामी के बाद बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर में गहरे जल के अंदर समुद्र तल और समुद्री जीवन में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) जी हां। प्रायद्वीपीय भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों के तटीय क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे और पर्यावरण पर सुनामी के प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन विभिन्न संस्थाओं और सरकारी

विभागों द्वारा किया गया है। इन अध्ययनों के दौरान समुद्र संस्तर और तटरेखा परिवर्तन, जल गुणवत्ता, समुद्र तटों पर खनिजों की मात्रा, प्रवाल भित्ती और जीव वैज्ञानिक जीवों के संबंध में प्रेषण किए गए। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में समुद्री पर्यावरण और समुद्री संसाधनों पर सुनामी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जनवरी-फरवरी 2005 के दौरान महासागर विकास विभाग के जलयान ओ.आर.वी. सागर कन्या तथा एफ.ओ.आर.वी. सागर संपदा का प्रयोग किया गया। इन अध्ययनों में बहुविधात्मक और विविध पैरामीटर संबंधी डाटा इस प्रकार एकत्र किए गए कि उनमें उन क्षेत्रों को भी लिया जा सके जिन क्षेत्रों के सुनामी आने से पहले के आंकड़े उपलब्ध थे और नए क्षेत्रों से नए आंकड़े भी एकत्र किए जा सके।

सुनामी लहरों से तटीय क्षेत्रों में जीव वैज्ञानिक जीवों के उसी तट पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण वहां के जीव वैज्ञानिक समूह में परिवर्तन आ गए। ये परिवर्तन थोड़े समय के लिए ही थे। दक्षिण अंडमान द्वीपसमूहों की प्रवाल भित्तियां क्षतिग्रस्त पाई गईं और उन्हें कचरा, कीचड़ और मिट्टी से लथपथ पाया गया। परंतु मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां सुनामी का प्रभाव बहुत कम था। तलमज्जित मात्स्यिकी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। तमिलनाडु के तट के निकट के जल में तटीय जल गुणवत्ता की जांच करने पर उसमें पोषकों की मात्रा में वृद्धि और जीवाणुओं के संदूषण का पता चला है। केरल तट पर जल की गुणवत्ता में विपरीत प्रवृत्ति देखी गई।

प्राप्त किए गए डाटा से अंडमान रिज के आसपास समुद्र संस्तर में परिवर्तन देखे गए। सब्डक्शन ट्रेंचलाइन टूटी हुई पाई गई और यह उखड़कर पश्चिम की ओर मुड़ गई है।

राष्ट्रीय पारेषण योजना

***457. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अंतर्क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता प्राप्त करने के लिए एक. विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु कोई राष्ट्रीय पारेषण योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्राप्त की जाने वाली क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) आवश्यकता की पूर्ति के संबंध में जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3(4) में अधिदेश है, के.वि.प्रा. ने 10वीं और 11वीं योजना अवधि के दौरान पारेषण कार्यक्रम और आयोजना मुद्दों को सम्मिलित करते हुए "प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना-पारेषण" तैयार की है। प्रारूप योजना में अन्तर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता के लिए विशेष लक्ष्य और क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों में तदनुरूपी सशक्तीकरण भी निर्धारित किया गया है, ताकि एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड तैयार हो सके। प्रारूप योजना को अंतिम रूप प्रदान किये जाने से पहले इसे सभी स्टेक होल्डरों को उनसे टिप्पणियां/मत प्राप्त करने के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इसे के.वि.प्रा. की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की अभिवृद्धि योजना, जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रारूप राष्ट्रीय पारेषण योजना में परिकल्पना की गई है, विवरण-I में दर्शाई गई है। वर्तमान में 220 केवी और इससे अधिक के लिंकों की कुल अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 9450 मेवा. है (ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना के अंत तक 16450 मेवा. अन्तर-क्षेत्रीय क्षमता (ब्यौरा विवरण-III में है) और 11वीं योजना के अंत तक लगभग 37150 मेवा. क्षमता (ब्यौरा विवरण-IV में है) प्राप्त की जानी है। प्रत्येक कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि भी विवरण-III और IV में दी गई है।

विवरण-I

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता की वृद्धि योजना

अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता					सभी आंकड़े मेगावाट में
वर्ष	2002	2005	2007	2010	2012
1	2	3	4	5	6
765 केवी	0	0	1100	2200	9200

1	2	3	4	5	6
400 केवी	1000	2400	7800	11400	16400
एच.वी.डी.सी. बाईपोल	0	2000	2500	2500	6500
एच.वी.डी.सी. बी.-टी.-बी.	2000	3000	3000	3000	3000
एच.वी.डी.सी. मोनो-पोल	200	200	200	200	200
220 केवी	1850	1850	1850	1850	1850
कुल	5050	9450	16450	21150	37150

विवरण-II

220 केवी और इससे ऊपर की वर्तमान अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता

विद्यमान क्षमता	विद्युत अंतरण क्षमता (मेगावाट)		
प्रणाली का नाम	9वीं योजना के अंत में यथा 2001-02 के अंत में	10वीं योजना के दौरान अभिवृद्धि (नवंबर, 2005 तक)	विद्यमान क्षमता (नवंबर, 2005 तक)
1	2	3	4
पू.क्षे.-द.क्षे.			
गजुवाका एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक	500	500	1000
बालीमेला-अपर सिलेरू 220 केवी एच/सी	100		100
तालचेर-कोलार एच.वी.डी.सी. बाईपोल		2000	2000
पू.क्षेत्र.-द.क्षे. कुल	**600**	**2500**	**3100**
पू.क्षे.-उ.क्षे.			
देहरी-साहूपुर 220 केवी एस/सी	100		100
सासाराम एच.वी.डी.सी. बैक टू बैक		500	500
पू.क्षे.-उ.क्षे. कुल	**100**	**500**	**600**
पू.क्षे.-प.क्षे.			
राउरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी (सीरिज कॉम्पोनसेशन के बिना)		1000	1000
राउरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी पर टी.सी.एस.सी.		400	400

1	2	3	4
बुधिपाड़ा-कोरबा 220 केवी डी./सी.+एस./सी.	400		400
पू.क्षे.-प.क्षे. कुल	**400**	**1400**	**1800**
पू.क्षे.-उ.पू.क्षे.			
बीरपाड़ा-सालाकटी 220 केवी डी.सी./	250		250
मालदा-बोंगईगांव 400 केवी डी/सी.	1000		1000
पू.क्षे.-उ.पू.क्षे. कुल	**1250**		**1250**
विन्ध्याचल एच.वी.डी.सी. बैक टू बैक	500		500
औरिया-मालनपुर 220 केवी डी./सी.	250		250
कोटा-उज्जैन 220 केवी डी./सी.	250		250
उ.क्षे.-प.क्षे. कुल	**1000**		**1000**
प.क्षे.-द.क्षे.			
चन्द्रपुर-एच.वी.डी.सी. बैक टू बैक	1000		1000
बरसूर-लोअर सिलेरू 200 केवी एच.वी.डी.सी. मोनो पोल	200		200
कोल्हापुर-बेलगाम 220 केवी डी/सी	250		250
पोंडा-नागझरी 220 केवी डी/सी	250		250
प.क्षे.-द.क्षे. कुल	**1700**		**1700**
कुल अखिल भारत	5050	4400	9450

विवरण-III

10वीं योजना के अंत में अंतर-क्षेत्रीय क्षमता कार्यक्रम

2005-07 के दौरान अभिवृद्धि

प्रणाली का नाम	विद्युत अंतरण क्षमता मेगावाट	लक्ष्य तारीख
1	2	3
पू.क्षे.-द.क्षे.		
तालचेर-कोलार एच.वी.डी.सी. बाइपोल का उन्नयन	500	जून, 06
पू.क्षे.-द.क्षे. कुल	**500**	

1	2	3
पू.क्षे.-उ.क्षे.		
मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस) सीरिज कंपनसेशन के साथ	2000	जून, 06
बिहारशरीफ-बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस)	1200	मार्च, 07
पटना-बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस)	1200	मार्च, 07
पू.क्षे.-उ.क्षे. कुल	**4400**	
पू.क्षे.-प.क्षे.		
रांची-सीपत 400 केवी डी/सी (40% सीरिज कंपनसेशन)	1000	मार्च, 07
पू.क्षे.-प.क्षे. कुल	**1000**	
उ.क्षे.-प.क्षे.		
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाईन-1 400 केवी ऑपरेशन	1100	मार्च 07
उ.क्षे.-प.क्षे. कुल	**1100**	
कुल अखिल भारत (2005-07 के दौरान अभिवृद्धि)	7000	
10वीं योजना (2006-07) के अंत में लक्षित अंतर-क्षेत्रीय क्षमता	16450	

विवरण-IV

11वीं योजना के अंत में अंतर-क्षेत्रीय क्षमता हेतु कार्यक्रम

11वीं योजना के दौरान अभिवृद्धि

प्रणाली का नाम	विद्युत अंतरण क्षमता (मेगावाट)	लक्ष्य तारीख
1	2	3
उ.पू.क्षे.-उ.क्षे.		
+ 600 केवी पर बिस्वानाथ चरियाली-आगरा एच.वी.डी.सी. बाईपोल	4000	2009-10
उ.पू.क्षे.-पू.क्षे. कुल	**4000**	

1	2	3
उ.पू.क्षे.-पू.क्षे.		
बोंगईगांव-सिलीगुड़ी 400 केवी डी/सी	1000	2009-10
उ.पू.क्षे.-पू.क्षे. कुल	**1000**	
पू.क्षे.-उ.क्षे.		
बाढ़-बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस)	1200	2008-09
सासाराम-फतेहपुर 765 केवी एस/सी (40% सीरिज कंपनसेशन)	2300	2010-11
पू.क्षे.-उ.क्षे. कुल	**3500**	
पू.क्षे.-प.क्षे.		
राऊरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी लाईन-2 (टी.सी.एस.सी. सहित)	1400	2008-09
उत्तर करनपुरा-सीपत 765 केवी एस/सी	2300	2009-10
हिरमा-सीपत 400 केवी डी/सी*	1000	2011-12
हिरमा-रायपुर 400 केवी डी/सी*	1000	2010-11
(*-अनंतिम क्योंकि हिस्सा उत्पादन परियोजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है)		
पू.क्षे.-प.क्षे. कुल	**5700**	
उ.क्षे.प.क्षे.		
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाईन-1 (785 केवी ऑपरेशन पर)	1200	2009-10
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाईन-2	2300	2011-12
कांकरोली-जेरदा 400 केवी डी/सी	1000	2010-11
आर.ए.पी.पी.-नागदा 400 केवी डी/सी	1000	2011-12
उ.क्षे.प.क्षे. कुल	**5500**	
प.क्षे.-द.क्षे.		
पारली-रायचूर 400 केवी डी/सी	1000	2011-12
पू.क्षे.-प.क्षे. कुल	**1000**	
अखिल भारत (11वीं योजना के दौरान अभिवृद्धि)	20700	
11वीं योजना के अंत (2011-12) में लक्षित अंतर-क्षेत्रीय क्षमता	37150	

परती भूमि का गरीब लोगों के बीच वितरण

***458. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में परती भूमि का वितरण भूमि सुधारों की महत्वपूर्ण नीतियों में से एक नीति रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या नीति बनायी है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा ग्रामीण गरीबी लोगों में परती भूमि का वितरण करते सभय किसी एक समान नीति का पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) उक्त नीति से किसानों सहित ग्रामीण गरीब लोगों को कितना लाभ मिला है अथवा मिल रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबंधन का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार भूमि वितरण के क्षेत्र में एक सलाहकार एवं समन्वयक की भूमिका अदा करती है। सरकारी बंजरभूमि का वितरण देश में भूमि सुधारों संबंधी मुख्य नीतियों में से एक नीति रही है। केन्द्र सरकार की यह स्वीकार्य नीति रही है कि राज्य सरकारों के पास उपलब्ध बंजरभूमि पात्र ग्रामीण गरीबों को वितरित की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को सरकारी बंजरभूमि के आबंटन के कार्य में तेजी लाने तथा वितरण की गति में बाधा डालने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाने की सलाह दी गई है। देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी बंजरभूमि के वितरण की कोई एक समान नीति नहीं है। अभी तक 59.70 लाख हैक्टेयर सरकारी बंजरभूमि भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को वितरित की गई है। वितरण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार*	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश#	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश@	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	कुल	147.47 (59.70 लाख हैक्टेयर)

* झारखण्ड सहित

छत्तीसगढ़ सहित

@ उत्तरांचल सहित

बायो-गैस विकास कार्यक्रम

***459. श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसन भाई वी. पटेल:

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय बायो-गैस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीधे उपभोक्ताओं को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) उक्तावधि के दौरान इस कार्यक्रम से राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए केन्द्रीय सब्सिडी उपलब्ध कराना जारी है। संयंत्रों की क्षमता और क्षेत्र एवं लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार केन्द्रीय सब्सिडी की दर भिन्न-भिन्न है जो निम्नानुसार है:-

श्रेणी	प्रति संयंत्र केन्द्रीय सब्सिडी की राशि	
	एक घनमीटर क्षमता के संयंत्र	2-6 घनमीटर क्षमता के संयंत्र
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य और सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/- रुपये	11,700/- रुपये
असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/- रुपये	9,000/- रुपये
जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु में नीलगिरि; दार्जिलिंग जिले के सदर कुर्सोंग और कालिमपोंग सब-डिविजन, सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,500/- रुपये	4,500/- रुपये
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मरूस्थली जिले, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	2,800/- रुपये	3,500/- रुपये
अन्य	2,100/- रुपये	2,700/- रुपये

(ग) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल से अक्तूबर, 2005) के दौरान लगाए गए पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या से संबंधित राज्यवार सूचना विवरण-II में दी गई है। यह मानते हुए कि एक बायोगैस संयंत्र से औसतन पांच सदस्यों वाले एक परिवार को लाभ प्राप्त हो रहा है, वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल से अक्तूबर, 2005) के दौरान लगभग 1.28 लाख संयंत्रों को लगाए जाने से कुल 6.40 लाख लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल से 15 दिसम्बर, 2005) के दौरान विभिन्न राज्यों और एजेंसियों को जारी की गई निधियां

जारी की गई राशि (करोड़ रु. में)

राज्य/एजेंसी	वर्ष 2004-05	2005-06 (अप्रैल से 15 दिसम्बर, 2005)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2.42	4.32

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	0.51	0.30
छत्तीसगढ़	0.39	–
गुजरात	1.19	1.98
हरियाणा	0.21	–
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.06
कर्नाटक	0.04	–
केरल	0.81	–
मध्य प्रदेश	1.53	–
महाराष्ट्र	2.66	–
मणिपुर	0.27	–
मेघालय	0.13	0.13
मिजोरम	0.28	–
उड़ीसा	1.68	–
पंजाब	0.26	0.29
राजस्थान	0.05	–
सिक्किम	0.62	–
तमिलनाडु	0.39	–
उत्तर प्रदेश	1.49	–
उत्तरांचल	0.06	–
पश्चिम बंगाल	2.46	0.18
एजेंसियां (के.वी.आई.सी. आदि)	4.38	–
कुल	21.94	7.26

के.वी.आई.सी.–खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

विवरण-II

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (अप्रैल से अक्तूबर, 05) के दौरान स्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	स्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या	
	वर्ष 2004-05	वर्ष 2005-06 (अप्रैल-अक्तूबर, 2005)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	15640	2500
अरुणाचल प्रदेश	168	–
असम	1000	–
बिहार	426	–
गोवा	113	–
गुजरात	6974	1000
हरियाणा	1342	455
हिमाचल प्रदेश	262	65
जम्मू-कश्मीर	26	–
कर्नाटक	12517	–
केरल	5476	1890
मध्य प्रदेश	11306	4107
महाराष्ट्र	10146	2761
मणिपुर	21	–
मेघालय	600	–
मिजोरम	123	–
नागालैंड	325	25
उड़ीसा	8950	55
पंजाब	2195	190

1	2	3
राजस्थान	1	–
सिक्किम	500	71
तमिलनाडु	2172	753
त्रिपुरा	40	–
उत्तर प्रदेश	8625	1405
पश्चिम बंगाल	15073	2510
छत्तीसगढ़	3420	1114
झारखंड	400	40
उत्तरांचल	1390	164
कुल	1,09,232	19,105

एन.टी.सी. मिलों की भूमि की बिक्री

***460. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**

श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) के अंतर्गत रूग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए इन मिलों के पास अप्रयुक्त पड़ी काफी भूमि को बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की राज्यवार कुल कितनी भूमि की पहचान तथा बिक्री हेतु निर्धारण किया गया है;

(ग) अब तक राज्यवार कितनी भूमि की बिक्री की गयी है;

(घ) इससे कितनी राशि अर्जित की गई है; और

(ङ) देश में एन.टी.सी. मिलों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने कंपनियों के पुनर्वासन के लिए निधियां सृजित करने के लिए बेशी भूमि की बिक्री वाली एन.टी.सी. कंपनियों की पुनर्वासन योजनाएं अनुमोदित कर दी हैं।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने मिलों की परिसंपत्तियों की बिक्री से सृजित संसाधनों का प्रयोग कर एन.टी.सी. की 22 मिलों का आधुनिकीकरण करने और निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से 29 मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों की बिक्री से आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित संसाधन सृजित कर लिए हैं। नई मशीनों और मौजूदा मशीनों के जीर्णोद्धार के लिए सहायक मदों की खरीद के लिए निविदा तकनीकी समिति की सिफारिशों के बाद जारी कर दी गई है।

विवरण

बिक्री के लिए पहचान की गई एन.टी.सी. मिलों की भूमि, क्षेत्र और मूल्य जिस पर भूमि बेची गई का विवरण

क्र. सं.	सहायक/राज्य मिल का नाम	बिक्री के लिए उपलब्ध भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	वास्तव में बेची गई भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	जिस मूल्य पर भूमि बेची गई (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
	भूमि			
	एन.टी.सी. (ए.पी.के.के. एंड एम.) लि. बेंगलूर			
	(क) आंध्र प्रदेश			
1.	नेथा मिल्स, सिकंदराबाद	10.84	9.83	24.02

1	2	3	4	5
2.	नटराज मिल्स,	70.00	70.00	2.31
3.	तिरूपति मिल्स, रेनीगुंटा	47.36	–	–
4.	अनंतपुर मिल्स, ताडापत्री	9.25		–
5.	आजमजाही मिल्स, वारंगल	200.25	65.69	18.22
6.	अदनी मिल्स, अदनी	7.17		–
	(ख) कर्नाटक			
7.	मैसूर मिल्स, बेंगलूर	27.79	18.69	79.16
8.	एम.एस.के. मिल्स, गुलबर्गा	205.32	165.20	17.08
9.	श्री येलम्मा, टोलाहुन्स	98.80		–
10.	मिनर्वा मिल्स, बेंगलूर	30.00	28.37	80.41
	(ग) केरल			
11.	अलगप्पा टेक्सटाइल्स मिल्स	8.06	1.96	0.49
12.	केरला लक्ष्मी मिल्स, तिरूचूर	30.11	14.19	2.15
	कुल	**744.95**	**373.93**	**223.84**
	एन.टी.सी. (डी.पी. एंड आर.) लि., नई दिल्ली			
	(क) दिल्ली			
13.	अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	8.98	4.54	67.01
	(ख) पंजाब			
14.	खरर टेक्सटाइल मिल्स, खरर	26.38	8.28	1.05
15.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स, मलौट	7.05	7.05	0.56
16.	दयालबाग मिल्स, अमृतसर	9.84		–
17.	पानीपत वूलेन मिल्स, खरर	20.29	7.69	12.50
	(ग) राजस्थान			
18.	उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर	29.77	29.77	15.12
19.	एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	18.28		–
20.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	5.17		–

1	2	3	4	5
21.	बिजयनगर कॉटन मिल्स, बिजयनगर	7.83	7.83	1.95
	कुल	**133.59**	**65.16**	**98.19**
	एन.टी.सी. (गुजरात) लि. अहमदाबाद			
	गुजरात			
22.	अहमदाबाद न्यू टेक्स. मिल्स	7.45	–	–
23.	राजकोट टेक्सटाइल मिल्स, राजकोट	8.72	–	–
24.	अहम, जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद	22.44	–	–
25.	जहांगीर टेक्स. मिल्स, अहमदाबाद	16.30	–	–
26.	राजनगर टेक्सटाइल मिल्स नं. 1 अहमदाबाद	12.11	–	–
27.	न्यू मानिकचौक मिल्स, अहमदाबाद	8.99	–	–
28.	महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, भावनगर	16.32	–	–
29.	हिमाद्रि टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	7.22	–	–
30.	पेटलड टेक्सटाइल मिल्स, पेटलड	29.28	–	–
31.	विरंगम टेक्सटाइल मिल्स, विरंगम	50.91	–	–
32.	फाइन निटिंग टेक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	8.38	–	–
	कुल	**188.12**	–	–
	एन.टी.सी. (एम.एन.) लि., मुंबई			
	महाराष्ट्र नॉर्थ			
33.	आर.बी.बी.ए. मिल्स, हिंगनघाट (प्लाट नं. 1 पुराना बंगला के साथ)	5.95		
	जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्री	5.95		
34.	सावतराम राम प्रसाद मिल्स, अकोला	0.52	0.10	0.09
35.	विदर्भ मिल्स, अचलपुर/प्लाट नं. 1-2)	17.05	4.99	0.50
	प्लाट नं. 6		0.89	0.36
36.	मॉडल मिल्स, नागपुर	33.31		
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 2)		0.21	0.36
	मॉडल मिल्स (प्लाट नं. 1) एस.टी. स्टैंड के पास		6.98	9.50

1	2	3	4	5
37.	आर.एस.आर.जी. मिल्स, अकोला (प्लाट नं. 3)	15.81	1.96	0.45
	प्लाट नं. 1		1.10	0.25
	प्लाट नं. 2		1.06	0.30
38.	टाटा मिल्स, मुंबई	10.62	4.40	13.75
39.	इंदु मिल्स सं. 1, मुंबई	8.71		–
40.	इंदु मिल्स नं. 6, मुंबई	4.57		–
41.	इंदु मिल्स नं. 2, मुंबई	16.04		–
42.	जाम मिल्स, मुंबई	7.99		–
43.	इंदु मिल्स, सं. 4, मुंबई	7.79		–
44.	सीता राम मिल्स, मुंबई	8.43		–
45-46.	कोहिनूर मिल्स सं. 1 व 2, मुंबई	14.55		–
47.	कोहिनूर मिल्स सं. 3, मुंबई	4.84	4.84	421.00
48.	इंदु मिल्स सं. 3, कलाचौकी, मुंबई	5.40		–
	कुल	**167.53**	**26.53**	**446.56**
	एन.टी.सी. (एम.पी.) लि., इंदौर			
	मध्य प्रदेश			
49.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	79.10	–	–
50.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	42.85	–	–
51.	इंदौर मालवा मिल्स, इंदौर	103.80	–	–
52.	हीरा मिल्स, उज्जैन	69.20	–	–
53.	कल्याणमल मिल्स, इंदौर	33.57	–	–
54.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स, इंदौर	15.32	–	–
55.	बंगाल नागपुर मिल्स, राजनंदगांव	52.10	–	–
	कुल	**395.94**		
	एन.टी.सी. (एस.एम.) लि., मुंबई			
	महाराराष्ट्र साउथ			
56.	बर्सी मिल्स, बर्सी	36.50	1.87	0.12

1	2	3	4	5
57.	धूले टेक्सटाइल मिल्स, धूले	12.80	10.28	2.52
58.	चालीसगांव मिल्स, चालीसगांव	17.54	9.54	3.04
59.	अपोलो मिल्स, मुंबई	9.98	7.43	180.00
60.	गोल्ड मोहर मिल्स, मुंबई	6.52		–
61.	मधुसूदन मिल्स, मुंबई	18.05		–
62.	मुंबई टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	23.83	16.62	702.22
63.	जूपिटर टेक्सटाइल मिल्स, मुंबई	10.91	10.91	276.60
64.	एलफिंस्टन मिल्स, मुंबई	8.91	8.49	441.75
65.	भारत मिल्स, मुंबई	8.37		–
66.	न्यू हिंद मिल्स, मुंबई	8.33		–
67.	दिग्विजय मिल्स, मुंबई	9.33		–
68.	औरंगाबाद मिल्स, औरंगाबाद	15.74		–
69.	पोद्दार प्रोसेस, मुंबई	2.39		–
70.	नादेर मिल्स, नादेर	91.42		–
	कुल	**280.62**	**65.14**	**1606.25**
	एन.टी.सी. (टी.एल. एंड पी.) लि., कोयम्बटूर			
	(क) तमिलनाडु			
71.	पंकजा मिल्स, कोयम्बटूर	11.07	0.34	0.69
72.	ओमपराशक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	14.25	14.25	4.50
73.	कालेश्वर ए. मिल्स	16.06	0.19	0.54
74.	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	17.20	6.21	7.82
	श्री रंगविलास मिल्स, कोयम्बटूर	–	3.46	8.00
75.	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स, कोयम्बटूर	2.31	0.85	1.89
76.	कोथान्द्रम मिल्स, मदुरई	2.66		–
77.	कृष्णावेनी मिल्स, कोयम्बटूर	4.52	4.52	5.20
78.	बलराम वर्मा मिल्स, सेनकहाह	20.20		–

1	2	3	4	5
79.	सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	7.43		-
80.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	3.45		-
81.	कोयम्बटूर स्पि. व विविंग मिल्स	20.49		-
	(ख) पांडिचेरी			
82.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, पांडिचेरी	53.30	53.30	32.55
83.	श्री भारती मिल्स, पांडिचेरी	-	15.12	13.08
	कुल	**119.64**	**98.23**	**74.27**
	एन.टी.सी. (यू.पी.) लि., कानपुर			
	उत्तर प्रदेश			
84.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	12.62	6.43	3.20
85.	बिजली कॉटन मिल्स, हाथरस	7.56	5.82	4.69
86.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	55.86	4.76	11.73
87.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स, सहारनपुर	24.70		
88.	स्वदेशी मिल्स, मऊनाथमंजन	9.20	4.80	3.15
89.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	20.70		-
90.	लक्ष्मी रत्तन मिल्स, कानपुर	13.48		-
91.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	29.67		-
92.	म्यूर मिल्स, कानपुर	37.28		-
93.	श्री विक्रम मिल्स, लखनऊ	8.14		-
94.	रायबरेली टेक्सटाइल्स मिल्स, रायबरेली	30.43		-
	कुल	**249.64**	**21.81**	**22.77**
	एन.टी.सी. (डब्ल्यू.बी.ए.बी.ओ.) लि. कोलकाता			
	(क) पश्चिम बंगाल			
95.	लक्ष्मी नारायण टेक्सटाइल मिल्स, रिसरा	14.83		-
96.	रामपुरिया टेक्सटाइल मिल्स, सेरमपुर	30.60		-
97.	बंगाल लक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, सेरमपुर	27.97		-

1	2	3	4	5
98.	बंगाश्री टेक्सटाइल मिल्स, सुखचर	29.08		–
99.	सैंट्रल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, बेलूर	11.67	11.67	13.35
100.	श्री महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स, पाल्टा	11.24		–
101.	बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स नं. 2 कट्टागंज	19.44		–
102.	बंगाल फाइन टेक्सटाइल मिल्स नं. 1 कन्नागर	18.83		–
103.	आरती कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, हावड़ा	6.25		–
104.	मनिन्द्र बी.टी. टेक्स. मिल्स, कोसिमबाजार	35.28		–
105.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री, कोलकाता	4.29	4.29	11.55
	(ख) असम			
106.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, चन्द्रपुर	50.00		–
	(ग) बिहार			
107.	गया कॉटन मिल्स, गया	32.77		–
108.	बिहार कोऑपरेटिव टेक्स. मिल्स, मोकामाह	22.20		–
	(ग) उड़ीसा			
109.	उड़ीसा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, भगतपुर	62.17		–
	कुल	376.62	15.96	24.90
	कुल योग	2709.95	666.76	2496.78

ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्राधिकारी योजना

***461. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कोई क्षेत्राधिकारी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या क्षेत्राधिकारियों ने वर्ष 2004-05 के दौरान आबंटित राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सभी राज्यों ने वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान क्षेत्राधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट भेज दी है;

(च) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी है; और

(छ) देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कदाचारों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1-1-1994 से क्षेत्र अधिकारी योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से गुणवत्ता, कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का अनुपालन, निधियों का प्रवाह, निधियों का समुचित उपयोग और वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि आदि के विशेष संदर्भ में मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी करना है। आवधिक दौरों एवं निगरानी के लिए उप सचिव एवं उनसे ऊपर स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्यों के विशिष्ठ जिले सौंपे जाते हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय के 26 क्षेत्र अधिकारियों ने अपने आबंटित राज्यों का दौरा किया है। क्षेत्र अधिकारियों की संक्षिप्त टिप्पणियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

क्षेत्र अधिकारियों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां एवं उसमें उल्लिखित मुद्दों को भेजते समय राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, केरल, असम, तमिलनाडु, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से वर्ष 2003-04 और 2004-05 की, की गई कार्रवाई की रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को ये रिपोर्टें भेजने की निरन्तर सलाह दी है।

कदाचार को रोकने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टों, मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों और राज्य सचिवों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों/जिला परिषदों/पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और जिला स्तरीय निगरानी एजेंसियों एवं राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा निगरानी के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। मंत्रालय ने एक चार-सूत्री कार्यनीति अपनाई है जिसमें (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना (ii) पारदर्शिता (iii) जन-भागीदारी और (iv) जवाबदेही शामिल हैं जिससे, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलती है।

विवरण

क्षेत्र अधिकारियों की मुख्य टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:-

- समग्र रूप से कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, लगभग सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इससे ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचा है और बीते वर्षों में उनमें से कई व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं।
- क्षेत्र अधिकारियों ने माईक्रो-एन्टरप्राइजेज विकास, स्व-रोजगार संबंधी प्रावधान, लोगों के जीवन-स्तर में सुधार, स्व-सहायता समूहों में एकजुटता आदि जैसे सफलता की अनेक कहानियों का प्रलेखन किया है।
- देश के अनेक जिलों में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी अधिक संख्या में स्थायी सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है। ये परिसम्पत्तियां कुल मिलाकर समुदाय के लिए उपयोगी रही हैं।
- कई राज्यों में, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अन्तर्गत निर्मित मकानों से ग्रामीण निर्धनों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है और उन्हें उचित वातावरण उपलब्ध हुआ है। आई.ए.आई. के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन भी अधिकांशतः ग्राम सभाओं द्वारा किया गया है।
- लगभग सभी राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी देखी गयी है।
- ग्राम-समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में प्रत्यक्षतः सुधार हुआ है।

क्षेत्र अधिकारियों ने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कुछ कमियां भी पाई हैं जो निम्नानुसार हैं:-

- कुछ मामलों में लाभार्थियों/स्वरोजगारियों के गलत चयन की सूचना मिली है।
- कुछ मालमो में कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य का हिस्सा जारी किए जाने में विलम्ब हुआ है।
- एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ऋण आवेदन काफी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं/स्वयं सहायता समूहों को ऋण के वितरण में विलम्ब हुआ है।
- कभी-कमी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों लाइन/विभागों के बीच समन्वय की कमी रहती है।
- कुछ मामलों में मॉनीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है।
- ब्लॉक और जिलों में स्टॉफ की कमी की सूचना मिली है।

– कुछ मामलों में पुरुष एवं महिला कामगारों के बीच मजदूरी संबंधी भेदभाव किया गया है।

– कभी-कभी एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण में विलम्ब होता है जिसका मुख्य कारण एफ.सी.आई. द्वारा इस कार्यक्रम के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति को कम महत्व दिया जाना है।

कच्चे कपास पर राजसहायता

4487. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र जहां पर बड़ी संख्या में कामगार काम करते हैं, को मिलों की तुलना में कच्चे कपास पर संतोषजनक राजसहायता प्रदान नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) से (ग) वस्त्र मंत्रालय मिल गेट कीमत योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत भारत सरकार का एक उपक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन.एच.डी.सी.) हथकरघा बुनकरों और उनके संगठनों के लिए अपेक्षित सभी प्रकार के यार्नों की आपूर्ति मिल गेट कीमत पर करने की व्यवस्था कर रहा है। मिल गेट से हथकरघा एजेंसियों के गोदाम तक यार्न के परिवहन के खर्च की प्रतिपूर्ति एन.एच.डी.सी. द्वारा हथकरघा एजेंसियों को की जा रही है और फिर भारत सरकार द्वारा एन.एच.डी.सी. को की जा रही है।

[हिन्दी]

थैलेसीमिया के रोगियों हेतु आयकर में छूट

4488. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने थैलेसीमिया के रोगियों को आयकर में कोई छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य प्रकार के रोगों से पीड़ित रोगियों को इसी प्रकार की छूट दी गई है/दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 घ घ ख के तहत थैलेसीमिया के इलाज हेतु किसी व्यष्टि या अविभाजित हिंदू परिवार के लिए आय से 40,000/- (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60,000 रुपए) तक की कटौती का प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह लाभ निम्नलिखित अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी उपलब्ध है:-

– डेमेंटिया

– डिस्टोनिया मस्कुलोरम डीफार्मन्स

– अटैक्सिया

– कोरिया

– हैमिबैलिस्मस

– अफासिया

– पार्किन्सन्स डिसीज

– मैलिग्नैंट कैंसर

– फुल ब्लोन एक्वायर्ड इम्युनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स)

– क्रोनिक रिनल फेलियर

– हैमोफीलिया

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए वैट

4489. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में मूल्य वर्द्धित कर के विनियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैट विनियमों में परिवर्तन के कारण सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है/प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत के संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य बिक्री कर (राज्य वैट भी जिसने राज्य बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया है) राज्य का विषय है। राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ई.सी.) का राज्य वैट से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय

लेने के लिए गठन किया गया है। अधिकार-प्राप्त समिति ने 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित राज्य वैट के डिजाइन (जिसमें कर की दरों की संरचना शामिल है) का निर्णय किया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मोटे-तौर पर अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वैट डिजाइन का अनुपालन किया है। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दादरा तथा नगर हवेली और दमण और दिऊ ने 1 अप्रैल, 2005 से वैट का कार्यान्वयन किया है। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अपने राज्य विधान मंडल के माध्यम से अलग दिल्ली वैट अधिनियम पारित किया है। दमण और दिऊ तथा दादरा एवं नगर हवेली के मामले में वैट विनियमनों को प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया गया था और इसे संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कर संग्रहणों के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार कर राजस्वों ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि दर्शायी है। वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लगभग 28 प्रतिशत, दादरा और नगर हवेली के लिए लगभग 69 प्रतिशत तथा दमण एवं दिऊ के लिए लगभग 60 प्रतिशत बैठता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के प्रस्ताव

4490. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सरकार से पूंजी परिव्यय अनुदान हेतु प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग ढाई महीने पहले भेजे गए प्रस्तावों पर निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उपर्युक्त प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसी योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क कार्यालय का बंद होना

4491. श्री टी.के. हमजा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क के कुछ कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) केरल क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के पुनर्गठन का मुद्दा जांच के अधीन है। इस हित से जुड़े सभी ग्रुपों के परामर्श से मुद्दे की जांच के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया है। अध्ययन दल द्वारा विस्तार से सभी गुणावदोषों की जांच के बाद रिपोर्ट सौंपने की आशा है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

4492. श्रीमती मिनाती सेन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत स्टाफ की संख्या को कम करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों की वर्तमान संख्या को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिश पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) में विभिन्न क्षेत्रों/समूहों में कार्मिकों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए 2002 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। जी.एस.आई. वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन होने के कारण विशेषज्ञ समिति ने, इसके विभिन्न क्षेत्रों/समूहों में स्टाफ की आवश्यकता को अनुकूलतम करने की सिफारिश की है और सरकार द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार

कर लिया गया है। हालांकि समिति ने समूह "क" और समूह "ख" पदों को 3147 से बढ़ाकर 3820 करने की सिफारिश की है, इसने अराजपत्रित पदों को 13155 से घटाकर 7600 करने की सिफारिश की है। विशेषज्ञ समिति द्वारा यथासंस्तुत पदों की संशोधित संख्या को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना है। जी.एस.आई. में स्वीकृत पदों को, जब कभी आवश्यकता होती है, भर्ती नियमों तथा सरकार के अनुदेशों के अनुसार भरा जाता है।

[हिन्दी]

एक्जिम बैंकों की सिफारिशें

4493. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात-आयात व्यपार से संबंधित कार्य करने वाले एक्जिम बैंक ने सरकार से लघु उद्योग और मझौले उद्योगों के लिए एक स्वतंत्र रणनीति और विनियामक प्रणाली विकसित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) क्या एक्जिम बैंक ने सरकार से लघु उद्योगों के लिए वित्तीय प्रणाली को सुचारू बनाने और उनकी अवसंरचना संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की भी सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पेशल परपज वैहिकल के अंतर्गत धनराशि

4494. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु राज्य से स्पेशल परपज वैहिकल के अंतर्गत धनराशि हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्पेशल परपज वैहिकल (एस.पी.वी.)

4495. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेशल परपज वैहिकल (एस.पी.वी.) द्वारा वित्तपोषण के लिए किसी अवसंरचनात्मक परियोजना की पहचान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना हेतु कितना वित्तीय आबंटन किया गया है तथा उनके पूरा होने की राज्यवार परियोजनावार लक्षित तारीख क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघर बचतों पर ब्याज दर

4496. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघर बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर राकेश मोहन समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। इन योजनाओं पर ब्याज दरों में अंतिम बार संशोधन डा. वाई.वी. रेड्डी, तत्कालीन डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति (2001) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राकेश मोहन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर रेड्डी समिति द्वारा यथा संस्तुत गौण बाजार में तुलनीय परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त औसत आय के

अनुपात में निर्धारित की जाए, लेकिन रेड्डी समिति द्वारा संस्तुत औसत वार्षिक आय के बजाए दो वर्ष की अवधि की औसत आय को ध्यान में रखा जाए। तथापि, लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें दिनांक 1-3-2003 से यथावत् बनी हुई है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

4497. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य के सभी जिलों को समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के दायरे के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के कार्यान्वयन हेतु अब तक 288 जिलों को लिया गया है। आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत जिलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में निधियों की उपलब्धता और राज्यों द्वारा प्रतिरूप निधियों के प्रावधान के अध्ययीन अतिरिक्त जिलों को भी लिया जा सकता है।

विवरण

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) के कार्यान्वयन हेतु लिए गए जिलों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	लिए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	छत्तीसगढ़	16
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	19
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू-कश्मीर	14
8.	झारखण्ड	7
9.	कर्नाटक	27
10.	केरल	14
11.	मध्य प्रदेश	48
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	7
14.	मिजोरम	6
15.	नागालैंड	6
16.	पांडिचेरी	1
17.	पंजाब	17
18.	त्रिपुरा	2
19.	उत्तरांचल	13
20,	उत्तर प्रदेश	50

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नाबार्ड की भूमिका

4498. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्या भूमिका है;

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा कम दरों पर ऋण दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणों के सरलीकरण तथा धनराशि की पर्याप्त उपलब्धता हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका को परिभाषित किया गया है। आर.आर.बी. अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) के प्रधान कार्यालय का स्थान, प्राधिकृत/निर्गम पूंजी में वृद्धि अथवा कमी करने, आर.आर.बी. के अध्यक्षों की नियुक्ति, सेवा समाप्ति एवं वेतन/भत्ते, आर.आर.बी. का समामेलन तथा नियम एवं विनियम तैयार करने के अधिकार जैसे मामले में नाबार्ड से परामर्श करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रचलन के अनुसार नाबार्ड आर.आर.बी. के संदर्भ में पर्यवेक्षी एवं विकास संबंधी भूमिका अदा करता है।

(ख) और (ग) नाबार्ड आर.आर.बी. सहित पात्र बैंकों को एक समान ब्याज दरों पर पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर, ऋण का आकार एवं उद्देश्य पर निर्भर करती है।

(घ) नाबार्ड ने अगले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को दुगुना करने तथा प्रभावित/कर्ज में डूबे किसानों को उनके कर्जों को पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित कर, एन.पी.ए. मानदण्डों में छूट देकर, वित्तीय सहायता के लिए यथार्थ स्तर को निर्धारित कर तथा किसानों हेतु नए ऋण के संवितरण के लिए पात्र बनाने के विचारार्थ छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान (ओ.टी.एस.) योजना का प्रावधान कर राहत सहायता देने के लिए जून 2004 में आर.आर.बी. के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) को लागू करना तथा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कृषि कर्मियों एवं अन्य लक्ष्य समूहों को वित्तीय सहायता देना, ये ऐसे अन्य कुछ उपाय हैं जिन्हें ग्रामीण ऋण वितरण को सरल बनाने के लिए हाल ही में लागू किया गया है।

[अनुवाद]

मानव जीनोम परियोजना

4499. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मानव जीनोम परियोजना में भागीदारी का प्रमुख अवसर खो चुका है तथा इस कारण सही प्रकार के आंकड़ों के उपयोग से वंचित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी नहीं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना में भाग न लेकर प्रमुख अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया है। तथापि, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने बड़ी संख्या में देश के विशेषज्ञों के साथ स्थिति का विश्लेषण किया है और यह निर्णय लिया है कि जीनोम अनुक्रमण पर भारतीय कार्यक्रम शुरू करना अधिक लाभप्रद होगा जो देश की विशिष्ट आवश्यकताओं से ज्यादा प्रासंगिक हो और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भी हो। मानव जीनोम परियोजना से उत्पन्न आंकड़े आम जनता के लिए उपलब्ध हैं। देश में आनुवंशिक रोग के भार को कम करने के लिए भारतीय आबादी में विशिष्ट आनुवंशिक विकृतियों में मानव उत्परिवर्तनों की पहचान करने हेतु प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए सही प्रकार के आंकड़ों को एकत्रित करने एवं उन्हें उपयोग में लाने के लिए विभाग ने 4 जीनोमिक मिरर साइट सहित बड़ी संख्या में जैवसूचप्रणाली नेटवर्क केंद्रों की स्थापना की है।

विभाग ने देश के विभिन्न भागों में 18 आनुवंशिक निदान-व-परामर्श एककों सहित कई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है जिनमें फंक्शनल जीनोमिक्स, मानव जीनोम विविधता, फार्माकोजीनोमिक्स, माइक्रोबियल जीनोमिक्स, कम्प्यूटेशनल जीनोमिक्स आदि के क्षेत्र के बड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं। थैलेसीमिया, सिक्ल सेल रोग, ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफिलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि जैसी आम आनुवंशिक विकृतियों के लिए जनजाति आबादी सहित कई परिवारों को आनुवंशिक निदान-व-परामर्श एककों से लाभ प्राप्त हुआ है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूह

4500. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत यह निर्धारित है कि प्रत्येक खंड में 50 प्रतिशत स्वसहायता समूह विशेष रूप से महिलाओं के लिए होने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है तथा उनमें से कितने विशेषकर महिलाओं के लिए हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिशानिर्देशों का

कड़ाई से पालन हो, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) योजना के अन्तर्गत आज की तारीख तक महिला लाभार्थियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अब तक गठित स्व-सहायता समूहों, गठित महिला समूहों, सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों, सहायता प्राप्त व्यक्तिगत महिला स्वरोजगारियों एवं सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का सही और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की एक व्यापक प्रणाली अपनायी गयी है। कार्यक्रम को केन्द्रीय स्तर से जमीनी स्तर तक मॉनीटर किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर, केन्द्रस्तरीय समन्वय समिति (सी.एल.सी.सी.) कार्यक्रम की मॉनीटरिंग तथा उसके निष्पादन की समीक्षा करती है और एस.जी.एस.वाई. के लिए ऋण संपर्कों से जुड़े सभी पहलुओं के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करती है। ग्रामीण विकास विभाग की निष्पादन समीक्षा समिति एस.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है। राज्य स्तर पर, एक राज्यस्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करती है। इसके अलावा, एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत होने वाली प्रगति की नियमित रूप से मॉनीटरिंग, डी.आर.डी. एजेंसियों/राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और विवरणों के माध्यम से की जाती है। कार्यक्रम की प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत मानीटरिंग फारमेट सभी डी.आर.डी.ए. को जारी कर दिया गया है। परियोजना निदेशकों की कार्यशालाओं और राज्य सचिवों के साथ आवधिक बैठकों के द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जाती है। ब्लॉक/डी.आर.डी.ए. स्तर पर, फील्ड दौरों और परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच के माध्यम से मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण

आरंभ से (1-4-1999) से लेकर आज तक एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत महिलाओं की वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित स्व-सहायता समूहों की सं.	गठित महिला समूह	गठित स्व-सहायता समूहों के सहायता प्राप्त महिला सदस्य	सहायता प्राप्त व्यक्तिगत महिला स्वरोजगारी	कुल सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	447827	548135	398129	52152	450281
2.	अरुणाचल प्रदेश	279	19	868	2698	3566
3.	असम	114414	67063	127300	4688	131988
4.	बिहार	85584	37988	104388	95015	199403
5.	छत्तीसगढ़	47053	19027	19475	12124	31599
6.	गोवा	518	296	952	683	1635
7.	गुजरात	85658	25908	15249	36853	52102
8.	हरियाणा	8874	4787	25404	30574	55978
9.	हिमाचल प्रदेश	5099	3394	24148	6292	30440

1	2	3	4	5	6	7
10.	जम्मू-कश्मीर	6693	3678	18195	3405	21600
11.	झारखण्ड	24632	17663	83859	25127	108986
12.	कर्नाटक	36480	37859	159179	19363	178542
13.	केरल	51884	2569	66820	40155	106975
14.	मध्य प्रदेश	241868	119868	93600	45186	138786
15.	महाराष्ट्र	113971	79452	156512	87237	243749
16.	मणिपुर	1548	593	292	2	294
17.	मेघालय	3775	2174	6901	1446	8347
18.	मिजोरम	1241	286	4719	327	5046
19.	नागालैण्ड	1368	0	4610	1540	6150
20.	उड़ीसा	140731	106222	146156	51978	198134
21.	पंजाब	3390	2763	11820	7144	18964
22.	राजस्थान	23726	10402	14853	82002	96855
23.	सिक्किम	857	588	1660	1914	3574
24.	तमिलनाडु	212474	176626	373204	16574	389778
25.	त्रिपुरा	16958	11414	13609	14600	28209
26.	उत्तर प्रदेश	321678	68118	165246	90246	255492
27.	उत्तरांचल	19164	7827	21435	5130	26565
28.	पश्चिम बंगाल	130843	86589	61352	37935	99287
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	344	77	983	196	1179
30.	दमन और द्वीव	0	0	0	5	5
31.	दादर नगर हवेली	12	0	26	88	114
32.	लक्षद्वीप	4	2	1	14	15
33.	पांडिचेरी	1088	1076	3264	437	3701
	कुल	2150035	1442463	2124209	773130	2897339

[हिन्दी]

जलापूर्ति कार्यक्रमों को बंद करना

4501. श्री चन्द्रभान सिंह:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
श्रीमती नीता पटैरिया:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षित आबंटनों के आधार पर अगले वित्त वर्ष तक ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन इलाकों में पेयजल की आपूर्ति किस तरीके से किए जाने की संभावना है जहां आपूर्ति अपर्याप्त है;

(घ) क्या सरकार का विचार अधूरी ग्रामीण जल योजनाओं तथा भारी लागत वाली नयी ग्रामीण जल योजनाओं के लिए अलग से धनराशि आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संपूर्ण सफाई अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुंओं, हैंडपंपों तथा टैप वाटर से बेकार होकर बहने वाले पानी की निकासी हेतु प्रणाली उपलब्ध कराई गई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) जी नहीं। आवंटन आधारित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यु.एस.पी.) को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कैप 1999 की कवर न की गई शेष बसावटों को कवर करने तथा बसावटों के पुरानी स्थिति में लौटने और जल गुणवत्ता की समस्याओं से अगले चार वर्षों की अवधि में निपटने का निर्णय लिया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) कुंओं, हैंड पंपों तथा टैप वाटर से बेकार होकर बहने वाले जल की निकासी की योजनाओं का प्रावधान, संगत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत है न कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोजगारोन्मुख योजनाएं

4502. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए और अधिक रोजगार प्रदान करने हेतु कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में गरीबों को रोजगार प्रदान करने में नई नीति के कितना लाभकारी रहने की संभावना है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर गुजरात ने इन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार से अतिरिक्त सहायता के आबंटन का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यवार क्या कार्रवाी की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक इन योजनाओं से राज्यवार कितने गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों सहित प्राकृतिक आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए राज्यों को "संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक" के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। यह दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर गुजरात सहित देश के सभी राज्यों को कवर करता है। कृषि मंत्री/गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एन.एच.सी.) की संस्तुति के अनुसार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विधिवत् अधिसूचना के पश्चात् इस मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न रिलीज किए जाते हैं। उच्च स्तरीय समिति ने गुजरात (बाढ़, 2005) के लिए 32,300 मीट्रिक टन की रिलीज की संस्तुति की है। राज्य सरकार से खाद्यान्नों की जिलेवार आवश्यकता के साथ-साथ वर्ष 2005 के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए अधिसूचना की एक प्रति भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का विवरण केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सृजित श्रमदिवसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत सृजित कार्यदिवसों की संख्या (लाख में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश		उ.न.	0.00	
2.	आंध्र प्रदेश	2825.97	2138.00	उ.न.	उ.न.
3.	असम		उ.न.	28.87	
4.	बिहार			उ.न.	
5.	छत्तीसगढ़	546.51	546.51	उ.न.	उ.न.
6.	गुजरात	439.07	156.67	0.00	
7.	हरियाणा	20.81	0.00	0.00	
8.	हिमाचल प्रदेश	22.92	0.00	0.00	
9.	झारखण्ड	उ.न.	0.00	0.00	
10.	कर्नाटक	1083.50	1351.44	741.17	
11.	केरल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
12.	मध्य प्रदेश	436.75	482.40	33.71	उ.न.
13.	महाराष्ट्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
14.	मेघालय			उ.न.	
15.	मिजोरम			उ.न.	
16.	उड़ीसा	469.20	550.17	0.00	44.27
17.	राजस्थान	2373.00	1697.00	897.00	625
18.	सिक्किम			2.90	
19.	तमिलनाडु	176.16	949.73	51.18	उ.न.
20.	उत्तर प्रदेश	59.08			

1	2	3	4	5	6
21.	उत्तरांचल	57.21			
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह				उ.न.
23.	जम्मू-कश्मीर				उ.न.
24.	पांडिचेरी				

उ.न. - उपलब्ध नहीं

पवन ऊर्जा

4503. श्री ए.के. मूर्ति: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन मिल एसोसिएशन ने मांग की है कि कंपनियां अक्षरणीय स्रोतों द्वारा उत्पादित कम से कम 25 प्रतिशत विद्युत खरीदें;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा यह मामला उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) इंडियन विंड पावर एसोसिएशन द्वारा विद्युत मंत्रालय को पत्र द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह था कि यूटिलिटीज द्वारा अपने पूल के लिए अक्षय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत के न्यूनतम 25% की खरीद की जाए।

(ख) से (घ) बिजली अधिनियम, 2003 के खंड 86 के अंतर्गत निर्धारित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यों में से एक कार्य यह है कि वे सह-उत्पादन और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा दें और इसके साथ ही साथ ऐसे स्रोतों से बिजली की खरीद हेतु एक वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का कुछ प्रतिशत विनिर्दिष्ट करें।

स्टाम्प पेपरों की कमी

4504. श्री पी. करूणाकरन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बाजार में स्टाम्प पेपरों विशेषकर पचास और सौ रुपये के स्टाम्प पेपरों की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, नहीं। किसी भी राज्य सरकार/परेषिती की ओर से पचास रुपए और सौ रुपए मूल्यवर्ग के स्टाम्प पेपरों की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक हेतु ई.एफ.सी. अनुदान

4505. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2004-05 की अवधि हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम किस्त को जारी करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में सहायता जारी की जा रही है; और

(घ) अनुरोध को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रोत्साहन अनुदान के अलावा, सहायता अनुदानों के संबंध में निर्धारित अवधि में प्राप्त दावों पर विचार किया गया

है और अनुदान जारी किए गए हैं। चूंकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31-03-2005 को पूरी हो गई है, अतः आगे और कोई अनुदान जारी नहीं किए जा सकेंगे। तथापि, वर्ष 2004-05 के लिए प्रोत्साहन अनुदान जारी किए जाने का मामला विचाराधीन है तथा यह समेकित राजस्व लेखा के संबंध में राज्य के निष्पादन पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

पी.एम.जी.एस.वाई. में कार्यरत इंजीनियरों की सुरक्षा

4506. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े राज्यवार कितने इंजीनियर मारे गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण में लगी एजेंसियों के इंजीनियरों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक विभिन्न एजेंसियों के कितने इंजीनियरों को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं और उनके द्वारा कहां-कहां पर कार्य शुरू किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इंजीनियरों को शत प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या और कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन से जुड़े किसी इंजीनियर के मारे जाने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन में इंजीनियरों को लगाने का तथा 'कानून व्यवस्था' बनाए रखने के भाग के रूप में उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्यों का है। पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सड़क कार्यों के लिए लगाए गए ऐसे इंजीनियरों की संख्या की सूचना जिन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

युवा वैज्ञानिकों हेतु पुरस्कार

4507. श्री प्रहलाद जोशी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विशेष आयु वर्गों के अंतर्गत आने वाले युवा वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों हेतु विशेष वार्षिक पुरस्कार शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ऐसे पुरस्कार को शुरू करने के लिए इस प्रयोजनार्थ गठित समिति की किन्हीं सिफारिशों पर कार्य कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, नहीं। परन्तु सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसमें सुधार हेतु युवा वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों के लिए अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां/पुरस्कार आरम्भ किए हैं। इनमें पूरे विश्व से प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए 'रामानुजन अध्येतावृत्तियां'; क्रियाशील वैज्ञानिकों, जिनका उत्कृष्ट कार्य रिकार्ड रहा है, को मान्यता प्रदान करने के लिए 'जे.सी. बोस अध्येतावृत्तियां'; सतत आधार पर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'रमन्ना अध्येतावृत्ति'; प्रतिभावान पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां'; प्रतियोगितात्मकता और उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर की विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए प्रवर्तकों और स्कूली छात्रों के लिए आविष्कार हेतु 'सी.एस.आई.आर. हीरक जयंती प्रौद्योगिकी पुरस्कार'; महिला वैज्ञानिकों को अवसर मुहैया कराने के लिए आरम्भ की गयी 'महिला वैज्ञानिक स्कीम' भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज यंग साइंटिस्ट्स/यंग एसोसिएटशिप पुरस्कार, उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए 'स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्तियां' जैव प्रौद्योगिकी में पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, जीवनवृत्ति (कैरियर) विकास हेतु जीव विज्ञान पुरस्कार, सी.एस.आई.आर. युवा वैज्ञानिक पुरस्कार आदि शामिल हैं। इन उठाये गये सभी कदमों का उद्देश्य देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद संबंधी समिति

4508. डा. राजेश मिश्रा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का वार्षिक बजट कितना है;

(घ) क्या सरकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा के लिए एक नई समिति के गठन पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। आबिद हुसैन समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नवत थीं:-

1. सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रौद्योगिकी मिशन तथा जेनरिक प्रौद्योगिकी, सोसाइटल मिशन, प्रायोजित अनुसंधान तथा मूलभूत अनुसंधान के लिए कार्यक्रम आरंभ करना;
2. बाह्य आय में सरकारी बजटीय सहायता के एक तिहाई हिस्से के बराबर तक वृद्धि करना और जीरो-बेस्ड बजटिंग को क्रियान्वित करना;
3. शासी निकाय (जी.बी.) तथा अनुसंधान परिषदों (आर.सी.) की संरचना अथवा संघटन में परिवर्तन करना;
4. अनुसंधान एवं विकास आयोजना, प्रौद्योगिकी विकास तथा मानव संसाधन विकास के संबंध में महानिदेशक, सी.एस.आई.आर. की सहायतार्थ सी.एस.आई.आर. मुख्यालय स्थित तकनीकी सचिवालय को तकनीकी समूहों द्वारा सुदृढ किया जाना;
5. वैज्ञानिकों की अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति;
6. विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को समर्थन देना एवं उसे सुदृढ करना;
7. सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं का पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण करना;
8. बेहतर फोकस के लिए सी.एस.आई.आर. के चयनित संस्थानों का समेकन तथा विलयन;
9. अव्यवहार्य चुनिंदा फील्ड, विस्तार और क्षेत्रीय केन्द्रों को बंद करना।

आबिद हुसैन समिति की सिफारिशों को सी.एस.आई.आर. सोसाइटी की दिनांक 2-2-1988 व 24-2-1989 को सम्पन्न बैठकों में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए सी.एस.आई.आर. का वार्षिक बजटीय अनुमान 1503.43 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। अपनी प्रयोगशालाओं के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करने हेतु सी.एस.आई.आर. की अपनी स्वयं की आंतरिक प्रणाली है। प्रत्येक पांच वर्षों में प्रत्येक प्रयोगशाला के कार्य निष्पादन की समीक्षात्मक समीक्षा करने के लिए सी.एस.आई.आर. ने वर्ष 1989 में अपनी संरचना में कार्य निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड (पी.ए.बीज) कहलाए जाने वाले एक नए अंग की शुरुआत की है। तदनंतर सी.एस.आई.आर. ने स्वयं अपने क्रियाकलापों के परिणामों का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

4509. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय रेशम बोर्ड तमिलनाडु में कई केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में शुरू की गई विभिन्न रेशम कीट पालन योजनाओं और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की शुरूआत के बाद कितना रोजगार सृजित हुआ है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु राज्य में केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:-

- सी.एस.बी. ने सलेम में एक क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। यह एकक अनुसंधान विस्तार केंद्रों के नेटवर्क के साथ राज्य में रेशम उत्पादन के विकास के लिए अपेक्षित अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार सहायता प्रदान करता है;

- रेशम उत्पादन सेवा केंद्रों के एक नेटवर्क के साथ कृषि नगरी, यालागिरि हिल्स, धर्मापुरी और तिरूपत्तूर में कार्य कर रहे सी.एस.बी. के मूल बीज फार्म एवं रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र गुणवत्ता के मूल एवं वाणिज्यिक रेशमकीट बीज का उत्पादन करते हैं और तमिलनाडु, राज्य सरकार के साथ समन्वय करके तमिलनाडु में किसानों को उनकी आपूर्ति करते हैं;

- रेशम उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए सी.एस.बी. ने कांचीपुरम में रेशम अनुकूलन एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा धर्मापुरी में प्रदर्शन एवं तकनीकी सेवा केंद्र स्थापित किया है;

- चेन्नई में कार्यरत सी.एस.बी. का क्षेत्रीय विकास कार्यालय राज्य सरकार के साथ रेशम उत्पादन क्रियाकलापों के विकास का समन्वय करता है; और

- होसूर में कार्यरत सी.एस.बी. का केंद्रीय रेशम उत्पादन जर्म प्लाज्म संसाधन केंद्र शहतूत एवं जर्म प्लाज्म का पता लगाता है, उन्हें एकत्रित करता है और उन्हें शुरू करता है तथा जरूरतमंद संगठनों को रेशम उत्पादन जर्म प्लाज्म की आपूर्ति करता है।

(ग) सी.एस.बी. द्वारा तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित रेशम उत्पादन योजनाएं एवं परियोजनाएं शुरू की गई हैं:-

- **उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम:** सी.एस.बी. तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके 10वीं योजना अवधि के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। सी.डी.पी. के तहत रेशम उत्पादन कृषकों/रीलरों को गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सब्सिडी/प्रोत्साहन के रूप में तमिलनाडु सहित देश के रेशम उत्पादक कृषकों/रीलरों को सहायता प्रदान करने के लिए 10वीं योजना के दौरान 181.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सहायता मुख्य रूप से उन्नत शहतूत वृक्षारोपण के विकास, ड्रिप सिंचाई, रेशम कीट पालन गृहों और चौकी रेशमकीट पालन भवन के निर्माण, असंक्रामक एवं उन्नत रेशमकीट पालन यंत्रों की खरीद के लिए प्रोत्साहन, गुणवत्ता के द्विफसलीय कोया के उत्पादन के लिए सहायता, उन्नत रीलिंग एवं ट्विस्टिंग यंत्रों, गुणवत्ता के यार्न के उत्पादन के लिए स्पिनिंग व्हील की खरीद के लिए दी जाती है। सी.एस.बी. ने सी.डी.पी. योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान तमिलनाडु को 381.23 लाख रुपए की राशि जारी की है।

- **जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) की सहायता से द्विफसलीय रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी विकास योजना:** सी.एस.बी. यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के द्विफसलीय रेशम के विकास के संबर्धन के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का तीसरा चरण इस समय 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना के तीसरे चरण का मुख्य जोर द्विफसलीय रेशम उत्पादन के लिए विस्तार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर है। इस परियोजना के तहत तमिलनाडु सरकार के रेशम उत्पादन विभाग के निम्नलिखित एकक सुदृढ़ किए गए हैं:-

  - मूल बीज फार्म, अवलापल्ली
  - ग्रेनेज, कोयम्बटूर
  - रेशम उत्पादन प्रशिक्षण स्कूल, होसूर
  - होसूर, कृषि नगरी, पाडीरेडिपत्ति और सत्यमंगला में तकनीकी सेवा केंद्र

(घ) सी.एस.बी. की अधिकतर योजनाएं/परियोजनाएं संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ताकि रेशम उत्पादन के विकास में उनके प्रयासों को पूरा किया जा सके। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2004-05 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में रेशम उत्पादन उद्योग में सुधार दर्शाया गया है।

विवरण	2004-05	2003-04	% वृद्धि
शहतूत क्षेत्र (हे.)	5073	4025	26.04
कच्ची रेशम का उत्पादन (मी. टन)	443	285	55.44
रोजगार (व्यक्तियों की सं.)	1,62,894	1,29,243	26.04*

*13 व्यक्ति प्रति एकड़ की दर से

बड़ी तेल कंपनियों द्वारा शुल्क अपवंचन

4510. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर सरकार से राजसहायता के रूप में प्राप्त अप्रत्यक्ष बिक्री प्रतिफल संबंधी 713.17 करोड़ रुपये के शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन तेल कंपनियों से शुल्क वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं। हालांकि मुंबई-I, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व लेखा-परीक्षा में टिप्पणी की है कि इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने सरकार से राजसहायता के रूप में प्राप्त पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर प्राप्त अप्रत्यक्ष बिक्री प्रतिफल पर 713.17 करोड़ रु. के शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है, तथापि विभाग की आपत्ति स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि राजसहायता निर्धारणीय मूल्य में शामिल नहीं है।

(ख) मामले का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रशासित मूल्यों के मामले में आयल पूल खाते राजसहायता के अंशदान को निर्धारणीय मूल्य में जोड़ा नहीं जा सकता है। तथापि कोई वसूली अपेक्षित नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	अंतर्ग्रस्त शुल्क (करोड़ रु. में)
1.	मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.)	498.91
2.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	166.43
3.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)	47.83
	योग	713.17

शुल्क का प्रतिदाय (रिफंड)

4511. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नुमालीगढ़ रिफायनरी दिनांक 8-7-1999 को जारी अधिसूचना जिसे 9-2-2000 को संशोधित किया गया था, के अनुसरण में खनिज आधारित वस्तुओं पर प्रदत्त शुल्क के प्रतिदाय को प्राप्त करने का हकदार था जबकि दिनांक 1 मार्च, 2002 की दूसरी अधिसूचना द्वारा प्रतिदाय को भूलश्री प्रभाव से वापस ले लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो शिलांग आयुक्तालय में स्थित मै. नुमालीगढ़ रिफायनरी को फरवरी, 2000 और फरवरी, 2002 के बीच पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी के संबंध में 748.04 करोड़ रुपये के प्रतिदाय और इस पर ब्याज के न वसूले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) अन्य ऐसी सभी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रतिदाय की धनराशि ब्याज सहित दी गई थी, के मामले लंबित हैं; और

(घ) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) दिनांक 8-7-1999 की अधिसूचना सं. 33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को दिनांक 9-2-2000 की अधिसूचना सं. 3/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत संशोधित किया गया था ताकि मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. से निकासित माल पर प्रतिदाय के लाभ की अनुमति दी जा सके। उक्त अधिसूचना के अंतर्गत मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. दिनांक 28-2-2002 तक के प्रतिदाय प्राप्त कर रही थी। अधिसूचना सं. 33/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 142 के तहत दिनांक 8-7-1999 से भूतलक्षी प्रभाव के और संशोधित किया गया था ताकि पेट्रोलियम उत्पादों को छूट से अलग किया जा सके जैसा कि संगत अवधि की अधिसूचना की अनुसूची में शामिल किया गया था। मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. उपर्युक्त अधिसूचना सं. 3/2000-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन का लाभभोगी था जो कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 142 द्वारा वापस नहीं गया था बल्कि दिनांक 1-3-2002 की एक अलग अधिसूचना सं. 11/2002 द्वारा वापस लिया गया था जिसको भूतलक्षी प्रभाव दिया गया था। प्रतिदाय का लाभ वस्तुगत अवधि के दौरान मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को उपलब्ध था और 748.04 करोड़ रु. की वसूली का प्रश्न नहीं उठता।

भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर कहना है कि मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. से 667 करोड़ रु. की राशि वसूली की जानी थी क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों को अधिसूचना सं. 33/99 की परिधि से बाहर रखा गया था, बोर्ड ने यथा-उल्लिखित विभाग के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उठाई गई लेखा-परीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नुमालीगढ़ रिफाइनरी को छोड़कर ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

4512. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध अब तक प्राप्त शिकायतों विशेषकर विदेशी राजनयिकों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक ऐसी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विमानपत्तनों के माध्यम से कानून का अनुपालन करने वाले यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी राजनयिकों से प्राप्त	अन्य व्यक्तियों से प्राप्त	कुल
2003	01	59	60
2004	01	73	74
2005	01	44	45
कुल	03	176	179

(ख) जहां तक विदेशी राजनयिकों से प्राप्त शिकायतों का संबंध है, विदेशी राजनयिकों से प्राप्त हुई तीन शिकायतें निकासियों में विलम्ब तथा दुर्व्यवहार से संबंधित थीं। पहले मामले में, विदेशी राजनयिक को उनकी संतुष्टि के अनुरूप विलम्ब के कारण स्पष्ट किए गए तथा शिकायत को बंद कर दिया गया था। शिकायत के दूसरे मामले में, संबंधित अधिकारी, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी, को विमानपत्तन की ड्यूटी से हटा कर गैर-संवेदनशील स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया जबकि तीसरे मामले में संबंधित अधिकारी को उचित चेतावनी दे दी गई।

जहां तक अन्य व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों का संबंध है, आरोपों की गंभीरता, शिकायतों के स्वरूप तथा उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर कानून और निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रत्येक शिकायत पर कार्रवाई की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विमानपत्तनों के माध्यम से कानून का अनुपालन करने वाले यात्रियों की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार कदम उठाए गए हैं:-

(I) आने वाले यात्रियों की सीमाशुल्क निकासी के प्रयोजन हेतु ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर सरकार द्वारा एक दो चैनल वाली प्रणाली अपनाई गई है:-

(i) जिन यात्रियों के पास शुल्क्य माल नहीं है, उनके लिए ग्रीन चैनल;

(ii) जिन यात्रियों के पास शुल्क्य माल है, उनके लिए रेड चैनल की व्यवस्था की गई है।

(II) कानून का अनुपालन करने वाले ऐसे सभी यात्रियों को, जिनके पास कोई शुल्क्य माल नहीं है, ग्रीन चैनल के अंतर्गत सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान की गई है।

समूह बीमा योजना

4513. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समूह बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों/संस्थाओं को शामिल करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितने संस्थान लाभान्वित हुए हैं और उनके नाम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जीवन बीमा निगम दिनांक 10-8-2000 को आरम्भ की अपनी "जनश्री बीमा योजना" नामक एक समूह बीमा योजना की पूर्वगामी "सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना" को गरीबी की रेखा से नीचे अथवा मार्जिनली ऊपर रहने वाले लोगों के लाभ के लिए बंद कर रही है। शिक्षा सहयोग योजना को एक तदर्थ योजना के रूप में जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए दिनांक 31-12-2001 को आरम्भ किया गया था। इन योजनाओं के तहत कवर व्यक्तियों/संस्थानों के लिए अपनाया गया मापदण्ड निम्नानुसार है:-

कम से कम 25 सदस्यता वाले 43 अनुमोदित व्यवसाय अथवा व्यापार समूहों के 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच वाले व्यक्ति योजना के तहत कवर किये जाने के लिए पात्र होते हैं। प्राकृतिक मृत्यु होने पर 20,000/-रुपये और दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/पूर्ण स्थायी अक्षमता होने पर 50,000/-रुपये तथा दुर्घटना से होने वाली आंशिक स्थायी अक्षमता के मामले में 25,000/-रुपये का लाभ दिया जाता है।

शिक्षा सहयोग योजना के तहत, 9वीं से 12वीं कक्षा तक (आई.टी.आई. सहित) पढ़ने वाले बच्चों, जिनके अभिभावक जनश्री बीमा योजना के तहत बीमित हैं, कवर किये जाते हैं। 4 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए हरेक बच्चे को 300/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रति तिमाही दी जाती है।

(घ) अनुमोदित व्यवसायिक समूहों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान जनश्री बीमा योजना के तहत कवरेज नीचे दी गई है:-

वर्ष	जे.बी.वाई. (व्यक्तियों की संख्या)
2002-03	11,58,239
2003-04	25,07,024
2004-05	35,39,654

विवरण

जनश्री बीमा योजना के तहत लाभ के लिए अनुमोदित व्यवसायिक समूहों की सूची

1. सेवा से संबंधित पापड़ कर्मगार
2. शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार व्यक्ति
3. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक
4. रिक्शाचालक/ऑटो चालक
5. सफाई कर्मचारी
6. नमक उत्पादक

7. तेदू पत्ता संग्रहक
8. शहरी गरीबों के लिए योजना
9. वन कर्मी
10. रेशम पालन
11. बागवानी कर्मगार
12. बीड़ी कार्मगार
13. ईंट भट्ठा कर्मगार
14. बढ़ई
15. मोची
16. मछुआरे
17. हमाल्स
18. शिल्पकार
19. हथकरघा बुनकर
20. हथकरघा और खादी बुनकर
21. महिला दर्जी
22. चमड़ा और टैनरी कर्मगार
23. मिट्टी का खिलौना विनिर्माण जैसे खनिज उत्पाद
24. कृषक
25. परिवहन चालक संघ
26. परिवहन कर्मचारी
27. ग्रामीण गरीब
28. निर्माण कर्मगार
29. पटाखा कर्मगार
30. नारियल उत्पादक
31. आंगनवाड़ी अध्यापिकाएं
32. कोतवाल
33. मोमबत्ती विनिर्माण जैसे रासायनिक उत्पाद
34. ताड़ी बनाने वाला
35. विद्युत करघा कर्मगार
36. पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं
37. खंडसारी/शर्करा जैसे खाद्य पदार्थ
38. कपड़ा
39. लकड़ी उत्पादों का विनिर्माण
40. कागज उत्पादों का विनिर्माण
41. चमड़ा उत्पादों का विनिर्माण
42. मुद्रण
43. रबर और कोयला उत्पाद

[अनुवाद]

जाली करेन्सी नोट

4514. श्री बालासाहेब विखे पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को भारतीय स्टेट बैंक, नोएडा की तिजोरी (चेस्ट) से जाली करेन्सी नोट प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जाली नोटों के ऐसे परिचालन और उनकी छपाई की जांच करने हेतु कोई जांच समिति गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अन्य शाखाओं में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) कानपुर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के निर्गम विभाग को भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), नोएडा की तिजोरी (करेंसी चेस्ट) से 100/- रुपए एवं 500/- रुपए मूल्य

वर्ग के गंदे नोटों का विप्रेषित धन प्राप्त हुआ था। 1 मार्च, 2005 से 18 मई, 2005 की अवधि के दौरान उनकी जांच करने पर जाली नोट पाए गए थे, जिनका ब्यौरा निम्नांकित है:-

बैंक नोट का मूल्य वर्ग	प्राप्त/जांच किए गए टुकड़ों की संख्या	पाए गए जाली नोटों की संख्या
100/- रुपए	12,76,000	266
500/- रुपए	40,000	2

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में किसी समिति का गठन नहीं किया है। इन नोटों को 25 अगस्त, 2005 को संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर को भेज दिया गया था।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक, नोएडा से प्राप्त जाली नोटों को प्रभारित अर्थ दण्ड के साथ पाए गए जाली नोटों की कीमत के बराबर नामे डाला गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक को ऐसे मामलों की जांच करने तथा कर्मचारी के उत्तरदायित्व की समीक्षा करने का अनुदेश दिया गया है।

(च) और (छ) भारतीय राजर्व बैंक यह सुनिश्चित करते हुए जोखिम निर्धारण तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों के आधार पर आवधिक रूप से तिजोरी (करेंसी चेस्ट) की जांच करता है कि प्रत्येक की दो वर्षों में कम से कम एक बार जांच की जाए तथा जाली नोट के पाए जाने पर तथा/अथवा धोखाधड़ी/बड़ी अनियमितताओं की सूचना आने पर तिजोरी (करेंसी चेस्ट) तत्काल जांच हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक की अपनी जांच टीम द्वारा भी जांच की जाती है।

विदेशी मुद्रा में अनियमितताएं

4515. श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री रशीद मसूद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से इसके ट्रेजरी मैनेजमेंट द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्ट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को यूरो करेन्सी के सौदे में कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) जी, हां। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने अपनी ट्रेजरी में कार्य कर रहे तीन डीलरों तथा मध्य कार्यालय में कार्य कर रहे दो कर्मचारियों को अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन-देनों के संबंध में निलंबित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित 300 करोड़ रुपए की निवल बकाया आरंभिक राशि सीमा बढ़ गई थी। बैंक को संबंधित डीलर द्वारा किए गए विदेशी मुद्रा लेन-देनों के कारण 2.40 करोड़ रुपए का कुल घाटा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त घटना की व्यापक जांच करने के बाद बैंक ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को सुदृढ़ बना लिया है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति से बचा जा सके।

कॉल बुक में दर्ज किए गए मामले

4516. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में मामले कॉल बुक में दर्ज किए गए हैं, जबकि वे इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के मामले कॉल बुक में दर्ज किए गए हैं;

(ग) कॉल बुक में दर्ज नहीं किए गए ऐसे कितने मामले हैं, जिनकी केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड से स्पष्टीकरण/निर्णय की मांग करने वाली कोई अपील लंबित नहीं है और लेखा आदि संबंधी भी उनका कोई विवाद नहीं है तथा उन मामलों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त हुई है;

(घ) कॉल बुक में समयवार कितने मामले लंबित हैं तथा उनमें आयुक्तालयवार कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ङ) कॉल बुक में मामलों के लंबित रहने के समय को

कम करने तथा बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

शैक्षिणक संस्थानों का डाटाबेस

4517. श्री सुनील खां:

श्री बीर सिंह महतो:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग के पास निजी शैक्षणिक संस्थानों का डाटाबेस है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संस्थानों ने कर का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बकाया कर की वसूली करने तथा ऐसे निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कर का भुगतान नहीं करने के संबंध में दोषियों को दण्ड देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उसमें कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग निजी शैक्षिक संस्थाओं के बारे में अखिल भारतीय आधार पर केंद्रीयकृत डाटाबेस नहीं रखता है।

(ग) और (घ) आयकर विवरणियों की जांच, सर्वेक्षण और संवीक्षा के दौरान निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा कर अपवंचन के दृष्टांत विभाग की जानकारी में आए हैं। इन संस्थाओं द्वारा करवंचना की मात्रा का पता तभी लग पाएगा जब अपीलीय न्यायाधिकरणों और/या न्यायालयों सहित कानून की यथोचित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं।

(ङ) और (च) कर निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अतिरिक्त कर मांग के उठाए जाने के बाद बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। पूरे देश में पद स्थापित कर निर्धारण अधिकारियों और कर वसूली अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की जाती है। विभाग निजी शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में की गई कार्रवाई का कोई केन्द्रीयकृत सूचना डाटाबेस नहीं रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता

4518. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) से सहायता प्राप्त करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को भी अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग से कुल कितनी सहायता धनराशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या इस प्रकार आवंटित धनराशि को राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से खर्च किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के राज्यों को विभिन्न राज्य क्षेत्रक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) से सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी राज्य क्षेत्रक परियोजना को डी.एफ.आई.डी. सहायता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य को कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) के अंतर्गत भी निधियां आवंटित की गई थीं, तथापि चूंकि ये योजनाएं बहुसंख्य विदेशी अभिकरणों द्वारा समर्थित हैं, ये राशियां विशिष्ट रूप से केवल डी.एफ.आई.डी. को नहीं दी जा सकतीं।

विदेशी डाक घर

4519. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली स्थित विदेशी डाक घर भारत से स्वापक की तस्करी का पसंदीदा मार्ग बना हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) नई दिल्ली स्थित विदेशी डाक घर में स्वापक औषधियों की तस्करी के मामलों का पता चला है। ऐसे मामलों का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या	स्वापकों का विवरण	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2003-04	5	चरस	8.965	0.09
2004-05	42	चरस	32.34	0.32
2005-06 (अक्तूबर-2005 तक)	51	चरस	18.95	0.19
		हेरोइन	7.710	7.71
		कोकीन	4.745	2.37

(ख) और (ग) नई दिल्ली विदेशी डाक घर में सख्त निगरानी रखी जा रही है और स्वापक औषधियों की तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यू.टी.आई. की यूनिट योजना

4520. श्री ब्रजेश पाठक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय में यू.टी.आई. ने छोटे निवेशकों को सितम्बर, 2005 में उनकी यूनिटों की परिपक्वता धनराशि नहीं मिलने के लिए यू.टी.आई. को दोषी ठहराया है तथा ऐसे निवेशकों को उनकी परिपक्वता धनराशि के चैक पुनः जारी करने का भी निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यू.टी.आई. ने निवेशकों को उनकी यूनिटों की परिपक्वता धनराशि के चैक भेज दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यू.टी.आई. द्वारा निवेशकों को उनकी यूनिटों की परिपक्वता धनराशि के चैक कब तक भेजे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) ने सूचित किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) द्वारा दायर विशेष रिट याचिका निरस्त कर दी जिसमें आयोग ने यू.टी.आई. को निदेश दिया था कि उन निवेशकों को भुगतान कर दें जिनको चेक/आय वितरण वारंट प्राप्त नहीं हुए थे जिनका धोखेबाजों द्वारा कपटपूर्ण नकदीकरण करा लिया गया था। इस आदेश के परिणामस्वरूप, यू.टी.आई. द्वारा 76 निवेशकों को भुगतान किया जाना अपेक्षित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहले इनमें से 16 निवेशकों को भुगतान कर दिया गया था और शेष 60 निवेशकों को आदेश के बाद अदायगी की जा चुकी है।

[अनुवाद]

इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं के लिए कर छूट

4521. श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री राम कृपाल यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं के अन्तर्गत म्यूचुअल फंडों में किये गये निवेश के लिए कर में छूट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कर छूट की कोई सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो यह छूट किसी व्यक्ति को किस सीमा तक मिल सकती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा आयकर अधिनियम में अंत:स्थापित धारा 80 ग के तहत इसमें विनिर्दिष्ट स्कीमों में किए गए निवेशों के लिए किसी व्यष्टि या अविभाजित हिंदू परिवार की आय से 1 लाख रु. तक की कटौती का प्रावधान है। इन बचत स्कीमों में का.आ.सं. 1563(अ) दिनांक 3-11-2005 के जरिए अधिसूचित और का.आ.सं. 1755(अ) दिनांक 13-12-2005 के जरिए संशोधित इक्विटी संबद्ध बचत योजना, 2005 शामिल है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को भत्ता

4522. श्री अजीत जोगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बेरोजगार युवकों को रोजगार भत्ता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मिले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत यह निर्दिष्ट है कि यदि किसी कामगर को कार्य के लिए दिए गए आवेदन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तो उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की दरें एवं शर्तें अधिनियम में निर्धारित दरों तथा शर्तों से कमतर नहीं होंगी।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में यथानिहित प्रावधानों को छोड़कर केन्द्र सरकार बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

मानव संसाधनों का आर्थिक विकास

4523. श्री अर्जुन सेठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मानव संसाधनों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि आबंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) आज की तिथि तक राज्य-वार क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ङ) देश में मानव संसाधनों की संभाव्यता का उपयोग करने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004-05 की वार्षिक

रिपोर्ट में अपने मूल्यांकन और सम्भावनाओं में कहा है कि "राज्यों की वित्तीय हालत में सुधार आने से राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपने व्यय को बढ़ाने में सक्षम होंगे जिसका जीवन की गुणवत्ता पर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देश की रैंकिंग पर लाभकारी प्रभाव होगा। हाल के वर्षों में, साफ्टवेयर और आई.टी.ई.एस.-बी.पी.ओ. सेवाओं जैसी सवाओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई है। वृद्धि की इस तेजी को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा पर सरकारी व्यय में गिरावट की प्रवृत्ति में बदलाव हो: राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा पर कुल व्यय के 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत से 2005-06 के बजट में गिरकर 2.3 प्रतिशत होने का अनुमान है। तद्नुसार राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार से राज्य शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं पर उनका व्यय बढ़ाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार समग्र सामाजिक आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा जिससे कि भारत अपनी क्षमता को साकार कर सके।"

(ग) से (ङ) मानव संसाधनों का विकास हमारे समग्र आर्थिक आयोजना और चालू आर्थिक सुधारों का एक अभिन्न अंग है। वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर 2 प्रतिशत का शिक्षा उपकर लगाया गया है। उपकर से प्राप्त होने वाली आय सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजना के अधीन प्राथमिक शिक्षा की योजनाओं के लिए आवर्ती (रोल ऑवर) आधार पर उपलब्ध है।

वस्त्रों पर उपकर

4524. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों से भारी मात्रा में वस्त्र उपकर की वसूली की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वस्त्र उपकर को वापस लेने/पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) वस्त्र समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार 428 वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयों पर 1104.95 लाख रु. की राशि बकाया है। ज्यादातर प्रसंस्करण इकाइयों ने वस्त्र समिति उपकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है। अधिकरण ने 427.66 लाख रुपये की राशि वाली 238 प्रसंस्करण इकाइयों के संबंध में वस्त्र समिति के पक्ष में निर्णय दिया है। वस्त्र समिति अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिन शेष 190 के मामले में निर्धारण किया जाना है उनकी अपीलों की सुनवाई अभी पूरी की जानी है जिसमें 677.29 लाख रुपये की राशि शामिल है।

(ग) और (घ) भारतीय वस्त्र उद्योग पर कर एवं उपकर के भार को युक्तिसंगत बनाने और कोटा पश्चात् व्यवस्था में वैश्विक बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने की दृष्टि से वस्त्र समिति उपकर को हटाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

महेश्वर विद्युत परियोजना

4525. श्री रशीद मसूद: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महेश्वर पन विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जिन गांवों के प्रभावित होने की संभावना है, उनका पुनर्वास कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के क्रियान्वयन में धनराशि की अनियमितता/दुरुपयोग की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ङ) महेश्वर जल विद्युत परियोजना मार्च, 2004 तक लंबित थी और पुनर्वास एवं पुनःस्थापन (आर. एण्ड आर.) कार्य पर अब तक 27.7 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पुनरोद्धार पैकेज के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को श्री महेश्वर जल विद्युत परियोजना की ओर से इस कार्य को करने का अनुरोध किया गया है।

पुनरोद्धार पैकेज के अंतर्गत विशेष न्यास एकाउन्ट तैयार

किया गया है और निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्त्ताओं द्वारा आवधिक रूप से समाधान विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

एन.टी.पी.सी. को गैस की आपूर्ति

4526. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) ने गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) गंधार कवास विद्युत परियोजना को गैस आपूर्ति करने का ठेका लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ठेके की शर्तों में फेरबदल की मांग की है जिससे एन.टी.पी.सी. के वाणिज्यिक निहितार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ठेका संबंधी आपत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने गुजरात में झनौर-गांधार और कवास (1300 मेगावाट) में चरण-2 विस्तार गैस आधारित विद्युत परियोजना को गैस आपूर्ति के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। गैस बिक्री और खरीद करार (जी.एस.पी.ए.) पर हस्ताक्षर होने की औपचारिकता पूरी करनी है।

(ग) जी, हां। आर.आई.एल. (क) उत्तरदायित्व की सीमा (ख) जबरनबंदी (ग) गैस आपूर्ति दायित्व (घ) विकास योजना एवं प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रेक्ट (पी.एस.सी.) के अंतर्गत उत्पादन योजना के बारे में छूट की इच्छा रखता है ताकि आर.आई.एल. की गैस आपूर्ति को अधिक प्राथमिकता प्राप्त हो सके।

(घ) विद्युत मंत्रालय ने आर.आई.एल. द्वारा एन.टी.पी.सी. के साथ अनुबंध करने और साथ ही उनके प्रोडक्शन शेयरिंग कांट्रेक्ट को संशोधित करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु और प्रशासनिक उपाय करने के लिए पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय को लिखा है। एन.टी.पी.सी. ने भी आर.आई.एल. के साथ उक्त अनुबंध लागू करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कपास पर आयात कर

4527. **श्री सांताश्री चटर्जी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास पर आयात कर बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निरीक्षण और मूल्यांकन समिति का दौरा

4528. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगरानी-सह-मूल्यांकन समिति ने बी.टी. कपास की जांच के लिए तमिलनाडु के सेल्लम और नामाक्कल जिलों के कुछेक भागों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या रासी हाइब्रिडों में प्रजनन असफलता के मामले में सबसे ज्यादा समस्याएं उजागर हुई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या समिति ने इस संबंध में जी.ई.ए.सी. और राज्य सरकार द्वारा जांच की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) महोदय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ई.पी.ए.)-1986 के नियम-1989 के प्रावधानों के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा गठित निगरानी-सह-मूल्यांकन समिति (एम.ई.सी.) ने खरीफ-2005 के

दौरान बी.टी. कपास की जांच करने के लिए तमिलनाडु के किसी भी भाग का दौरा नहीं किया है।

(ख) से (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भेषज क्षेत्र के रि-कॉम्बिनेन्ट के संबंध में कृतिक बल

4529. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भेषज उद्योग रिकॉम्बिनेन्ट हेतु प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट भेषज क्षेत्र के संबंध में कृतक बल गठित किया है;

(ख) क्या उक्त कृतक बल ने सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्गीकरण नियम मुद्दों के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। पुनर्संयोजी भेषज क्षेत्र (रिकॉम्बीनेंट फार्मा सेक्टर) के संबंध में महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डी.जी., सी.एस.आई.आर.) की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2004 में एक कार्यदल का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) कार्यदल ने सितम्बर, 2005 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में यह निर्णय दिया है कि आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) के विनियामक उद्देश्य को प्रस्तावों के विनियमन तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिसमें पर्यावरणीय दृष्टि से जीवित रूपांतरित जीवों (एल.एम.ओ.) के बड़े पैमाने का प्रयोग; उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन, नैदानिक परीक्षण, बाजार के लिए प्राधिकरण शामिल होता है और उत्पाद के बाजार में आने के बाद उसकी निगरानी भारत के औषध महानियंत्रक (डी.सी.जी.आई.) की अनिवार्यता होगी; और कार्यदल ने एल.एम.ओ. को प्रयोग में लाने के लिए पांच श्रेणियों में विनियामक प्रक्रिया की पुनः जांच की है।

(घ) कार्यदल के विचारार्थ विषयों के अनुसार अधिदेश में कोई भी वर्गीकरण मुद्दा शामिल नहीं है।

अन्य देशों को वित्तीय सहायता

4530. श्री राजेन गोहेन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान आज तक भारत द्वारा विभिन्न देशों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) वे देशवार उद्देश्य क्या हैं जिनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) सरकार यह किस तरीके से सुनिश्चित करती है कि वित्तीय सहायता उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई गई है, जिसके लिए यह प्रदान की गई थी;

(घ) क्या सरकार को किसी अन्य देश विशेषकर अफगानिस्तान से सहायता हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 से लेकर वर्ष 2005-06 (आज की तारीख तक) तक विभिन्न देशों को दी गई वित्तीय सहायता का उसके प्रयोजन सहित देश-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अधिकांशतः प्राप्तकर्ता देशों को दी गई, सहायता का प्रयोजन उन्हें बता दिया गया था, उसका उपयोग संबंधित देश द्वारा किया गया और राजनयिक चैनलों के जरिए उन्हें मॉनीटर किया गया था।

(घ) से (च) प्रधानमंत्री ने अगस्त, 2006 में अफगानिस्तान में पुनर्संरचना परियोजना के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की है। नवम्बर, 2005 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, भारत ने इंडोनेशिया के अकेह प्रान्त में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना में सहायता देने की मंजूरी दी है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 से लेकर वर्ष 2005-06 (आज की तारीख तक) तक विभिन्न देशों को दी गई वित्तीय सहायता का उसके प्रयोजन सहित देश-वार ब्यौरा

देश का नाम	व्यय (रुपए/डालर में) वित्तीय वर्ष				प्रयोजन जिसके लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गई है।
	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (आज की तारीख तक)	
1	2	3	4	5	6
बांग्लादेश	0.49 करोड़ रुपए	0.54 करोड़ रुपए	1.36 करोड़ रुपए	शून्य	वित्तीय सहायता विकास परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमताओं के निर्माण पर केन्द्रित है।
श्रीलंका	5.78 करोड़ रुपए	5.66 करोड़ रुपए	14.61 करोड़ रुपए	शून्य	-तदैव-
म्यांमार	1.51 करोड़ रुपए	2.55 करोड़ रुपए	4.41 करोड़ रुपए	शून्य	-तदैव-
मालदीव	1.71 करोड़ रुपए	3.20 करोड़ रुपए	3.50 करोड़ रुपए	शून्य	-तदैव-
भूटान	881.43 करोड़ रुपए	1028.13 करोड़ रुपए	1193.72 करोड़ रुपए	750.08 करोड़ रुपए	पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बजटीय सहायता और तला पन बिजली विद्युत परियोजना जैसी योजनाओं के निधियन तथा भारत सरकार की सहायता से भूटान में शुरू की गई पुनटसंगछु-। पनबिजली विद्युत परियोजना की ब्यौरे-वार परियोजना रिपोर्ट के लिए
नेपाल	45.93 करोड़ रुपए	57.68 करोड़ रुपए	59.82 करोड़ रुपए	शून्य	भारत की ओर से सहायता ढांचागत विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण और सामुदायिक विकास, शिक्षा, आदि के क्षेत्रों में दी गई है।

1	2	3	4	5	6
पाकिस्तान	शून्य	शून्य	शून्य	26 मिलि. अमरीकी डालर	पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में भूकम्प पीड़ित इलाकों में लोगों को मदद देने के लिए
अफगानिस्तान	156.00 करोड़ रुपए	94.00 करोड़ रुपए	272.00 करोड़ रुपए	189.55 करोड़ रुपए	अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की सहायता परियोजनाओं के लिए
डी.पी.आर. कोरिया	शून्य	रुपए 1,64,17,681	रुपए 2,53,44,000	शून्य	चावल की सहायक आपूर्ति हेतु
वियतनाम	2.5 लाख रुपए	2.87 लाख रुपए	शून्य	115000 अमरीकी डालर	वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयां-भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2005 में भागीदारी
कंबोडिया	शून्य	शून्य	शून्य	2 मिलि. अमरीकी डालर	सियाम रीप, कंबोडिया में परम्परागत एशियाई वस्त्र संग्रहालय के लिए। खमेर रूज परीक्षण के लिए सहायता अनुदान
एल.ए.ओ. पी.डी.आर.	शून्य	शून्य	शूय	17,043 अमरीकी डालर	केसोन फोमविहन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कान्फ्रेंस सुविधाओं की आपूर्ति के लिए सहायता
इंडोनेशिया	अमरीकी डालर 100,000	शून्य	1 मिलि. अमरीकी डालर	3.08 करोड़ रुपए + 2 मिलि. अमरीकी डालर	बाढ़ एवं भूकम्प पीड़ितों के लिए
थाइलैंड	शून्य	शून्य	शून्य	5 लाख अमरीकी डालर	सुनामी पीड़ितों के लिए सहायता
फिलीपीन्स	शून्य	शून्य	शून्य	अमरीकी डालर 50,000	चक्रवात पीड़ितों के लिए दवा
किरीबाती	शून्य	शून्य	शून्य	15983 आस्ट्रेलियन डालर	आर्थोटिक उपकरणों एवं सामानों तथा फिजियोथेरापी पुनर्वास एवं व्यायाम उपकरण की खरीद के लिए

पापुआ न्यू गुआना (पी.एन.जी.)	शून्य	शून्य 36,00,114	शून्य	शून्य	दवा, कंप्युटर उपांगों तथा एच.आई.वी./एड्स के लिए प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्र के लिए सहायता
वानुटु	शून्य	शून्य	शून्य	7,850 अमरीकी डालर	कंप्यूटर उपांगों के लिए सहायता
तुवालु	शून्य	शून्य	शून्य	41,87,298 रुपए	कंप्युटर उपांगों एवं दवा की खरीद के लिए
माक्रोनेशिया संघीय राज्य	शून्य	शून्य	शून्य	48,796 अमरीकी डालर	विर्जिन नारियल तेल (वी.सी.ओ.) निकालने के लिए मशीन खरीदने हेतु सहायता
मार्शल द्वीपसमूह गणराज्य	शून्य	शून्य	शून्य	3,42,500 अमरीकी डालर	सौर उपकरण की खरीद तथा प्रशांत द्वीप-समूह एक्वीफर्स से ताजा भूजल प्राप्ति के लिए सहायता
पलाउ	शून्य	शून्य	शून्य	1,49,841 अमरीकी डालर	अस्पताल उपकरण की खरीद के लिए सहायता
नीरू	शून्य	शून्य	शून्य	28,47,203 रुपए	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान यू.एन.जी.ए. में भाग लेने एवं सहायता देने हेतु
इराक	शून्य	5 मिलि. अमरीकी डालर	शून्य	5 मिलि. अमरीकी डालर	यह सहायता इराक के पुनर्निर्माण के लिए है और यह संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के माध्यम से दिया जाता है।
तजाकिस्तान	10,26,789 रुपए	4,30,94,111 रुपए	9,25,32,938 रुपए	4.52 लाख रुपए	पुस्तकों, सैनिक सहायता दल, फल संसाधन संयंत्र, गेहूं, चावल, चीनी, चाय तथा 10 बसों की खरीद के लिए
किर्गिजिस्तान	92,51,550 रुपए	1,93,750 रुपए	1,58,025 रुपए	शून्य	10 टाटा सफारी जीपों, कंप्यूटर सी.टी.वी. एवं डी.वी.डी. का उपहार
तुर्कमेनिस्तान	34,57,497 रुपए	शून्य	शून्य	शून्य	टूल कक्ष केन्द्र, अशागाबट
रूस	30,000 अमरीकी डालर	30,000 अमरीकी डालर	30,000 अमरीकी डालर	30,000 अमरीकी डालर	विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन

1	2	3	4	5	6
उजबेकिस्तान	शून्य	32,690 रुपए	8,47,62,417 रुपए	शून्य	सेटलाइट डिश एंटीना का उपहार
आर्मेनिया	शून्य	शून्य	शून्य	4.52 करोड़ रुपए	60 ट्रैक्टरों की आपूर्ति
फिलीस्तीन	शून्य	शून्य	2 करोड़ रुपए	15 मिलि. अमरीकी डालर	टाटा सफारी, दवाओं की आपूर्ति एवं विकास तथा पुनर्निर्माण परियोजनाएं
सूडान	शून्य	0.20 करोड़ रुपए	0.02 करोड़ रुपए	10 मिलि. अमरीकी डालर	दवाओं की आपूर्ति। अप्रैल, 2005 में ओस्लो दाता सम्मेलन के दौरान राज्य मंत्री ने वित्तीय सहायता का वचन दिया
अल्जीरिया	शून्य	0.5 मिलि. अमरीकी डालर	2.1 करोड़ रुपए	शून्य	भूकम्प पीड़ित के लिए
डजिबाऊटी	शून्य	4.6 करोड़ रुपए	शून्य	शून्य	चावल, गेहूं तथा दवाओं की आपूर्ति
सियरालियोन	6,46,997 रुपए	शून्य	शून्य	शून्य	22,500 अमिट स्याही बोतलों की मदद
टोगो	2,06,000 रुपए	शून्य	शून्य	शून्य	6000 अमिट स्याही बोतलों की मदद
बेनिन	12,81,000 रुपए	शून्य	शून्य	3,19,33,000 रुपए	40,000 अमिट स्याही बोतलों की मदद
कोट डी आइवर	शून्य	15 करोड़ रुपए	45 लाख रुपए	शून्य	सहायता-चावल, चीनी, एच.आई.वी. निरोधक दवाएं
गुयाना	शून्य	शून्य	5,92,54,000 रुपए	3,83,72,000 रुपए	सहायता-खाद्यान्न एवं एच.आई.वी. निरोधक दवा का दान
सेनेगल	शून्य	शून्य	1.5 करोड़ रुपए	31.23 लाख रुपए	रेलवे लाइन का व्यवहार्यता अध्ययन। पश्चिम अफ्रीका में विशेषज्ञों का दौरा।
चाड	शून्य	शून्य	9 करोड़ रुपए	शून्य	सहायता-खाद्यान्न
कैमरून	शून्य	शून्य	शून्य	2,95,48,000 रुपए	सहायता-ट्रैक्टर
कांगो	शून्य	शून्य	शून्य	3,19,33,000 रुपए	सहायता ट्रैक्टर

जिम्बाम्बे	शून्य	55,26,28,539 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-चावल एवं कंप्यूटर
जाम्बिया	2,48,60,441 रुपए	94,911,951 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-चावल एवं कंप्यूटर
इथोपिया	शून्य	11,37,47,964 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-गेहूं
इरिट्रिया	शून्य	4,23,81,306 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-गेहूं
नामिबिया	शून्य	शून्य	7,47,25,000 रुपए	शून्य	सहायता-चावल
लेसेथो	शून्य	रुपए 22,23,054	14,36,25,000 रुपए	शून्य	सहायता-चावल, गेहूं दवा
तंजानिया	शून्य	शून्य	14,25,49,643 रुपए	शून्य	सहायता-चावल, गेहूं कंप्यूटर
द. अफ्रीका	शून्य	शून्य	10,223,579 रुपए	शून्य	कंप्यूटर्स, एम्बुलेंस तथा नेल्सन मंडेला फाउंडेशन को दान
जंजीबार	शून्य	शून्य	2,01,375 रुपए	शून्य	सहायता-कंप्यूटर
सेसेल्स	शून्य	शून्य	18,89,424 रुपए	शून्य	सहायता-दवा
केन्या	शून्य	18,89,424 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-दवा
यूगान्डा	शून्य	17,97,252 रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-दवा
मारीशस	शून्य	8,45,43,750 रुपए	शून्य	शून्य	आई.सी.सी. केन्द्रों का निर्माण
बहमास	शून्य	50,000 अमरीकी डालर	शून्य	शून्य	सहायता-दवा
ग्रेनेडा	शून्य	50,000 अमरीकी डालर	50,000 अमरीकी डालर	शून्य	सहायता-दवा, छत बनाने का सामान
गुआना	शून्य	शून्य	शून्य	1.6 मिलि. अमरीकी डालर	क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, दवा आपूर्ति
हैती	शून्य	10,000 अमरीकी डालर	शून्य	शून्य	सहायता-दवा

1	2	3	4	5	6
जमैका	शून्य	शून्य	200,000 अमरीकी डालर	शून्य	सहायता-दवा
सेंट विसेंट एवं ग्रेंडाइन	शून्य	शून्य	शून्य	1,00,000 अमरीकी डालर	कंप्यूटर उपकरण एवं एच.आई.वी. दवा
सूरीनाम	शून्य	20.62 लाख रुपए	शून्य	शून्य	सहायता-दवा
बेलिजे	शून्य	शून्य	9 लाख रुपए	शून्य	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
कोस्टारिका	शून्य	शून्य	10 लाख रुपए	शून्य	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
डोमिनिशियन गणराज्य	शून्य	50,000 अमरीकी डालर	शून्य	शून्य	दवा
इक्वेडोर	शून्य	शून्य	शून्य	2 लाख अमरीकी डालर	दवा
अल सल्वाडोर	शून्य	शून्य	शून्य	10 लाख रुपए	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
ग्वाटेमाला	शून्य	शून्य	शून्य	21 लाख रुपए	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
हौंडारूस	शून्य	शून्य	शून्य	15 लाख रुपए	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
निकारागुआ	शून्य	शून्य	शून्य	10 लाख रुपए	तिपहिया वाहनों को उपहार स्वरूप देना
पनामा	शून्य	शून्य	50,000 अमरीकी डालर	10 लाख रुपए	तिपहिया वाहनों, दवाओं को उपहार स्वरूप देना
चिली	शून्य	शून्य	शून्य	30,000 अमरीकी डालर	कंप्यूटर एवं संबद्ध उपस्कर

[हिन्दी]

बैंकों से ऋण

4531. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

डा. राम लखन सिंह:

श्री कैलाश बैठा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक आम जनता को आसान शर्तों पर आसान ऋण प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बैंक विशेषकर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक समाज के कुछ वर्गों को ऐसे ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम संबंधी मार्गनिर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य विवेकपूर्ण मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी ऋण नीतियां तैयार करते हैं।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं लाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

4532. श्री जोवाकिम बखला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर पश्चिमी बंगाल की बहुत सी पेयजल परियोनजाएं विश्व बैंक से विशेष सहायता हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये जिन स्थानों के लिए हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं और प्रत्येक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही में पूरी हुई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (घ) जहां तक विश्व बैंक से वित्तपोषण का संबंध है, प. बंगाल के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। संभावित वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के समक्ष तीन ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। ये हैं:-

- उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना II - जिसमें लगभग 1000 ग्राम पंचायतों में 1.6 मिलियन ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में सभी जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।
- तमिलनाडु ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना II - जिसमें 12618 ग्राम पंचायतों के लगभग 82.000 परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में सभी जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।
- पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना II - जिसमें लगभग 8000 ग्राम पंचायतों में 10 मिलियन ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य में 17 जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।

झारखंड सरकार से जुलाई, 2005 में एक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना प्राप्त हुई थी जिसकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ रु. थी और इसमें 610 करोड़ रु. की सहायता मांगी गई थी। इस परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व बैंक के वित्तपोषण से पूरी हुई ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

- 117.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली कर्नाटक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। यह परियोजना 1993 में शुरू हुई थी और सितम्बर, 2000 में पूर्ण हुई थी।
- 140.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। यह परियोजना मार्च, 1991 में शुरू हुई थी और जून, 1998 में पूर्ण हुई थी।

- 71.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। यह परियोजना अगस्त, 1996 में शुरू हुई थी और मई, 2003 में पूर्ण हुई थी।

[हिन्दी]

एल.आई.सी. पालिसियों के लिए अभिदान

4533. *

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी बीमा कंपनियों की उपस्थिति के कारण वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान अभिदत्त बीमा पालिसियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 के दौरान एल.आई.सी. पालिसियों के अभिदान में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जैसा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि बीमा पालिसियों की संख्या में यह कमी वर्ष 2003-04 में 26951919 से घट कर वर्ष 2004-05 में 23959703 हो गई। पालिसियों की संख्या में यह गिरावट विकास अधिकारियों की संख्या में कमी आने, बीमित राशि को बढ़ाकर कम से कम 50,000/- रुपये करने और प्रत्यक्ष रूप से यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों का बीमा विपणन में चले जाना रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। एल.आई.सी. ने बताया है कि दिनांक 15-12-2004 की स्थिति के अनुसार, बीमा पालिसियों की संख्या में यह वृद्धि 11229273 से बढ़कर दिनांक 15-12-2005 को 13827411 हो गई है।

[अनुवाद]

दाभोल विद्युत निगम

4534. श्री अनंत गुढ़े: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मै. बेक्टेल कॉरपोरेशन ने दाभोल विद्युत निगम के संबंध में भारत सरकार से 26,000 करोड़ रु. के अपने दावे की वसूली के संबंध में कोई नई चेतावनी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मै. बेक्टेल अपने सभी दावों के निपटारे होने तक परियोजना के दूसरे चरण (1,444 मेगावाट) के पूरा होने से स्वयं को अलग रखने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ग) बेकटेल के साथ निष्पन्न समझौते के अनुसार महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. द्वारा 12 जुलाई, 2005 को बेकटेल को 160 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया। तब से भारत सरकार के पास बेकटेल से किसी अन्य प्रकार की वसूली या विद्युत संयंत्र को पूरा करने के संबंध में अलग होने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

एन.पी.ए. की बिक्री

4535. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

डा. चिन्ता मोहन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को अन्य कंपनियों को 60 प्रतिशत तक की छूट पर बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के कंपनी-वार नाम क्या हैं जिन्होंने विभिन्न कंपनियों को अपनी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 50 प्रतिशत से अधिक छूट पर बेची है;

(ग) देश में कितनी कंपनियां गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली में लगी हुई हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितनी छूट दी जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ए.आर.सी.आई.एल. ने सूचित किया है कि 15 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, 26 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने

* संसद सदस्य श्री पारस नाथ यादव द्वारा सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4533 से उनका नाम हटा दिया गया, देखिए 5-5-2006 को जारी प्रश्न सूची का शुद्धि-पत्र।

8,531 करोड़ रुपए की मूल देयराशि वाली अनुपयोज्य आस्तियां ए.आर.सी.आई.एल. की 4,068 करोड़ रुपए अधिग्रहण कीमत पर बेच दी हैं। यह मूल देय राशि के औसत 48% की छूट पर दी गई हैं।

(ख) ए.आर.सी.आई.एल. को 50% से अधिक की छूट पर अपनी अनुपयोज्य आस्तियां बेचने वाले बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अब तक एसेट रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ए.आर.सी.आई.एल.), एसेट केयर एंटरप्राइज लिमिटेड तथा ए.एस.आर.ई.सी. (इंडिया) लिमिटेड नामक तीन ए.आर.सी. को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं। ए.आर.सी.आई.एल. ही ऐसी कंपनी है, जिसने अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के संबंध में अपने परिचालन शुरू किए हैं।

(घ) प्रत्येक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा पेशकश किए गए मूल्य का स्वयं मूल्यांकन किया जाएगा और पेशकश स्वीकार या स्वीकार करने का निर्णय भी उन्हीं का होगा।

विवरण

ए.आर.सी.आई.एल. को 50% से अधिक की छूट पर अनुपयोज्य आस्तियां बेचने वाले बैंक/वित्तीय संस्थाएं

विक्रेता	अधिग्रहण कीमती (करोड़ रुपए में)	अर्जित मूल ऋण (करोड़ रुपए में)	मूल ऋण की छूट प्राप्त कीमत का प्रतिशत
1	2	3	4
आन्ध्र बैंक	6.04	27.50	78%
बैंक ऑफ बहरीन एवं कुवैत बी.एस.सी.	0.57	10.00	94%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1.30	21.43	94%
बैंक ऑफ इंडिया	51.02	184.81	72%
कैनरा बैंक	9.22	65.68	86%
सेंचुरियन बैंक	1.39	11.29	88%
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	2.20	24.65	91%
एक्जिम बैंक	0.49	1.16	58%
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	697.38	2,273.34	69%
आई.डी.बी.आई.	89.50	242.12	63%
आई.एफ.सी.आई.	65.83	235.39	72%
कर्नाटक बैंक	7.37	44.05	83%
करूर वैश्य बैंक	1.59	7.33	78%
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	5.62	13.52	58%
पंजाब नैशनल बैंक	47.15	371.48	87%
एस.बी.बी.जे.	4.40	16.42	73%

1	2	3	4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	8.21	47.30	83%
भारतीय स्टेट बैंक	285.31	1,191.87	76%
एस.बी.आई.सी.आई.बी.	1.55	10.00	85%
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.67	34.67	87%
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4.74	27.76	83%
सिंडिकेट बैंक	5.50	15.66	65%
दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	3.49	25.78	86%
योग	1,304.54	4,903.20	

[अनुवाद]

कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक

4536. श्री आलोक कुमार मेहता:

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:

श्री मधु गौड यास्खी:

मो. मुकीम:

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के प्रतिमानकों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिमानकों को बदलने के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्दिष्ट की गई है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) सरकार ने कम्पनियों के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के मानदण्डों में संशोधन नहीं किया है। तथापि, सेबी ने दिनांक 29-10-2004 के परिपत्र संख्या- सेबी/सी.एफ.डी./डी.आई.एल./सी.जी./1/2004/12/10 के द्वारा स्टाक एक्सचेंज के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में संशोधन का निदेश दिया है। संशोधित खण्ड 49 में प्रावधान है कि जिन कम्पनियों के अध्यक्ष कार्यपालक हैं, निदेशक मण्डल के कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। उन कम्पनियों के मामले में जहां अध्यक्ष गैर-कार्यपालक है, निदेशक मण्डल के कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र होने चाहिए सूचीबद्ध करार के केवल स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध एनटिटी पर लागू होते हैं।

सेबी के अनुसार, संशोधित खण्ड 49, 1 जनवरी, 2006 से प्रभाव में आएगा और पहली बार सूचीबद्ध होने की अनुमति मांगने वाली एनटिटी पर भी लागू होगा साथ ही विद्यमान सूचीबद्ध एनटिटी पर भी जिनसे पूर्व संशोधित खण्ड 49 की अनुपालना करने की अपेक्षा की गई थी। सेबी ने आगे दर्शाया है कि वे व्यक्ति जो ऐसी कम्पनियों के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक हैं से यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि ऐसी कम्पनियां न केवल संप्रवर्त्तकों के बल्कि सभी स्टेक धारकों के हित के अनुरूप सुप्रवाही तरीके से काम कर रही हैं।

[हिन्दी]

औषधियुक्त मच्छरदानी

4537. श्री अजीत कुमार सिंह:

श्री अविनाश राय खन्ना:

श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में औषधियुक्त मच्छरदानी के आयात में सीमा शुल्क का अपवंचन पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध मे अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) और (ख) जी नहीं। औषधियुक्त मच्छरदानी के आयात में

सीमा शुल्क के अपवंचन का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों पर उत्पाद शुल्क

4538. श्रीमती अर्चना नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधियों पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा औषधियों पर उगाहे जाने वाले शुल्क की मदवार वर्तमान दर क्या है और शुल्क में की जाने वाली प्रस्तावित कमी क्या है; और

(घ) औषधियों पर उत्पाद शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप भेषज कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) वर्तमान समय में, औषधियों पर मूल्यानुसार 16% की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। तथापि, जीवन रक्षक औषधियों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। आगामी बजट को देखते हुए शुल्क दरों में परिवर्तन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(घ) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत राशि का संग्रहण एवं आबंटन

4539. श्री जे.एम. आरून रशीद:

श्री अवतार सिंह भडाना:

डा. राजेश मिश्रा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये का उपकर लगाकर देश के प्रत्येक राज्य से कितनी राशि संग्रहित की गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नई बस्तियों तक संपर्क प्रदान करने और ग्रामीण सड़कों के कोर नेटवर्क के संपूर्ण मार्ग के सुधार हेतु राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे डीजल से संग्रहित उपकर के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखते। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान हर वर्ष एकत्र किया गया डीजल उपकर निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	हाई स्पीड डीजल पर वसूला गया उपकर*
2002-03	4074
2003-04	5966
2004-05 (अनंतिम)	7441
2005-06 (अगस्त, 2005 तक (अनंतिम)	3472

*डीजल उपकर बजट 1999-2000 में शुरू किया गया था। यह 1-3-1999 से 1 रुपये प्रति लीटर की दर से था। 1-3-2003 से इसे बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। 1-3-2005 से इसे पुन: बढ़ाकर 2 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (आदिनांक) के दौरान पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए निर्धारित उपकर के अंश से राज्यों को रिलीज की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	219.29	100.00	88.97	187.69

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.51	0.00	0.00	52.00
3.	असम	74.92	170.02	164.52	0.00
4.	बिहार	0.00	150.00	29.58	191.12
5.	छत्तीसगढ़	159.60	110.00	164.92	230.21
6.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	51.70	44.35	0.00	69.01
8.	हरियाणा	44.75	7.99	28.04	20.11
9.	हिमाचल प्रदेश	104.57	66.35	12.65	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	35.00	0.00	20.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	123.87	0.00	67.96
12.	कर्नाटक	97.74	59.00	0.00	140.55
13.	केरल	11.43	10.38	10.39	0.00
14.	मध्य प्रदेश	450.39	290.90	213.00	295.14
15.	महाराष्ट्र	114.58	75.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	18.00	0.00
17.	मेघालय	35.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	50.88	20.78	46.40	0.00
19.	नागालैंड	22.23	21.44	18.00	0.00
20.	उड़ीसा	170.09	175.00	175.00	97.75
21.	पंजाब	20.39	27.35	0.00	48.90
22.	राजस्थान	241.74	190.16	451.40	425.14
23.	सिक्किम	17.81	20.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	80.32	85.00	79.78	0.00
25.	त्रिपुरा	25.00	0.00	0.00	19.79
26.	उत्तर प्रदेश	240.54	335.27	315.00	503.88
27.	उत्तरांचल	0.00	70.41	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	159.52	135.00	270.00	0.00
	कुल	2469.00	2288.27	2105.65	2349.25

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम

4540. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री काशीराम राणा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋण स्वीकृति में विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एस.बी.आई., कोलकाता के विदेश विभाग का स्थानान्तरण

4541. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), कोलकाता के विदेश विभाग का स्थानान्तरण/विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को लिए गए निर्णयों के विरुद्ध कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने एक ही स्थान पर विदेशी तथा भारतीय मुद्रा में अपने ट्रेजरी परिचालनों को समेकित करने और कारपोरेट केन्द्र पर बैंकों के अन्य सम्बद्ध परिचालनों के संदर्भ में त्वरित निर्णय के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने कोलकाता स्थित विदेश प्रभाग के कुछ परिचालनों को अपने ट्रेजरी विभाग, मुम्बई में स्थानान्तरित करने की योजना बनाई है।

(ग) जी, हां।

(घ) बैंकों के पास प्रबंधकीय स्वायत्तता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें अपने परिचालन की जगह संबंधी निर्णय लेने की अनुमति है। तथापि, इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बैंक को भेज दिया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए विशेष योजनाएं

4542. श्री एस. अजय कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. के उद्यमियों को स्व-रोजगार हेतु वित्तीय सहायता, ऋण या प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी विशेष योजना/परियोजना/प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष परियोजनाओं का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार योजनाओं के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंक अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. को ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं। अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व. लाभार्थी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की गई है, के लिए आरक्षण संबंधी ब्यौरा निम्नांकित है:-

(i) **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.):** इस योजना के तहत ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कम से कम 50% ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए जो अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित हों। इससे अतिरिक्त अ.जा./ अ.ज.जा. से संबंधित लाभार्थी 10,000 रुपए की अधिकतम राशि तक परियोजना लागत के 50% की सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

(ii) **प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.):** इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। पी.एम.आर.वाई के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 22.5% एवं अ.पि.व. के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान है। 1 लाख रुपए तक की

परियोजनाओं के लिए किसी तृतीय पक्ष की गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती।

(iii) **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर. वाई.)**: यह योजना देश भर के सभी शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में चल रही है। इस योजना में दो उप योजना हैं जिनमें बैंक ऋण शामिल हैं नामतः शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.) तथा शहरी क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.यू.ए.)। स्थानीय आबादी में अ.जा./अ.ज.जा. की संख्या के अनुपात में बैंकों द्वारा उनकी सहायता की जानी है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए की लागत वाली परियोजना का वित्तपोषण बैंकों द्वारा किया जाना है।

(iv) **विभेदक ब्याज दर योजना (डी.आर.आई.)**: इस योजना के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक उत्पादकारी एवं लाभकारी क्रियाकलाप में रोजगार के लिए गरीब समुदाय के लोगों को 4% प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर 6,500 रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। कुल डी.आर.आई. अग्रिमों के कम से कम 40% को अ.जा./अ.ज.जा. को संस्वीकृत किया जाना चाहिए। अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य जो 7,200 रुपए के आय मानदंडों को पूरा करते हैं वे इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध 6,500 रुपए के ऋण के अलावा 4% की रियायती ब्याज दर पर 5,000 रुपए प्रति लाभार्थी आवास ऋण भी ले सकते हैं।

(v) **सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनरुद्धार के लिए योजना (एस.एल.आर.एस.)**: इस योजना का उद्देश्य सिर पर मैला ढोने वालों एवं उनके आश्रितों को मुक्त करना एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उन्हें वैकल्पिक पेशा प्रदान कराना है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जा सकता है। 10,000 रुपए की अधिकतम राशि तक उधारकर्ताओं के लिए परियोजना लागत के 50% की सब्सिडी उपलब्ध है। 6,500 रुपए के सभी प्रकार के ऋणों को 4% की रियायती दर पर डी.आर.आई. ऋण के रूप में माना जाना चाहिए।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के तहत अ.जा./अ.ज.जा. के लिए ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा विवरण I से V में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

मार्च, 2003-2004 और 2005 को बैंक-वार आंकड़े

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	2002-03		2003-04		2004-05	
		अ.जा./अ.ज.जा. के सहायता किए गए कुल लोगों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित ऋण का प्रतिशत	अ.जा./अ.ज.जा. के सहायता किए गए कुल लोगों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित ऋण का प्रतिशत	अ.जा./अ.ज.जा. के सहायता किए गए कुल लोगों की संख्या	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	40432	26.50	94894	28.03	55928	24.34
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1486	21.58	1632	24.39	606	5.38
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	854	4.73	937	5.37	34206	114.27
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	3250	27.00	4182	20.84	755	7.21

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	219	5.99	1164	29.99	10026	114.67
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1266	44.31	1944	56.33	774	18.91
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	462	29.77	425	24.30	690	35.71
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	595	25.21	1449	33.98	143	1.71
9.	इलाहाबाद बैंक	22331	42.15	28062	64.63	31758	73.41
10.	आन्ध्रा बैंक	1496	10.43	355	2.52	4482	17.42
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	4099	42.64	3288	12.65	28919	53.21
12.	बैंक ऑफ इंडिया	5338	15.36	7370	13.44	1898	5.42
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8537	79.82	8423	77.84	9834	71.98
14.	केनरा बैंक	3147	11.46	2554	8.21	3175	6.44
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	6503	13.00	16517	31.65	5329	7.86
16.	कार्पोरेशन बैंक	1278	24.46	1292	23.74	1596	31.72
17.	देना बैंक	2241	54.70	1407	18.08	962	13.02
18.	इंडियन बैंक	1490	2.72	1467	3.11	1199	1.89
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	17919	47.03	19824	44.32	19044	30.25
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1003	19.84	581	12.06	1408	30.72
21.	पंजाब नैशनल बैंक	8594	12.70	7764	9.91	6403	4.37
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	72	6.62	63	7.44	17	2.81
23.	सिंडिकेट बैंक	1162	7.14	970	5.52	832	5.95
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4830	15.45	4602	14.97	5188	15.33
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4920	12.84	10791	28.92	13201	29.95
26.	यूको बैंक	11626	42.46	27448	48.12	36611	48.40
27.	विजया बैंक	492	30.83	335	15.89	207	5.63
	कुल	155642	22.53	249740	25.95	275191	26.08

विवरण-II

वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 के लिए पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत अ.जा./अ.ज.जा. एवं अ.पि.व. के लिए ऋण के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) 2002-03, 2004-2005

बैंक का नाम	2002-2003						2003-04					
	अ.ज./अ.ज.जा.को संवितरित ऋण		अ.जा./ अ.ज.जा. का %	अ.पि.व. को संवितरित ऋण		अ.पि.व. का %	अ.ज./अ.ज.जा.को संवितरित ऋण		अ.जा./ अ.ज.जा. का %	अ.पि.व. को संवितरित ऋण		अ.पि.व. का %
	सं.	राशि		सं.	राशि		सं.	राशि		सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय स्टेट बैंक	12439	8699.00	24.03	12072	8382	23.32	8687	5715.00	20.67	8106	5057	19.29
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	735	371.64	17.25	746	380.82	17.51	1118	623.29	22.73	977	526.68	19.87
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1512	854.69	29.29	1262	680.15	24.44	1599	970.15	25.24	1514	888.65	21.69
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	370	284.21	9.25	504	369.44	12.60	276	193.13	11.14	303	192.57	12.33
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	432	242.00	20.53	240	155.5	11.41	394	236.67	15.29	0	0	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	732	436.31	24.35	534	340.51	17.76	579	348.17	17.90	326	215.63	10.08
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0	0.00	#Div/01	0	0	#Div/01	50	24.74	8.17	110	49.12	17.97
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	722	326.33	26.36	810	286.06	29.57	529	236.10	12.33	1424	627.44	33.18
इलाहाबाद बैंक	1265	953.93	16.05	1728	1231.69	21.92	1689	1210.61	23.93	2118	1575.81	30.01
आन्ध्रा बैंक	0	0.00	#Div/01	0	0	#Div/01	0	0.00	#Div/01	0	0	#Div/01
बैंक ऑफ बड़ौदा	1981	1087.65	13.33	1836	1105.49	12.35	1585	830.54	11.12	1658	915.82	11.63

बैंक ऑफ इंडिया	1647	935.54	14.37	2089	1263.67	18.23	2182	1555.67	16.80	3020	1866.41	23.25
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	580	332.76	13.18	860	471.88	19.54	959	499.17	15.43	1516	801.53	24.29
केनरा बैंक	1351	690.83	17.61	2097	1070.72	27.34	1972	930.08	19.98	2558	1301.54	25.92
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0	0.00	#Div/01	0	0	#Div/01	2059	1332.55	18.64	2253	1357.99	20.40
कारपोरेशन बैंक	193	109.50	11.83	617	370.24	37.83	280	150.03	13.20	665	370.46	31.34
देना बैंक	544	277.68	17.61	482	245.24	15.60	603	336.45	20.89	602	350.37	20.85
इंडियन बैंक	821	330.26	18.57	2273	945.11	51.40	1024	423.18	17.36	3025	1218.27	51.29
इंडियन ओवरसीज बैंक	0	0.00	#Div/01	0	0	#Div/01	1947	967.84	45.84	1131	580.89	26.63
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	498	280.96	10.33	711	435.19	14.75	718	425.38	13.67	1009	593.18	19.49
पंजाब नैशनल बैंक	3035	1719.41	16.69	2199	1297.6	12.10	3466	2288.67	16.58	2156	1309.56	10.32
पंजाब एंड सिंध बैंक	112	57.28	5.39	102	58.75	4.91	257	144.40	13.57	133	75.4	7.02
सिंडिकेट बैंक	938	480.16	12.89	2407	1315.06	33.07	1291	690.45	17.12	2596	1469.55	34.42
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1394	938.99	13.65	2731	1638.64	26.74	1649	1049.43	15.95	2460	1555.8	23.78
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	240	159.53	11.15	203	146.5	9.43	781	431.96	17.61	218	154.06	4.92
यूको बैंक	830	482.72	13.29	1114	734.18	17.84	609	441.78	8.87	704	448.92	10.25
विजया बैंक	315	165.95	10.74	1204	699.86	41.05	376	222.12	10.91	1408	855.58	40.86
कुल	32686	20218.34	17.92	38821	23624.3	21.29	36679	22277.56	18.01	41850	24358.2	20.55

(क्रमशः)

(लाख रु. में)

बैंक का नाम	2004-05					
	अ.ज./अ.ज.जा. को संवितरण ऋण		अ.जा./अ.ज.जा. का %	अ.पि.व. को संवितरण ऋण		अ.पि.व. का %
	सं.	राशि		सं.	राशि	
1	14	15	16	17	18	19
भारतीय स्टेट बैंक	13655	8869.00	24.52	11356	7318	20.40
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	849	449.29	19.29	735	393.91	16.70
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1303	716.08	25.44	1258	777.67	24.58
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	420	264.31	11.16	541	410.92	14.37
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	636	428.13	26.14	586	385.35	24.09
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	647	396.42	20.68	439	310.68	14.03
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	10	4.14	1.35	10	4.93	1.35
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	747	379.42	19.28	1625	828.67	41.94
इलाहाबाद बैंक	1687	1209.74	18.67	2124	1568.31	23.51
आन्ध्रा बैंक	1045	630.61	29.47	878	548.42	24.76
बैंक ऑफ बड़ौदा	1862	914.59	12.64	1632	839.64	11.08
बैंक ऑफ इंडिया	2261	1343.48	19.97	1150	699.37	10.16
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	687	348.52	13.23	1055	568.49	20.31
केनरा बैंक	1334	620.96	16.17	2244	1139.75	27.20

विवरण-III

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं (ग्रा./अ.श.) द्वारा मार्च 2003, 2004 और 2005 की स्थिति के अनुसार ग्रा./अ.श. शाखाओं के अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	मार्च 2003 शाखाओं की संख्या	मार्च 2003 अग्रिम	मार्च 2003 ग्रा./अ.श. शाखाओं का प्रतिशत	मार्च 2004 शाखाओं की संख्या	मार्च 2004 अग्रिम	मार्च 2004 ग्रा./अ.श. शाखाओं का प्रतिशत	मार्च 2005 शाखाओं की संख्या	मार्च 2005 अग्रिम	मार्च 2005 ग्रा./अ.श. शाखाओं का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय स्टेट बैंक	5081	1581.8	30.90	4015	1274.0	33.80	3829	1171.6	34.74
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	275	53.8	16.11	338	72.88	19.81	328	75.79	18.30
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	956	212.82	35.82	1079	245.76	46.13	380	140.79	26.54
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	259	145.92	29.87	154	57.7	19.18	140	60.1	26.18
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	172	42.78	18.66	88	19.77	19.66	154	43.84	23.26
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	198	64.1	[illegible]	244	[illegible]	[illegible]	238	[illegible]	[illegible]
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	59	28.87	16.34	100	27.8	27.32	32	13.00	7.84
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	108	19.48	[illegible]	82	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]
9.	इलाहाबाद बैंक	326	112.98	25.17	444	133.75	28.72	0	00.00	0.00
10.	आन्ध्रा बैंक	347	56.14	34.25	610	98.44	35.00	740	118.21	34.71
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1009	274.43	26.40	991	235.73	29.81	754	186.16	30.64
12.	बैंक ऑफ इंडिया	663	227.56	29.09	785	312.36	[illegible]	784	350.39	[illegible]
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	289	37.63	25.37	478	[illegible]	[illegible]	533	156.96	[illegible]
14.	केनरा बैंक	2181	523.39	33.29	1311	275.75	[illegible]	791	[illegible]	[illegible]
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	584	248.82	[illegible]	766	[illegible]	[illegible]	691	[illegible]	[illegible]

विवरण-III

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) मार्च 2003, 2004 और 2005 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित बैंक-वार ऋण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	मार्च 2003			मार्च 2004			मार्च 2005		
		खातों की संख्या	राशि	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित प्रतिशत	खातों की संख्या	राशि	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित प्रतिशत	खातों की संख्या	राशि	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय स्टेट बैंक	5081	1581.8	30.90	4015	1274.0	33.68	3629	1171.9	34.74
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	275	53.8	16.11	338	72.88	19.81	328	75.79	18.30
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	956	212.82	35.82	1079	243.76	46.13	380	140.79	26.54
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	259	145.82	29.87	154	57.7	19.18	140	60.1	25.18
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	172	42.78	18.66	88	19.77	19.66	154	43.84	23.26
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	198	64.17	26.47	244	87.76	26.29	239	82.61	42.23
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	59	26.87	16.34	100	27.8	27.32	32	13.00	7.64
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	105	19.43	36.84	82	18.2	16.98	117	30.97	21.31
9.	इलाहाबाद बैंक	326	112.98	25.17	444	133.75	28.72	0	00.00	0.00
10.	आन्ध्रा बैंक	347	56.14	34.25	610	98.44	35.00	740	118.21	34.71
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1009	214.43	26.40	981	235.73	29.61	754	186.16	30.64
12.	बैंक ऑफ इंडिया	663	237.96	29.93	785	312.36	31.24	764	350.39	30.83
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	289	57.69	25.37	478	99.88	29.27	533	156.66	27.96
14.	केनरा बैंक	2161	523.39	33.26	1311	274.75	28.78	791	184.45	26.81
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	984	248.82	26.53	769	569.3	23.63	891	235.12	26.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	कारपोरेशन बैंक	90	18.9	12.71	61	13.46	12.84	46	10.81	14.11
17.	देना बैंक	263	68.13	20.34	194	58.00	15.60	416	94.6	33.23
18.	इंडियन बैंक	0	0	0	594	119.7	37.10	304	63.08	26.41
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1003	263	66.60	2080	470.6	64.52	191	49.62	41.34
20.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	151	44.48	17.89	221	50.48	28.85	245	57.84	30.10
21.	पंजाब नेशनल बैंक	2693	1102.4	35.04	1104	528.39	24.69	902	269.33	24.20
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	0	28	11.11	8.97	65	20.05	26.42
23.	सिंडिकेट बैंक	692	141.51	25.13	455	136.86	23.61	271	67.7	21.29
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	640	165.14	24.45	566	157.78	27.22	789	254.93	33.21
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	302	79.68	21.71	259	71.7	19.07	252	66.74	32.98
26.	यूको बैंक	0	0	0	404	78.01	29.61	183	45.11	29.33
27.	विजया बैंक	157	36.21	25.45	187	46.69	25.62	175	49.07	28.18
	जोड़	18875	5518.36	29.45	17631	5268.86	30.84	13331	3898.88	28.33

विवरण-IV

मार्च 2003, 2004 और 2005 की स्थिति के अनुसार डी.आर.आई. योजना के तहत अ.जा./अ.ज.जा. को बैंक-वार अग्रिम

(खाते लाख में राशि करोड़ में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	मार्च 2003		मार्च 2004		मार्च 2005	
		डी.आर.आई. अग्रिम जिनमें से अ.जा./अ.ज.जा. के खातों की संख्या	डी.आर.आई. के तहत अग्रिमों में अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिमों का प्रतिशत	डी.आर.आई. अग्रिम जिनमें से अ.जा./अ.ज.जा. के खातों की संख्या	डी.आर.आई. के तहत अग्रिमों में अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिमों का प्रतिशत	डी.आर.आई. अग्रिम जिनमें से अ.जा./अ.ज.जा. के खातों की संख्या	डी.आर.आई. के तहत अग्रिमों में अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिमों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	0.22	4.77	0.33	9.11	0.02	6.15

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	0.13	23.20	0.06	24.00		0.00
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.07	49.92	0.04	40.67	0.15	49.65
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	0.03	94.30	0.01	33.89	0.01	38.36
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.02	97.90	0.01	94.53		–
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	0.05	67.91	0.04	67.08	0.06	65.49
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	–	16.67	0.00	45.45	–	32.43
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	–	–	0.04	67.31	0.05	73.68
9.	इलाहाबाद बैंक	0.71	68.02	0.41	74.33	0.47	72.55
10.	आन्ध्रा बैंक	0.03	65.06	0.18	91.30	0.31	66.91
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	0.08	57.77	0.06	56.57	0.05	76.05
12.	बैंक ऑफ इंडिया	0.12	46.00	0.03	52.06	0.03	18.75
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.01	5.37	0.00	6.78	–	24.24
14.	केनरा बैंक	0.03	38.10	0.14	73.68	0.15	81.16
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	0.03	37.36	0.02	62.50	0.03	82.52
16.	कारपोरेशन बैंक	–	33.33	0.00	8.33	–	100.00
17.	देना बैंक	–	96.95	0.00	71.99	–	94.06
18.	इंडियन बैंक	0.02	59.00	0.02	58.90	0.02	58.73
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	0.06	93.15	0.06	87.11	0.06	91.07
20.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स	0.01	1.44	0.00	1.05	–	0.02
21.	पंजाब नेशनल बैंक	0.16	28.64	0.06	34.92	0.12	51.29
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0.01	95.73	–	76.79	0.01	96.91
23.	सिंडिकेट बैंक	0.01	47.52	–	43.54	–	35.79
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.05	59.92	0.04	54.04	0.04	37.65
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	0.01	17.50	0.01	16.58	0.02	17.96
26.	यूको बैंक	0.05	5.88	0.01	28.57	0.01	5.88
27.	विजया बैंक	0.01	71.32	0.00	81.43	–	75.47
	जोड़	1.92	48.48	1.61	48.45	1.63	49.20

विवरण-V

सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति तथा पुनरुद्धार की योजना अ.जा./अ.ज.जा. को मार्च 2003, 2004 और 2005 को बैंक-वार संवितरित ऋण

(राशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	मार्च, 2003			मार्च, 2004			मार्च, 2005		
		खातों की संख्या	संवितरित राशि	कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का %	खातों की संख्या	संवितरित राशि	कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का %	खातों की संख्या	संवितरित राशि	कुल की तुलना में अ.जा./अ.ज.जा. का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भारतीय स्टेट बैंक	526	124.61	67.61	354	80.62	63.67	441	88.38	66.92
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	83	12.93	100.00	809	147.61	100.00	610	189.99	100.00
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	250	23.04	60.39	16	2.20	69.57	196	29.49	51.17
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	156	46.19	87.64	141	27.99	68.12	297	82.80	84.62
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	267	57.70	71.01	278	68.75	48.52	158	53.10	86.81
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	240	95.51	94.49	153	45.16	100.00	54	18.07	100.00
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	793	19.69	82.43	1119	23.14	80.10	1423	28.30	79.85
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9.	इलाहाबाद बैंक	120	19.58	98.36	265	30.45	95.67	240	46.14	92.31
10.	आन्ध्रा बैंक	180	54.76	84.91	225	68.98	83.33	47	11.05	75.81
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	584	105.52	99.83	627	112.20	88.43	469	94.24	90.37
12.	बैंक ऑफ इंडिया	358	69.28	88.18	328	59.85	85.64	210	44.26	79.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	35	6.45	72.92	27	5.21	75.00	54	11.20	98.18
14.	केनरा बैंक	203	23.52	77.78	266	46.48	92.68	184	34.06	81.78
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	529	164.59	100.00	476	119.40	100.00	569	187.11	97.10
16.	कारपोरेशन बैंक	51	13.85	82.26	26	6.76	100.00	63	9.05	100.00
17.	देना बैंक	249	63.26	100.00	106	31.00	68.39	204	54.50	94.00
18.	इंडियन बैंक	79	15.97	98.75	73	13.94	96.05	61	15.23	76.25
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3362	454.31	88.54	186	21.37	100.00	54	8.80	79.41
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	108	15.56	94.74	79	16.23	98.75	106	19.64	93.81
21.	पंजाब नैशनल बैंक	266	55.76	82.61	282	59.79	88.96	367	71.71	99.73
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	32	8.13	100.00	30	6.26	100.00	76	19.37	100.00
23.	सिंडिकेट बैंक	380	56.28	100.00	107	22.12	96.40	254	56.61	92.36
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	372	82.13	77.82	418	110.76	95.65	380	112.91	85.20
25.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	44	7.68	100.00	50	8.28	100.00	113	13.61	100.00
26.	यूको बैंक	384	87.77	64.76	87	20.52	56.86	230	60.72	96.23
27.	विजया बैंक	105	18.73	97.22	75	14.54	100.00	161	39.61	100.00
	कुल	9756	1703.00	85.08	6603	1169.61	84.09	7021	1399.95	85.53

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को ऋण

4543. **श्री राम कृपाल यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा और अग्रिम के बीच अधिक अंतर है; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों/किसानों को ऋण/अग्रिम प्रदान करने में विषमता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते रहे हैं। भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं के सकल बकाया अग्रिमों में वृद्धि हुई है। यह जून, 1969 में केवल 461 करोड़ रुपए था जो जून, 2005 में बढ़कर 2,43,875

करोड़ रुपए हो गया है। गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में बैंकिंग प्रणाली द्वारा केवल कृषि क्षेत्र के लिए संवितरित ऋण की राशि का ब्यौरा निम्नांकित है:-

वर्ष		ऋण प्रवाह (करोड़ रुपए)
2002-03	–	69,560
2003-04	–	86,981
2004-05	–	1,24,122

चालू वित्त वर्ष में सितम्बर, 2005 तक, बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण का प्रवाह 83,502 करोड़ रुपए रहा है।

(ख) और (ग) जून, 2005 तक की स्थिति के अनुसार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण जमा अनुपात 32.23% है। तथापि, ऋण प्रवाह विभिन्न कारकों पर निर्भर है यथा आधारभूत सुविधाओं के विकास का स्तर, उद्यमवृद्धि का स्तर, बैंक द्वारा सहायता किए जाने के योग्य परियोजनाएं, कानून एवं व्यवस्था की सामान्य स्थिति एवं ऋण खपाने की क्षमता।

भारतीय आर्थिक सम्मेलन

4544. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 2005 को अंतिम सप्ताह में भारतीय आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) भारतीय उद्योग परिसंघ और विश्व आर्थिक मंच द्वारा संयुक्त रूप से 27 नवम्बर, 2005 से 29 नवम्बर, 2005 तक नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। विदेशी एवं भारतीय कंपनियों, सरकार, मीडिया और सामाजिक संगठनों से आए 700 से भी अधिक सहभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया। चर्चाओं में व्यापक विषयों को सम्मिलित किया गया। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आधारभूत संरचना, वैश्विक चनौतियां एवं भारत, रिइन्वेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं लैंगिक अंतर शामिल हैं। नीति-निर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसी व्यापक चर्चाएं नीति-निर्धारण में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

4545. श्री हितेन बर्मन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन गैर-बैंकिंग कंपनियों/पौधा रोपण कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध निवेशकों की गाढ़ी कमाई का न भुगतान किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं या भारतीय रिजर्व बैंक/कंपनी ला बोर्ड के ध्यान में आई हैं और वे कहां अवस्थित हैं;

(ख) प्रत्येक कंपनी के विरुद्ध अब तक कितनी शिकायतें मिली हैं और तत्संबंधी वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या ऐसी कई कंपनियों ने अपना नाम बदल लिया है अथवा निधि कंपनी के रूप में दब्दील हो गई हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से अभी भी अपना कारोबार चला रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नाम बदलकर अपना कारोबार चलाने अथवा उन्हें निधि कंपनी में तब्दील हो जाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों तथा उसके तहत जारी निर्देशों के अंतर्गत उनका नियंत्रण गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के केवल जमा राशि स्वीकार करने संबंधी क्रियाकलापों तक ही सीमित है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाराशि का भुगतान करने में चूक करने वाले केवल उन कंपनियों की ही सूचना है जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 76 एन.बी.एफ.सी. के विरुद्ध समापन याचिका दर्ज की हैं तथा 58 मामलों में आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। इसके अलावा 27 मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

(ख) जब कभी भी कंपनियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कंपनी के पास उस मामले को उठाया जाता है। चूंकि शिकायतों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है अतः उन्हें केवल वित्तीय मामलों के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(ग) जमाराशियों की वापसी अदायगी के चूक के मामले में जमाकर्ताओं को समाधान के लिए कंपनी विधि बोर्ड (सी.एल.बी.) के पास जाना होता है। यदि कंपनी सी.एल.बी. के आदेश की अनुपालना नहीं करती है तो भारतीय रिजर्व बैंक समापन याचिका दायर कर सकता है तथा निदेशकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायत भी दर्ज कर सकता है।

(घ) और (ड) निधि कंपनियां कंपनी कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निधि स्थिति की मंजूरी के लिए एम.सी.ए. के पास जाना होता है। एस.सी.ए. का निधि कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण है। प्रत्येक एन.बी.एफ.सी. को अपना नाम बदलने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेनी होती है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि कार्यालय पर छापा

4546. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले महीने भविष्य निधि कार्यालय के परिसर में मारे गए छापे के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या इसमें विकास अधिकारी और शाखाओं के अधिकारी शामिल पाए गए; और

(ग) इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी राशि वसूली गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश

4547. श्री बीर सिंह महतो:

श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश हेतु कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप जल विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी हां, 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत में निवेश हेतु 43,350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

(ग) 10वीं योजना के दौरान 14,393 मेगावाट की जल उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य का कार्यक्रम था, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 7,842 मेगावाट शामिल थी। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान किए गए अनुमान के अनुसार, 10वीं योजना के दौरान 11,125 मेगावाट की जल उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की सम्भावना है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 6,177 मेगावाट शामिल है। अधिष्ठापित जल उत्पादन क्षमता के अपनी आरम्भ की जल उत्पादन क्षमता की तुलना में 10वीं योजना के अंत तक 42.35% तक की वृद्धि होने की सम्भावना।

[अनुवाद]

जमा वृद्धि के लक्ष्य

4548. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान जमा वृद्धि, अग्रिम और अप्रयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) की कटौती का लक्ष्य कम निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व वर्ष की तुलना में कम लक्ष्य रखने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) बैंक विभिन्न तथ्यों, अर्थात् प्रचलित समष्टि आर्थिक स्थिति, बाजार के अन्य भागीदारों से प्रतिस्पर्द्धा आदि, को ध्यान में रखते हुए अपनी कारोबार संबंधी कार्यनीति तैयार करते हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए "वार्षिक लक्ष्य संबंधी तथ्यात्मक विवरण" सरकार को दिया है जिसमें विभिन्न कार्यनिष्पादन पैरामीटरों, अर्थात पूंजी जोखिम

आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.), प्रति शेयर अर्जन, कारोबार में वृद्धि, प्राथमिकता क्षेत्र उधार, अनुपयोज्य आस्तियों, लाभप्रदता, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग, अल्प सुविधा प्राप्त लोगों तक पहुंच आदि के संबंध में संख्यात्मक और गुणात्मक लक्ष्य दर्शाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेश किए गए वार्षिक लक्ष्य संबंधी तथ्यात्मक विवरणों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जहां कहीं भी वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में प्रगति में कमी दिखाई देती है, वहां बैंकों से लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा जाता है।

[हिन्दी]

प्रोत्साहन योजनाएं

4549. श्रीमती कल्पना नरेश नरहिरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानं को ऋण प्रदान करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने भी इस योजना को शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तीन वर्ष के दौरान कृषि ऋण के प्रवाह को दोगुना करने के संबंध में 18 जून, 2004 को एक घोषणा की थी। कृषि ऋण प्रवाह में वर्ष 2003-04 के वास्तविक संवितरण की तुलना में वर्ष 2004-05 में 32% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह के लिए 1,41,000 करोड़ रुपए का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जून, 2004 की गोषणा में, दु:खी/बकाया ऋण वाले किसानों के लिए ऋण को पुनर्निर्धारण, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान तथा अनौपचारिक स्रोतों के ऋणी किसानों को ऋण प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। वर्ष 2004-05 के दौरान ऋण राहत के रूप में 11,710 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी और वर्ष 2004-05 में अनौपचारिक स्रोतों के ऋणी 16,758 किसानों को लगभग 57 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था।

खाद्य उत्पादों का आयात

4550. श्री वी.के. ठुम्मर:

श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कतिपय खाद्य उत्पादों का आयात बिना किसी परीक्षण जांच के किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं कि भारत के लोग किसी रोग से पीड़ित न हों; और

(घ) इन कदमों के उठाए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत चरण-चार के प्रस्ताव

4551. श्री उदय सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्ष 2005-06 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के चरण-चार के प्रस्तावों के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं हेतु कई करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य अनेक केन्द्रीय एजेंसियों को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की स्थिति के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. में ग्रामीण सड़कों की राज्यवार प्रगति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) वर्ष 2000

से चल रही है। चरण-IV में, 4804.28 करोड़ रुपये की लागत से 22885.96 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाली 6661 सड़कों के लिए परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए, बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से बिहार में पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से कुछ केन्द्रीय एजेंसियों को लगाने का अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पी.एस.यू.), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) तथा राज्यस्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रारंभिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। अब पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए बिहार में बिहार सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा चार केन्द्रीय एजेंसियों अर्थात् मेसर्स इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, मेसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य के 37 जिलों में से 33 को इन एजेंसियों के सुपुर्द किया गया है (अररिया को पूर्णिया में शामिल किया गया है)। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ भी एक समझौता किया गया है। चार जिले सी.पी.डब्ल्यू.डी. के सुपुर्द किए गए हैं। ये एजेंसियां हरकत में आई हैं और इन्होंने कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसी प्रकार, त्रिपुरा के कुछ जिलों में पी.एम.जी.एस.वाई. कार्यों के कार्यान्वयन के लिए त्रिपुरा सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) पी.एम.जी.एस.वाई. के आरंभ से अब तक ग्रामीण सड़कों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

**2000-01 से 2005-06 तक ग्रामीण सड़कों की राज्य-वार प्रगति*

(रु. करोड़ में, लम्बाई कि.मी.)

#	राज्य	प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि	सड़क कार्यों की संख्या *	सड़क कार्यों की लम्बाई	पूरे कर लिए गए सड़क कार्य (सितम्बर, 05 तक)	पूरे कर लिए गए सड़क कार्यों की लम्बाई (सितम्बर, 05 तक)	सितम्बर, 05 तक किया गया खर्च (प्रस्तावों के मूल्य तक सीमित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1312.16	1011.47	4340	11753.36	3350	7626.00	823.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	233.68	179.46	403	1361.77	330	993.33	127.13
3.	असम	1099.69	564.46	1098	3386.63	506	832.56	432.50
4.	बिहार	952.75	520.60	1104	3553.19	441	1109.00	350.32
5.	छत्तीसगढ़	1534.86	855.76	1463	7964.30	662	3824.34	725.42
6.	गोवा	9.72	10.00	90	178.16	72	158.70	5.32
7.	गुजरात	313.24	284.87	1183	2486.30	927	1930.66	219.72
8.	हरियाणा	258.08	156.07	111	1575.51	70	1029.43	139.03
9.	हिमाचल प्रदेश	715.41	315.66	953	4583.95	373	1431.91	267.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	जम्मू-कश्मीर	171.69	75.00	178	635.27	31	66.05	43.82
11.	झारखण्ड	472.10	421.88	501	2752.90	341	1863.57	353.22
12.	कर्नाटक	556.83	506.24	1742	6054.26	1372	4502.51	374.09
13.	केरल	150.65	79.56	366	679.98	179	309.90	66.83
14.	मध्य प्रदेश	2627.68	1715.07	3065	14860.72	1782	8329.11	1556.23
15.	महाराष्ट्र	857.21	454.29	2158	5146.84	1466	3080.99	337.68
16.	मणिपुर	120.71	98.00	790	710.64	434	539.89	74.04
17.	मेघालय	145.72	115.67	347	811.43	285	659.91	90.18
18.	मिजोरम	211.24	164.51	80	1032.50	61	894.41	138.35
19.	नागालैंड	124.23	106.95	185	1606.29	165	1508.11	99.13
20.	उड़ीसा	1891.49	972.54	2623	8325.56	1402	3884.00	812.59
21.	पंजाब	217.90	176.30	516	1282.78	385	749.23	115.45
22.	राजस्थान	1935.99	1598.53	3773	14174.33	3184	11178.04	1195.21
23.	सिक्किम	149.37	70.97	115	1589.21	51	1316.72	55.04
24.	तमिलनाडु	550.51	432.92	2230	4196.89	1663	2957.99	348.49
25.	त्रिपुरा	116.19	96.39	254	700.60	205	449.27	57.77
26.	उत्तर प्रदेश	2572.35	2063.91	10900	19762.34	7688	13086.65	1349.06
27.	उत्तरांचल	257.96	201.04	213	1227.39	121	476.03	127.13
28.	पश्चिम बंगाल	1356.71	849.17	906	4958.03	533	2667.41	730.59
	कुल योग	20916.12	14097.29	41687	127351.13	28079	77455.72	11015.38
	संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	32.39	10.59	18	0.00	0	0.00	0.58
30.	दादर नगर हवेली	9.95	5.00	37	0.00	0	0.00	8.00
31.	दमन और द्वीव	15.00	5.00	0	0.00	0	0.00	4.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	दिल्ली	5.00	5.00	1	0.00	0	0.00	0.00
33.	लक्षद्वीप	4.89	4.89	0	0.00	0	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	12.40	5.00	86	0.00	66	0.00	4.65
	कुल	79.63	35.48	142	0.00	66	0.00	18.15
	कुल योग	20995.75	14132.77	41829	127351.13	28145	77455.72	11033.53

*आंकड़े अनंतिम हैं।

पनधारा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एकरूपता

4552. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पनधारा विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में एकरूपता लाने के लिए मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को संशोधित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पनधारा प्रबंधन के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में स्वॉट (मजबूती, कमजोरी, अवसर, खतरा) मूल्यांकन किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी और गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज) की संलिप्तता बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (च) मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामतः मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को पहले से ही सामुदायिक भागीदारी के साथ तथा जहां अपेक्षित हो, वहां गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके वाटरशेड विकास संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ समेकन, संसाधनों के समान वितरण, लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए डी.पी.ए.पी., डी.डी.पी. एवं आई.डब्ल्यू.डी.पी. के संबंध में एक तकनीकी समिति गठित की है। यह समिति मौजूदा पद्धति की विशेषताओं तथा खामियों की गहराई से जांच करेगी तथा इन कार्यक्रमों के और अधिक सार्थक कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक कार्यनीतियों/प्रक्रियाओं की सिफारिश करेगी।

दिल्ली को विद्युत की आपूर्ति

4553. योगी आदित्यनाथ: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भूटान से दिल्ली को विद्युत की आपूर्ति के संबंध में किसी परियोजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2003 में भूटान में ताला जल विद्युत परियोजना से दिल्ली तक विद्युत की आपूर्ति के लिए पारेषण योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) योजना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

भूटान में स्थापित 1020 मे.वा. (6 x 170 मे.वा.) क्षमता

वाली रन ऑफ द रिवर प्रकार की ताला जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन ताला जल विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ताला जल विद्युत परियोजना के लिए पारेषण प्रणाली में भूटान में उत्पादन परियोजना से होकर दिल्ली तक पहुंचने वाली अधिक क्षमता पारेषण लाइनें शामिल हैं जो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों से गुजरती हैं। प्रणाली के मुख्य पारेषण घटक निम्नलिखित हैं:-

- ताला एच.ई.पी. (भूटान सीमा से)-सिलीगुड़ी 400 केवी 2xडी/सी लाईन।
- सिलीगुड़ी-पूर्णिया 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाईन।
- पूर्णिया-मुजफ्फरपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाईन।
- मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाईन।
- गोरखपुर-नई लखनऊ 400 केवी डी/सी लाईन।
- लखनऊ (नई)-उन्नाव 400 केवी डी/सी लाईन।
- बरेली-मंडोला 400 केवी डी/सी लाईन।
- गोरखपुर (पावरग्रिड)-गोरखपुर (यू.पी.पी.सी.एल.) 400 केवी डी/सी लाईन।
- महारानीबाग, दिल्ली में दादरी का एल.आई.एल.ओ.-बल्लमगढ़ 400 केवी डी/सी लाईन।
- अन्य सब-स्टेशनों पर विस्तार के अलावा मुजफ्फरपुर, लखनऊ, गोरखपुर, महारानीबाग (दिल्ली) में न्यू 400 केवी स्टेशन।
- पूर्णिया-मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी लाइन पर फिक्सड एण्ड थ्राइस्टर कंट्रोल्ड सीरिज केपेसिटर।

(ग) पारेषण योजना के जून 2006 तक आरंभ होने की संभावना है।

* प्रश्न संख्या: 4554

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा खनिज संसाधनों का उपयोग

4555. श्री भंवर सिंह डांगावास:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारें खान और खनिज अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध खनिज संसाधनों का उपयोग कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इच्छा राज्य सरकारों को इन अधिकारों से वंचित करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बिडिंग प्रोसेस के क्रियान्वित होने के मामले में 75 प्रतिशत प्रोडक्शन लिंक पेमेंट (पी.एल.पी.) देने के लिए तैयार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) राज्य सरकारें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर. एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। तथापि, एम.एम.डी.आर. एक्ट की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के मामले में राज्य सरकारों के लिए खनिज रियायतें देने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

(ग) वर्तमान में, केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) किसी बोली प्रक्रिया के लिए एम.एम.डी.आर. एक्ट के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

पब्बर वैली कारपोरेशन

4556. डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम शांडिल्य: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की पब्बर वैली कारपोरेशन के लिए 4.53 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि हिमाचल प्रदेश को कब तक दिए जाने की संभावना है ताकि यह कारपोरेशन शीघ्रातिशीघ्र अपना कार्य शुरू कर सके;

---

* संसद सदस्य श्री पारसनाथ यादव द्वारा सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4554 को हटा दिया गया। देखिए 5-5-2006 को जारी प्रश्न सूची का शुद्धि-पत्र।

(ग) क्या उक्त कारपोरेशन द्वारा भर्ती करते समय स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त भर्ती किस अनुपात के अनुसार की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने हिमाचल प्रदेश में सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना (4x36.67 मेगावाट) के निष्पादन हेतु पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड को 453 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी है।

(ख) 15 करोड़ रुपये की पहली किस्त 30 मार्च, 2005 को पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लि. को पहले से ही जारी कर दी गई है। शेष राशि भी कार्यान्वयन के लिए परियोजना की आवश्यकता के अनुसार प्रगतितात्मक रूप से जारी की जाएगी। शेष राशि के प्रयोग के लिए ऋण की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2011 है।

(ग) और (घ) पब्बर वैली पावर कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एच.पी.एस.ई.बी.) द्वारा प्रोत्साहित की गई एक कंपनी है और कारपोरेशन में कार्यक्रम स्टाफ को एच.पी.एस.ई.बी. द्वारा उसके वर्तमान स्टाफ में से तैनात किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत की सूचना के अनुसार, कारपोरेशन द्वारा कोई भर्ती किए जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

निजी बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

4557. श्री मुन्शी राम:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निजी बैंकों द्वारा किसानों को दिए जा रहे ऋणों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष के पहली छमाही के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के भी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का क्या प्रतिशत है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अभी तक बैंकों द्वारा राज्य-वार कितने किसानों को ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित, वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि हेतु ऋण की उपलब्धता की सतत् आधार पर निगरानी की जाती है। 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2005 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण की उपलब्धता निम्नलिखित है:-

	कुल संवितरण (करोड़ रुपए)	कुल का प्रतिशत
सरकारी क्षेत्र के बैंक	47,489	56.9%
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	8,175	9.8%
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक	27,838	33.3%
जोड़	83,502	100%

(ग) वित्तपोषित किसानों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, वर्ष 2005-06 (1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2005) के दौरान सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा 68.72 लाख किसानों को वित्तपोषित किया गया है।

[अनुवाद]

वृद्धों के लिए पेंशन निधियां

4558. श्री सुभाष महरिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में किसी नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन निधियों को स्थापित, विनियमित और विकसित करके वृद्ध लोगों के लिए आय सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना भी शुरू की है, जो वरिष्ठ नागरिकों को आकर्षक प्रतिफल के साथ निवेश के जोखिम रहित माध्यम की भी पेशकश करती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) दिनांक 21-03-2005 को लोक सभा में पेश किए गए पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर. डी.ए.) विधेयक, 2005 का उद्देश्य पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा करने और अन्य संबद्ध मामलों के लिए पेंशन निधियां स्थापित, विनियंत्रित और विकसित करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस विधेयक के तहत प्रस्तावित प्राधिकरण नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) और किसी अन्य पेंशन प्रणाली जो किसी अन्य विधान द्वारा विनियमित नहीं की जाती, को विनियमित करेगा। एन.पी.एस. दिनांक 01-01-2004 से प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होती है। यह प्रणाली स्वैच्छिक आधार पर स्वनियोजित व्यावसायिकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों सहित सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को एक सुरक्षित एवं नियमित आय मुहैया कराने की दृष्टि से दिनांक 2 अगस्त, 2004 से एक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 शुरू की है। इस योजना में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की ब्याज दर का प्रावधान है जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता और जो बाजार में किसी भी बचत योजना में उपलब्ध ब्याज से तुलना करने पर ऊंची है।

एस.जी.एस.वाई.एस. के अंतर्गत ऋण

4559. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्कीम (एस.जी.एस.वाई.एस.) के अंतर्गत ऋण न देने वाली और ऋणों के मामले में असंतोषजनक निष्पादन करने वाली बैंकों की शाखाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी बैंक शाखाओं की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो असंतोषजनक निष्पादन के लिए ऐसी शाखाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या उचित कार्रवाई की गई है और उन शाखाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी शाखाओं द्वारा ऋण के संवितरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसकी क्या उपलब्धि रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अप्रैल, 2005 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों के साथ एक बैठक की थी तथा इन बैंकों एवं संबंधित शाखाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की थी। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश भी दिए थे कि सभी शाखाएं स्वर्णजयंति ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। आर.बी.आई. तथा नाबार्ड ने एस.जी.एस.वाई. कार्यक्रम के तहत ऋण प्रवाह में तेजी लाने के लिए ठोस उपाय प्रारम्भ करने हेतु क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों को अनुदेश दिए हैं। बैंकों को उच्च प्राधिकारियों को मामला भेजे बिना ऋणों की मंजूरी के लिए शाखा प्रबंधकों को उचित अधिकार देने पर विचार करने के लिए भी कहा गया था।

(घ) भारत सरकार ने एस.जी.एस.वाई. कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत एजेन्सियों द्वारा ऋण संवितरण जो विभिन्न संस्थाओं में राज्य स्तर पर आबंटित किए जा रहे हैं, के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए और शाखा-वार आबंटन बैंकों के संबंधित आंचलिक/राज्य स्तर पर किया जाता है। गत 2 वर्ष के दौरान लक्ष्यों एवं उपलब्धियों से संबंधित शाखा-वार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

कर्नाटक से प्रस्ताव

4560. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने जे.बी.आई.सी. से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कर्नाटक के 21 शहरों में मलिन बस्तियों के सुधार तथा पुनर्वास परियोजनाओं की मंजूरी, कावेरी जल आपूर्ति योजना, स्टेज-चार, चरण-द्वितीय के लिए जे.बी.आई.सी. द्वारा वित्तपोषण के संबंध में मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा मांगे गए आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक संस्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 3384 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 'कावेरी जलापूर्ति योजना स्टेज-IV, चरण-II' जे.बी.आई.सी. ओ.डी.ए. ऋण पैकेज, 2004 हेतु जापान सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव के एक भाग पर 'बंगलौर जलापूर्ति और मलनिकासी परियोजना (II-1)' के नाम से जे.बी.आई.सी. द्वारा विचार किया गया था। इस भाग हेतु 41,997 मिलियन येन जापानी येन की राशि वाले ऋण करार पर 31-3-2005 को हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना के शेष भाग को लगभग 1062 करोड़ रुपए की लागत वाले 'बंगलौर जलापूर्ति परियोजना चरण-II' के रूप में जे.बी.आई.सी. ओ.डी.ए. ऋण पैकेज, 2005 के लिए जापान सरकार के समक्ष रखा गया था। इस पर भी जापान सरकार द्वारा विचार किया गया था और जे.बी.आई.सी. द्वारा मूल्यांकन पूरा हो गया है।

लगभग 753.27 करोड़ रुपए की लागत से 'कर्नाटक के श्रेणी-I के 27 शहरों हेतु गंदी बस्ती उन्नयन और विकास कार्यक्रम' नामक एक अन्य प्रस्ताव जे.बी.आई.सी. ऋण सहायता हेतु उचित नहीं था और इसलिए इस पर विश्व बैंक की सहायता हेतु विचार किया गया था। विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि इस प्रस्ताव पर राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से कहा गया है कि वह एन.यू.आर.एम. के मार्गनिर्देशों के अंतर्गत इस परियोजना पर आगे कार्रवाई करने के लिए कोई निर्णय ले।

दमन और दीव द्वीपों में विद्युत की कमी

4561. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में विद्युत की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) अप्रैल-नवम्बर, 2005 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दमन व द्वीव में कोई ऊर्जा व व्यस्ततमकालीन कमी नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि का वितरण

4562. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय राजकोष से गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि के वितरण हेतु सामान्य वित्तीय नियमों (जी.एफ.आर.) में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठन रोजगार आरक्षण हेतु सरकारी मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समय कुल कितने गैर-सरकारी संगठन केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और सामाजिक न्याय के नाम पर नए जी.एफ.आर., 2005 के बाद इनकी संख्या घटकर कितनी हो जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदानों को स्वीकृत करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 (एक प्रकाशित दस्तावेज) में कुछ संशोधन किए गए हैं।

*(ग) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 209(6) (xii) में निहित पैरामीटरों की शर्तों के अनुसार ऐसे संगठनों अथवा अभिकरणों के अंतर्गत पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अनुदान मंजूर करने वाले प्राधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उन निबंधन एवं शर्तों जिनके तहत सहायता अनुदान दी जाती है, में इस आशय के यथोचित खंड शामिल करें।

(घ) और (ङ) संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं। इन मंत्रालयों/विभागों से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या केन्द्रीय रूप से रिकार्ड में नहीं रखी जाती है।

खनिज की खोज

4563. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खनिज की खोज से संबंधित वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) और खनिज गवेषण निगम लि. (एम.ई.सी.एल.) के खनिज गवेषण से संबंधित वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

जी.एस.आई. खनिज गवेषण

	2002-03			2003-04			2004-05		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग कि.मी.)	1189.54	1254.80	105	1021.05	1027	100.5	922.135	1041.05	112.9
विस्तृत मानचित्रण (वर्ग कि.मी.)	30.316	32.286	106	30.745	36.26	118	27.237	34.772	127.7
वेधन (मीटर)	92797.60	93388.78	100.6	88540.70	81995.90	92.6	87129.44	82209.86	94.4

एम.ई.सी.एल. का खनिज गवेषण

	2002-03			2003-04			2004-05		
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि
वेधन (मीटर)	200000	119994	60.00	165000	172281	104.41	165000	173144	104.93
विकासात्मक खनन (एम)	5000	3372	67.44	5000	3357	67.14	6000	7525	125.42

(ग) वेधन के संबंध में जी.एस.आई. के वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी का कारण रिग्स संबंधी खराबी, अप्रत्याशित कठिन संस्तर परिस्थितियां आदि थीं।

एम.ई.सी.एल. द्वारा वास्तविक लक्ष्य की उपलब्धि में कमी मुख्यतः पर्याप्त संवर्धनात्मक कार्य की अनुपलब्धता के कारण रही।

(घ) जी.एस.आई. ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता निर्धारण और अधिप्राप्ति की अपनी सम्पूर्ण प्रक्रिया सुगठित कर ली है।

जहां तक एम.ई.सी.एल. का संबंध है, परियोजनाओं की क्लोज मानीटरिंग, समयोचित लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी परिनियोजन के लिए और अधिक ठेकागत कार्य की प्राप्ति के परिणामस्वरूप निष्पादन में सुधार हुआ और वर्ष 2004-05 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन विद्युत परियोजना

4564. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्राष्ट्रीय फ्यूजन विद्युत परियोजना सैद्धान्तिक रूप से किस ऊर्जा उत्पाद पर आधारित है;

(ख) क्या भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया ने एशियाई देशों के बीच अपने आपको उक्त परियोजना से सम्बद्ध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में भारत में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत सरकार का किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त फ्यूजन प्रौद्योगिकी के माध्यम से पुनर्प्रयोजन विद्युत उत्पादन की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अपने आपको उक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना से संबद्ध करने के प्रति झुकाव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) फ्यूजन अभिक्रिया हल्के परमाणविक नामिकों के बीच नामिक प्रतिक्रिया है जिससे काफी ऊर्जा निकलने के साथ-साथ अपेक्षाकृत अधिक भारी नामिक की उत्पत्ति होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) चीन, ई.यू., जापान, भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमरीका के एक संघ की योजना कडराशे, फ्रांस में एक अंतर्राष्ट्रीय ताप-नामिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का निर्माण करने की है जो यह प्रदर्शित करने के लिए है कि बड़े परिमाण में फ्यूजन विद्युत का उत्पादन नियंत्रित तरीके से किया जा सकता है। भारत इस संघ में 6 दिसम्बर, 2005 को शामिल हुआ है।

(घ) परमाणु ऊर्जा विभाग की पूर्ण सहायता प्राप्त संस्था प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आई.पी.आर.) फ्यूजन अनुसंधान में लगी है। आई.पी.आर. टोकमक यंत्र, ए.डी.आई.टी. में परीक्षण करती आ रही है यह एक चुंबकीय बोतल है जिसमें सेकण्ड के एक हिस्से के लिए मल्टी मिलियन डिग्री गरम प्लाज्मा रखा जा सकता है। आई.पी.आर. द्वारा एक उन्नत "सुपर कंडक्टिंग स्टीडी स्टेट" टोकमक यंत्र का अभिकल्पन, निर्माण और संयोजन किया गया है जो चालू किए जाने के लिए तैयार है। जब यह चालू हो जाएगा तब यह हजार सेकण्ड लम्बे समय तक डाइवर्टर प्लाज्मा डिस्चार्ज का उत्पादन करने वाली विश्व में पहली मशीनों में से एक होगी।

(ङ) जी, हां।

(च) इसके ब्यौरे भाग (ग) में दिए गए हैं।

फ्लाई ऐश का उपयोग

4565. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
श्री मुन्शी राम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एन.टी.पी.सी. ने अपने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख को ग्रामीण किसानों को पूर्ति करने की कोई कार्य योजना बनाई है जैसा कि दिनांक 26 नवंबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी ने इस राख की उपयोगिता के संबंध में परीक्षण किए हैं;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान कुल कितनी टन राख का उपयोग किया गया और इससे कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(घ) कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राख का उत्पादन किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि में उक्त राख की उपयोगिता के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां। एन.टी.पी.सी. की योजना समीप स्थापित कृषि संबंधी/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से अपने थर्मल विद्युत स्टेशनों के परिसर में किसान मेलों के माध्यम से कृषि में राख के उपयोग को प्रोत्साहित करने की है। किसान मेलों के माध्यम से प्रोत्साहन हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

वर्तमान में एन.टी.पी.सी. सीमेंट के उत्पादन, सड़क किनारे का निर्माण और नीचे के क्षेत्र का विकास, राख जलाशय डाइक का उत्थान, खुली कास्ट माइन को भरना, ईंटों के उत्पादन आदि के लिए उद्योगों को राख की आपूर्ति करती है।

(ख) कृषि में राख के उपयोग के लिए, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल के सहयोग से एन.टी.पी.सी. के रिहन्द

विद्युत संयंत्र पर प्रदर्शन अध्ययन किए गए हैं। एन.टी.पी.सी. के फरक्का और रामागुंडम विद्युत संयंत्रों पर केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के साथ मिलकर इसी प्रकार के अध्ययन किए गए हैं।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान एन.टी.पी.सी. द्वारा लगभग 127.38 लाख टन राख का उपयोग किया गया है। दिनांक 14-09-1999 की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) की राजपत्रित अधिसूचना और दिनांक 27-08-2003 के इसके संशोधन के प्रावधानों के अनुपालन में, एन.टी.पी.सी. द्वारा "निःशुल्क" राख प्रदान की गई है और इससे कोई राशि अर्जित नहीं की गई है।

(घ) थर्मल विद्युत स्टेशनों (कैप्टिव और सह उत्पादन सहित लगभग 120 यूनिट रिपोर्टिंग) द्वारा उत्पादित राख की वर्षवार मात्रा नीचे दी गई है:-

वर्ष	उत्पादन (मि. टन में)
1999-2000	89.8
2000-2001	95.6
2001-2002	98.8
2002-2003	103.3
2003-2004	106.6
2004-2005	111.3

(ङ) और (च) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर, इण्डियन काउन्सिल ऑफ एगरीकल्चरल रिसर्च ने फ्लाई ऐश मिशन और विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किए गए कई अध्ययनों/क्षेत्र स्तरीय परियोजनाओं की समीक्षा की है। अध्ययन के परिणाम दर्शाते हैं कि फ्लाई ऐश के प्रयोग से उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की ओर से कंप्यूटरीकरण हेतु अनुरोध

4566. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में कंप्यूटरीकरण और जिला और ब्लाक स्तर पर सभी ट्रेजरी कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो कब और अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह, अन्य बातों के साथ-साथ, खजानों के कम्प्यूटरीकरण के लिए "खजाना" नामक परियोजना पर खर्च किए गए 37 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत की 50 प्रतिशत राशि वहन करे।

(ग) से (ङ) मौजूदा वित्तीय वर्ष (2005-06) में नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान (एन.ई.जी.ए.पी.) के लिए केन्द्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा पूर्व वर्षों में पहले से किए जा चुके व्यय के लिए धनराशि जारी नहीं की जा सकती। वित्त मंत्रालय द्वारा मात्रा और वित्तीय व्यवस्था के घटकों को विनिर्दिष्ट करते हुए कोष कम्प्यूटरीकरण के लिए इस स्कीम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस स्कीम के एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव पर सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

वस्त्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का विस्तार

4567. श्री ए.के. मूर्ति: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विंड पावर मिल्स एसोसिएशन ने वस्त्र इकाइयों में विंड जनरेटरों को स्थापित करने के कार्य को पूरा करने हेतु सरकार से वस्त्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना का विस्तार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) जी, हां।

विंड ऊर्जा को टी.यू.एफ.एस. के तहत 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए शामिल किए जाने के आधार पर सरकार को भारतीय विंड ऊर्जा संघ से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के तहत पात्र उपस्करों की सूची में विंड मिलों को पुनः शामिल किए जाने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) यह मामला अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष रखा गया था। तथापि, उसने यह निदेश दिया कि पहली बार में इस मामले पर सचिवों की समिति (सी.ओ.एस.) द्वारा विचार किया जाए। एक सी.ओ.एस. टिप्पणी मंत्रिमंडल सचिवालय को दिनांक 21-11-2005 को उसे सी.ओ.एस. के समक्ष रखे जाने के लिए भेज दी गई है।

[हिन्दी]

परिसमापन हेतु लंबित मामले

4568. श्री कैलाश मेघवाल: क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय मंत्रालय के अंतर्गत अनिवार्य परिसमापन हेतु कंपनियों के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों को आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उच्च न्यायालयों से संबद्ध परिसमापकों को सौंप दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें गंभीर धोखाधड़ी की जांच की जा रही है और उपर्युक्त मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र हेतु अपीलीय अधिकरण का गठन

4569. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र हेतु अपीलीय अधिकरण का गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 110 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार से अपेक्षा की जाती है कि निर्णायक अधिकारी अथवा अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए वह विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण की स्थापना करे।

(ख) केंद्र सरकार ने दिल्ली में अधिकरण की स्थापना की है। अध्यक्ष एवं अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति हो गयी है तथा ट्रिब्यूनल ने 21 जुलाई, 2005 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

4570. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने राज्य में विद्युत क्षेत्र में सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस परियोजना का ब्यौरा क्या है जिसे इस सहायता से कार्यान्वित किये जाने का विचार है;

(ग) क्या विश्व बैंक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसल

4571. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसल और एडीशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसल की नियुक्ति में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) वर्तमान काउंसल में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है और इनमें रिक्त पद यदि कोई हैं तो उनकी राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त काउंसल में नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा काउंसल का पुनर्गठन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) केन्द्रीय सरकार के ज्येष्ठ स्थायी काउंसेलों (जिन्हें अब भारत के सहायक महासालिसिटर के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है) और केन्द्रीय सरकार के अपर स्थायी काउंसेलों (जिन्हें अब केन्द्रीय सरकार के काउंसेलों के रूप में पुनः पदाभिहित किया गया है) को उनके अनुभव और बार में उनकी प्रतिष्ठा पर नियुक्त किया जाता है।

(ख) सरकार ने मई, 2004 से विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1390 काउंसेलों की नियुक्ति की है या उन्हें पदोन्नत किया है या उनकी कार्यावधि को बढ़ाया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में नियुक्त काउंसेलों की संख्या उपदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर कहा गया है, सरकार ने मई, 2004 से विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1390 काउंसेलों की नियुक्ति की है या उन्हें पदोन्नत किया है या उनकी कार्यावधि को बढ़ाया है।

(च) नए सरकारी काउंसेलों की नियुक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण

मई, 2004 से 19-12-2005 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और उनकी न्यायपीठों में नियुक्त या पदोन्नत काउंसेलों और ऐसे काउंसेलों की, जिनकी कार्यावधि को बढ़ाया गया है, संख्या का विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	2004	2005	कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	33	34	67
2.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	69	41	110
3.	लखनऊ न्यायपीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	55	13	68
4.	बंबई उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठें	66	58	124
5.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	03	06	09
6.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	34	99	133
7.	दिल्ली उच्च न्यायालय	69	71	140
8.	गुजरात उच्च न्यायालय	29	04	33
9.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठें	21	18	39
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	09	शून्य	09
11.	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठें	19	10	29
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	11	06	17

1	2	3	4	5
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	12	29	41
14.	केरल उच्च न्यायालय	24	51	75
15.	मद्रास उच्च न्यायालय	85	120	205
16.	मदुरै न्यायपीठ, मद्रास उच्च न्यायालय	22	14	36
17.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	21	05	26
18.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	11	25	36
19.	पटना उच्च न्यायालय	35	21	56
20.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	33	15	48
21.	राजस्थान उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठें	44	27	71
22.	उत्तरांचल उच्च न्यायालय	15	03	18
	योग	720	670	1390

राष्ट्रीय काम-के-बदले-अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों का कार्य निष्पादन

4572. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न के अपने कोटे का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा उठाकर और 15 चुनिंदा जिलों में कुल धनराशि का मात्र 23 प्रतिशत हिस्सा खर्च करके राष्ट्रीय काम-के-बदले-अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत खराब कार्य निष्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय काम-के-बदले-अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा शत-प्रतिशत कार्य निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान 20 लाख टन खाद्यान्न के साथ-साथ 2019.45 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई थी। 2019.45 करोड़ रुपए की रिलीज में से एक बड़ा हिस्सा, अर्थात् 1721.54 करोड़ रुपए (85.25%) जनवरी और मार्च, 2005 के अंतिम सप्ताह में रिलीज किया गया। इसीलिए जिलों द्वारा इस धनराशि का उपयोग वर्तमान वर्ष में संभव हो सका। स्थिति इसलिए बिगड़ी क्योंकि कार्यक्रम नया था तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यक्रम के प्रावधानों से परिचित होने में कुछ समय लगा। कड़ी निगरानी और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई से राज्यों को संसाधनों के उपयोग में तेजी लाने हेतु प्रोत्साहन मिला। परिणामस्वरूप, धनराशि के उपयोग में तेजी आयी है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान, प्राधिकृत खाद्यान्नों की तुलना में उठान और कुल उपलब्ध निधियों (अथशेष, वर्ष दौरान रिलीज और विविध प्राप्तियां) की तुलना में उपयोग का राज्यवार (उत्तर प्रदेश सहित) प्रतिशत विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल उपलब्ध निधियों की तुलना में निधियों के उपयोग का प्रतिशत	कुल प्राधिकृत खाद्यान्न की तुलना में उठाए गए खाद्यान्नों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	60.21	56.38

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.99	एन.आर.
3.	असम	46.80	6.15
4.	बिहार	30.87	22.75
5.	छत्तीसगढ़	25.77	41.07
6.	गुजरात	72.04	184.53
7.	हरियाणा	63.39	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	63.54	77.96
9.	जम्मू-कश्मीर	41.88	29.19
10.	झारखंड	26.93	36.79
11.	कर्नाटक	40.24	71.40
12.	केरल	28.72	2.34
13.	मध्य प्रदेश	50.01	64.76
14.	महाराष्ट्र	एन.आर.	एन.आर.
15.	मणिपुर	66.71	50.04
16.	मेघालय	9.17	100.00
17.	मिजोरम	51.76	100.00
18.	नागालैंड	एन.आर.	एन.आर.
19.	उड़ीसा	42.54	61.84
20.	पंजाब	0.68	47.40
21.	राजस्थान	29.79	67.50
22.	सिक्किम	20.27	एन.आर.
23.	तमिलनाडु	35.65	74.45
24.	त्रिपुरा	94.02	100.00
25.	उत्तरांचल	19.64	44.64
26.	उत्तर प्रदेश	26.86	11.32
27.	पश्चिम बंगाल	28.11	61.35
	कुल	37.39	44.73

एन.आर. : राज्य सरकार द्वारा असूचित

गैस आधारित विद्युत परियोजना

4573. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के मोनारचक की गैस आधारित विद्युत परियोजना (280 मे.वा.) को बीच में छोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है तथा परियोजना के निर्माण को जारी रखने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, त्रिपुरा सरकार तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीसिंग एवं फाइनैशियल सर्विस द्वारा संयुक्त रूप से त्रिपुरा के पलवाना, दक्षिण त्रिपुरा जिला, क्षेत्र में 750 मे.वा. की कम्बाइंड साईकल गैस आधारित परियोजना की स्थापना के निर्णय के मद्देनजर तथा वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार त्रिपुरा के मोनारचक, पश्चिम त्रिपुरा जिला में नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के 280 मे.वा. के कंबाइंड साईकल गैस आधारित परियोजना को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) त्रिपुरा सरकार के अनुरोध पर नार्थ ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के 280 मे.वा. कम्बाईंड साइकल गैस आधारित परियोजना के निर्माण पर सरकार द्वारा विचार-विमर्श किया गया लेकिन उक्त निर्णय गैस की उपलब्धता संबंधी मामलों तथा वैकल्पिक विद्युत उत्पादन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध समुचित व्यवहार्य विकल्पों की उपलब्धता के कारण लिया गया है।

सी.एस.आई.आर. द्वारा पेटेन्ट

4574. श्री टी.के. हमजा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने अपने आविष्कारों के लिए विदेशों में भारी संख्या में पेटेन्ट आवेदन दायर तथा प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.एस.आई.आर. ने विदेशों में पेटेन्ट के लिए आवेदन करने से पहले आविष्कारों के वाणिज्यिक मूल्य का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो देश-वार कितने पेटेन्ट आवेदन दायर किए गए तथा इसके क्या परिणाम निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। सी.एस.आई.आर. देश में पेटेंट फाइल करने वाले संगठनों में सबसे आगे है। विदेश समनुदेशितियों को छोड़कर भारतीयों को स्वीकृत कुल अमरीकी पेटेंटों में से सी.एस.आई.आर. का हिस्सा गत अनेक वर्षों में लगभग 60% रहा है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि के दौरान विदेशों में फाइल और स्वीकृत पेटेंटों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	फाइल किए गए	स्वीकृत
1	2	3
2001-02	566	90
2002-03	735	188
2003-04	508	219
2004-05	500	272

(ख) सी.एस.आई.आर. अपने आविष्कारों की पेटेंटों हेतु आवेदन करने से पहले उनकी वाणिज्यिक शक्यता और रणनीतिक मूल्य का मूल्यांकन करता है, परिणामस्वरूप सी.एस.आई.आर. ने बायो-इन्फर्मेटिक उत्पादों, चर्म, ऑप्टिकल फाइबर, औषध एवं भेषज, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, पॉलीमर, खाद्य उत्पादों एवं प्रक्रमों, हर्बल तथा पादप किस्मों आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का विकास किया है।

(ग) अमरीका, यूरोप और अन्य देशों में सी.एस.आई.आर. द्वारा फाइल किए गए आवेदनों एवं इसे स्वीकृत पेटेंटों की संख्या निम्नवत है:-

वर्ष	अमरीका		यूरोप		अन्य देश		पीसीटी फाइलिंग
	फाइल किए गए	स्वीकृत	फाइल किए गए	स्वीकृत	फाइल किए गए	स्वीकृत	
2001-02	237	69	34	06	161	15	128
2002-03	254	148	34	12	280	28	167
2003-04	196	141	23	16	123	62	166
2004-05	131	142	25	28	257	102	87

टी.सी.आई.डी.एस.

4575. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार टी.सी.आई.डी.एस. के अंतर्गत वित्तीय सहायता को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो टी.सी.आई.डी.एस. के अंतर्गत अपेक्षित प्रगति हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की गई थी। टी.सी.आई.डी.एस. के तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी की गई राशि निम्नलिखितानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

2003-04	2004-05	2005-06 (नवंबर 2005 तक)
10.92	10.00	34.21

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों को स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन करने पर संकेंद्रित बल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए.पी.ई.एस.) और वस्त्र केन्द्र आधारभूत विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) शुरू की थी। तथापि, इन दो योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के बाद इन दो योजनाओं का विलय करके एकीकृत वस्त्र पार्क योजना नामक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पर आधारित है और इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए उद्योग के वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाएं उद्योग को प्राप्त होंगी। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक होगी। नई योजना अर्थात् एस.आई.टी.पी. विशेष उद्देश्य वाहनों (एस.पी.वी.) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जिसमें उद्योग संघ/समूह मुख्य संवर्धक है। एस.वी.पी. की प्रचालानात्मक स्वायत्तता होगी ताकि वे प्रतिनिधि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न बन जाएं अथवा केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित न किए जाएं। सरकार की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका होगी।

शुल्क की चोरी

4576. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौदा मूल्य में समान मालभाड़ा, मालभाड़ा तथा बीमा, डीलर का हिस्सा, सेवा लाइसेंस शुल्क, वसूला गया अतिशय मालभाड़ा शुल्क, फुटकर बिक्री केन्द्र शुल्क, सुपुर्दगी पूर्व निरीक्षण शुल्क, सेवा शुल्क, अधिष्ठापन शुल्क आदि जैसे सभी तत्व शामिल हैं जिन्हें चीजों के विपणन से पहले मूल्य में जोड़ा जाता है;

(ख) क्या अधिकांश कंपनियां शुल्क से बचने के लिए सौदा मूल्य को शामिल नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है और यदि हां, तो इस प्रकार शुल्क की चोरी करने वाली कितनी कंपनियों का पता चला है और उन्होंने कितनी शुल्क राशि की चोरी की है; और

(घ) उनसे बकाया राशि वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) विनिर्माताओं द्वारा बिक्री की कार्रवाई में अपने ग्राहकों से प्रभावित समस्त राशियां (कर, शुल्क इत्यादि को छोड़कर) सौदा मूल्य में शामिल किए जाने योग्य होती हैं। इसलिए, विनिर्माता द्वारा वसूले गए ऐसे कोई भी प्रभार, जिन्हें माल के विपणन से पहले मूल्य में जोड़ा जाता है, सौदा मूल्य का भाग होते हैं।

(ख) जी, नहीं। तथापि ऐसे कुछ मामलों का पता चला है जिनमें सौदा मूल्य में इन तत्वों को शामिल नहीं किया गया था।

(ग) सरकार को इसकी जानकारी है और कुल 723 मामलों का पता चला है जिनमें 621.92 करोड़ रुपये की शुल्क राशि अंतर्ग्रस्त है।

(घ) अंतर्ग्रस्त शुल्क की वसूली के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

लघु बचत योजना

4577. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बताया है कि वे अब अपनी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए लघु बचत योजनाओं का दोहन करने की इच्छुक नहीं हैं;

(ख) क्या इन राज्यों ने केन्द्र सरकार को यह सूचित किया है कि वे उनके द्वारा जुटाई गई लघु बचतों पर ऋण नहीं चाहते;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) राज्यों के साथ निवल लघु बचत संग्रहणों की भागीदारी राज्य सरकारों द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि द्वारा किए गए निवेश के माध्यम से की जाती

है। भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर डा. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अनुपालना में, किसी राज्य में निवल लघु बचत संग्रहणों का 100 प्रतिशत भाग संबद्ध राज्य सरकारों को 1 अप्रैल, 2002 से अंतरित किया जा रहा है। किसी भी राज्य सरकार ने यह सूचित नहीं किया है कि वह उसके द्वारा जुटाए गए लघु बचत संग्रहण का किसी भी स्थिति में कोई भाग नहीं चाहते। तथापि, राज्य सरकारों से समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर सुझाव प्राप्त हुए हैं जो उनके द्वारा जुटाए गए निवल संग्रहण में भागीदारी सहित लघु बचतों से संबंधित हैं। इन सुझावों से इन मुद्दों के समाधान में केन्द्र सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। चालू वित्तीय वर्ष के संबंध में, राज्य सरकारों का हिस्सा उनके द्वारा जुटाए गए निवल संग्रहण का 100 प्रतिशत यथावत् बना रहेगा।

पेट्रो उत्पादों पर वैट

4578. श्री किशनभाई वी. पटेल:

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादों पर शुल्क मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न प्रमुख महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण में सफल संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) पर वैट को घटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत राज्य वैट 'किसी राज्य के भीतर माल की खरीद या बिक्री पर कर' होने के कारण राज्य का विषय है। राज्य वैट से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अधिकार-प्राप्त समिति ने राज्य वैट के अंतर्गत मूल्यवर्धित कर का स्वरूप (विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों के ढांचे सहित) निर्धारित किया है। अधिकार-प्राप्त समिति ने विभिन्न पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस उत्पादों के लिए विभिन्न दरें निर्धारित की हैं। मोटर-स्पिरिट (पैट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन) पर मूल्यवर्धित कर नहीं लगाया जाता और इस पर 20% न्यूनतम दर (उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में डीजल की न्यूनतम दर को छोड़कर जो 12.5% है) से कर लगाया जाता है। राज्य, इन मदों की न्यूनतम दरों से उच्चतर दरों पर करों की उगाही कर सकते हैं। खाना पकाने की गैस (एल.पी.जी.), प्राकृतिक गैस, नैफ्था, लुब्रिकेन्ट्स, निम्न सल्फर हैवी स्टॉक (एल.एस.एच.एस.) और कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के लिए वैट के अंतर्गत कर की दर 12.5% है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मिट्टी का तेल 4% की दर से कर योग्य है।

(ग) से (ङ) सी.एन.जी. पर वैट के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा यथा-निर्धारित 12.5% की दर से कर लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने परिवहन क्षेत्र में प्रयोगार्थ सी.एन.जी. को वैट की उगाही से छूट दी है। उत्तर प्रदेश (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) और हरियाणा (फरीदाबाद और गुड़गांव) में परिवहन क्षेत्र में सी.एन.जी. के प्रयोग को बढ़ावा देने का मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका में हाल ही में आया था। इस मामले में सी.एन.जी. पर बिक्री कर/वैट से छूट देने का मुद्दा भी आया था। तथापि, चूंकि बिक्री कर/वैट राज्य का विषय है, अतः इस संबंध में अधिकार-प्राप्त समिति या संबंधित राज्यों द्वारा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान नीचे आना

4579. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विटजरलैंड की विश्व की सर्वाधिक सक्षम अर्थव्यवस्थाओं की वर्ष 2002 की रैंकिंग में भारत 1998 के अपने 38वें स्थान से 42वें स्थान पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में उनके द्वारा क्या मुख्य कारण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की सक्षमता पर भी ध्यान दिया गया है जो कि इस बात का द्योतक है कि सरकार की नीतियां प्रतिस्पर्धा के लिए कितनी अनुकूल हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विटजरलैंड की रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2002 में भारत का स्थान 42वां था। वर्ष 1998 में यह स्थान 41वां था। वार्षिक रैंकिंग 314 मानदंडों के विश्लेषण पर आधारित होती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक कार्यनिष्पादन, सरकारी एवं व्यापारिक दक्षता एवं आधारभूत संरचना सहित चार प्रमुख घटक आते हैं। अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश से अनुरोध

4580. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के ऋण वित्त, वार्षिक भुगतान, इरिगेशन बॉण्ड तथा वाणिज्यिक बॉण्ड को बढ़ाने के लिए गारंटी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा राज्य में लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में वित्तीय सहायता देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेश में डिपोजिटरी रिसीप्ट

4581. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट (ए.डी. आर.)/ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट (जी.डी.आर.) का कंपनियों को घरेलू तथा विदेशी बाजारों में अपने शेयरों को एक साथ सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कदम भारतीय उद्योग जगत की निरंतर मांग के बाद लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या ये दिशानिर्देश घरेलू मुद्दों पर सेबी के दिशानिर्देशों पर हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय कंपनियों की एक साथ सूची जारी करने से भारतीय कंपनियों को किस सीमा तक लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) भारतीय कंपनियों को वैश्विक पूंजी बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और साधारण शेयरों का निर्गम (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) योजना, 1993" योजना को अधिसूचित किया गया था।

सरकार द्वारा समय-समय पर योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन/आशोधन किए जाते हैं। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, ए.डी.आर./जी.डी.आर. मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 के समरूप बनाने और पूंजी जुटाने के लिए उपर्युक्त मार्ग में प्रवेश चाहने वाली असूचीबद्ध कंपनियों के पूर्व अथवा साथ-साथ सूचीयन के लिए योजना को 31 अगस्त, 2005 को संशोधित किया था।

इस योजना को दिनांक 17 नवम्बर, 2005 को भी संशोधित किया गया था जिसमें घरेलू बाजार में पेशकश करने वाली और ए.डी.आर./जी.डी.आर. निर्गमों, जहां ए.डी.आर./जी.डी.आर. को घरेलू मूल्य के सममूल्य या उससे ऊपर कीमत निर्धारित किया गया है, के माध्यम से साथ-साथ अथवा तत्काल अनुवर्ती पेशकश (घरेलू निर्गम के 30 दिनों के भीतर) करने वाली कंपनियों को ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त दो संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे कि सेबी (प्रकटन तथा निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देशों का पालन हो और ए.डी.आर./जी.डी.आर. दिशानिर्देशों को घरेलू पूंजी निर्गमों संबंधी सेबी के दिशानिर्देशों के समरूप बनाया जाए।

[हिन्दी]

बैंकों में दृष्टिहीनों को रोजगार

4582. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए दृष्टिहीनों को सामान्य व्यक्तियों के समान रखें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन बैंकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है जो उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन कर रहे हैं तथा जो इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) न्यायालय के उक्त निर्देश का पालन न करने वाले बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था

4583. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निवेशकों के लिए भारत को और आकर्षित बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को स्थिरता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए सरकार के पास सेनवेट योजना का वैट के साथ विलय करने तथा केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत को निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों में स्थायित्व लाने की दृष्टि से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय सरकार सेनवेट योजना के वैट के साथ विलय करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। जहां तक केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने का संबंध है, राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय बिक्री कर वर्ष 2005-06 के दौरान अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रहेगा तथा इस मुद्दे पर अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान चर्चा की जाएगी और तत्पश्चात् अधिकार-प्राप्त समिति सरकार को तद्नुसार सलाह देगी।

जटरोफा की खेती के लिए किसानों को राज सहायता

4584. श्री के.एस. राव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जटरोफा की खेती के लिए विभिन्न राज्यों में उपलब्ध बंजर भूमि अथवा अन्य भूमि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जटरोफा की प्रति एकड़ उपज की औसत लागत तथा उत्पादन कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार बायो-डीजल के उत्पादन के लिए बंजरभूमि में जटरोफा तथा अन्य पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने के लिए किसानों को राजसहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) और (ख) "बायो-डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन" के बारे में दि एनर्जी एण्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी), नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के अनुसार देश में लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर बंजरभूमि जटरोफा की खेती के लिए उपयुक्त है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जटरोफा की खेती की औसत लागत 9120 रुपये प्रति एकड़ होने का अनुमान लगाया गया है। जटरोफा का पौधा, इसके रोपण के तीसरे वर्ष से बीच का उत्पादन करना आरंभ कर देता है और छठे वर्ष में यह पूर्णतः विकसित हो जाता है। एक एकड़ में लगाये गए जटरोफा के पौधों से औसतन पैदावार लगभग 1.20 टन होने की आशा है।

(घ) और (ङ) आरंभ में "बायो-डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन" के अंतर्गत एक प्रदर्शन परियोजना 4 लाख हैक्टेयर

वनीय तथा वनेतर (सरकारी/सार्वजनिक/पंचायत की) बंजर भूमि पर शुरू की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को मजदूरी की लागत को पूरा करने के लिए निधियां केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) से आवश्यक वित्तीय व्यवस्था करके उपलब्ध करायी जाएंगी तथा शेष राशि "बायो-डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन" से केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों में जटरोफा के पौधरोपण के लिए बंजरभूमि का वितरण

क्र. सं.	राज्य	जटरोफा करकास पौधरोपण के लिए संभावित क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल बंजरभूमि की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4396310	84.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	997259	54.42
3.	असम	1456576	72.76
4-5.	बिहार/झारखंड	1860585	88.61
6.	गोवा	39948	65.14
7.	गुजरात	2870890	60.19
8.	हरियाणा	262621	70.33
9.	कर्नाटक	1789081	85.85
10.	केरल	99687	68.84
11-12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ	6619759	94.96
13.	महाराष्ट्र	4855478	90.78
14.	मणिपुर	1262402	97.49
15.	मेघालय	988951	99.85
16.	मिजोरम	407168	100.00
17.	नागालैंड	840410	100.00
18.	उड़ीसा	1888121	88.47
19.	पंजाब	105654	47.41
20.	राजस्थान	5687700	53.84

1	2	3	4
21.	सिक्किम	213368	59.77
22.	तमिलनाडु	1794971	78.00
23.	त्रिपुरा	127593	99.99
24-25.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	1214063	31.31
26.	पश्चिम बंगाल	258254	45.16
	कुल योग	40036849	73.51

भारत दक्षिण अफ्रीका सहयोग

4585. श्री सुग्रीव सिंह: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूगर्भशास्त्र और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु 'भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग' के पास कुछ परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समूह द्वारा अब तक किन परियोजनाओं की पहचान की गयी है; और

(ग) अब तक कार्यान्वित और पूरी की गयी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना की प्रगति कितनी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूविज्ञान और खनिज संसाधनों पर भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कार्य दल ने भूविज्ञान मानचित्रण, धातुजनन, सूक्ष्म-भूकम्पीय तकनीकों, धातुओं के लक्षण-वर्णन और प्रोसेसिंग, जीवाणु निक्षालन, खनिकों के स्वास्थ्य पर तुलनात्मक अध्ययन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कुछ परियोजनाओं की पहचान की थी। दो परियोजनाओं यथा (1) दक्षिणी अफ्रीका और भारत के मध्य कारू फार्मेशंस का स्तरिक सहसंबंध; और (2) प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी/दक्षिणी अफ्रीका का प्रिकैम्ब्रियन क्रस्टल इवोल्यूशन और धातुजनन, के क्रियान्वयन के संबंध में काफी प्रगति हो चुकी है। इन दो परियोजनाओं की रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए क्रमशः मार्च, 2006 और दिसम्बर, 2005 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश

4586. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

डा. चिन्ता मोहन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर 2004 से अक्तूबर 2005 तक विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों में विदेशी निवेश हेतु रियायतों की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कितनी रियायत की अनुमति दी गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कितना विदेशी निवेश किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति तैयार की है और कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर जहां उच्चतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं और/अथवा विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है, अधिकांश क्षेत्रों को 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है।

सरकार ने दिनांक 8 नवम्बर, 2005 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की प्रदत्त

इक्विटी पूंजी में अधिकतम 49% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एस.आर.) की योजना के प्रत्येक ट्रांश में अधिकतम 49% तक निवेश की अनुमति दी गई है। प्रतिभूति प्राप्तियों की प्रत्येक ट्रांश में एकल एफ.आई.आई. द्वारा निवेश निर्गम के 10% से अधिक नहीं होगा।

सतर्कता और निगरानी समितियों की विफलता

4587. श्री राकेश सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जिला और राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन करने की प्रणाली सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त प्रणाली की विफलता के कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) जी, हां। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का अक्तूबर, 2004 में पुनर्गठन किया गया है। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी में संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। राज्य सरकारों/जिला प्रशासनों ने सूचित किया है कि 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 267 जिलों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला स्तर पर कम से कम एक बार पुनर्गठित समितियों की बैठक करवाई है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों को नियमित रूप से बैठक करवाने के लिए लगातार स्मरण कराया जाता है। जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्षों, जो कि संसद सदस्य हैं, से भी जिला स्तर समितियों की नियमित बैठक करवाने का अनुरोध किया जाता है।

[अनुवाद]

ए.टी.एम. मशीन

4588. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक राज्य विशेषतः झारखंड राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल कितनी ए.टी.एम. मशीनें लगायी गयी हैं;

(ख) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पुलिस द्वारा कुछ अपराधियों को जब वे ए.टी.एम. मशीनों पर डाका डालने वाले थे तब पकड़ा गया है;

(ङ) यदि हां, तो ए.टी.एम. मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) देश के प्रत्येक राज्य में किन-कन जिलों में एक भी ए.टी.एम. मशीन नहीं है; और

(छ) देश के प्रत्येक जिले में ए.टी.एम. मशीन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (छ) झारखंड सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार ए.टी.एम. को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। बैंकों के लिए ए.टी.एम. खोलने संबंधी नीति को लचीला बनाया गया है तथा बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लिए बिना ही अपनी पसंद के स्थानों पर ए.टी.एम. खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। सरकार बैंकों को ए.टी.एम. सुविधा देने के लिए किसी क्षेत्र विशेष के निर्धारण के लिए कोई निर्देश नहीं देती है। विद्यमान शाखा प्राधिकार नीति के तहत कम बैंकिंग सुविधा वाले जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा/ए.टी.एम. खोलने पर बल दिया जा रहा है।

ए.टी.एम. के सुरक्षा पहलुओं का ध्यान बैंकों द्वारा ए.टी.एम. स्थलों पर सुरक्षा गार्ड की तैनाती करके रखा जा रहा है। कुछ बैंकों के पास अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपागम नियंत्रण एवं डिजिटल विडियो निगरानी सुविधा भी है। अब तक डकैती के प्रयास की एक दो छुट-पुट घटनाओं की सूचना मिली है। बैंक ए.टी.एम. मशीनों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार का उपाय कर रहे हैं। उन्होंने ए.टी.एम. के संपूर्ण परिचालन को बाहर से भी कराया है तथा सेवा देने वाले कई ए.टी.एम. केन्द्रों पर 24 घंटे शस्त्र रहित सुरक्षा गार्ड प्रदान कर रहे हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के राज्य-वार ए.टी.एम.

	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक	विजया बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
आंध्र प्रदेश	1	266	20	24	1	47	11	52	4	13	29	97	9		35	28	1	6	12	336
अरुणाचल प्रदेश																				2
असम			1			2	1			2		3	1			1	5			72
बिहार	5		6	5		16	3		1		1		14			8	2	1		136
छत्तीसगढ़	1		4			1	3		3			3	11			10		2		92
गोवा		1	4	6		7	3	18	3	1	1	8	2		6	1				21
गुजरात	1	2	116	30	1	11	11	53	62	9	9	27	24		11	39	1		10	209
हरियाणा	3	5	7	6	1	14			5	2	7	20	46		2	4		1	3	74
हिमाचल प्रदेश					1	1							12		1	2		1		19
जम्मू-कश्मीर						1	1			1	2	1	9							20
झारखंड	4		5	3		10					1		6		2	9	3	1		69
कर्नाटक	3	10	25	16	1	159	3	203	8	12	12	41	12		62	25	1	5	33	271
केरल		3	6	6		86	5	47	4	10	11	7	28		28	51	1	2	6	148
मध्य प्रदेश	5		13	7	1	8	13		10		1	22	33		1	34		6	1	198
महाराष्ट्र	5	16	94	94	35	95	25	101	62	29	10	31	51	1	37	86	5	7	13	394
मणिपुर																				4

मेघालय			2																	8
मिजोरम																				
नागालैंड																				2
उड़ीसा	4	8	2	2		4	2			2	4		6			12	3	10	1	182
पंजाब	2		11	6		16			4	2	12	40	14	1		9		1	2	82
राजस्थान	2		40	3		6		7	5	3		12	46			9		5	1	79
सिक्किम													1							8
तमिलनाडु	4	13	29	1		177	3	68	10	142	99	43	22		2	29	2	8	9	322
त्रिपुरा																				7
उत्तरांचल	2		9			2	2		1		2	3	36		1	4		1	1	119
उत्तर प्रदेश	29	8	57	7	1	41	29	58	11	3	15	42	96		10	39	4	6	4	371
पश्चिम बंगाल	10	3	26	22	1	13	9	51	2	14	9	14	11		4	12	66	10	2	276
संघ राज्य क्षेत्र																				
अंडमान एवं निकोबार																				3
चंडीगढ़		3						35	1		1	5	8	1	2	5	1	1	2	31
दमन एवं दीव																				3
दादरा एवं नागर हवेली			1						2											1
दिल्ली	10	13	57	20	1	77	14	108	11	9	28	50	82	2	94	33		6	1	130
लक्षद्वीप																				1
पांडिचेरी		1														1		2		7
कुल	91	346	535	287	45	800	150	801	209	256	258	470	611	5	269	452	102	84	111	3704

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

4589. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र की स्थिति निराशाजनक है जैसाकि दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) विद्युत क्षेत्र में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और सुधार शुरू किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) देश में विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004-05 में 5.2% बढ़ी है।

ताप विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) में विभिन्न वर्षों में एक स्थिर सुधार हुआ है। ताप विद्युत संयंत्र का संयंत्र भार घटक जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 69.9% था बढ़कर वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान 74.8% हो गया है।

यह प्रत्याशा की जाती है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 34024 मे.वा. (लक्ष्य का 82%) क्षमता जोड़ी जायेगी जो कि 9वीं योजना के दौरान 19015 मे.वा. (लक्ष्य का 47.5%) क्षमता अभिवृद्धि की अपेक्षाकृत काफी अधिक है।

विद्युत यूटिलिटियों की वाणिज्यिक हानियों में बढ़ने की प्रवृति को वर्ष 2001-02 के बाद नियंत्रित किया गया है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों में वाणिज्यिक हानियां (बिना सब्सिडी के) जो वर्ष 1992-93 के दौरान 4560 करोड़ रुपये थी बढ़कर वर्ष 2000-01 के दौरान 25259 करोड़ रुपये हो गई है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार यूटीलिटियों की हानियां जो वर्ष 2001-02 में 27068 करोड़ रुपये थी घटकर वर्ष 2003-04 में 20623 करोड़ रुपये हो गई है।

(घ) सरकार ने विद्युत क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए और इसे प्रतिस्पर्धात्मक एवं व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल किए हैं:-

(i) विद्युत कमी को दूर करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाना।

(ii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण पूरा करना।

(iii) तकनीकी हानियों में कमी करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने तथा नकद अनुदान के जरिए नकदी हानियों में कमी करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु वितरण प्रणाली में निवेश के लिए राज्यों को सहायता देने के उद्देश्य से त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)

(iv) उच्च हानियों के स्थान का पता लगाने के लिए ऊर्जा एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग हेतु फीडरों की मीटरिंग एवं उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर जोर। विद्युत चोरी से संबंधित कठोर कानूनी प्रावधान।

(v) ऊर्जा संरक्षण के उपायों का क्रियान्वयन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो की स्थापना की गई है।

(vi) प्रचालन एवं अनुरक्षण पद्धति में सुधार के लिए उत्कृष्टता कार्यक्रम में भागीदारी तथा देश के खराब निष्पादन वाले ताप विद्युत केन्द्रों के संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) में सुधार के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।

[अनुवाद]

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

4590. श्री अर्जुन सेठी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश और विधि आयोग के मंतव्यों पर भी विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, विधि आयोग और सभी पणधारियों के मतों पर विचार किया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद

4591. प्रो. एम. रामदासः क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कुछ अन्य देशों की तुलना में वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा खर्च किया जा रहा है;

(ख) क्या देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए इस पर व्यय को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे;

(ग) ग्रहीय मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है;

(घ) इस मिशन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'मिशन मोड प्रोग्राम' में कितनी प्रगति हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 में अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) पर किया गया खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 0.80 प्रतिशत था। यूनेस्को स्टेटिस्टीकल ईयरबुक 2004 के आधार पर कुछ विकसित/विकासशील देशों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किया जाने वाले अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता दर्शाने वाली तालिका विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां। सरकार द्वारा घोषित "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" में उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास निवेश में बढ़ी हुई भागीदारी के साथ 10वीं योजना के अंत तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निवेश स्तर को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2 प्रतिशत तक किया जाना निहित है।

(ग) चन्द्रायन-I भारत का पहला ग्रह संबंधी मिशन है। चन्द्रायन-I का वैज्ञानिक उद्देश्य चन्द्रमा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी में वृद्धि लाने के लिए दृश्यमान इंफ्रारेड एवं एक्स-रे क्षेत्रों के निकट चन्द्रमा की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और चन्द्रमा की सम्पूर्ण सतह का रासायनिक और खनिज वैज्ञानिक मानचित्रण करना है।

(घ) चन्द्रायन-I द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। अंतरिक्ष यान के विन्यास एवं अभिकल्पन को अंतिम रूप दिया गया है। चन्द्रायन-I के वैज्ञानिक पे लोड यंत्रों को अंतिम रूप दिया गया है। अंतरिक्ष यान (स्पेस क्राफ्ट) का विकास, पे लोड उप-प्रणालियां और गहन अंतरिक्ष नेटवर्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। चन्द्रायन-I को 2007-08 के दौरान भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पोलर सेटेलाइट लांच व्हीकल) से प्रक्षेपित करने की योजना है।

(ङ) भूकंप विज्ञान, बांस अनुप्रयोग, शर्करा मिशन, फ्लाई एश मिशन, प्रौद्योगिकी विजन 2020 परियोजनाओं पर संरक्षण योजना, शिक्षा क्षेत्रक/मिशन रीच कार्यक्रम, निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण प्रौद्योगिकी, आरंभिक चेतावनी प्रणाली, भविष्य के उन्नत प्रक्षेपण यान के लिए प्रौद्योगिकी विकास/उन्नत प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का विकास, सभी मौसमों के लिए सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य विशेषतः दूरस्थ शिक्षण और टेलीमेडिसन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और विकास संबंधी कार्यक्रमों में सुदूर संवेदी प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.एन.आर.एम.एस.) का प्रचालन, जिनोमिक्स, महत्वपूर्ण औषधीय पौधों से नई औषधियों एवं मोलेक्यूल्स का विकास, जैव संसाधन लक्षण निर्धारण और विशेष पारिस्थितिक प्रणालियों से आविष्कार निर्धारण एवं प्रलेखीकरण, जैव ईंधनों का उत्पादन, निदर्शन और परीक्षण, नई पीढ़ी के टीके, खाद्य एवं पोषक सुरक्षा बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप आदि जैसे मिशन मोड कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रगति कर रहे हैं।

विवरण

कुछ विकसित/विकासशील देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय

क्र. सं.	देश का नाम	जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आर. एण्ड डी.	वर्ष
1	2	3	4
1.	अर्जेंटीना	0.39	2002
2.	आस्ट्रेलिया	1.55	2000
3.	आस्ट्रिया	2.21	2002

1	2	3	4
4.	ब्राजील	1.04	2000
5.	कनाडा	2.00	2002
6.	चीन	1.23	2002
7.	क्यूबा	0.62	2002
8.	चेक रिपब्लिक	1.30	2002
9.	डेनमार्क	2.51	2002
10.	मिस्र	0.19	2000
11.	जर्मनी	2.64	2002
12.	फिनलैंड	3.46	2002
13.	फ्रांस	2.27	2002
14.	हंगरी	1.01	2002
15.	भारत	0.80	2002
16.	इजराइल	5.11	2002
17.	इटली	1.11	2001
18.	जापान	3.11	2002
19.	रिपब्लिक ऑफ कोरिया	2.91	2002
20.	पाकिस्तान	0.27	2002
21.	सिंगापुर	2.19	2002
22.	स्पेन	1.04	2002
23.	स्वीडन	4.27	2001
24.	यू.के.	1.88	2002
25.	यू.एस.ए.	2.67	2002
26.	रूसी परिसंघ	1.24	2002
27.	वैनेजुएला	0.38	2002

विद्युत बंटवारे से संबंधित विवाद

4592. श्री महावीर भगोरा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी के दावे पर गौर करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और समझौते में उल्लिखित परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान की हिस्सेदारी के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग ने कोई पृष्ठभूमि टिप्पण तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10 मार्च, 1984 को हुए एक करार में इस बात पर सहमति हुई थी कि आनन्दपुर साहिब हाईडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाईडल प्रोजेक्ट, थेइन डैम प्रोजेक्ट, यू.बी.डी.सी., चरण-2 और शाहपुर कांडी हाईडल स्कीम की बिजली शेयरिंग के बारे में हरियाणा एवं राजस्थान द्वारा किए गए दावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए मामले को न्यायालय भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय की राय लेते समय इस बात का उल्लेख भी किया जाना था कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य, इन हाईडल स्कीमों से उत्पादित विद्युत में हिस्सेदारी के पात्र हैं और यदि वे हैं तो प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना होगा? इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त अभिमत से हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को परिचित कराया जाएगा और इस पर अमल करना उनकी बाध्यता होगी।

यद्यपि मामला उच्चतम न्यायालय को नहीं भेजा गया है तो भी इस मामले के समाधान के लिए 1984 से अब तक कई औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए हैं। वर्ष 1997, 1999 और 2005 में आयोजित उत्तरी अंचल परिषद की बैठकों में भी इन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों के साथ जल शेयरिंग संबंधी करारों को निरस्त करने और पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के अधिनियमन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय की सलाह हेतु मामले को उसके पास भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ) पंजाब के जल विद्युत स्टेशनों में विद्युत शेयरिंग संबंधी पृष्ठभूमि पत्र तैयार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फरवरी, 1999 में एक समिति का गठन किया था और पंजाब सरकार के प्रेक्षकों की अनुपस्थिति में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा अपने दावों के समर्थन में उठाए गए विभिन्न मदों का विश्लेषण करने पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पहले 10-5-1984 के करार का अनुपालन करना सभी संबंधित राज्यों के व्यापक हित में होगा।

मेजिया विद्युत परियोजना

4593. श्री सुनील खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मेजिया ताप-विद्युत परियोजना के लाभ में वार्षिक वृद्धि कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन में कोई कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान मेजिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लाभ में वार्षिक वृद्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	वास्तविक लाभ	लाभ में वार्षिक बढ़ोत्तरी
2001-02	70 करोड़ रुपये	
2002-03	165 करोड़ रुपये	95 करोड़ रुपये
2003-04	260 करोड़ रुपये	95 करोड़ रुपये
2004-05	300 करोड़ रुपये	40 करोड़ रुपये

(ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में निरंतर सुधार की स्थिति रही है। उत्पादन से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य	वार्षिक उत्पादन
2002-03	2840 मि.यू.	3338.5 मि.यू.
2003-04	3200 मि.यू.	4026 मि.यू.
2004-05	4542 मि.यू.	4635 मि.यू.

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

रिपोर्टिंग सिस्टम

4594. श्री निखिल कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों द्वारा संदेहास्पद लेन-देन या 10 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर नया रिपोर्टिंग सिस्टम निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों के लिए नई रिपोर्टिंग प्रणाली से धनशोधन में कितनी कमी आएगी;

(घ) क्या इस नई रिपोर्टिंग प्रणाली से काले धन का पता लगाया जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि कतिपय प्रकार के लेन-देनों की जानकारी वित्तीय आसूचना एकक-भारत (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया) को दें। इनमें 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के नकदी लेन-देन तथा सभी संदिग्ध लेन-देन शामिल हैं। अधिनियम यह भी अधिकार प्रदान करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को फार्मेट पर रिपोर्ट करने की सलाह दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय आसूचना एकक - भारत के परामर्श से रिपोर्टिंग फार्मेट को अंतिम रूप दे रहा है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने संदिग्ध लेन-देनों या 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देनों के मामले में कई नई रिपोर्टिंग प्रणाली निर्धारित नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से अपने नियंत्रण कार्यालयों को नकदी जमाराशियों और 10 लाख रुपये और अधिक के आहरण और साथ ही संदिग्ध प्रकृति के लेन-देनों की अपने तिमाही विवरण में रिपोर्टिंग की प्रणाली लागू करने के लिए कहा हुआ है। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अनुक्रम में यथापेक्षित खातों में लेन-देन का रिकार्ड परिरक्षित किया जाए और इनका रख-रखाव किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन और/या अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिसूचित किसी अन्य प्रकार के लेन-देन की

जानकारी कानून लागू करवाने वाले उपयुक्त अधिकारियों को दी जाए। वर्तमान में बैंक उपर्युक्त प्रकार के लेन-देनों की जानकारी अपने नियंत्रक कार्यालयों को दे रहे हैं।

ग्रामीम अवसंरचना का विकास

4595. श्री उदय सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उपकर से एकत्रित संसाधनों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राशि इस तरीके से जुटायी गयी कुल धनराशि की आधी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान उक्त संसाधनों का राज्य-वार कितना वितरण किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) डीजल पर लगाया गया उपकर केन्द्रीय सड़क निधि में जाता है, जिसका संचालन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के द्वारा होता है। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर का 50% ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए आबंटित किया जाता है।

(ङ) 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (आदिनांक) के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निर्धारित उपकर के अंश की रिलीज का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100.00	88.97	187.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	52.00
3.	असम	170.02	164.52	0.00
4.	बिहार	150.00	29.58	191.12
5.	छत्तीसगढ़	110.00	164.92	230.21
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	44.35	0.00	69.01
8.	हरियाणा	7.99	28.04	20.11
9.	हिमाचल प्रदेश	66.35	12.65	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	20.00	0.00
11.	झारखंड	123.87	0.00	67.96

12.	कर्नाटक	59.00	0.00	140.55
13.	केरल	10.38	10.39	0.00
14.	मध्य प्रदेश	290.90	213.00	295.14
15.	महाराष्ट्र	75.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	18.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	20.78	46.40	0.00
19.	नागालैंड	21.44	18.00	0.00
20.	उड़ीसा	175.00	175.00	97.75
21.	पंजाब	27.35	0.00	48.90
22.	राजस्थान	190.16	451.40	425.14
23.	सिक्किम	20.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	85.00	79.78	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	19.79
26.	उत्तर प्रदेश	335.27	315.00	503.88
27.	उत्तरांचल	70.41	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	270.00	0.00
	कुल	2288.27	2105.65	2349.25

वस्त्र उत्पादन संबंधी समिति

4596. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में वस्त्र उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इकाइयों का विकास और विस्तार हेतु सुझाव मंगाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समितियों की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वस्त्र उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इकाइयों की वृद्धि एवं विस्तार के सुझाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पावर लूम पार्क

4597. श्रीमती सुमित्रा महाजनः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार विद्यमान कितने पावर लूम पार्क हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और पावर लूम पार्कों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पावर लूम पार्कों द्वारा पावर लूम क्षेत्र के कामगारों को प्रादन की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) इस समय सरकार द्वारा निम्नलिखित चार विद्युतकरघा पार्क अनुमोदित किए गए हैं:-

- वैगाई उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, ओंदीपती, तमिलनाडु
- पल्लाडम उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, पल्लाडम, तमिलनाडु
- कावेरी उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, कुमारपल्यम, तमिलनाडु
- हैदराबाद उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, कोठुर, आंध्र प्रदेश

(ख) और (ग) सरकार देश में अपने आप कोई विद्युतकरघा पार्क स्थापित नहीं करती है। तथापि वह अपनी नीतिगत व्यवस्थाओं के माध्यम से विद्युतकरघा/वस्त्र पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इस समय सरकार की दो योजनाओं, नामतः विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए समूह कार्यशाला योजना और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना में वस्त्र उद्योग के लिए उनके वस्त्र/विद्युतकरघा एकक स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था है। पहले की योजना में अधिकतम 80 रुपए प्रति वर्ग फुट तक निर्माण की यूनिट लागत के 25% तक कार्यशालाओं के निर्माण के लिए सब्सिडी का प्रावधान है जबकि दूसरी योजना में 40 करोड़ रुपए की सीमा तक परियोजना लागत के 40% तक अनुदान अथवा इक्विटी के रूप में सरकारी सहायता का प्रावधान है।

(घ) इन पार्कों में मुख्य रूप से कामगारों के लिए कार्य के बेहतर वातावरण की व्यवस्था है।

ग्रामीण बैंकों द्वारा लिया जा रहा ब्याज

4598. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए जा रहे अधिक ब्याज की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर नकद-ऋण सीमा में वांछित वृद्धि हासिल नहीं की जा सकी है;

(ख) क्या ग्रामीण बैंक नकद ऋण सीमा पर ब्याज राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक वसूलते हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वृद्धि हासिल करने के लिए नकद-ऋण सीमा पर ब्याज दर घटाने के लिए ग्रामीण बैंकों से कहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध जानकारी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नकद ऋण सीमा पर ब्याज दर को कम करने का सुझाव नहीं दिया है।

एकीकृत वस्तु और सेवा कर

4599. श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एकीकृत वस्तु और सेवा कर को आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रभावी किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) संविधान के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार माल के विनिर्माण पर कर (के.मू.व.क.) उद्ग्रहण करने के लिए सशक्त है, जबकि राज्य सरकार को राज्य के अन्दर माल के क्रय अथवा विक्रय पर कर (राज्य बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर) उद्ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। केन्द्रीय सरकार द्वारा माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के रूप में लगाया जाता है परन्तु यह संबंधित राज्यों द्वारा

संग्रहीत और विनियोजित किया जाता है। सेवाओं पर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया और संग्रहीत किया जाता है। (कुछ विशिष्ट सेवाओं जिनके लिए राज्य कर लगाने के लिए सशक्त हैं, को छोड़ कर) परन्तु इसे राज्यों के साथ बांटा जाता है। इस प्रकार सभी केन्द्रीय और राज्यों के करों के एकीकृत जी.एस.टी. में एकीकरण के लिए संवैधानिक संशोधन अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, एक एकीकृत जी.एस.टी. की ओर कोई प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्यों से परामर्श करके अनेक मामलों को सुलझाए जाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, निकट भविष्य में एक एकीकृत जी.एस.टी. प्रशासन के कार्यान्वयन की कोई संभावना नहीं है।

जूट बैगों का उपयोग

4600. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अपने खाद्यान्नों और उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए जूट बैगों का कम इस्तेमाल करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या देश में जूट उद्योग को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में जूट बैगों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देश में जूट उद्योग के विकास हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नही। खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए डी.जी.एस. एंड जी. के माध्यम से बी ट्विल बोरों की खरीद में वर्ष 2003-04 में 19.5% की वृद्धि और उनके संबंधित पिछले वर्षों की तुलना में 2004-05 के दौरान 7% की और वृद्धि दर्ज हुई है। केंद्र सरकार उर्वरकों की पैकेजिंग के लिए पटसन बोरों की खरीद नहीं करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार पटसन उद्योग को सुदृढ बनाने के लिए पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे.एम.डी.सी.) और राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केंद्र (एन.सी.जे.डी.) के माध्यम से अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

जे.एम.डी.सी. द्वारा प्रचालित योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना
2. बाह्य बाजार सहायता योजना
3. बाजार विकास योजना

एन.सी.जे.डी. द्वारा प्रचालित योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

1. पटसन सेवा केंद्र योजना
2. पटसन कच्ची सामग्री बैंक योजना
3. बाजार सहायता योजना
4. डिजायन विकास योजना
5. पटसन उद्यमी (पूंजीगत सब्सिडी) सहायता योजना
6. सुक्ष्म वित्त/एन.जी.ओ. सहायता योजना

सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति भी घोषित की है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण तेज करना है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने पटसन बोरों में खाद्यान्न और चीनी की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान (अर्थात् 30-06-2006 तक) दोनों वस्तुओं के लिए जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 के तहत एक आदेश जारी किया है।

वायु सीमा क्षेत्र

4601. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपने वायु सीमा क्षेत्र में व्यापक बुनियादी सुविधाएं और मानव संसाधनों से 150 सीटों वाले यात्री जेट विमानों सहित विभिन्न एरोसिस्टम आरम्भ करने में सक्षम है;

(ख) क्या सरकार का ऐरोस्पेस उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी भागीदारी करके 150 सीटों वाले यात्री जेट को बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। 150 सीटों वाला विमान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण

4602. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री मोहन रावले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से एक मुश्त आसान दरों पर ऋण प्रदान करने और चालू वित्तीय संकट पर काबू पाने में उनकी मदद करने के लिए उनके अवसंरचनात्मक समायोजन ऋणों को विश्व बैंक को अग्रेषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा कितना एक मुश्त अनुदान और अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण (एस.ए.एल.) मांगा गया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में संरचनात्मक समायोजन ऋण (एस.ए.एल.) सहायता की मांग की है। मांगी गई राशि 200 मिलियन अमरीकी डालर से 750 मिलियन अमरीकी डालर के बीच है।

(ग) संरचनात्मक समायोजन ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके तैयार किए गए संशोधित दिशा-निर्देश व्यय विभाग द्वारा 24 अक्तूबर, 2005 को जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों को अब संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने प्रस्ताव भेजने होंगे।

संयुक्त उद्यम द्वारा विद्युत उत्पादन

4603. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे और एन.टी.पी.सी. ने संयुक्त क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे को विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति हेतु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एवं प्रचालन के लक्ष्य से संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रोत्साहित करने के लिए 18-02-2002 को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) और रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया गया था।

इस प्रक्रिया में, उपयुक्त स्थान को चिन्हित करने के लिए चार स्थलों का अध्ययन किया गया था और जांच के पश्चात्, बिहार के औरंगाबाद जिले में नबीनगर स्थल का चयन संयुक्त वेंचर में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए किया गया है। नबीनगर थर्मल विद्युत परियोजना (4x250 मेगावाट) के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट, 2004 में तैयार की गई थी और पर्यावरणीय स्वीकृति सहित सभी मुख्य स्वीकृतियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से प्राप्त हो गई हैं। सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) ने 13-02-2004 को हुई अपनी बैठक में प्रस्तावित नबीनगर टी.पी.पी. के लिए चौथी तिमाही, 2003 मूल्य स्तर के अनुमान से, 5190 करोड़ रुपये के निवेश का सुझाव दिया है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के लिए प्रारूप नोट तैयार किया गया है और रेल मंत्री के अनुमोदन के लिए रेल मंत्रालय को भेजा गया है। रेलवे और एन.टी.पी.सी. द्वारा क्रमशः 51:49 के अनुपात से इक्विटी वित्तपोषित की जाएगी।

(ग) प्रश्न (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मिनिरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

4604. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मिनिरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. (एम.ई.सी.एल.) का कार्य निष्पादन और चालू वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम.ई.सी.एल.) का पिछले तीन वर्षों का कार्य निष्पादन और चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे तालिका में दिए गए हैं।

मद	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06
	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य
वेधन (एम)	200000	119994	165000	172281	165000	173144	170000
विकासात्मक खनन (एम)	5000	3372	5000	3357	6000	7525	6200
बिक्री (लाख रु. में)	6400	4483	6436	6089	6600	7535	6930
ग्रॉस मार्जिन (लाख रुपए में) शुद्ध लाभ/(-) हानि	1070	(-)486	1362	1253	1304	1918	1500
शुद्ध लाभ/(-) लाख रुपए में)	(-) 284	(-) 1758	(-) 222	(-) 249	(-) 340	395	(-) 30

(ख) कम्पनी ने वर्ष 2004-05 के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है लेकिन वर्ष 2002-03 और 2003-04 के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी मुख्यतः पर्याप्त संवर्धनात्मक कार्य की अनुपलब्धता के कारण रहीं।

राजस्व संग्रहण

4605. श्री जी.एम. सिद्दीश्वरः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान कुछ केन्द्रों पर अप्रत्यक्ष करों के राजस्व संग्रहण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम राजस्व संग्रहण के क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर जैसे अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण का संकलन आयुक्तालयवार/मंडल वार किया जाता है। अप्रैल-सितम्बर, 2005 के दौरान उपर्युक्त अप्रत्यक्ष करों का कुल संग्रहण पिछले वर्ष (2004-05) की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 16% (अनंतिम) अधिक था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र क्षेत्र में ठेका श्रमिक

4606. श्री ए.के. मूर्तिः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने वस्त्र क्षेत्र में पट्टे पर ठेका श्रम की अनुमति देने का ठोस मामला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन-बाई सिक्स स्कीम

4607. श्री एस.के. खारवेनथनः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर आधार को बढ़ाने के लिए पूर्व में आरम्भ की गई "वन-बाई सिक्स स्कीम" वर्तमान में चल रही है;

(ख) क्या सरकार ने पूर्व में आरम्भ की गई उक्त मूल योजना में बदलाव किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत कुल कितना कर संग्रहित/उद्ग्रहित किया गया और 31 मार्च, 2005 तक इस योजना के अंतर्गत कर के दायरे में कितने निर्धारिती लाए गए हैं और इस वर्ष के दौरान कितना राजस्व आने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मूलतः छः में से एक योजना के अन्तर्गत टेलीफोन की सेवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, कर विवरणी दाखिल करना अपेक्षित था। वित्त अधिनियम, 2002 के द्वारा कर विवरणी को दाखिल करने की इस अपेक्षा को सेल्यूलर फोन के उपभोक्ताओं तक सीमित करने के लिए उपबंधों को संशोधित किया गया है। इसके पश्चात् वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति जिसने एक वर्ष के दौरान बिजली के उपभोग के लिए पचास हजार रुपए अथवा इससे अधिक का व्यय किया है, के लिए विवरणी दाखिल करने को अनिवार्य बनाने के लिए प्रावधान करने हेतु छः में से एक योजना से संबंधित उपबंधों को पुनः संशोधित किया गया। तथापि, वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा यह प्रावधान करने के लिए इस योजना में भी संशोधन किया गया कि सेल्यूलर फोन उपभोक्ताओं के लिए कर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य नहीं होगा।

(घ) छः में से एक योजना का राजस्व वसूली पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रभाव पड़ता है। इस योजना का प्रत्यक्ष प्रभाव इस योजना के अन्तर्गत विवरणी दायर करने वाले व्यक्तियों से वसूल किए गए कर, यदि कोई हो, से मापा जाता है। चूंकि, ऐसे विवरणी दायर करने वाले व्यक्तियों की आय कराधेय सीमा से कम होती है, अतः इस योजना से कर की कोई प्रत्यक्ष वसूली नहीं होती है। योजना का अप्रत्यक्ष प्रभाव कराधेय आय वाले व्यक्तियों को अपनी विवरणियां दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अप्रत्यक्ष प्रभाव से प्राप्त राजस्व लाभ का अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रत्यक्ष कर में बढ़ोत्तरी हुई है।

ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत गत चार वित्त वर्षों के दौरान आयकर विवरणियां दायर की हैं, की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	"छः में से एक" योजना के अन्तर्गत दायर की गई विवरणियों की संख्या
2001-02	30.59 लाख
2002-03	4.95 लाख
2003-04	0.71 लाख
2004-05	0.61 लाख

काला धन

4608. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन को बाहर निकालने के लिए योजनाओं में कतिपय प्रावधान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार काले धन को बाहर निकालने के अपने उद्देश्य में किस सीमा तक सफल हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) आयकर विभाग काले धन का पता लगाने के लिए कई उपाय करता है। अन्य उपायों के साथ-साथ इनमें उचित मामलों में खोज एवं जब्ती, सर्वेक्षण कार्यवाही एवं विवरणियों की संवीक्षा शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने दो अतिरिक्त कर-अपवंचन रोधी उपायों को लागू किया है। जून, 2005 से, बैंकों से बचत खातों के अलावा अन्य से एक विनिर्दिष्ट राशि से अधिक के आहरण पर "बांककारी नकद संव्यवहार कर" लिया जा रहा है। यह कर एक निश्चित राशि से अधिक के बैंक जमाओं के नकदीकरण पर भी लगता है। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे आयकर विभाग को ऐसे सभी जमाओं की सूचना दें जिन्हें ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्राप्त है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा काले धन को बाहर निकालना आयकर विभाग तथा सरकार के अन्य कानूनों एवं विनियमों द्वारा किए गए मिले जुले प्रयासों का परिणाम है। पता लगाए गए काले धन की राशि के लिए प्रत्येक विधायी प्रावधानों के प्रभाव का पृथक रूप से प्रमाण निर्धारित कर पाना सम्भव नहीं होगा।

तथापि, पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग द्वारा की गई खोज एवं जब्ती कार्रवाइयों के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्न प्रकार से है:-

वित्त वर्ष	जब्त की गई सम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2002-03	515.86
2003-04	231.37
2004-05	202.27

[हिन्दी]

सस्ती दवाइयों का विकास

4609. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने त्वचा रोग, मधुमेह, काटसीनोमा, लिसमेनीयासिस और हैप्टो क्यूरोटिव के लिए आय विकल्पों और सस्ती दवाइयां विकसित करने पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तपेदिक इन्सेफैलाइटिक आदि सहित अनेक रोगों के उपचार हेतु दवाइयों/चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान और विकास, तकनीकी स्वीकृति और वाणिज्यिकीकरण से संबंधित कोई कार्य चल रहा है;

(घ) क्या सरकार ने अनुसंधान के उद्देश्यों के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों को स्वीकार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई. आर.) ने त्वचा रोग (सोरायसिस), मधुमेह और यकृतीय विकारों के लिए हर्बल संरूपणों का विकास किया है, वर्तमान में जिनके क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं।

सोरायसिसरोधी संरूपण: नई सहस्राब्दि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एन.एम.आई.टी.एल.आई.) के अंतर्गत परंपरागत ज्ञान के आधार पर एकल पादपाधारित मुखीय हर्बल संरूपण का विकास किया गया। हर्बल आधारित यौगिक हेतु एक अन्वेषणात्मक नवीन औषधि (आई.एन.डी.) आवेदन देश में पहली बार फाइल किया गया है। चरण-1 संबंधी क्लिनिकल परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

मधुमेहरोधी और यकृत-संरक्षी संरूपण: इन दोनों रोग स्थितियों के लिए मानकीकृत और सु-अभिलक्षणित संरूपणों का विकास किया गया है। यकृत-कोशिकीय संरक्षण हेतु तीन हर्बल संरूपणों का ग्यारह पादपों के इस्तेमाल से विकास किया गया है। मधुमेह हेतु दो संरूपणों का विकास किया गया है। पशुओं पर किए गए प्रयोगात्मक अध्ययनों तथा चलनक्षम मानव भेषज गुणविज्ञान के माध्यम से इन संरूपणों की प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा सिद्ध हुई है। ऐसे चयनित संरूपणों के चरण-II-ख रैंडोमाइज्ड, डबल ब्लाइंड क्लिनिकल अध्ययन किए जा रहे हैं।

नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजना के तहत ट्यूबरकुलोसिस का उपचार करने के लिए एक नए अणु की खोज की गई है। पशुओं पर किए गए अध्ययनों में, इस अशु ने अन्य टीबी रोधी औषधियों के संयोजन से वर्तमान में टीबी के उपचार में लगने वाली छह से आठ माह की अवधि को घटा कर दो से तीन माह तक कर दिया है। इस अन्वेषणात्मक नवीन औषधि (आई.एन.डी.) आवेदन को भारत के महा औषध नियंत्रक द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस अणु के चरण-I के अंतर्गत क्लिनिकल परीक्षण किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार ने 'स्वर्णिम त्रिकोण' कहलाए जाने वाले एक नए कार्यक्रम की शुरूआत की है जिसमें मानकीकृत और मान्यता प्राप्त संरूपणों का विकास करने के लिए परंपरागत औषधीय संरूपणों हेतु आधुनिक चिकित्सा तथा आधुनिक विज्ञान योगदान दिए जाते हैं। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) तथा आयुर्वेद, योग एवं नेचरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग का सहयोगात्मक प्रयास है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) द्वारा कृतिक बल

4610. श्री टी.के. हमजा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने "कृतिक बल" परियोजना गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपनी सभी प्रयोगशालाओं में मुख्य नेटवर्क परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन विकसित परियोजनाओं का लक्ष्य सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाओं में गत वर्षों में विकसित वृहत क्षमताओं को सहक्रियाशील करना तथा उन्हें नेटवर्क मोड में क्रियान्वित करना है। सी.एस.आई.आर. 55 टास्क फोर्स परियोजनाओं का प्रचालन नेटवर्क मोड में कर रहा है। इन परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ नवीनतर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में क्षमताओं की स्थापना करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास इत्यादि के व्यापक स्पेक्ट्रम में प्रौद्योगिकीय तकनीकी जानकारी और रणनीतिक विकल्पों का सृजन आदि करना शामिल है।

रेपो दर

4611. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति अनुपात दर को रोकने के लिए 25 को आधार पाइन्ट मानकर आरक्षित रेपो दर को बढ़ाकर 5.25% कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस कदन से मुद्रास्फीति को रोकने में कितनी मदद मिलने की संभावना है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े कारपोरेट घरानों के लिए कम मूल्य पर ऋण देने वाले बैंकों को चेतावनी भी दी है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की वित्तीय व्यवस्था में अन्य क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) चालू व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं सम्पूर्ण मौद्रिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एल.ए.एफ.) के तहत नियत विपर्यय रैपो दर को 25 आधार बिन्दु बढ़ाया है जो 26 अक्तूबर, 2005 को 5.00 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत हो गया है। रैपो दर का मुद्रा स्फीति दर पर रैखिक प्रभाव नहीं पड़ता है, जो बैंक दर, रैपो दर, नकदी निधि अनुपात (सी.आर.आर.) इत्यादि सहित विभिन्न कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता पर बल देने सहित मौद्रिक नीति की सम्पूर्ण स्थिति, वास्तविक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित नकदी का प्रावधान करने, अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा निवेश मांग को सहयोग देने तथा स्फीतिकारी अपेक्षाओं को स्थिर करने को ध्यान में रखते हुए इन मौद्रिक उपायों को लागू करता है।

(ग) और (घ) लोगों में व्याप्त इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि कंपनियों के लिए ऋण का कम मूल्य निर्धारित किया गया है, जबकि कृषि तथा छोटे एवं मझौले उद्यमों के लिए उधार का अधिक मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, सम्पूर्ण ऋण चक्र में वित्तीय मध्यस्थता के विभिन्न चरणों में लागतों की सुगठित एवं खंड-वार विश्लेषण के माध्यम से ऋण के निर्धारण की वर्तमान कार्य विधि एवं प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) को सलाह दी है कि वे अपने सदस्य बैंकों के परामर्श से बैंचमार्क प्राथमिक उधार दर (बी.पी.एल.आर.) प्रणाली की नये सिरे से समीक्षा करें तथा ऋण के उचित मूल्य निर्धारण के लिए पारदर्शी दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करें।

भारत-जर्मनी की पनधारा प्रबंधन संबंधी द्विपक्षीय परियोजना

4612. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पनधारा प्रबंधन संबंधी भारत-जर्मनी द्विपक्षीय परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत हाईटेक मौसम केन्द्रों और प्रतिनिधि पनधाराओं को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में प्रत्येक स्टेशन और प्रत्येक पनधारा पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र): (क) से (ङ) वाटरशेड प्रबंधन के संबंध में भारत-जर्मन द्विपक्षीय

परियोजना (आई.जी.बी.पी.) नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.) के जल ग्रहण क्षेत्रों के चयनित वाटरशेडों में जलीय तथा तलछट (हाइड्रोलाजिकल एंड सेडिमेन्ट) निगरानी उपस्कर प्रतिष्ठापित करने के मुख्य उद्देश्य से जर्मन संघीय गणराज्य तथा भारत सरकार के बीच जून, 1989 में आरंभ की गई थी। परियोजना के दूसरे चरण के दौरान चयनित निरूपक वाटरशेडों (आर.डब्ल्यू.एस.) में भूमि तथा जल संरक्षण के संबंध में कुछेक आवश्यकता आधारित परिवर्तनात्मक कदम उठाए गए थे। यह परियोजना 30 जून, 2005 तक जारी रही।

भारत जर्मन द्विपक्षीय परियोजना (आई.जी.बी.पी.) के अंतर्गत कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में कार्यान्वित किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कार्यकलाप शुरू किए गए थे:-

(i) 37 तलछट निगरानी केन्द्र स्थापित करना।

(ii) गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में 5 उच्च प्रौद्योगिकी (हाई-टेक) मौसम केन्द्र (एच.डब्ल्यू.एस.) स्थापित करना।

(iii) आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा तमिलनाडु राज्यों में 9 निरूपक वाटरशेडों (आर.डब्ल्यू.एस.) में भूमि संरक्षण उपायों को लागू करना।

(iv) विभिन्न राज्यों में भूमि संरक्षण कार्यक्रमों में कार्य कर रहे लगभग 345 कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित किया गया है और 62 वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारियों को जर्मनी में प्रशिक्षित किया गया है।

इस परियोजना के अंतर्गत अधिकांश सहायता सामग्री के तौर पर विशेषज्ञता तथा प्रशिक्षण के रूप में उपलब्ध करायी गई थी।

विद्युत क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग

4613. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी प्रशासन तिब्बत में जल विद्युत क्षमता का दोहन करने के संबंध में कार्य कर रहा है जिसमें भारत का बड़ी मात्रा में बिजली का विपणन किये जाने की योजनाएं हैं जैसा कि दिनांक 1 नवम्बर, 2005 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) सरकार चीन की तरफ से इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव से अवगत नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच द्वारा आयोजित कार्यशाला

4614. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2005 के दौरान भारत-अमरीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच ने एक कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें विचार-विमर्श हुए लक्ष्यों और मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यशाला में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अवसंरचना कैसी होगी और किया गया बजटीय आबंटन कितना होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। भारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच ने अक्तूबर, 2005 के दौरान 4 भारत-अमरीका संयुक्त कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन में सहायता प्रदान की है। आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की अवधि, स्थान और उद्देश्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. **वस्त्र और आंत्र प्रजीवाणु परजीवी पर संगोष्ठी : एच.आई.वी./एड्स के युग में नई चुनौतियां**

यह 3 से 5 अक्तूबर, 2005 तक कोलकाता में राष्ट्रीय

हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान, कोलकाता और खाद्य सुरक्षा केन्द्र, जॉर्जिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। एच.आई.वी. महामारी के साथ-साथ दस्त रोग, विशेष रूप से वे रोग जो समयानुवर्ती संक्रमणों, क्रिप्टोस्पोरिडायोसिस और माइक्रोस्पोरिडायोसिस सहित प्रजीवाणु परजीवी के कारण होते हैं, प्रबल रूप से घटित होते हैं। इस संगोष्ठी से वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को इस क्षेत्र में हाल की प्रगति की समीक्षा करने, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका में अनुसंधान की स्थिति का मूल्यांकन करने, समयानुवर्ती संक्रमणों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नीतियां तैयार करने हेतु आवश्यक नए नैदानिक और महामारी विज्ञान उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच मिला।

2. **भारत में विज्ञान शिक्षा में वृद्धि करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संसाधनों के उपयोग पर भारत-अमरीका कार्यशाला**

यह 15 से 17 अक्तूबर, 2005 तक औरंगाबाद में होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, मुम्बई और विसकोंसिन विश्वविद्यालय, मैडिसन, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गयी। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारतीय विद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए अंतरिक्ष आधारित संसाधनों के संयुक्त उपयोग के लिए कार्यान्वयन योजना और सेवा प्रदायक प्रणाली तैयार करना था। इस कार्यशाला में संयुक्त राज्य अमरीका में विकसित उन शिक्षा सामग्रियों का उपयोग करने के तरीकों की जांच की गई जिन्हें भारतीय "एडुसैट" कार्यक्रम के अनुकूल बनाया जा सकता है।

3. **क्रियाशील भारी आयन और रार आइसोटोप सहित भौतिकी पर भारत-अमरीका कार्यशाला**

यह 17 से 19 अक्तूबर, 2005 तक चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और नोट्रे डेम विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में पूर्ण गामा-किरण स्पेक्ट्रम विज्ञान; न्यूट्रॉनपूर्ण नाभिकी भौतिकी; कम और मध्यम ऊर्जाओं पर नाभिकीय अभिक्रिया गतिकी, विशेष रूप से कूलंब ऊर्जन और अंतरण अभिक्रिया के साथ रेडियोधर्मी आयन किरण सहित भौतिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है।

4. **नई और मिश्रित सामग्री पर भारत-अमरीका कार्यशाला**

यह 26 से 29 अक्तूबर, 2005 तक कोलकाता में एस.एन. बोस मौलिक विज्ञान केन्द्र, कोलकाता और ओक रिज राष्ट्रीय प्रयोगशाला, संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई। विचार-विमर्श अंतरविषयक था जिनमें मुख्यतः ठोस अवस्था रसायन और सामग्री की भौतिकी के बीच अंतरापृष्ठ पर विचार किया गया। संभावित सहयोग के लिए चुने गये क्षेत्रों में हल्की ऊर्जा, मोनो-ऑक्साइड का विकास और अनुप्रयोग तथा भौतिकी शिक्षा (अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों का आदान-प्रदान) के साथ अनुसंधान के एकीकरण के संदर्भ में आणविक सामग्री शामिल है।

(ग) और (घ) ऐसी कार्यशालाओं का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान करना है तथा इन कार्यशालाओं/संगोष्ठियों से प्राप्त सिफारिशों को उपयोगी समझे जाने पर उन पर संबंधित सहभागी वैज्ञानिकों/संस्थाओं द्वारा उचित एजेंसियों के साथ अनुसरण किया जाता है।

[अनुवाद]

विनिवेश संबंधी श्वेत पत्र

4615. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश संबंधी श्वेत पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पत्र को कब तक प्रकाशित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

मूल्यवर्धित कर (वैट) से राजस्व

4616. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के आरंभिक 6 महीनों के दौरान मूल्यवर्धित कर (वैट) को कार्यान्वित करने वाले राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों ने वैट से प्राप्त राजस्व में वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वैट के लागू होने के समय से मंत्रालय द्वारा संवितरित मूल्यवर्धित कर (वैट) मुआवजे का ब्यौरा क्या है और अप्रैल-अक्तूबर, 2005 के दौरान प्राप्त दावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) मूल्यवर्धित कर को कार्यान्वित करने वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कर राजस्व ने गत वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान लगभग 14.3% वृद्धि दर्शाई हैं, जो गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान इन राज्यों के कर राजस्व की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षाकृत उच्चतर है। यह राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कर राजस्व के अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिनांक 15-12-2005 तक मंत्रालय ने मूल्यवर्धित कर प्रतिपूर्ति के लिए कुल 1598.05 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त किए है जिसमें से कुल 1026.89 करोड़ रुपए के दावे पहले ही निपटा दिए गए है और बाकी दावे प्रक्रिया के अधीन हैं।

विवरण

मूल्यवर्धित कर को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र के कर राजस्व

(रुपए करोड़ों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2004-05 के पहले छः महीनों के दौरान कर राजस्व 2004-05	वर्ष 2005-06 के पहले छः महीनों के दौरान कर राजस्व 2005-06	वृद्धि दर (2004-05 की तुलना में 2005-06)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4897.09	5430.85	10.9%
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.52	17.02	61.8%
3.	असम	602.17	721.35	19.8%
4.	बिहार	815.65	833.77	2.2%
5.	दादर एवं नगर हवेली	35.95	60.86	69.3%
6.	दमन एवं दीव	29.81	47.83	60.4%
7.	दिल्ली	1974.14	2528.66	28.1%
8.	गोवा	223.88	304.27	35.9%
9.	हरियाणा	1824.31	2096.36	14.9%
10.	हिमाचल प्रदेश	249.43	301.32	20.8%
11.	जम्मू-कश्मीर	284.53	340.00	19.5%
12.	कर्नाटक	3414.61	3971.61	16.3%
13.	केरल	2784.21	2890.89	3.8%
14.	महाराष्ट्र	7649.05	8363.64	9.3%

1	2	3	4	5
15.	मणिपुर	13.77	20.16	46.4%
16.	मेघालय	46.90	66.02	40.8%
17.	मिजोरम	6.89	21.58	213.2%
18.	नागालैंड	18.23	24.81	36.1%
19.	उड़ीसा	794.34	1024.52	29.0%
20.	पंजाब	1447.26	2008.74	38.8%
21.	सिक्किम	14.51	20.29	39.8%
22.	त्रिपुरा	64.52	74.02	14.7%
23.	पश्चिम बंगाल	2048.21	2269.15	10.8%
	योग	29249.98	33437.72	14.3%

टिप्पणी: 1. कर राजस्व के आंकड़े अनन्तिम है और महालेखाकार समाधान के दौरान पुनरीक्षाधीन है।

2. कर राजस्व आंकड़े सकल आंकड़े हैं जिनमें गैर-मूल्यवर्धित कर मद से संग्रहण शामिल है।

जूट मिल आधुनिकीकरण कोष

4617. श्री निखिल कुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जूट मिल आधुनिकीकरण कोष से विभिन्न जूट मिलों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जूट आधुनिकीकरण कोष से विभिन्न जूट मिलों को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) जूट मिलों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जूट मिलों की मौजूदा आधुनिकीकरण योजनाओं को सुदृढ़ बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार पटसन मिलों के आधुनिकीकरण और विकास के वास्ते पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए दो योजनाएं नामत: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) और जे.एम.डी.सी. प्रोत्साहन योजना चला रही है। लाभार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन दोनों योजनाओं को हाल ही में कारगर और सुदृढ़ किया गया है। अत: फिलहाल पटसन मिलों की मौजूदा आधुनिकीकरण की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए और अधिक संशोधनों की आवश्यकता नहीं है।

कताई क्षेत्र में क्षमता उपयोग

4618. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित वस्त्र मिल उद्योग के कताई क्षेत्र में क्षमता का उपयोग संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा संगठित वस्त्र उद्योग के कताई/बुनाई क्षेत्र के क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) संगठित वस्त्र मिल उद्योग के कताई क्षेत्र में क्षमता का उपयोग लगभग 87% है जो कि संतोषप्रद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अग्रिम जमा राशि

4619. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी.एफ.आर.-2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निविदाओं में भागीदारों के लिए मद-वार के स्थान पर पूरी निविदा के लिए अग्रिम जमा राशि (ई.एम.डी.) की मांग की जा रही है जिससे छोटे व्यापारी निविदा में भागीदारी से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो केवल मद-वार अग्रिम जमा राशि प्रभारित करने के लिए सरकारी कार्यालयों को निर्देश देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि निविदा प्रपत्र के लिए भारी फीस वसूली जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निविदा प्रपत्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रभार को समाप्त करने हेतु सरकारी कार्यालयों को निर्देश देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.), 2005 के अनुसार छूट प्राप्त श्रेणी, जो कि प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक होती है, को छोड़कर शेष विज्ञापित या सीमित निविदा जांच के सभी मामलों में बयाना राशि बोली लगाने वाले से प्राप्त की जाती है। अग्रिम जमा (ई.एम.डी.) की वास्तविक राशि क्या हो इसका निर्धारण संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है तथा बोली दस्तावेजों में इसे दर्शाया जाता है।

(ग) और (घ) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में निविदा फार्मों की फीस के बारे में कोई खास प्रावधान नहीं हैं तथा निविदा दस्तावेजों की लागत निर्धारित करने का काम खरीदकर्ता/निविदाकर्ता संगठनों पर ही छोड़ दिया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत लंबित प्रस्ताव

4620. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उड़ीसा से संबंधित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) प्रस्तावों को मंजूरी देने की सिफारिश की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सितम्बर, 2005 तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत की गई वास्तविक/वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के लिए 2240.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 9514.74 किलोमीटर लम्बी, 2880 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी है जिससे 4463 बसावटों को लाभ होगा। उड़ीसा सरकार को 974.79 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। अनुमान है कि 3884 किलोमीटर लम्बी, 1402 सड़क कार्यों को पूरा कर लिया गया है और पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत 812.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

[हिन्दी]

अदालतों का कंप्यूटरीकरण

4621. श्री ब्रजेश पाठक:

श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने न्यायपालिका के कंप्यूटरीकरण के लिए पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर अदालतों के लिए ई-समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(च) यदि हां, तो समिति द्वारा इसमें दिए गए सुझावों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ज) सरकार ने भारतीय न्यायपालिका में प्रौद्योगिकीय, संचार और प्रबंधन संबंधी परिवर्तनों के संबंध में सलाह देने के लिए एक ई-समिति का गठन किया है। समिति ने भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना संबंधी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसमें देश की संपूर्ण न्यायिक प्रणाली का 5 वर्षों की अवधि में कंप्यूटरीकरण करने की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 854 करोड़ रुपए की एक राशि को प्राक्कलित किया है। इस परियोजना का शुभारम्भ, 5 अक्तूबर, 2005 को प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया गया था।

[अनुवाद]

आई.टी.एम.एफ. द्वारा अध्ययन

4622. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र निर्माण संघ (आई.टी.एम.एफ.) द्वारा भारत सहित सात देशों का तुलनात्मक विनिर्माण लागत संबंधी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इस अध्ययन के परिणामों को उद्योग द्वारा अपनाए जाना है। तथापि, इस संबंध में आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारतीय वस्त्र उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विवरण-II में दिए गए है।

विवरण-I

(क)

टेक्सचर्ड निटिंग यार्न 2003 की विनिर्माण लागत

(प्रति फैब्रिक यार्ड अमरीकी मिलियन डॉलर में)

लागत तत्व	ब्राजील	चीन	इंडिया	इटली	कोरिया	तुर्की	यू.एस.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रम	0.004	0.003	0.003	0.05	0.017	0.009	0.045
	6%	10%	5%	52%	33%	16%	55%
शक्ति	0.005	0.01	0.012	0.015	0.007	0.01	0.007
	8%	28%	24%	15%	13%	19%	8%
सहायक सामग्री	0.008	0.006	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007
	14%	16%	12%	8%	12%	13%	8%

1	2	3	4	5	6	7	8
मूल्यह्रास	0.018	0.012	0.015	0.019	0.017	0.019	0.019
	31%	35%	31%	19%	33%	36%	23%
ब्याज	0.024	0.004	0.014	0.006	0.005	0.008	0.005
	41%	11%	28%	6%	9%	16%	6%
कुल उत्पादन लागत (प्रति फैब्रिक यार्ड)	0.06	0.04	0.05	0.10	0.05	0.05	0.08
सूची (इटली: 100)	(58)	(35)	(50)	(100)	(50)	(50)	(80)

(ख)

रिंग/ओ.-ई. विविंग यार्न 2003 की विनिर्माण लागत

(प्रति फैब्रिक यार्ड अमरीकी मिलियन डॉलर में)

लागत तत्व	ब्राजील	चीन	इंडिया	इटली	कोरिया	तुर्की	यू.एस.ए.
श्रम	0.02	0.02	0.03	0.23	0.08	0.03	0.17
	10%	7%	11%	49%	28%	11%	48%
शक्ति	0.03	0.05	0.06	0.08	0.04	0.05	0.04
	14%	23%	25%	17%	14%	24%	12%
सहायक सामग्री	0.04	0.04	0.06	0.06	0.09	0.06	0.04
	19%	17%	24%	13%	31%	24%	13%
मूल्यह्रास	0.05	0.09	0.05	0.07	0.06	0.07	0.07
	28%	45%	22%	15%	20%	29%	21%
ब्याज	0.06	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02
	29%	8%	18%	6%	7%	12%	6%
कुल उत्पादन लागत (प्रति फैब्रिक यार्ड)	0.20	0.22	0.24	0.47	0.29	0.24	0.34
सूची (इटली: 100)	(41)	(45)	(50)	(100)	(60)	(51)	(73)

(ग)

रिंग निटिंग यार्न 2003 की विनिर्माण लागत

(प्रति फैब्रिक यार्ड अमरीकी मिलियन डॉलर में)

लागत तत्व	ब्राजील	चीन	इंडिया	इटली	कोरिया	तुर्की	यू.एस.ए.
श्रम	0.01	0.01	0.005	0.13	0.04	0.02	0.11
	6%	10%	5%	54%	34%	17%	56%
शक्ति	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01
	6%	22%	20%	12%	10%	15%	6%
सहायक सामग्री	0.02	0.015	0.1015	0.02	0.02	0.01	0.02
	15%	19%	13%	8%	14%	14%	9%
मूल्यह्रास	0.04	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
	32%	37%	32%	19%	33%	37%	23%
ब्याज	0.06	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01
	41%	12%	30%	7%	9%	17%	6%
कुल उत्पादन लागत (प्रति फैब्रिक यार्ड)	0.14	0.08	0.12	0.24	0.12	0.12	0.19
सूची (इटली: 100)	(59)	(34)	(50)	(100)	(50)	(50)	(80)

(घ)

टेक्सचर्ड विविंग यार्न 2003 की विनिर्माण लागत

(प्रति फैब्रिक यार्ड अमरीकी मिलियन डॉलर में)

लागत तत्व	ब्राजील	चीन	इंडिया	इटली	कोरिया	तुर्की	यू.एस.ए.
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रम	0.03	0.02	0.03	0.29	0.10	0.04	0.22
	7%	5%	9%	34%	27%	9%	30%
शक्ति	0.03	0.06	0.08	0.28	0.05	0.07	0.24
	8%	16%	20%	33%	13%	18%	34%

1	2	3	4	5	6	7	8
सहायक सामग्री	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06
	20%	16%	20%	8%	20%	18%	9%
मूल्यह्रास	0.12	0.20	0.11	0.15	0.12	0.15	0.15
	32%	54%	28%	18%	30%	39%	21%
ब्याज	0.12	0.03	0.09	0.06	0.04	0.06	0.04
	33%	9%	23%	7%	10%	16%	6%
कुल उत्पादन लागत (प्रति फैब्रिक यार्ड)	0.37	0.37	0.39	0.85	0.39	0.38	0.71
सूची (इटली: 100)	(43)	(43)	(46)	(100)	(46)	(44)	(84)

(ङ)

ओ.-ई. निटिंग यार्न 2003 की विनिर्माण लागत

(प्रति फैब्रिक यार्ड अमरीकी मिलियन डॉलर में)

लागत तत्व	ब्राजील	चीन	इंडिया	इटली	कोरिया	तुर्की	यू.एस.ए.
श्रम	0.005	0.005	0.003	0.065	0.02	0.01	0.055
	7%	10%	5%	54%	34%	17%	57%
शक्ति	0.005	0.01	0.015	0.017	0.008	0.01	0.007
	7%	26%	23%	14%	12%	18%	7%
सहायक सामग्री	0.01	0.005	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007
	12%	15%	10%	7%	11%	12%	7%
मूल्यह्रास	0.02	0.015	0.02	0.022	0.02	0.023	0.022
	32%	37%	32%	19%	33%	37%	23%
ब्याज	0.03	0.005	0.02	0.007	0.006	0.01	0.005
	42%	12%	30%	6%	10%	16%	6%
कुल उत्पादन लागत (प्रति फैब्रिक यार्ड)	0.07	0.04	0.06	0.12	0.06	0.06	0.10
सूची (इटली: 100)	(57)	(34)	(50)	(100)	(50)	(50)	(80)

विवरण-II

भारतीय वस्त्र उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

- प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.)** शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग और प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

- संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.)** शुरू की गई है। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

- वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टी.यू.एफ.एस. के तहत 20-4-2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

- लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.) 13-1-2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

- विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च **प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20 प्रतिशत की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना** जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार नै 20% पूंजीगत सब्सिडी योजना-टी.यू.एफ.एस. के तहत मशीनों के लिए पूंजी की सीमा 13-1-2005 से 60 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपये कर दी है।

- वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए जुलाई, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) पर आधारित **"एकीकृत वस्त्र पार्क योजना"** (एस.आई.टी.पी.) नामक एक योजना शुरू की गई है।

- बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाईबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलमेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

- कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 150 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) है। 5 प्रतिशत का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीन मदों पर 5 प्रतिशत ही है।

- बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

- सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2005 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

- निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा **अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (ए.टी.डी.सी.)** को सुदृढ़ बनाने तथा नए ए.टी.डी.सी. खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

- सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

- सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

- **राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट)** की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

- विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

  - अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।

  - देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।

  - देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

रुग्ण लघु उद्योगों को सहायता

4623. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंक तमिलनाडु की रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को उनके पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अभी तक बैंकों द्वारा इन औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तमिलनाडु राज्य में, पिछले तीन वर्षों में रुग्ण एककों की संख्या तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बही खातों में बकाया राशि के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(बकाया राशि करोड़ रु. में)

अवधि	कुल रुग्ण एकक		अव्यवहार्य		संभाव्य रूप से व्यवहार्य		सहायता किए जा रहे व्यवहार्य एकक	
	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया	इकाई	बकाया
2002-03	13517	982.50	13108	935.18	409	47.32	105	16.69
2003-04	8750	810.24	8430	737.37	320	72.87	81	51.17
2004-05	9938	1033.07	9245	932.26	693	100.81	76	46.88

'सारस' का विकास

4624. श्री टी.के. हमजा: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. 'सारस' नामक एक वाणिज्यिक विमान के विकास हेतु एक प्रमुख परियोजना पर काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.एस.आई.आर. ने विमान के विकास में निवेश करने से पूर्व विमान की वाणिज्यिक संभाव्यता का पर्याप्त विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रकार के विमान के बाजार आकार का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी हां। सी.एस.आई.आर. "सारस" नामक बहुउद्देशीय हल्के परिवहन विमान संबंधी मुख्य परियोजना पर काम कर रहा है, इस विमान को 14 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर

लाने-लेजाने हेतु डिजाइन किया गया है, और 30,000 फुट की ऊंचाई तक इसकी अधिकतम क्रूजिंग चाल लगभग 550 किमी/घंटा है। इस विमान में छोटे एवं अर्ध-निर्मित रनवे से तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में भी उड़ान भरने की क्षमता है। इस विमान ने दिनांक 29 मई, 2004 को अपनी प्रथम सफल परीक्षण उड़ान और दिनांक 22 अगस्त, 2004 को औपचारिक आरंभिक उड़ान भरी।

(ग) और (घ) अनेक प्राथमिक बाजार सर्वेक्षण किए गए और नवीनतम सर्वेक्षण दर्शाता है कि फीडर विमान भूमिका में वर्ष 2007-08 तक लगभग 50 विमानों की संचयी मांग प्रत्याशित है। इस अध्ययन के भाग के रूप में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक अलग सर्वेक्षण भी किया गया जिसके अनुसार वर्ष 2005 तक इस क्षेत्र में 18 लघु विमानों की मांग का पूर्वानुमान लगाया गया। कार्गो, एम्बुलेंस, हवाई सर्वेक्षण, एग्जिक्यूटिव विमान तथा सैन्य भूमिकाओं जैसे इसके विभिन्न वर्जनों को ध्यान में रखते हुए अगले दस वर्षों में लगभग 150 विमानों की मांग प्रत्याशित है। भविष्य में सारस की क्षमता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि हाल ही के वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20% से अधिक विकास हुआ है।

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस

4625. श्री बसुदेव आचार्य:

श्री के.एस. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान निजी पार्टियों द्वारा घाटे वाले थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस कारोबार के न चलने के कारण सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को हो रहे भारी आर्थिक घाटे की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार थर्ड पार्टी जोखिम हेतु मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) से तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) मोटर बीमा कारोबार में सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों द्वारा किये गए बीमा के कारण हुए घाटों को कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) आई.आर.डी.ए. ने दिनांक 01-01-2007 से मोटर वाहन बीमा सहित बीमा कारोबार को शुल्क मुक्त करने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धान्त का मसौदा तैयार किया है, जो मोटर वाहन बीमा की बीमा प्रीमियम दरों को प्रभावित करेगा।

(ङ) इस संबंध में सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किया है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका को-ऑपरेशन

4626. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-दक्षिण अफ्रीका को-ओपरेशन भू-विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग हेतु कुछ परियोजनाओं पर काम करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक पहचानी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक किन-किन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है और ऐसी प्रत्येक परियोजना के काम में कितनी प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भूविज्ञान और खनिज संसाधनों पर भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कार्य दल ने भूविज्ञान मानचित्रण, धातुजनन, सूक्ष्म-भूकम्पीय तकनीकों, धातुओं के लक्षण-वर्णन और प्रोसेसिंग, जीवाणु निक्षालन, खनिकों के स्वास्थ्य पर तुलनात्मक अध्ययन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कुछ परियोजनाओं की पहचान की थी। दो परियोजनाओं यथा (1) दक्षिणी अफ्रीका और भारत के मध्य कारू फार्मेशंस का स्तरिक सहसंबंध; और (2) प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वी/दक्षिणी अफ्रीका का प्रिकैम्ब्रियन क्रस्टल इवोल्यूशन और धातुजनन, के क्रियान्वयन के संबंध में काफी प्रगति हो चुकी है। इन दो परियोजनाओं की रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के लिए क्रमशः मार्च, 2006 और दिसम्बर, 2005 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

नालको और एन.एम.डी.सी. के बीच करार

4627. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री तूफानी सरोज:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) और राष्ट्रीय खनिज विकास कारपोरेशन (एन.एम.डी.सी.) ने निकल टेक्नोलॉजी प्रोबिंग प्लांट की हिस्सेदारी के संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नालको ओर एन.एम.डी.सी. का विचार निकल के उत्पादन हेतु कोई संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र को कब तक स्थापित किया जा रहा है; और

(ङ) नालको के गेलियम उत्पादन परियोजना और संयुक्त अनुसंधान परियोजना को पूरा करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन.एम.डी.सी.) ने क्षेत्रीय अनुसंधानशाला, भुवनेश्वर द्वारा विकसित निकिल निष्कर्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के क्षेत्र में सहभागिता एवं सहयोग करने के लिए 29 नवम्बर, 2005 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) नालको गैलियम उत्पादन परियोजना के संबंध में मैसर्स त्याझप्रोमैक्सपोर्ट (टी.पी.ई.), रूस के साथ सहयोग कर रहा है। दोनों पक्ष मैसर्स टी.पी.ई. की प्रयोगशाला में स्पेंट लिकर का परीक्षण करने के लिए "लोजिस्टिकल अरेंजमेंट" तैयार करने के लिए एक-दूसरे से सम्पर्क बनाये हुए हैं। नालको मैसर्स एन.एल.एम./जे.एफ.ई.एस.टी., जापान के साथ भी आयोन एक्सचेंज रेसिन टेक्नोलॉजी-युक्त लिकर इवैल्युएशन परीक्षण के लिए सम्पर्क बनाए हुए है।

नालको की एल्युमिना शोधनशाला के रेड-मड से लौह के निष्कर्षण हेतु मास्को इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टील एण्ड एलॉय (एम.आई.एस.ए.)/रोमेल्ट-सेल इण्डिया लिमिटेड और नालको के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजना के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम.आई.एस.ए./रोमेल्ट-सेल इण्डिया लि. द्वारा नालको को अध्ययन पर आधारित एक तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करने के बाद परियोजना को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

जिनिंग एंड प्रेसिंग एककों का आधुनिकीकरण

4628. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिनिंग एंड प्रेसिंग एककों के आधुनिकीकरण और बाजार अवसंरचना में सुधार से संबंधित मिनी मिशन-III तथा IV को कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत की गई जिनिंग एंड प्रेसिंग एककों और बाजार के विकास का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी सहायता प्रदान की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अच्छी कोटि की कपास की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के लिए और किसानों को लाभप्रद आय प्रदान करने के लिए कपास उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने तथा खेती की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से 9वीं पंचवर्षीय योजन में फरवरी, 2000 में पहले ही कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू कर दिया था।

(ख) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-III के तहत पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	पूरे किए गए बाजार यार्ड
1	2
पंजाब	1
हरियाणा	7
राजस्थान	10
मध्य प्रदेश	5

1	2
गुजरात	16
आंध्र प्रदेश	11
कर्नाटक	6
तमिलनाडु	2
उड़ीसा	–
महाराष्ट्र	–
कुल	68

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लघु मिशन-IV के तहत पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	पूरे किए गए जी एंड पी एकक
पंजाब	4
हरियाणा	–
राजस्थान	–
मध्य प्रदेश	10
गुजरात	182
आंध्र प्रदेश	6
कर्नाटक	3
तमिलनाडु	1
उड़ीसा	2
महाराष्ट्र	85
कुल	293

(ग) कपास प्रौद्योगिकी मिशन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु मिशन-III एवं IV के लिए कुल 110 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत अतिरिक्त आबंटन

4629. श्री सुग्रीव सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में डीजल उपकर में वृद्धि के कारण पी.एम.जी.एस. वाई. हेतु अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजल से संग्रहित उपकर के आबंटन में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त धनराशि का समय पर आबंटन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (घ) डीजल से संग्रहित उपकर केन्द्रीय सड़क कोष में जमा होता है, जिसका संचालन केन्द्रीय सड़क कोष अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के द्वारा होता है। केन्द्रीय सड़क अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर का 50% प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए आबंटित किया जाता है। पी.एम.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों में किए गए निर्धारण के अनुसार राज्यों को निधियों की रिलीज उन्हें पहले रिलीज की गई निधियों के उपयोग के स्तर तथा कार्यों की वास्तविक प्रगति पर निर्भर होती है। उपकर के आबंटन में कोई विलंब नहीं हुआ है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले

4630. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) विभाग के पक्ष में कितने और विरोधी पार्टी के पक्ष में कितने मामलों का फैसला हुआ है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा वकीलों को कितने शुल्क का भुगतान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य उत्पादों का आयात

4631. श्री सुग्रीव सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों को जैव-प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स पायलेट स्तर की सुविधाओं और जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनेक राज्यों को प्रदान की गई ऐसी सलाह और सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उद्यमियों को इससे किस हद तक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने जैव-प्रौद्योगिकी नीतियां बनाने हेतु पृथक विभाग/बोर्ड की स्थापना की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। जैवप्रौद्योगिकी विभाग राज्यों को जैवप्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, पायलट स्तर की सुविधाएं एवं जैवप्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने के लिए आवश्यकता आधारित तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने राज्यों को जैवप्रौद्योगिकी की व्यापार योजना एवं सामर्थ्य तथा किसी राज्य में जैवप्रौद्योगिकी उद्योगों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सलाह प्रदान की है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान विभाग ने विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, झारखंड, उत्तरांचल, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जैवप्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स, पायलट स्तरीय सुविधाएं एवं जैवप्रौद्योगिकी पार्कों को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विकसित करने हेतु तकनीकी सलाह प्रदान की है। विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य में बायोटेक पार्क की स्थापना के लिए 13.475 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। विभाग ने जैवप्रौद्योगिकी पार्कों में इन्क्यूबेटर्स/पायलट स्तरीय सुविधाएं स्थापित करने के लिए पंजाब को 3.57 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 0.50 करोड़, आंध्र प्रदेश को 3.699 करोड़, कर्नाटक को 11.13 करोड़ तथा केरल को 11.00 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है।

(ग) जैवप्रौद्योगिकी पार्कों में अपना व्यापार शुरू करने वाले उद्यमियों को पार्क के अंदर उपलब्ध उपस्करों, पायलट प्लांट जैसी सांझी सुविधाओं तक पहुंच, सूचना केन्द्रों, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन एवं विश्लेषण सुविधाओं, भंडार, गोदाम एवं उपयोगी सेवाओं के रूप में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलते हैं जबकि पार्क के बाहर के उद्यमियों को व्यक्तिगत रूप से ऐसी सुविधाएं स्थापित करनी पड़ती हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने उद्यमियों के लिए बायोटेक नीति एवं विभिन्न व्यापारिक योजना तैयार करने के उद्देश्य से अपने विभाग/बोर्ड स्थापित कर रखे हैं।

कर और बिना कर वाले राजस्व का संग्रहण

4632. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के वर्ष 2004-05 के दौरान बिना कर वाले और कर वाले राजस्व संग्रहण के आंकड़े पूर्ववर्ती वर्ष में इसी अवधि की तुलना में कम रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार के कर राजस्व और बिना कर वाली राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में बिना कर वाले और कर वाले राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आज की तारीख तक राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सभी लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लाभांश का दिशा निर्देशों के अनुरूप भुगतान करें, अन्य गैर कर राजस्व प्राप्तियां बिना किसी चूक के संग्रहीत की जाती है और कम से कम सेवा की लागत वसूलने के उद्देश्य से प्रयोक्ता प्रभारों की भी समीक्षा करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। जहां तक कर राजस्व के संग्रहण का संबंध है, सरकार द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें कर आधार को

व्यापक बनाना, जहां कहीं संभव है छूटों को समाप्त करना, कर प्रशासन को सशक्त बनाना, राजस्व के रिसाव को रोकना, एक बहुमुखी अभियान के माध्यम से कर बकाया की वसूली तथा अनुपालन में सुधार के लिए कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल हैं।

अब तक चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

कर राजस्व:	191105.09 करोड़ रुपये (नवम्बर, 2005 तक) (अनंतिम)
गैर कर राजस्व:	38612.31 करोड़ रुपये (अक्तूबर, 2005 तक) (अनंतिम)

खेलकूद के लिए दान हेतु कर छूट

4633. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) और फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एफ.आई.सी.सी.आई.) के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओलम्पिक स्पर्धाओं की तैयारी के लिए भारतीय उद्योग द्वारा दिए गए दान पर भारी कर छूट देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) एक समझौता ज्ञापन भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) और भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.) के बीच तथा दूसरा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर परिसंघ (फिक्की) और भारतीय खेलकूद प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के बीच हस्ताक्षरित किया गया है।

(ग) यद्यपि दोनों ही समझौता ज्ञापनों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्रीडा एवं खेलकूद हेतु अवसंरचना के विकास के लिए अथवा क्रीडा एवं खेलकूदों की प्रायोजकता के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य संघ अथवा संस्था को दान के रूप में किसी कंपनी द्वारा अदा की गई कोई भी राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ(2)(ग) के तहत कटौती के रूप में अनुमत्य है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय क्रीड़ा निधि को अदा की गई कोई राशि भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ (2)(क)(झ झ झ ज छ) के प्रावधानों के तहत दाता के हाथों में कटौती के लिए पात्र है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर ये प्रश्न नहीं उठते।

दूसरे चैम्बर का सृजन

4634. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को असम सरकार से छोटे जातीय और सामाजिक समूहों को समायोजित करने के लिए विद्यमान असम विधान सभा के अतिरिक्त एक दूसरे चैम्बर (अपर हाउस) का सृजन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) जी हाँ। असम विधान सभा के सचिव ने असम राज्य में द्वितीय सदन के सृजन के पक्ष में विधान सभा द्वारा 25-9-1995 को पारित एक संकल्प अग्रेषित किया था। प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर असम की तत्कालीन पदस्थ सरकार के विचार/टिप्पणियां मांगी थीं और उसे यह सूचित किया गया था कि राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। असम की वर्तमान विधानसभा ने 29 नवंबर, 2005 को हुई अपनी बैठक में, उस राज्य में विधान परिषद् के सृजन का समर्थन करने वाले 25-9-1995 को पारित संकल्प में लिए गए मत को पुनः दोहराते हुए फिर से एक संकल्प पारित किया है

और उसे अपने तारीख 5-12-2005 के पत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार को संसूचित किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी उनके अपने-अपने विधानमंडल में विधान परिषदों को पुनरुज्जीवित/सृजित करने के लिए समान प्रस्ताव भेजे थे। पंजाब सरकार ने वर्ष 2002 में यह सूचित किया था कि उस राज्य के लघु क्षेत्रफल को देखते हुए उस राज्य में विधान परिषद् के सृजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद् के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया था और 16 दिसंबर, 2004 को लोक सभा में आंध्र प्रदेश विधान परिषद् विधेयक, 2004 नामक एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को संसद् के चालू सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

(च) भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, यदि किसी राज्य की विधान सभा उस राज्य में विधान परिषद् को उत्सादित या सृजित करने के प्रभाव वाला एक संकल्प विधान सभा की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले विधान सभा के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करती है तो संसद् विधि द्वारा उस राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन का सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। चूंकि राज्य सरकार को आवश्यक अवसंरचनात्मक व्यवस्थाएं करनी होती हैं और वित्तीय अपेक्षाओं को वहन करना होता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार इस विषय पर आगे और कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श करने का प्रस्ताव करती है।

बाल्को का विनिवेश

4635. श्री चन्द्र शेखर दूबे: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल्को के विनिवेश के पश्चात् प्रबंध नियंत्रण हाथ में लेने के बाद मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा भारत एलुमिनियम कं. लिमिटेड की बधिनभाग इकाई पूरी तरह बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इकाई की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) बाल्को की 3000 एकड़ भूमि सहित मशीनरी व अन्य कच्चे माल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या मै. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने इसका नाम बदल दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने बाल्को के विनिवेश के दस्तावेज, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) को सहमति के लिए प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसकी क्या स्थिति है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको) की बिधान बाग इकाई में उत्पादन कार्य, मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में भारी हानि होने, अत्यधिक स्क्रैप पैदा होने, खराब गुणवत्ता, कमजोर बिक्री वसूली और ग्राहकों द्वारा माल को अस्वीकार करने के कारण 2001 से बंद कर दिया गया है। इकाई की भूमि और मशीनरी बालको के पास ही है।

(ङ) स्टरलाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड ने अपना नाम नहीं बदला है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) बालको में सरकार की 51% इक्विटी की बिक्री पूरी होने के पश्चात् लेखापरीक्षा दल द्वारा मांगी गई संगत फाइलें और दस्तावेज उन्हें सौंप दिए गए थे। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) के कार्यालय ने प्रारंभिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों सहित अपनी निरीक्षण रिपोर्ट का मसौदा 4 अक्तूबर, 2001 को विनिवेश विभाग को टिप्पणी हेतु भेजा था। प्रारंभिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर तत्कालीन विनिवेश मंत्रालय की टिप्पणियां सी. एण्ड ए.जी. को 7 दिसम्बर, 2001 को अग्रेषित की गई थी। सरकार विनिवेश के दस्तावेज सी. एण्ड ए.जी. को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं करती है।

विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम

4636. श्री राम कृपाल यादव:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विदेशी सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसियां मुख्य रूप से गरीबी उपशमन कार्यक्रमों हेतु उनकी परियोजनाओं में सहायता कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार की बिहार हेतु बहु-उद्देशीय सहायता के

लिए विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक को मनाने की कोई योजना तथा रणनीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी. हां। सामाजिक, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण क्षेत्रों में निर्धनता-उन्मूलन संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के अलावा, वे ऊर्जा, अवसंरचना इत्यादि क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को सहायता देते हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के परियोजना-प्रस्ताव, जिन्हें आर्थिक कार्य विभाग संबंधित केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों के अनुमोदन के बाद प्राप्त करता है, योजनागत प्राथमिकताएं और आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय सहायता हेतु विदेशी अभिकरणों को प्रस्तुत किए जाते हैं। परियोजना विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक और अन्य विदेशी अभिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, परियोजना अवधारणा दस्तावेज के पूर्व-मूल्यांकन, तैयारी, मूरल्यांकन, वार्ता और अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरती है। इस प्रक्रिया में इस बात पर निर्भर करते हुए कि परियोजना को किस प्रकार तैयार किया गया है और विदेशी अभिकरणों की उनके संसाधनों के संदर्भ में उनकी समग्र• वचनबद्धताओं को देखते हुए, काफी समय लग जाता है। भारत सरकार विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक तथा अन्य विदेशी अभिकरणों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करती है और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्राप्त करने हेतु सभी राज्यों को प्रोत्साहित करती है।

विवरण

विदेशी सहायता-प्राप्त कार्यक्रम

बिहार में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

1. ग्रामीण उद्योगों के लिए ऊर्जा सेवा, अंगारा, बिहार (0.600 मिलियन अमरीकी डालर) जिसे 13-10-1999 को हस्ताक्षरित किया गया और यू.एन.डी.पी. की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. क्षयरोग नियंत्रण परियोजना (129.36 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 14-3-1997 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

3. मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (128.30 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 30-7-1997 को हस्ताक्षरित की गई और बिहार सहित सात राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

4. एच.आई.वी./एड्स-II (191.00 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 14-9-1999 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

5. खाद्य एवं क्षमता निर्माण परियोजना (54.03 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 29-9-2003 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

6. प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना (230.80 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 19-5-2000 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

7. समेकित रोग निगरानी परियोजना (68.00 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 23-9-2004 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

8. सर्वशिक्षा अभियान परियोजना (500.00 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 3-6-2004 को हस्ताक्षरित की गई और राष्ट्र-भर में कार्यान्वित की जा रही है।

9. तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना बिहार (152.00 मिलियन अमरीकी डालर) : विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना 23-2-1998 को हस्ताक्षरित की गई और बिहार एवं झारखण्ड में कार्यान्वित की जा रही है।

कार्याभिमुखी परियोजना-प्रस्तावों की प्रास्थिति

10. बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (70 मिलियन अमरीकी डालर) : अगस्त, 2005 में प्राप्त हुआ यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2006 में विश्व बैंक के प्रचालन कार्यक्रम में शामिल है।

11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चरण-II (500 मिलियन अमरीकी डालर) : यह बहुराज्य परियोजना दिनांक 8-11-2005 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी।

"आईडेन्टिफिकेशन मिशन" वर्ष 2006 के आरंभ में दौरा करेगा।

12. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (718.99 करोड़ रुपए) : यह बहुराज्य परियोजना दिनांक 7-5-2003 को विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी। परियोजना राज्यों से परियोजना निर्माण एकक (पी.पी.यू.) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

ऋण की वसूली

4637. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या है जिन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए ऋण को वापस नहीं किया है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार ऐसे प्रत्येक देश के पास बकाया मूलधन और ब्याज का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त ऋण की वसूली हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देशों द्वारा अपनायी गयी आर्थिक उदारीकरण की नीति के मद्देनजर उक्त अशोध्य ऋणों को ऐसे देशों के निजी उद्यमों में निवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बकाया देयों का पुनर्भुगतान करना प्राप्तकर्ता देशों की सरकारों का दायित्व है। बकाया देयों के पुनर्भुगतान के मुद्दे को भी, जहां कहीं आवश्यकत हो, समय समय पर प्राप्तकर्ता (सरकारों) के साथ विदेश मंत्रालय के माध्यम से उठाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी सरकारों को दी गई भारत सरकार ऋण शृंखला संबंधी मूलधन एवं ब्याज के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	अतिशोध्य मूलधन	अतिशोध्य ब्याज
1	2	3	4
1.	बंगला देश	114575000.00 आई.एन.आर.	103507488.49 आई.एन.आर.
2.	कम्बोडिया	14602948.00 आई.एन.आर.	142317.82 + अ.डा. 8025614.00 आई.एन.आर.
3.	कजाकिस्तान	3150468.00 अ.डा.	3369147.09 अ.डा.
4.	केन्या	596299.45 आई.एन.आर.	-
5.	किर्गिस्तान	910357.06 अ.डा.	165895.09 अ.डा.
6.	मॉरिशस	44491.20 + अ.डा. 1713294.53 आई.एन.आर.	91074.24 + अ.डा. 936462.35 आई.एन.आर.
7.	म्यांमार	-	2097937.87 अ.डा.
8.	सेशेल्स	23719698.60 आई.एन.आर.	953462.17 + अ.डा. 14959161.38 आई.एन.आर.

1	2	3	4
9.	श्रीलंका	65373824.00 आई.एन.आर.	1361155.86 + अ.डा. 20746826.00 आई.एन.आर.
10.	सूरीनाम	–	16842.54 अ.डा.
11.	तुर्कमेनिस्तान	2765102.00 अ.डा.	2992893.53 अ.डा.
12.	उज्बेकिस्तान	5884768.18 अ.डा.	3160630.75 अ.डा.
13.	वियतनाम	173209000.00 आई.एन.आर.	17977764.98 आई.एन.आर.
14.	यमन	7540519.00 आई.एन.आर.	49475945.00 आई.एन.आर.

भारत और चीन के बीच करार

4638. श्री रशीद मसूद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और चीन के शेयर बाजार के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त करार को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या उक्त करार के अंतर्गत शेयरधारकों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा शेनजेन स्टॉक एक्सचेंज, शेनजेन, चीन ने एक समझौता ज्ञापन किया है।

(ख) से (घ) यह समझौता ज्ञापन, अन्य बातों के अलावा, निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता, विनियामक ढांचे, प्रौद्योगिकी एवं उसके विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं सेमिनारों के संबंध में पक्षकारों के बीच सहयोग एवं सूचना की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ है। समझौता ज्ञापन दोनों में से किसी भी पक्षकार के लिए गैर-आबद्धकारी स्वरूप का है तथा सदैव प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अध्यधीन है। समझौता ज्ञापन दोनों में से किसी पक्षकार को समझौता ज्ञापन के तहत शामिल सूचना या सेवाओं के परिदाय की मांग करने का अधिकार नहीं देता तथा दोनों में से कोई भी पक्षकार किसी भी परिस्थिति में कोई सूचना या सेवाएं उपलब्ध करने में विफलता के लिए दूसरे के प्रति दायी नहीं होगा। समझौता ज्ञापन पहली नवम्बर, 2005 से पांच वर्ष की अवधि के लिए है किन्तु इसे दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी भी कारण से तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

समझौता ज्ञापन दोनों एक्सचेंजों को जोखिम नियंत्रण उपायों, बाजार निगरानी तथा सदस्यता मानक, निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता जैसे मुद्दों के संबंध में बाजार के बेहतर विनियमन हेतु सूचना एवं अनुभव की साझेदारी करने में समर्थ बनाएगा जिससे दोनों में से कोई भी एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज में प्रवृत्त बेहतर पद्धतियों को अपनाने में समर्थ हो जाएगा।

[अनुवाद]

पार्टनरशिप मेट्रिक्स फॉर द डवलपमेंट ऑफ बिहार

4639. श्री राम कृपाल यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने "पार्टनरशिप मेट्रिक्स फॉर द डवलपमेंट ऑफ बिहार" के अन्तर्गत बिहार सरकार को अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक की निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं; और

(घ) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

निवेश संबंधी लाहिरी समिति

4640. श्री अर्जुन सेठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशी निवेश के उदारीकरण के संबंध में सलाह देने के लिए नियुक्त की गई लाहिरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा परामर्श के रूप में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) "विदेशी संस्थागत निवेश प्रवाहों को प्रोत्साहित करने तथा आनुमानिक प्रवाहों के प्रति पूंजी बाजार की संवेदनशीलता पर रोक लगाने" संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट दिनांक 22 नवम्बर, 2005 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करने हेतु रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय की वेबसाईट में सार्वजनिक अनुक्षेत्र में रखा गया है। विस्तृत सार्वजनिक बहस के पश्चात् सरकार रिपोर्ट और अनुशंसाओं पर विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश से अनुरोध

4641. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 18230 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को उक्त पैकेज कब तक देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुरोधित विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

	शीर्ष	अनुरोध की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
1.	ऊर्जा	4650
2.	सिंचाई	1442
3.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क प्राधिकरण	500
4.	एकीकृत ग्रामीण विकास स्कीम	500
5.	ग्रामीण पेयजल	2744
6.	शहरी पेयजल	1350
7.	शहरी शेल्टर	500
8.	प्राथमिक शिक्षा, पोषाहार तथा छात्रवृत्ति	2195
9.	पोषाहार	530
10.	वृद्ध कृषक	103
11.	वनरोपण	566
12.	औद्योगिक विकास	2050
13.	अवसंरचनात्मक समायोजन ऋण-II	1100
	कुल	18230

(ग) और (घ) सरकार ने इस तरह के किसी विशेष आर्थिक पैकेज का अनुमोदन नहीं किया है। राज्य योजनाओं के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा विशेष समस्या/परिस्थितिग्रस्त राज्यों को उनकी प्राथमिकता प्राप्त स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा विशेष योजना सहायता प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए आपवादिक आधार पर मुहैया कराई जाती है।

उत्पाद शुल्क एवं आयकर संग्रहण

4642. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही में समग्र कर

संग्रहण उत्पाद शुल्क और आयकर संग्रहण की अनुमानित वृद्धि से कम है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख क्षेत्रों से संग्रहण में कमी के कारण कुल संग्रहण में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय का इस संबंध में उत्पाद शुल्क के व्यापक क्षेत्र-वार मूल्यांकन हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध के अन्त तक उत्पाद शुल्क और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर संग्रहण में समग्र वृद्धि उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में 22.4% और प्रत्यक्ष करों के संबंध में 34.23% वार्षिक संभावित वृद्धि दर की तुलना में क्रमशः 7.2% और 24.6% थी। सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के लिए अलग-अलग वृद्धि दरें प्रकल्पित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में तेल विपणन कम्पनियों द्वारा अग्रिम कर का भुगतान गत वर्ष की समनुरूपी अवधि के भुगतानों की तुलना में पर्याप्त रूप से न्यूनतर रहा है। जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है, महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनका राजस्व अपेक्षित दर पर नहीं बढ़ा है, वे पेट्रोलियम उत्पाद (आर.डी. तेल को छोड़कर), मशीनरी, टेक्सटाइल, रसायन, प्लास्टिक, सीमेंट, मोटर वाहन और तम्बाकू उत्पाद हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण की और साथ ही विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से निगरानी की जा रही है। चालू वर्ष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए गहन और केन्द्रीकृत लेखा परीक्षा/कर अपवंचन गतिविधियां, निर्बाध बकायों की शीघ्र वसूली, विभागीय अधिकारियों के समक्ष लम्बित मामलों को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने, अधिकरणों/आयुक्तों (अपील) के समक्ष लम्बित महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्रतर निर्णय के लिए उपाय करने के माध्यम से उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

श्रम शक्ति का प्रवास

4643. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम शक्ति के प्रवास से भारत को सर्वाधिक लाभ मिला है जिसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा का विप्रेषण हो रहा है;

(ख) क्या वर्ष 2006 हेल्थ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स (जी.ई.पी.) के अनुसार विश्व भर में 2005 में दिए 232 बिलियन अमरीकी डॉलर विप्रेषण का 10 प्रतिशत भारत को प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या प्रवासी श्रमिकों द्वारा किया गया विप्रेषण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विप्रेषण को बढ़ाने के लिए विदेशों में और श्रम शक्ति को भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) श्रमिकों द्वारा ऐसे विप्रेषण का सकल घरेलू उत्पाद में कुल कितना हिस्सा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) भारत को गैर-सरकारी अन्तरण, जिसमें मुख्यतया कर्मचारियों के विप्रेषण शामिल हैं, 2004-05 में 20.5 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के थे। भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट (2004-05) में यह उल्लेख किया गया है कि विशेषकर 1990 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति के बाद से विप्रेषण में आए उछाल ने भारत को विश्व में सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना दिया है। वस्तुतः विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनोमिक प्रोसपेक्ट्स, 2006 में भी यह दर्शाया गया है कि भारत 2004 में सर्वाधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश था। वर्ष 2004 के दौरान, 225.8 बिलियन अमरीकी डालर के कुल विश्व विप्रेषण में भारत का हिस्सा 9.6 प्रतिशत था। रिपोर्ट में 2005 में जहां कुल विश्व विप्रेषण 232.2 बिलियन अमरीकी डालर दर्शाया गया है, वहीं 2005 के लिए भारत के लिए कोई अनुमान नहीं दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 1990 के दशक के उत्तरार्द्ध से, विप्रेषण भारत के लिए स्थिर विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाह के प्रमुख स्रोत रहे हैं। इन प्रवाहों में बैंकों और डाकघरों के माध्यम से तीव्रतर और लागत प्रभावी धन अन्तरण व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई उपलब्धता के कारण बढ़ोत्तरी हुई है। अधिकांश विप्रेषण जहां बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं, दो योजनाओं अर्थात् धन अन्तरण सेवा योजना (एम.टी.एस.एस.) और रुपया आहरण प्रबन्ध (आर.डी.ए.), जिनसे अधिक सरल और तीव्रतर प्रचालन के फायदे मिलते हैं, ने देश के दूरस्थ स्थानों में विप्रेषण की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।

(ङ) 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में भारत का निजी अंतरण (विप्रेषण) का हिस्सा 3.0 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

पंचायतों का सशक्तिकरण

4644. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय से सरकार को विभिन्न राज्यों की पचांयतों को और अधिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य हेतु सहायता प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कोष के गठन के लिए अनुमति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) जी, हां। पंचायतों को और अधिक शक्ति प्रदान करने हेतु प्रोत्साहन निधि के सृजन का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और इस निधि के परिचालन के तौर-तरीकों को योजना आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आयकर अधिनियम में कमियां

4645. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद् से आयकर अधिनियम की धारा 40 (क) (एल.ए.) में नये नियम की वजह से छोटे निर्यातकों और व्यापारियों द्वारा सामना की जा रही परेशानियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नये नियम के क्रियान्वयन की वजह से छोटे निर्यातक और व्यापारी विशेषत: वस्त्र निर्यातक प्रभावित हो रहे हैं और बन्द होने के कगार पर हैं तथा इससे लाखों कामगार बेरोजगार हो सकते हैं; और

(ग) यदि हां, छोटे व्यापारियों और निर्यातकों की परेशानियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा किये जाने वाले उपाय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40(क)(झ क) के प्रावधानों के तहत अनानुमति तभी प्रभावी होती है जब करदाता स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाता है। धारा 40(क)(झ क) के प्रावधानों को लागू करके विनिर्दिष्ट आयों अर्थात ब्याज, कमीशन अथवा दलाली आदि के करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है क्योंकि इन विनिर्दिष्ट आयों के करदाताओं को स्रोत पर कर कटौती के विभिन्न प्रावधानों तहत विनिर्दिष्ट प्रतिशत के हिसाब से स्रोत पर कर की कटौती कराना पहले ही अपेक्षित है। धारा 40(क)(झ क) स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों की अनुपालना में वृद्धि हेतु वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से पुन: स्थापित मात्र एक प्रवर्तन प्रावधान है। इसलिए यदि किसी विनिर्दिष्ट भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है तथा इसे केंद्र सरकार के खाते में अदा किया गया है तो धारा 40(क)(झ क) के तहत अनानुमति प्रभावी नहीं होती है। इसके अलावा धारा 40(क)(झ क) के प्रावधानों में अंतर्निर्मिति उदार पहलू यह है कि कटौती न किए गए तथा सरकारी खाते में भुगतान न किए गए वर्ष में अनानुमत राशि ऐसे किसी भी वर्ष में अनुमत हो जाती है जिसमें कर काटा जाता है तथा केंद्र सरकार के खाते में अदा किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

(दो) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, टिहरी का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3513/05)

(ख) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3514/05)

(ग) (एक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3515/05)

(घ) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3516/05)

(ङ) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3517/05)

(च) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3518/05)

(2) (एक) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3519/05)

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2005 जो 24 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 686(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3520/05)

(4) (एक) नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल पावर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3521/05)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 681 (अ), जो 23 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निदेशक (लैण्डस्केप) के पद के लिए भर्ती विनियमों में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3522/05)

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3523/05)

(ख) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3524/05)

(2) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3525/05)

(3) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3526/05)

(4) (एक) अप्पारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अप्पारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3527/05)

(5) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3528/05)

(6) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3529/05)

[श्री शंकर सिंह वाघेला]

(7) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3530/05)

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3531/05)

(9) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3532/05)

(10) (एक) सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3533/05)

(11) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3534/05)

(12) (एक) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3535/05)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापतनम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापतनम का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3536/05)

(ख) (एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3537/05)

(ग) (एक) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3538/05)

(2) (एक) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अंतर्गत कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2004-2005 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3539/05)

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3540/05)

(ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3541/05)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3542/05)

(घ) (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3543/05)

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकैनिक्स कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3544/05)

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत

[श्री महावीर प्रसाद]

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3545/05)

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रीनियोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलेपमेंट, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रीनियोरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलेपमेंट, नोएडा के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3546/05)

(4) (एक) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3547/05)

(5) (एक) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3548/05)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं, श्री संतोष मोहन देव की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3549/05)

(2) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3550/05)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3551/05)

(2) (एक) नेशनल सेंटर फार प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3552/05)

(3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3553/05)

(4) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3554/05)

(5) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पोलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पोलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3555/05)

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टॉपिकल मीट्रियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टॉपिकल मीट्रियोलॉजी, पुणे के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3556/05)

(7) (एक) बोस इंस्टिट्यूट कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3557/05)

(8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3558/05)

(9) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

[श्री कपिल सिब्बल]

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3559/05)

(10) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3560/05)

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलाजी, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलाजी, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3561/05)

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएवल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएवल इनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3562/05)

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3563/05)

(2) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3564/05)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3565/05)

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3566/05)

(3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3567/05)

(4) (एक) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कून्नुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कून्नुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3568/05)

(5) उसमें उल्लिखित 24 संस्थाओं के विभिन्न वर्षों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3569/05)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3570/05)

(2) आई.टी.आई. लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3571/05)

(3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत अंतर-संपर्क करार रजिस्ट्रार (प्रसारण और केबल सेवाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005, जो 2 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-20/2005-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3572/05)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3573/05)

(ख) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3574/05)

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3575/05)

(4) (एक) नेशनल ऑयल सीड्स एंड वैजीटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल ऑयल सीड्स एंड वैजीटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3576/05)

(5) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3577/05)

(6) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3578/05)

[हिंदी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. (i) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3579/05)

3. (i) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमैन को-आपरेटिव

लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 3580/05)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 16 - मोहम्मद सलीम।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं माननीय मंत्री से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मद संख्या 16 के अंतर्गत श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद और कोलकाता की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखेंगे। ये प्रमुख संस्थान हैं और जो प्रबंधन संवर्ग इन संस्थानों से बाहर निकलते हैं वे पूरे विश्व में सेवा करते हैं। सरकार को इसका ख्याल रखना चाहिए। यह मात्र औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। अब यह वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लिए आई.आई.एम., अहमदाबाद की वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखने जा रहे हैं। पिछले पांच वर्ष का बैकलॉग है। अधिनियम के अनुसार हमें अब वर्ष 2004-05 के लिए अर्थात् वित्त वर्ष समाप्त होने के 9 माह के भीतर ही वार्षिक रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। यदि ऐसे संस्थान के संबंध में जो कि प्रमुख संस्थान हैं ऐसा होता है तो मंत्री महोदय को ध्यान रखना चाहिए और बैकलॉग समाप्त करना चाहिए। अन्यथा, यह मात्र एक औपचारिकता ही रह जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और हमें यह भी पता चलना चाहिए कि इस समय क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं हो रहा है। मैं पांच वर्ष के बैकलॉग की बात कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही देखा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। इतने भावुक मत बनिये। मैंने कहा है कि यदि कोई विलम्ब दिखाई देता है तो स्पष्टीकरण टिप्पण दिया जाना चाहिए। तब माननीय सदस्य को इसके बारे में पता चलेगा और वह कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अब इस शर्त के अध्यधीन कि आप इसके कारण बतायेंगे, आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): भविष्य में हम ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस बारे में आपको एक स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: हम स्पष्टीकरण वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3581/05)

(3) (एक) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्व-भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3582/05)

(5) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3583/05)

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(6) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3584/05)

(7) (एक) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, जिला शिक्षा कार्यक्रम (सर्व शिक्षा अभियान), भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, जिला शिक्षा कार्यक्रम (सर्व शिक्षा अभियान), भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3585/05)

(9) (एक) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3586/05)

(11) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3587/05)

(13) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3588/05)

(15) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3589/05)

(17) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3590/05)

(19) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आई.जी./एडमिन (जी) स्ट. 9/2004/192 जो 20 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के परिनियम 9क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3591/05)

(20) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3592/05)

(21) (एक) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3593/05)

(23) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), देहरादून के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3594/05)

(24) (एक) गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद्, गांधीनगर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद्, गांधीनगर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3595/05)

(26) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (पश्चिमी क्षेत्र), मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3596/05)

(27) (एक) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन), देहरादून के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद् (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-तीन), देहरादून के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3597/05)

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3598/05)

(29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3599/05)

(30) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3600/05)

अध्यक्ष महोदय: मैं, श्री मो. सलीम को सतर्क रहने के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): श्री ए. नरेन्द्र की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 3601/05)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3602/05)

(ख) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3603/05)

(ग) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3604/05)

(घ) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3605/05)

(ङ) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3606/05)

(2) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी\संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3607/05)

(3) (एक) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3608/05)

(4) 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3609/05)

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) देना बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 जो 24 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./अमेंड/02/2005 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 24 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./अमेंड/03/2005 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3610/05)

(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 716(अ) जो 9 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 20 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 157/2003-सी.शु. को निरस्त करना है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3611/05)

(7) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 11 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आई.आर.डी.ए./रेग्यु./2/2005 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3612/05)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन]

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3613/05)

(ख) (एक) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3614/05)

(2) (एक) कैपेक्सिल (पूर्ववर्ती केमिकल्स एंड अलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैपेक्सिल (पूर्ववर्ती केमिकल्स एंड अलाईड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3615/05)

(3) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3616/05)

(4) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे (सामान्य निधि 2004-2005 और पूल निधि 2003-2004)।

(दो) कॉफी बोर्ड, बंगलोर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सामान्य निधि 2004-2005 और पूल निधि 2003-2004)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3617/05)

(5) (एक) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3618/05)

(6) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट, चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3619/05)

(7) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 3620/05)

(8) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3621/05)

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 3622/05)

अपराह्न 12.05¼ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की वर्तमान सत्र के दौरान हुई 14वीं से 17वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'तेल अन्वेषण - घरेलू और विदेशी परियोजनाएं' विषयक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के निर्यात की समीक्षा' विषयक समिति का दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) 'आदिम जनजातीय समूहों का विकास' के बारे में पूर्ववर्ती श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) (14वीं लोक सभा) के की गई कार्यवाही संबंधी चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाना।

(2) 'जनजातीय कार्य मंत्रालय' की अनुदानों की मांगों, 2004-2005 के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) (14वीं लोक सभा) के की गई कार्यवाही संबंधी छटे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाना।

अपराह्न 12.06¼ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): मैं, 'हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की कार्यदशा' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2005-06) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

---

अपराह्न 12.06½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

पच्चीसवें से अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में उनके 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में उनके 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के संबंध में उनके 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) का 'स्पेक्ट्रम प्रबंधन' के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2005-06)' के संबंध में छठे प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 9वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित (एक) बाट और माप मानक (संशोधन) विधेयक, 2005; और (दो) बाट और माप मानक (प्रवर्तन) संशोधन विधेयक, 2005; के बारे में समिति का 10वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07½ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 22 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये संविधान (104वें संशोधन) विधेयक, 2005 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुरूप, बिना किसी संशोधन के पारित किया।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 22 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अध्यक्ष महोदय: अब श्री शिवराज वि. पाटील सभा में वक्तव्य देंगे। मैं आपको ऐसा करने की अनुमति देता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) तमिलनाडु में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति, राहत कार्य तथा राहत कार्यों के दौरान हुई भगदड़

[अनुवाद]

*गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): तमिलनाडु में 23 अक्तूबर से 4 दिसम्बर, 2005 के बीच भारी वर्षा और बाढ़ के चार दौर आए। जलाशयों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। इससे 22 जिले प्रभावित हुए। चेन्नै शहर में 26-28 अक्तूबर, 2005 के बीच 44 से.मी. से अधिक मूसलाधार वर्षा हुई।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 290 लोगों की जानें गई हैं। लगभग 6 लाख मकानों के पूरी तरह नष्ट हो जाने की सूचना है। 3.88 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार ने सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, दूर-संचार और सार्वजनिक भवनों सहित आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान होने की भी सूचना दी है।

राज्य सरकार ने 22 प्रभावित जिलों में 1349 राहत शिविर लगाए थे जिनमें लगभग 7.94 लाख परिवारों को रखा गया था। भारत सरकार ने संभारकीय और वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद की।

तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें तत्काल राहत अभियान चलाने के साथ-साथ दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए सहायता की मांग की गई है।

भारत सरकार ने 500.00 करोड़ रुपये की दो किश्तों में तदर्थ आधार पर 1000.00 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता जारी की है। जहां तक दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण का संबंध है, राज्य सरकार से भारत सरकार के विचारार्थ विस्तृत सेक्टर-वार योजनायें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

18 दिसम्बर, 2005 को चेन्नै शहर में राहत केन्द्र में भगदड़ की एक घटना हुई थी। 18 दिसम्बर, 2005 को सुबह 9.00 बजे से अरिगनर अन्ना कारपोरेशन हाई स्कूल, एम.जी.आर. नगर, चेन्नै में अनेक प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए टोकन वितरित किए जाने थे। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उस दिन लगभग 4,000 व्यक्ति सुबह तड़के से ही अरिगनर अन्ना कारपोरेशन हाई स्कूल के गेट के सामने एकत्र हो गये थे। पूर्वाह्न लगभग 3.45 बजे अचानक हुई भारी वर्षा के कारण लोग, पुलिस प्रतिबंधों की परवाह किए बिना गेट को एक तरफ धकेल कर राहत केन्द्र में घुस गये। इस धक्का-मुक्की और भगदड़ में 42 व्यक्ति मारे गये और 37 व्यक्ति घायल हो गये। 12 पुलिस कार्मिक भी घायल हुए।

राज्य सरकार ने इस घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को 1.00 लाख रुपये की राशि तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 हजार रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच करवाने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस घटना से हमें वास्तव में अत्यंत दुःख हुआ है।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य सरकारों को भारत सरकार हर संभव वित्तीय और संभारकीय सहायता निरन्तर उपलब्ध करवाती रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भगदड़ से हुई मौतों के संबंध में यह जांच आरंभ कराने के पश्चात् क्या किया? इन्होंने कलेक्टर और उपायुक्त का स्थानांतरण किया और एक जांच आयोग का आदेश दिया है। इसके बाद डी.एम.के. के एक काउंसलर को भी हिरासत में लिया गया है। वे डी.एम.के. पार्टी पर दोषारोपण करके अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: केन्द्र सरकार इसमें कुछ भी कैसे कर सकती है?

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से सी.बी.आई. द्वारा इसकी जांच कराने के लिए कह रहा हूं। वे केन्द्रीय निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, यहां राज्य के स्थानीय मामलों को न लाएं। इस मामले पर आपकी टिप्पणियों को पहले ही रिकार्ड कर लिया गया है?

श्री ए. कृष्णास्वामी: हम केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी निधियों की निगरानी चाहते हैं। हम सी.बी.आई. से इसकी जांच कराना चाहते हैं। डी.एम.के. के एक पार्षद (काउंसलर) श्री धनशेखरन को गिरफ्तार किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे किसी राज्य की विधानसभा न बनाएं।

---

*ग्रन्थालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3623/05

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, पुलिस आयुक्त टी.वी. चैनलों के सामने डी.एम.के. पार्टी के विरुद्ध झूठे आरोप लगा रहे हैं। पुलिस आयुक्त के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री कृष्णास्वामी, बहुत हो चुका।

श्री ए. कृष्णास्वामी: वे केन्द्र सरकार की निधियों का पूर्णतया दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इस मामले में एक निगरानी समिति और सी.बी.आई. जांच की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत गलत बात है। नहीं, आप उत्तर नहीं देंगे। यदि आप पूरी सभा को अपनी इच्छानुसार ही चलाना चाहते हैं तो माननीय मंत्री जी को भी इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे उठाने का भी एक तरीका है। आप अध्यक्षपीठ की अनुमति लेने का कष्ट भी नहीं उठाना चाहते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपमें अध्यक्षपीठ के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान प्रकट करने की इच्छा नहीं है। क्या आप सभा को अपनी इच्छा से चला सकते हैं? मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार/अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत - इसे देखेगी और माननीय मंत्री जी इसके लिए आश्वासन दे चुके हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे किसी राज्य की विधानसभा मत बनाइए।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** श्री शीश राम ओला की ओर से, मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश के अनुसार, कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट में शामिल खान मंत्रालय से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की नौवीं रिपोर्ट लोक सभा में 26-4-2005 को प्रस्तुत की गई है जो खान मंत्रालय के वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों से संबंधित है। समिति की सिफारिशों पर की गई कर्रवाई रिपोर्ट समिति कार्यालय को दिनांक 19-9-2005 पहले ही भिजवाई जा चुकी है। समिति की रिपोर्ट में 18 सिफारिशें हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है।

की गई कार्रवाई के कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध-I में दी गई है जिसे सदन पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 127वें और 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** महोदय, मैं जैव-प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 127वें और 141वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.11 बजे

(चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** मैं,

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3624/05

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3625/05

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3626/05

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पी.एस.सी.) की एक सौ चालीसवीं (140वीं) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य लोक सभा बुलेटिन-भाग-II, दिनांक 01 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अनुसरण में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश पर दे रहा हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी स्थायी समिति ने राज्य सभा में 25 अप्रैल, 2005 को अपनी एक सौ चालीसवीं (140वीं) रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की एक सौ चालीसवीं रिपोर्ट में कुल 19 सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को दी गई थी। कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण भी सभा पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.12 बजे

(पांच) विज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73ए के अनुसरण में दे रहा हूं ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के एक सौ बयालीसवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सदन को अवगत करा सकूं। यह प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) की अनुदान मांग पर विचार करने से संबंधित है। इस समिति ने संदर्भाधीन अवधि के दौरान डी.एस.आई.आर. द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांग (2005-2006) पर विस्तारपूर्वक विचार किया।

इस समिति ने डी.एस.आई.आर. की कार्य-प्रणाली की समीक्षा और विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते हुए इस विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में इन अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्संबंधी एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन दिनांक 25 अप्रैल, 2005 को सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 18 संस्तुतियां हैं जिनमें से कुछ सलाहस्वरूप हैं। अन्य संस्तुतियां मुख्यतः निम्नवत से संबंधित हैं:-

- आम आदमी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार;
- सु-प्रशिक्षित वैज्ञानिकों तथा युवा प्रतिभाओं के लिए अवसरों में सुधार की आवश्यकता ताकि वे नवोन्मेषी अनुसंधान कर सकें, राष्ट्र के स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विज्ञान का अनुप्रयोग करने हेतु भावी पीढ़ी को शिक्षित कर सकें;
- परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा;
- किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ के लिए जेट्रोफा करकस से जैव-ईंधन का समय पर वाणिज्यीकरण;
- पृथ्वी के डायनेमो ऐक्शन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलाप करना और पृथ्वी को बेहतर रूप से समझने के लिए इसके अंदरूनी भाग कीं जिओन्यूट्रिनो पिक्चर।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा समिति की सभी अट्ठारह संस्तुतियों पर विचार किया गया है। इस विभाग ने इन संस्तुतियों से संबंधित की गई कार्रवाई विषयक विस्तृत रिपोर्ट इस समिति को अगस्त, 2005 में प्रस्तुत की है। इस समिति द्वारा आगे और टिप्पणियां की गई थी। इस विभाग ने नवंबर, 2005 में प्रस्तुत की गई कार्रवाई विषयक संशोधित टिप्पणी के माध्यम से इन टिप्पणियों का उत्तर दिया है। की गई कार्रवाई संबंधी ताजा स्थिति का विस्तृत ब्यौरा विवरण में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3627/05

अपराह्न 12.13 बजे

(छह) महासागर विकास विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): मैं,** महासागर विकास विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 143वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन भाग-II द्वारा जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश सं. 73 'क' के अनुसार विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति की 143वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में माननीय सदन को विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। यह रिपोर्ट महासागर विकास विभाग की वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों पर विचार से संबंधित है। समिति ने महासागर विकास विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों पर विस्तार से विचार किया।

2. समिति ने महासागर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा तथा उनकी विस्तृत अनुदान मागों पर विचार करते हुए विभाग के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और इस पर सदन में 25 अप्रैल, 2005 को अपनी 143वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 31 सिफारिशें की गई जिनमें 6 सिफारिशें पर्यावरण तथा वन से संबंधित है जिन्हें इन पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए वहां भेज दिया गया है।

3. समिति की सभी सिफारिशों पर महासागर विकास विभाग में विचार किया गया है। विभाग ने इन सिफारिशों पर 'की गई विस्तृत कार्रवाई' अगस्त 2005 में समिति को प्रस्तुत की है। समिति ने इन पर अनुवर्ती टिप्पणियां की हैं। विभाग ने इन टिप्पणियों पर अपना जवाब की गई संशोधित कार्रवाई संबंधी नोट के जरिए नवंबर 2005 में प्रस्तुत किया था। की गई कार्रवाई पर वर्तमान स्थिति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है, जिसे सभापटल पर रख दिया गया है।

---

*ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3628/05

अपराह्न 12.14 बजे

(सात) वित्त संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता):** मैं, वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, अब शून्यकाल होना चाहिए, मुझे सभा में एक महत्वपूर्ण विषय उठाना है।

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, मुझे पता है कि आपके द्वारा उठाया गया हर विषय महत्वपूर्ण होता है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों को केवल महत्वपूर्ण विषय ही उठाने हैं, परन्तु मैंने पहले ही श्री पी.सी. थामस को समय दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: समय का अभाव है, श्री पी.सी. थामस कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): देश में किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। पिछले हफ्ते ही मेरे राज्य में दो आत्महत्याएं हुई हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने केरल के तोडुपुझा में गांधी अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित विशाल कृषि मेला अथवा किसान मेले का उद्घाटन करते हुए देश में द्वितीय हरित क्रान्ति का आह्वान किया। कृषि में आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए।

अभी तथा बजट प्रस्तुत करने तक इस पर चर्चा करने के लिए समय नहीं होगा। मैं भारत सरकार से तथा वित्त मंत्रालय से भी यह आग्रह करता हूं कि अनुदान अथवा कृषि के लिए दी जाने वाली निधि को दुगना किया जाए तथा आधुनिक तकनीक, साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि देश में द्वितीय हरित क्रान्ति लायी जा सके। ऐसा करके उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है तथा किसान समुदाय

---

*ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 3629/05

को देश में हो रही आत्महत्याओं से बचाया जा सकता है। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान हाल ही में केरल में हुई दो आत्महत्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल चार सदस्यों को अनुमति दूंगा।

श्री चंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा नोटिस दिया गया है परन्तु वे उपस्थित नहीं हैं।

डा. अरुणा कुमार शर्मा: उपस्थित नहीं हैं।

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे, लोगों के लिए कार्डों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर केन्द्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बी.पी.एल. कार्ड वितरण करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उच्चतम न्यायालय ने बी.पी.एल. कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है जिसके परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिल रहे हैं। हमारे देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इनमें से अधिकांश लोग अथवा जनसंख्या के काफी हिस्से के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिल रहा है। वे अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है।

महोदय, केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही रोक हटवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास मंत्री हाल ही में उनसे मिले थे और इस समस्या पर चर्चा की थी। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जो कि यहां उपस्थित हैं, से जानना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि भारी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं तथा वे अंत्योदय अन्नपूर्णा जैसी योजना के लाभों से वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं माननीय मंत्री महोदय, जो कि यहां उपस्थित हैं, से आग्रह करूंगा कि वे इसका उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यदि वे उत्तर देते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: जनसंख्या का काफी हिस्सा इस समस्या का सामना कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न काल नहीं है। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य: जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा इस लाभ से वंचित है।

अध्यक्ष महोदय: जब तक आप अपनी बात पूरी नहीं करते मुझे नहीं पता वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी यहां मौजूद हैं। आज सत्र का अंतिम दिन है। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और मंत्री जी यहां मौजूद हैं। मंत्री जी बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, मंत्री जी रिस्पांड करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करते मैं ऐसा नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी मुझे लगता है कि आप सभा में बात कहने की परम्परा भूल चुके हैं माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं हैं। मैं कह रहा हूं कि यह प्रश्न काल नहीं है, इसलिए

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। यह उन पर निर्भर करता कि वे उत्तर दे अथवा नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जब तक मैं यहां हूं आपके जोर से चिल्लाने मात्र से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको इच्छा जाहिर करनी है। महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। परन्तु आपको सहयोग करना होगा और सभा के प्रति तथा देश के लोगों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना होगा आप चिल्ला कर शोर उत्पन्न कर रहे हैं। यह पूर्णतः मंत्री महोदय पर निर्भर है।

मंत्री जी आप उत्तर देने के इच्छुक हैं? मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं।

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): जी, हां महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे बाध्य न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मेरी अनुमति के बिना किसी प्रश्न का उत्तर न दें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने ठीक सवाल उठाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पी.आई.एल. के अधीन निदेश दे रखा है कि पहले से बी.पी.एल. में जो नाम हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। लेकिन उसमें जिनका नाम छूटा हुआ है, उनका नाम जोड़ने और फ्रेश सूची बनाने के लिए बी.पी.एल. सर्वे 2002 के प्रकाशन में कठिनाई हो रही है। माननीय सदस्य ने गलत कहा है कि सैंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की है। हमने तीन बार प्रार्थना की है और सॉलिसिटर जनरल, एडीशनल सॉलिसिटर जनरल के साथ विचार-विमर्श किया है। हाल ही में, चार-पांच दिन पहले इसकी तारीख थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आठ सप्ताह का समय दिया है। इसके बावजूद भी हमने तमाम राज्य सरकारों को कहा है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका नाम छूटा हुआ है, उन नामों को जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है इसलिए नाम जोड़ने का काम शुरू होना चाहिए। सभी का पारदर्शी और सार्वजनिक तौर पर बी.पी.एल. सूची में नाम दर्ज किया जाना चाहिए, कंप्यूटराइज्ड किया जाना चाहिए, किताब में लिखकर प्रकाशित होना चाहिए और किसी भी गरीब का नाम बी.पी.एल. लिस्ट में नहीं छूटना चाहिए। जो वास्तव में गरीब हैं, उनका नाम बी.पी.एल. लिस्ट में लिखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो सबसे गरीब हैं उनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिएं। इस तरह से क्रमवार नाम लिखा जाए जिससे इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब बैनिफिशरीज लाभ उठा सकें और इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित न हो सकें। राज्य सरकार का सहयोग और तमाम माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए ताकि देश में कोई भी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का नाम न छूटे। उनके नाम इसमें जुड़ जाएं और क्रम में आ जाएं जिससे गरीब आदमी को बी.पी.एल. में जो लाभ और सुविधाएं मिलने वाले हैं, उन सभी का वह लाभ उठा सके।

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में विगत चार वर्षों से लगातार सूखा तथा अकाल पड़ने से फसलों का उत्पादन नहीं हो पाया। फिर भी किसानों ने जहां पानी उपलब्ध था बिजली के भरोसे रबी की बुवाई कर दी। फसलों की पिलाई हेतु बिजली बहुत आवश्यक है अन्यथा लाखों किसानों की मेहनत और बोई हुई फसलें बरबाद हो जाएंगी।

राजस्थान को इन दिनों भयंकर विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। आर.ए.पी.पी. की पहली इकाई पहले ही बंद है। दूसरी इकाई से भी पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है। तीसरी और चौथी इकाई द्वारा उत्पादित पूरी बिजली राजस्थान को नहीं मिल पा रही है। कोटा थर्मल पावर की एक इकाई भी अब तक बंद हो गई है। परिणामस्वरूप 45 लाख यूनिट की कमी आ गई है। जल विद्युत के उत्पादन में भी चम्बल की एक नहर के टूट जाने से 25 लाख यूनिट की पहले से भी कमी चल रही है। पड़ोसी राज्यों से 61 लाख यूनिट की खरीद के बावजूद व राजस्थान सरकार के पूरे प्रयत्नों के बावजूद भी संकट दूर नहीं हो पा रहा है।

उधर उत्तर ग्रिड की हालत भी ठीक नहीं चल रही है। पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। 5-6 घंटे लगातार बिजली कटौती होने पर भी स्थिति संभल नहीं पा रही है। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के किसानों को संकट से उबारने तथा करोड़ों की लागत की फसलों को बचाने के लिए अविलम्ब नेशनल ग्रिड से आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध करवाई जाए तथा कोटा एवं रावतभाटा की इकाइयों को भी शीघ्र ठीक करवाया जाए ताकि पूरी बिजली उत्पादित हो सके। स्थायी हल पाने के लिए मेड़ता (नागौर) के पास मीरा नगर में जो कोल

इंडिया लि. के ट्यूबवैल कोयले की सतह तक खुदे हुए हैं उनसे गैस निकाल कर "अंडर ग्राउंड कोल गेसिफिकशन" से विद्युत उत्पादन करने हेतु कोल इंडिया लि. को केन्द्र सरकार बाध्य करे ताकि उस गैस से विद्युत उत्पादन हो सके जिसकी विधि मैं सदन में बता चुका हूं।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, मैंने जीरो ऑवर के महत्वपूर्ण विषय के लिये नोटिस दिया हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों अब हम मद संख्या 34 लेंगे - श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्ताव। उनके प्रस्ताव करने से पूर्व क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्थान ग्रहण करें। यह अत्यंत गम्भीर विषय है मैंने विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपको अनुमति दी थी, परन्तु आप सभा में उपस्थित नहीं थे। आप मनमाने ढंग से अपनी बात नहीं कह सकते।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर महत्व का विषय है। मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आपको पहले उठकर कहना चाहिये था, ऐसा नहीं होता कि जब आप खड़े हो जायें, आपको टाइम देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आज का दिन न तो पीठासीन अधिकारी के लिए और न ही पूरी सभा के लिए कोई खुशी का दिन है। लेकिन कभी-कभी इस सभा को अपना तथा इस राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। मैं इसके गुण-दोष के बारे में एक शब्द भी नहीं कर रहा हूं। यह निर्णय करना पूर्णतः इस सभा का कार्य है। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से सभा में हर पक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सभा में उचित वातावरण में या तरीके से चर्चा हो ताकि हमारी प्रतिष्ठा जिस पर पहले से ही काले बादल छाए हुए हैं, और प्रभावित न हो। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात कहें और मैं समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जहां तक संभव होगा, सभी को समायोजित करने की कोशिश करूंगा। इसलिए, मुझे विश्वास है कि मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अच्छा, बोलिये, आपको क्या बोलना है लेकिन मैटर पर बोलिये। यह कोई सही तरीका नहीं है। आप एक वरिष्ठ सदस्य है। आपके लिए मेरे मन में सम्मान है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21-12-05 की आधी रात में पुष्पक एक्सप्रेस में बलात्कार और लूटपाट हुई है, इससे रेल मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी सारी घोषणायें खोखली साबित हो गईं इसलिये, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेकिन मंत्री जी यहां नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये - यही आवश्यक नहीं है कि सभी माननीय मंत्री उपस्थित रहेंगे आप मेरे माध्यम से कहिये।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुष्पक एक्सप्रेस की दुर्घटना अपने आप में एक अनोखी घटना है। उस समय जी.आर.पी. के दो जवान मौजूद थे। महिलायें और लोग बिलखते रहे लेकिन उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई और अब कहा जा रहा है कि उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इस सरकार के राज में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसलिये घटना की गम्भीरता को देखते हुये तुरन्त कार्यवाही की जाये।

अपराह्न 12.29 बजे

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक अनुपूरक कार्य-सूची है। श्री प्रियरंजन दास मुंशी एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 23-12-2005 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

कुछ सदस्यों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने हेतु समिति की रिपोर्ट के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कुछ सदस्यों पर लगाए गए अनुचित आचरण के आरोपों की जांच के लिए 12 दिसम्बर, 2005 को गठित समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान देते हुए इस समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कौल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने बहुत सही कहा है, कि य० बहुत ही दुःखद समय है। जब मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं बहुत ही दुःखी महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस सभा के सदस्य के रूप में तथा इस सदन के नेता के रूप में मैं अपने पहले कार्यकाल में इस प्रकार का कष्टदायक कार्य कर रहा हूं जिसे मुझे सौंपा गया है।

कई वर्ष पूर्व 27 जून, 1947 को, जब बहुत से माननीय सदस्यों का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब मैं एक नवयुवक था - एक व्यक्ति नहीं वल्कि एक युवा विद्यार्थी था जब हाऊस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था तब तत्कालीन विरोधी दल के नेता, सर विनस्टन चर्चिल, ने स्वतंत्रता विधेयक का विरोध किया था और कहा था कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक ध्वस्त हो जाएगी क्योंकि वहां संसदीय प्रणाली टिक नहीं पाएगी। उसके ग्यारह साल के बाद एक अन्य प्रधानमंत्री, सर एन्टॉनी इडेन, ने भारतीय संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अपनी स्वतंत्रता के 3 वर्षों के भीतर ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, भारत अपनी संविधान सभा में संविधान का अधिनियमन करते हुए अपनी क्षमता को साबित कर सकता है क्योंकि, मैं उद्धृत करता हूं "इसने पिछड़े लोगों के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के लिए एक व्यापक मैग्नाकार्टा बनाया है"

मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस विषय पर माननीय सदस्य विचार करने जा रहे हैं वह बहुत ही संवेदनशील है और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो कार्य हम निष्पादित करने जा रहे हैं इसके साथ-साथ संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा, जो जिम्मेदारी हम पूरी करने जा रहे हैं वह इतनी आसान नहीं है। अपने किसी ऐसे सहयोगी के बारे में कोई निर्णय देना, इतना आसान नहीं है जिसके साथ हमने इतनी बातें की हों, जिसके साथ हमने इतने लम्बे समय तक काम किया हो, चाहे हम इस पक्ष में हों या उस पक्ष में हों। प्रश्न यह नहीं है कि हम किस ओर बैठे हैं। वे सभी सहयोगी हैं। लेकिन इसके साथ ही, जैसाकि आपने कहा है, कुछ काम करना ही पड़ता है चाहे वह कितना ही कष्टदायक क्यों न हो।

इस महीने की 12 तारीख को क्या हुआ? दूरदर्शन पर जो दिखाया गया और उसके बाद जब हम आपके कक्ष में एकत्रित हुए तो हम सभी के विचार समान नहीं थे।

लेकिन हम सभी ने महसूस किया कि कुछ किया जाना चाहिए। पूरा राष्ट्र हमारी तरफ देख रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे काम कर रहा है, 640 मिलियन मतदाताओं के प्रतिनिधियों की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया है जिसने हमारे यहां बने रहने के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली है।

सभा पटल पर प्रश्न पूछने का अधिकार सबसे मूलभूत संसदीय विशेषाधिकार है जिसे न केवल सदस्यों द्वारा बल्कि आसन द्वारा भी स्वीकार किया गया है। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो गत शताब्दी से पूर्व 1891 में जब व्यापक प्रबंध नहीं था जब मांटेग्यू सुधार पर पारित नहीं हुआ था, जब विधान परिषद की बैठक कलकत्ता के वाइस रिगल जो अब राजभवन है, के छोटे कक्ष में हुआ करती थी तब भी सदस्यों को प्रश्न पूछने के अधिकार थे। 1891 में भी विधान परिषद के सदस्यों को कार्यकारी परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछने के अधिकार थे। बाद में, यह विकसित हुआ, एक संसद सदस्य के लिए अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जनहित के प्रश्न पूछने का सहज अधिकार हो गया। जो स्पष्टीकरण की मांग कर सकता

है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, तथा इसके लिए संबंधित सदस्य को भारतीय संविधान असीमित शक्तियां देता है जो वस्तुतः स्वयं उसके द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन है तथा जिसे उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासित तथा संचालित किया जाता है। इसलिए इस अधिकार का, इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

मैं वकील नहीं हूं और मैं इस विषय की वैधानिकता पर नहीं जाता। यह 36 पृष्ठों वाली रिपोर्ट है जिसे मेरे सहयोगी पवन कुमार बंसल और अन्य सहयोगी जो समिति के सदस्य थे, ने मिलकर तैयार किया है। उन्होंने पूरे विषय की छान-बीन की है। इसमें वैधानिकता की कोई बात नहीं है। यह अपने आपसे पूछने का विषय है, अपनी अंतरात्मा से पूछने की बात है कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए।

यदि हम पूरी रिपोर्ट को पढ़ें तो हम पायेंगे कि उन माननीय सदस्यों में से जिन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया, कोई भी ऐसा नहीं कर पाया और जब उनमें कुछ ने कहा कि हो सकता है इसके साथ छेड़छाड़ की गई हो और यह पूरा टेप न हो, उन्हें असंवादित टेप को सुनने के लिए दिया गया और उन्होंने साफ तौर पर इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मैं समिति को धन्यवाद देता हूं कि जिस दिन आपने समिति के गठन की घोषणा की, उसी दिन स्वयं मिले थे। उन्होंने नियमित बैठकें कीं, लगभग हर रोज बैठकें कीं। प्रथा के अनुसार उन्होंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विकसित की कि कैसे वे अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ, विस्तार से तथा बिना किसी पक्षपात के सच्चाई जानने की कोशिश की।

श्री अनिरुद्ध बहल और उसके सहयोगियों से समिति के समक्ष जिरह किया गया। जैसा कि मैंने बताया, यह कोई विधि न्यायालय नहीं है। हर निर्णय विधि न्यायालय में ही तय नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष में और इस पक्ष में भी कुछ बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं उनको याद होगा और महोदय, आप स्वयं उस समय सभा के सदस्य थे। मुझे 1978 का एक अन्य शीतकालीन सत्र याद आ रहा है जब तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री जो उस समय तक प्रधानमंत्री थे तथा 11 वर्षों तक इस सभा में नेता रह चुके थे, और बाद में भी जो नेता बन गईं थीं, उनके समक्ष यदि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। जब श्री मोरारजी देसाई सभा के तत्कालीन नेता ने यह प्रस्ताव रखा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने जबाव में कहा था कि "उन्होंने कभी वही कहा था कि वे विशेषाधिकार समिति की विचारों से सहमत नहीं है।" उन्होंने यह बताया कि "विशेषाधिकार समिति का पूर्ण सम्मान करते हुए, विशेषाधिकार समिति के निर्णय में पूरा विश्वास रखते हुए, अत्यंत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो अवसर दिया जाना चाहिए था, वह प्रदान नहीं किया गया।" लेकिन यहां, वैसी स्थिति नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस सभा को 17वीं शताब्दी के हाऊस ऑफ कॉमन्स के चैम्बर के रूप में न बदला जाए। वल्कि इसके साथ ही यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रश्न यह है कि क्या सभा स्वयं, इस बात का ख्याल रखे बिना कि कौन-कौन पक्ष में बैठा है, सामूहिक रूप से कह सकेगी।

ऐसे अवसर भी आते हैं जब पूरी सभा को एक स्वर में बोलना चाहिए, लगभग एकमत होकर निर्णय लेना चाहिए, ताकि इस सभा अपने के सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारपूर्वक कायम रख सके। क्या हम कह सकते हैं कि हम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें? मैं इसकी तकनीकी बातों में नहीं जाता लेकिन हमने जो कुछ देखा कि कोई तकिये के नीचे पैसा रखने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई कह सकता है कि सभी प्रकार की विधिक प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

महोदय, मैं अपनी टिप्पणी को लम्बा नहीं करना चाहता। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और एक वकील की नजरों से मैं इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, बल्कि साफ शब्दों में, एक आम आदमी की तरह, इस देश के एक आम नागरिक की तरह, मैं महसूस करता हूं कि इस सभा की प्रतिष्ठा अवश्य बचाई जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय या अन्य न्यायालय की किसी उद्घोषणा द्वारा नहीं बल्कि स्वयं सदस्यों द्वारा, स्वयं इस सभा द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। इसलिए बहुत सम्मान के साथ आपके माध्यम से मैं सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम सोचें, इस स्थिति का सामना करें, निर्णय लें, हम हिम्मत जुटाएं और इस परिस्थिति का सामना करें। हो सकता है हम यहां न रहें, हम हमेशा यहां नहीं होंगे।

लेकिन यह परंपरा चलती रहेगी। उस परंपरा को कायम रखना है, उच्च परंपरा और इस सभा की गरिमा को बनाए रखना है। हम इसके साथ समझौता न करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

अब, श्री विजय कुमार मल्होत्रा का एक संशोधन है। वे संशोधन प्रस्तुत करें और फिर बोलें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, श्री प्रणब मुखर्जी ने, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव यहां पर रखा है, मैं उसके स्थान पर यह संशोधन करना चाहता हूं:

"कि इस समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कौल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

के स्थान पर-

"इस मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को भेजने का यह सदन संकल्प करता है।"

प्रतिस्थापित किया जाये।

मैंने बहुत आदर के साथ और सम्मान के साथ लीडर ऑफ दि हाउस श्री प्रणब मुखर्जी का भाषण सुना है। मैं पहले ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा या हमारा इरादा कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोई व्यक्ति इस सदन की मर्यादाओं को भंग करता है, कोई व्यक्ति सदन के जो उसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका उल्लंघन करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। मैं ईमानदारी से इस बात की अपील करता हूं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। वे प्रमुख विरोधी दल के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने हैं। हम उन्हें सावधानीपूर्वक सुनें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, 12 दिसम्बर को जिस समय एक चैनल पर ये सब बातें दिखाई गईं तो दिखाने के बाद सारे देश को धक्का लगा, सभी सदस्यों को धक्का लगा था। हमें धक्का लगा और इसीलिए आपके चैम्बर में जब हम लोग इकट्ठे हुए तो यह हुआ कि उन सदस्यों को आप कहेंगे कि वे सदन में न आयें और उस बीच में एक समिति का गठन किया जाये और वह समिति का गठन करने के बाद उस पर विचार करके तब वह सदन के सामने इस बात को लाये, इस बात पर सर्वसम्मति थी। एक भी व्यक्ति ने उसका विरोध नहीं किया। सभी दलों ने अपने-अपने उन सदस्यों को, अपनी-अपनी पार्टियों से कुछ समय तक के लिए निलम्बित भी किया।

यह किसी का केस नहीं है, परन्तु मुझे केवल इस बात का उल्लेख करना था, जिसको मैंने कहा है कि अपने को दण्ड देना है, सजा देनी है, उस के नियमों का पालन करना है, उसका जो प्रोसीजर है, हमारी आपत्ति उस बात पर है कि प्रोसीजर जो एडॉप्ट किया गया है, वह प्रोसीजर अपने ही नियमों के मुताबिक, सदन के नियमों के मुताबिक, सदन की सारी चीजों के हिसाब से करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी साहब ने 2-3 बार इस बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि यह कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, न्यायालय नहीं है और न्यायालय का जो काम है, उसके मुताबिक मत चलिये। हम अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को सोचें, तो क्या मैं अपने दिल पर हाथ रखूं और मेरी आत्मा किसी को आवाज दे और कहे कि इसको फांसी पर चढ़ा दो तो क्या उसको फांसी पर चढ़ा सकते हैं? इसमें कोई अपने मन की आवाज का सवाल नहीं, सवाल पार्लियामेंट के नियमों का है, इसके नियमों का है, न्यायालय का है, हमारा कांस्टीट्यूशन है, उसके मुताबिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि कोई मैम्बर्स को विशेषाधिकार नहीं है। मैम्बर्स को बाकी लोगों से अलग करके न रखा जाये, लेकिन क्या यह मतलब है कि मैम्बर्स को जो अधिकार एक आम आदमी को इस देश में है, वह अधिकार भी किसी मैम्बर को नहीं होगा? मैं प्रोसीजर की बात इसलिए कहता हूं कि जब यह कहा गया कि यह कमेटी बनाई गई थी, मुझे उसका सदस्य होने का गौरव भी प्राप्त है और आमतौर पर समिति के सदस्य बोला नहीं करते, परन्तु क्योंकि मैंने एक एमेंडमेंट दिया है, इसलिए मैं इस बात पर अपनी बात रखना चाहता था कि इस समिति के कई तरह के निर्णय हो सकते हैं। एथिक्स कमेटी है, यह एक मिसकंडक्ट है, यह सदन के विशेषाधिकार को भंग करने की बात है। मिसकण्डक्ट में आप किसी को सस्पेंड कर सकते हैं, किसी के ऊपर रिप्रेमेण्ड कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। ये सब बातें आप उसके लिए कर सकते हैं और वह करने के लिए एथिक्स कमेटी हाउस के सामने लाये। वे सब चीजें करने के लिए किसी प्रकार की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती। परन्तु यदि आपको किसी को निष्कासित करना है, एक्सपैल करना है तो एक्सपैल करने की पावर विशेषाधिकार हनन के साथ है और उसके लिए प्रिवलेज कमेटी के रूल्स हैं। प्रिविलेज कमेटी के जो रूल्स हैं, उनके मुताबिक मैम्बर को यह अधिकार देना पड़ता है कि वह अपने आपको डिफेंड कर सके, क्रौस एग्जामीनेशन

कर सके, अपना वकील ला सके। ये सब बातें उसके लिए करनी पड़ती हैं। इस कमेटी के अंदर मुद्गल जी का मामला आया और कहा गया कि मुद्गल जी को हाउस ने निष्कासित किया था। लेकिन जब मुद्गल जी को निष्कासित किया गया, तब -

[अनुवाद]

"समिति के समक्ष यह मामला महान्यायवादी द्वारा लाया गया। समिति को पहले से ही प्रस्तुत की गई सामग्री का सारांश उसने तैयार किया। महान्यायवादी ने पूरी घटना की निष्पक्ष तस्वीर रखी।"

साक्ष्य पूरा होने के बाद श्री मुद्गल को दिया गया।

[हिन्दी]

उसमें पांच महीने लगे। पांच महीने में उनको क्रास एग्जामीनेशन करने का अधिकार दिया गया, अपना वकील लाने का अधिकार दिया गया। उन्होंने वकील लाकर वहां पर पूरी बहस की। वे कुल तीन मैम्बर्स थे, जिनमें से दो को छोड़ दिया गया और एक के विरुद्ध कार्यवाही की गई लेकिन पांच महीने का समय उनको दिया गया था। एक समिति थी। यह विशेषाधिकार समिति नहीं थी। वह एक पूरी कमेटी थी। परंतु उस कमेटी ने वही प्रोसिजर अपनाया। लगातार पांच महीने तक क्रास एग्जामिनेशन हुआ, वकील को लाने और अपने को डिफेंड करने का, साक्ष्य की जांच करने का अधिकार, इन सब बातों को देखा गया, और उसके बाद ही हाउस में फैसला हुआ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि जब एटार्नी जनरल को बुलाया गया और उसके केस को रखा गया, मैम्बर उस समय हाउस में मौजूद था। उसने भी अपनी बात को हाउस में रखा। इसलिए जब मुद्गल के मामले के साथ आप इसको देखेंगे, तब भी आपको प्रोसीजर को फौलो करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष जी इसकी जो संवैधानिक स्थिति है संविधान में, लोक सभा में प्रक्रिया और कार्यसंचालन के नियमों में या चुनाव सम्बंधी किसी भी कानून में 'निष्कासन' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

यह नियमावली में नहीं है। हाउस सुप्रीम है, मैं यह मानता हूं। इसके कुछ इनहैरेंट राइट्स हैं, परन्तु इसी आधार पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना एक जजमेन्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरद्वारी लाल जी, जिन्हें स्टेट असैम्बली ने एक्सपैल कर दिया था, जब वह हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि उनको यह अधिकार नहीं है, निकालने के अतिरिक्त कोई और सजा होनी चाहिए -

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का 'निष्कासन' असंवैधानिक विधि-विरुद्ध, अप्रवृत हैं और वे ऐसी कार्रवाई आदि से काल्पनिक रूप से रिक्त हुए इन पदों को नहीं भरने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं।

[हिन्दी]

इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक रूल है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी सदस्य को निकाल तो सकते हैं, लेकिन सीट फिल नहीं की जाएगी। ये दोनों निर्णय आने के बाद यह कहा गया कि -

[अनुवाद]

इसलिए दो विरोधी निर्णय हैं तथा स्थिति अनिश्चित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अभाव में अनुच्छेद में न तो निर्णय को स्पष्ट किया गया है...*(व्यवधान)*

"...केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही इस विशिष्टतम को स्थापित किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

पहली बात यह है कि एक्सपैल करने का अधिकार किसी को है या नहीं - यह अभी तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट इसे तय करेगा और इस बारे में अपना फैसला बताएगा। हम यह मान भी लेते हैं कि हमें एक्सपल्शन का राइट है, चाहे सुप्रीमकोर्ट या पंजाब हाइकोर्ट का कुछ भी वर्डिक्ट हो, फिर भी प्रोसिजर को तो एडॉप्ट करना ही चाहिए। क्या आप किसी मैम्बर को प्रोसिजर एडॉप्ट करते हुए अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं देंगे? यह गलत बात है। मैं कमेटी की सारी प्रोसिर्डिंग्स में नहीं जाना चाहता हूं, परन्तु उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर्ड है। अगर कोई यह कहे कि यह डॉक्टर्ड है और मैं यह प्रूव कर सकता हूं, तो उसकी जांच की जाएगी। अगर टीवी पर किसी के बारे में दिखा दें और कहें कि यह डॉक्टर्ड है - क्या उसे यह जानने का अधिकार नहीं है कि इसके साथ छेड़-छाड़ की गई है या नहीं? वहां पर जाकर इसकी जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमें अपना वकील लाने का अधिकार दिया जाए, लेकिन उन्हें वकील लाने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी साक्ष्य दिखाने का मौका दिया जाए, हम उसकी जांच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। मैंने उस

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

समय भी यह कहा था क्योंकि मैंने सोचा कि अगर उनको सजा केवल इतनी मिलने वाली है कि उनको रैप्रिमांड करना है, तीन सैशन के लिए सस्पैण्ड करना है, उसके बाद सब चीजों की जांच करनी चाहिए।

परन्तु जिस समय यह कहा गया कि उनको हाउस से एक्सपेल कर देंगे, तो प्रणव जी यह कोई छोटी बात नहीं है। मैम्बर्स की सारी जिंदगी का सवाल है। अगर हम मैम्बर्स को एक्सपेल करते समय उन्हें अपनी डिफेंस करने का भी मौका नहीं देंगे, तो वह सही नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, 14 दिसम्बर को एथिक्स कमेटी बनी और 16 तारीख को इस बारे में बातचीत शुरू हुई। सिर्फ तीन-चार दिन के अंदर हमने 10 मैम्बर्स को निकालने का फैसला कर लिया। इसमें हमारा केवल इतना कहना है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर को एडॉप्ट कीजिए। अब प्रॉपर प्रोसीजर के बारे में पहले भी कई बार कई चीजें आयी हैं। इस बारे में कहा गया है कि -

[अनुवाद]

इस सभा को संवैधानिक ढांचे के तहत ही कार्य करना चाहिए, विशेषकर मौलिक अधिकारों के दायरे में रहकर, तथा इसे सद्‌भाव से कार्य करना चाहिए और उसे नैसर्गिक न्याय के मानकों का पालन करना चाहिए और सिर्फ न्याय ही नहीं देना चाहिए बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि उसने न्याय किया है जो आम लोगों के विचारों की संपुष्टि करता हो।

[हिन्दी]

मैं उन दूसरे देशों में नहीं जाता, जहां पर कई देशों में दोष निर्धारण और विवादों का निर्णयन न्यायिक कार्यों में आते हैं। इसलिए, विशेषाधिकार भंग के प्रश्न, सभा की अवमानना आदि तथा इसके लिए दंड का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है।

उसके बाद प्रो. स्मिथ और उन लोगों ने कहा। हमने ब्रिटिश पार्लियामैंट का जिक्र किया। हमने इसे ब्रिटिश पार्लियामैंट से लिया है। आपने जिक्र किया कि चर्चिल ने ऐसा कहा था, ऐटली ने ऐसा कहा था। ब्रिटिश पार्लियामैंट में भी पैसे लेकर प्रश्न पूछने की बात आयी थी। वहां उस मैम्बर पर मामूली जुर्माना किया गया और उसे 15 दिन तक हाउस से सस्पैंड कर दिया गया। ब्रिटिश पार्लियामैंट का उदाहरण देना कि उन्होंने यह सजा दी थी, यहां मैं सजा पर नहीं जा रहा हूं। आप इन मैम्बर्स को 15 दिन, 50 दिन या छः महीने की सजा दें, परन्तु ब्रिटिश पार्लियामैंट या दुनिया की जितनी पार्लियामैंट्स हैं, उनमें किसी जगह पर किसी भी व्यक्ति को इस बात पर एक्सपेल किया गया है, तो आप उसका उदाहरण दें। अब ऐथिक्स कमेटी सब जगह देखने गयी थी। उन्होंने उन सब बातों को देखा। मेरा कहना है कि आप इन मैम्बर्स को सख्त से सख्त सजा दें, परन्तु उससे पहले आप उन्हें अपने आपको दोष मुक्त करने का, अपने आपको रिप्रिजेंट करने का अधिकार तो दें। चार दिन के अंदर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मैम्बर्स जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे हमारे सामने आकर स्पष्ट कर देते। अब इसमें पांच-सात, दस या पन्द्रह दिन और लग जाते तो क्या होता?

अध्यक्ष महोदय, अभी प्रणव जी ने जो बात कही, वह ठीक कही कि यह विषय ऐसा है जिस पर हाउस की सहमति होनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद बात है कि इस विषय पर हाउस को डिवाइड कर दिया जाये। हमने यह कभी नहीं कहा कि आप उन्हें सजा मत दीजिए। हमने तो यह कहा है कि आप उन्हें सजा दीजिए, परन्तु आरोप सत्य हैं या नहीं, इसे भी देखना चाहिए। यहां एक पूर्व प्रधान मंत्री की हत्या कर दी गयी, उसे सबने देखा। उन्हें मारने वाले लोग मौके पर ही पकड़े गये। अब उन पर कितने दिन केस चला? कितने दिन तक केस चलने के बाद उनमें से एक व्यक्ति छूट गया, जिसे पहले फांसी पर चढ़ाने की सजा हुई थी। अब हत्या करने वाले को भी अधिकार है कि वह अपना केस कोर्ट के सामने प्रैजेंट कर सके और अपने आपको दोष मुक्त करने की बात कर सके, लेकिन पार्लियामैंट मैम्बर्स को यह अधिकार नहीं है। अब 1992 में बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें 900 लोग मारे गये। कई लोग मौके पर पकड़े गये। उनमें से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है लेकिन पार्लियामैंट मैम्बर्स को यह अधिकार नहीं है। अब मेरी आत्मा की आवाज ने कहा कि इसे फांसी लगा दो, तो उसी वक्त फांसी लगा दें क्योंकि मैंने अपने दिल से पूछा था।

हम न्यायालय नहीं है। यह क्या तरीका है? हम न्यायालय नहीं है का मतलब है कि क्या कोर्ट ऑफ लॉ गलत काम करता है? क्या हम नियमानुसार काम नहीं करेंगे? अब मैं ऐथिक्स कमेटी की सारी बातों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि वह मुनासिब नहीं है। मैं संविधान की उन चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहता, जो विदेशों की हैं क्योंकि आज उन्हें पढ़ने का समय नहीं है। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि आप पार्टी के नाम पर हाउस को डिवाइड न करें। सारा हाउस इस बात पर सहमत होना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, परन्तु उसके साथ यह भी लगना चाहिए कि हमने अपने मैम्बर्स को बोलने का पूरा मौका दिया है, हमने नियमों का पालन किया है, नहीं तो रोज यहां सवाल उठता है कि

न्यायालय बीच में आ जाता है, कोर्ट बीच में आ जाता है, कोर्ट को हमारी बात देखने का क्या अधिकार है? अगर हम नियमों पर नहीं चलेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर कोर्ट क्यों नहीं आयेगी? क्या हम किसी भी असेम्बली में किसी भी सदस्य को यह अधिकार दे सकते हैं कि वह असेम्बली के अंदर तय करके कहे कि हमारे दिल की आवाज है इसलिए हम इनको निकालते हैं?

अपराह्न 1.00 बजे

अगर आज हम यहां निकालना शुरू कर दें तो असेम्बलियों में इससे बहुत गलत प्रिसीडेंट स्थापित हो जाएगा। एक ऐसा प्रिसीडेंट हम बनाने जा रहे हैं और इसीलिए मैंने अपने नोट में भी कहा है कि हम ऐसे किसी प्रिसीडेंट की पार्टी नहीं बन सकते जिसमें बिना प्रोसीजर के, बिना नियमों के, बिना किसी बात के, किसी भी सदस्य को निष्कासित कर दिया जाए, यह एक ऐसा गलत प्रिसीडेंट बन जाएगा जो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। यह दोनों सदनों के लिए और सारे देश की विधान सभाओं के लिए भी कष्टप्रद होगा। इसलिए सदस्यों को भी, जब आप कहते हैं कि सदस्यों के लिए भी यह पार्टी या वह पार्टी का सवाल नहीं है, क्योंकि आज एक पर है, कल दूसरे पर आएगा और परसों तीसरे पर आएगा। क्या कहीं पर भी कोई स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि अभी मैंने कहीं पर पढ़ा कि विदेशों में स्टिंग ऑपरेशन के खिलाफ बहुत सारे लॉज बने हैं परंतु धन, पैसा, बड़े-बड़े मल्टी-नेशनल्स, बड़े-बड़े सी.आई.ए. और भी जो दूसरे लोग काम करते रहे हैं कि किसी भी स्टिंग ऑपरेशन में, किसी भी इस तरह की चीज में किसी भी मैम्बर के बारे में कुछ भी दिखाएं और पांच दिनों में उसे हाउस से निष्कासित कर दें, ऐसा गलत प्रिसीडेंट न बनाएं। मैं आपसे अभी भी अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे सहमत हूं कि इनको दंड दिया जाए परंतु उसकी प्रक्रिया अपना ली जाए या दंड के बारे में आपस में तय कर लिया जाए तो उचित होगा नहीं तो देश के लिए, संविधान के लिए और हाउस के लिए आज हम एक बहुत गलत परम्परा स्थापित करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा कुछ सदस्यों पर लगाए गए अनुचित आचरण के आरोपों की जांच के लिए 12 दिसम्बर, 2005 को गठित समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान देते हुए इस समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कोल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

के स्थान पर -

"इस मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को भेजने का यह सदन संकल्प करता है।"

संशोधन प्रस्तुत हुआ:

[हिन्दी]

"कि इस समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कोल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

के स्थान पर -

"इस मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को भेजने का यह सदन संकल्प करता है।"

[अनुवाद]

दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारने से पहले क्या मैं एक स्थिति को स्पष्ट कर दूं? सामान्यतः, समिति के सदस्यों को बोलने को अधिमान्यता नहीं दी जाती। यदि आवश्यक हुआ तो चर्चा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए उन्हें बोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन चूंकि मामला बहुत महत्वपूर्ण है और जांच समिति के विशिष्ट सदस्यों में से एक द्वारा संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, इसलिए मैंने अनुमति दी है।

लेकिन पीठासीन अधिकारी के सम्बंध में कुछ टिप्पणियां हैं - जो अपमानजनक नहीं हैं, मैंने अपमानजनक टिप्पणियां नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा है। आपने पीठासीन अधिकार के प्रति

[अध्यक्ष महोदय]

कोई असम्मान का प्रदर्शन नहीं किया है - मैं तो कहूंगा कि वस्तु स्थिति यह है कि आपने स्वयं यह स्वीकार करके सह्रदयता दिखाई है कि मैंने जो भी घोषणाएं की उन पर सभी उन सभी नेताओं की सहमति थी जो बैठक में उपस्थित थे। इस सभा में भी जब समय नियत किया गया तब किसी ने भी उस समय कोई प्रश्न नहीं उठाया। समिति से कोई भी मेरे पास नहीं आया। सभापति ने कभी भी मुझे समय बढ़ाने के लिए नहीं कहा। उस प्रश्न की जांच का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए, मैंने जो कुछ किया है वह इस सभा की पूरी जानकारी में किया है। इसलिए, इस बात का निर्णय पूरी तरह माननीय सदस्यों को करना है। मैंने नहीं कहा है कि आपको यह करना चाहिए और हमें वह करना चाहिए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और चर्चा की अनुमति देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन श्री मल्होत्रा, जोकि एक बहुत ही वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य है, ने समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मुद्दा उठाया है, इसलिए समिति के सभापति या समिति का कोई भी सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहे तो मैं उन्हें भाग लेने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वास्तव में यह एक कष्टदायक दिन है कि हम 10 संसद सदस्यों के निष्कासन के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, सदन के नेता द्वारा लाए गए प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। मैं श्री मल्होत्रा का भाषण सुनकर आश्चर्य चकित रह गया। मैं तथा यह सभा भी आपका आभार व्यक्त करती है कि आपने इस सभा के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। आपने इस सभा के सभी नेताओं की सहमति से एक समिति गठित करने का तत्काल निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय: आज दोपहर का भोजनावकाश नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य: सभा में भाग लेने वाले सभी लोग इससे सहमत थे। उस समय हम में से किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया कि इस सभा की समिति 12 दिसम्बर को घटी घटना की जांच के लिए सक्षम नहीं होगी जो केवल इस सभा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक काला दिवस था। इसके अतिरिक्त हममें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस समिति को जांच करने का अधिकार नहीं होगा तथा वह सभा को उन सदस्यों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी जिन्हें एक टी.वी. चैनल पर सभा में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेते हुए दिखाया गया तथा यह नहीं कहा था कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। लेकिन, प्रो. मल्होत्रा ने एक विसम्मति टिप्पणी भेजा है। उन्होंने इस रिपोर्ट के गुण-दोष पर सवाल नहीं उठाया है न ही उन्होंने समिति के सिफारिश से अपनी असहमति जताई है। उन्होंने यह चाहा था कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए तथा यह तर्क दिया था कि इस मामले की जांच के लिए केवल विशेषाधिकार समिति ही सक्षम है तथा सजा की प्रमात्रा के बारे में सभा को केवल वही सिफारिश कर सकती है। यह मुद्दा उस समय भी नहीं उठाया गया जब आपने बैठक बुलाई या यहां इस विषय को उठाया गया। आपने हम सभी को चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया। लेकिन मैंने किसी भी सदस्य को समिति के गठन पर आपत्ति उठाते हुए नहीं सुना। इस सभा ने समिति को प्रक्रिया के सम्बंध में अंतिम फैसला लेने के लिए प्राधिकृत किया। यदि आज हम प्रक्रिया सम्बंधी मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं तो यह कोई प्रक्रिया सम्बंधी प्रश्न नहीं है न ही यह विधि से जुड़ा प्रश्न है बल्कि यह एक नैतिकता का प्रश्न है।

लोग हम से क्या उम्मीद करते हैं? कई बार आपने हमें याद दिलाया है कि पूरा राष्ट्र हमें देख रहा है। हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें गरीब लोग होते हैं, मध्यवर्गीय लोग, मजदूर तथा किसान होते हैं। हमारी एकमात्र जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की समस्याओं को उठायें जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आप सभी एक महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। मैं सच्चे मन से आप सभी से अपील करता हूं कि यदि आप लोग किसी अन्य विषय पर चर्चा करना चाहते है तो बाहर जाकर कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, पूरा राष्ट्र सुन्न हो गया तथा हतप्रभ है, और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि चुने हुए प्रतिनिधि संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे ले रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रेवती रमन सिंह मैं आप से अपील करता हूं कि आप यहां अब कोई अन्य चर्चा न करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं इस सदन के नेता से पूरी तरह सहमत हूं कि इस सभा के सदस्यों का प्रश्न पूछने का अधिकार उनका विशेषाधिकार है।

हम विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अंतिम बेंच पर बैठे सदस्य। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अध्यक्ष की बातों पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है? इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। क्या आप बाहर जाकर बात नहीं कर सकते?

श्री बसुदेव आचार्य: हम राष्ट्र के समक्ष खड़ी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं और यहां सदस्यों को प्रश्न पूछने के लिए खरीदा जाता है।

[हिन्दी]

हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय माकन (नई दिल्ली): महोदय, यह शोर-गुल्ल लॉबी से आ रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुःख की बात है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: उनके सवालों को हम सदन में उठाते हैं। अगर सदन में सवाल पूछने के लिए खरीदा जाए, तो हमारी इमेज और हाउस की इमेज कहां जाएगी, यह सोचने की बात है। आज यह सवाल उठाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे एक अधिकारी जायें और लॉबी में खड़े माननीय सदस्यों से अनुरोध करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: कि उन सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जिससे कि वे अपने को डिफेंड कर सकें। हमने देखा है, हम आभारी हैं कमेटी के चेयरमैन और सदस्यों के कि उन्होंने काफी मेहनत से यह रिपोर्ट बनाई है। उन लोगों को अपनी बात रखने का काफी समय दिया गया था। करीब आधे-आधे घंटे का समय दिया गया था कि आप देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। फिर भी यह सवाल उठाया जा रहा है कि उन्हें समय दिया जाना चाहिए था। यहां यह भी सवाल उठाया गया कि मुद्गल के समय में पांच महीने लगे थे।

[अनुवाद]

सन् 1951 में जो घटित हुआ। उसकी तुलना हम 12 दिसम्बर की घटना से नहीं कर सकते। महोदय, पूरा राष्ट्र ने देखा है कि इस सभा के सदस्य पैसा ले रहे हैं।

[हिन्दी]

समूचे देश ने देखा, पैसा लिया गया, पैसा रखा जा रहा है, बातचीत हो रही है। क्या हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं, क्या हम नहीं मान सकते कि यह गलत है या असत्य है? पहले दिन जो रिएक्शन था, वह भी हमने देखा था कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज उसमें परिवर्तन हो गया है।

दूसरे सदन में एक घंटे के अंदर वहां के सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया। वहां पर बिना बहस के आज प्रस्ताव पारित हो रहा है। बिना किसी वाद विवाद और चर्चा के हम लोग यहां बहस कर रहे हैं। दिन भर यह बहस होगी, लेकिन वहां बिना बहस के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो रहा है। यह कैसा डबल स्टैंडर्ड है। इसी सदन में हम लोगों ने जब तहलका का मुद्दा उठाया था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, सबको पता है। वे लोग तीन साल सत्ता में रहे। आर्मी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो गई, क्योंकि उनका भी जिक्र टेप में आया था, लेकिन एक राजनीतिक दल, जो अपने को अलग समझता है। एक लाख रुपये लेते हुए उनके अध्यक्ष का चेहरा पूरे देश ने देखा।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष जी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह बहुत सीरियस इश्यू है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से इससे बचने का आग्रह करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि मैं उनसे राजनीतिक बहस से बचने का आग्रह कर रहा हूं।

आचार्य जी, कृपया मामले के तथ्यों पर आइए।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: कमेटी की रिपोर्ट आने पर तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा...*(व्यवधान)* कमीशन ऑफ इंक्वायरी गठित हो गयी...*(व्यवधान)* आज बोल रहे हैं कि समय देना पड़ेगा, 5-6 महीने लगेंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही उनसे आग्रह किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा के सभी लोगों से अध्यक्षपीठ से सहयोग करने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: कह रहे हैं कि साढ़े तीन साल लगेंगे। तब तक तो 14वीं लोकसभा का समय चला जाएगा तब जाकर एक्शन लेंगे। आपकी क्या मंशा है। आप क्या चाहते हैं। हम हाऊस को डिवाइड करना नहीं चाहते हैं। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जिस दिन यह बात सामने आयी थी, पूरी सभा की इस पर एक प्रतिक्रिया थी। आज इसमें परिवर्तन क्यों है? इन दस दिनों में क्या हो गया, क्यों आपका हृदय परिवर्तित हो गया आपको तो कमेटी को बधाई देनी चाहिए थी जिन्होंने इतनी जल्दी यह काम किया और सिफारिश कर दी। यह रिक्मेंडेशन पारित होनी चाहिए। हम सभा को बांटना नहीं चाहते। हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। यह पूरी सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस सभा की प्रतिष्ठा का मतलब राष्ट्र की प्रतिष्ठा है। कहां जायेंगे हम लोग। इसका कारण यह तो नहीं है कि इस कांड में शामिल छह सदस्य एक ही पार्टी के हैं। उसमें क्या। बहुत से सांसदों से संपर्क किया गया था परन्तु वे 'स्टिंग ऑपरेशन' के शिकार नहीं बने। हमें उनको बधाई देनी चाहिए। परन्तु यह 10 सदस्य इसमें संलिप्त क्यों हुए? क्या वे इससे इनकार कर सकते हैं कि वे इसमें शामिल नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारी इस व्यवस्था की सफाई के लिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। आपने हैदराबाद में जो पद से हटाने के अधिकार पर एक वक्तव्य दिया था वह मैंने देखा है। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पद से हटाने का अधिकार हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। जो मतदाता एक व्यक्ति को चुन कर संसद भेजते हैं उन्हें उसे हटाने का अधिकार मिलना ही चाहिए। अभी हमारे देश के लोगों को यह अधिकार नहीं है। अन्य बहुत से देशों में यदि लोगों को पता चलता है कि उनके प्रतिनिधि किसी अनैतिक कार्य में लगे हैं तो उनके पास उन प्रतिनिधियों को हटाने का भी अधिकार है। यदि चुने गये प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह नहीं करते तो लोगों के पास उन्हें हटाने का अधिकार होता है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि अब समय आ गया है कि सांसदों को दी गयी छूट पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए। चुने गए सदस्यों को दी गयी छूट और विशेषाधिकारों को भ्रष्टाचार और लालच का मौन लाइसेंस नहीं समझा जाना चाहिए। हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

इस खुलासे का सबसे खराब पक्ष यह है कि कटुता को और बढ़ावा दिया जा रहा है आपने यह बार-बार कहा है कि राजनीतिक लोगों में कटुता बढ़ रही है। यह खतरनाक है और मिलकर इससे लड़ना होगा और इसे बदलना होगा। अब समय है कि इन सभी मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

महोदय, मैं आपको त्वरित कार्रवाई करने के लिए बधाई देता हूं सांसदों से सभा में उपस्थित होने से मना करके न केवल आपने सभा की प्रतिष्ठा बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा की भी रक्षा की क्योंकि सभा की प्रतिष्ठा राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। मैं सभा के नेता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नेता सदन ने रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं उसका तहेदिल से स्वागत और समर्थन करता हूं, लेकिन एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इसके कुछ गंभीर परिणाम होंगे, उससे इस सदन को आगाह करना चाहता हूं। नेता सदन ने अपने भाषण में कहा कि वह इस सदन के पहली बार सदस्य बने हैं। जब से मैं राजनीति को गहराई से देख रहा हूं, तब से मैं जानता हूं कि प्रणव मुखर्जी जी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन लोकसभा के पहली बार सदस्य बने हैं। जिस लोकसभा में आना इतना कठिन है, जिसमें आने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, वहां से बाहर जाना इतना आसान कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारी कठिनाइयां आगे पैदा होंगी।...*(व्यवधान)* आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी टीवी चैनल पर घूस लेते हुए कुछ मेंबर देखे गए। यह परिपाटी रही है कि टीवी की खबर और अखबार की न्यूज का काग्नीजेंस, उसका संज्ञान यह सदन नहीं लेता रहा है। अच्छा होता कि कोई मेंबर इसे उठाते और उसका संज्ञान लिया जाता, लेकिन आपने लिया, इसलिए यह शुरुआत है, समाप्ति नहीं। यह शुरुआत है। अब रोजाना टीवी में आएगा कि इतने माननीय सदस्यों ने अपने घरों को भाड़े पर उठाया है, उसमें व्यवसायिक ट्रेड हो रहा है, तब आपको कमेटी बनानी पड़ेगी और फिर उनको निकालने का सदन में प्रस्ताव पेश करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमको देखनी पड़ेगी। रोजाना अखबारों में खबर छपती है कि अमुक मेंबर अपने पास पर फर्जी टिकट से इतने लोगों को घुमा रहे हैं, सदन को उसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी और मेंबर्स को निकालने का यह सिलसिला इस सदन में जारी रहेगा। यह केवल केंद्र तक सीमित बात नहीं है, राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। अब राज्यों की राजनीति सेवा की प्रतियोगिता नहीं, निजी दौलत इकट्ठा करने की जंग

हो गयी है। अभी तक यह सुनते थे कि अमुक पार्टी बहुमत में है, शासन में है, वह अपने विरोधी नेता के खिलाफ किसी फर्जी गवाह को पकड़कर, पोटा जैसे फर्जी मामले में बंद करने का षडयंत्र करती थी। टी.वी. चैनल वालों को भेजकर, रिश्वत लेते हुए दिखाकर, सामान्य बहुमत से विरोधी नेताओं के सदन से बाहर करवाना अब उसके लिए यह आसान हो जाएगा। इस तरह से यह नया सिलसिला शुरू हो रहा है। हम दसवीं लोकसभा में आपके नेतृत्व में यहां बैठते थे तब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मामला नौवीं लोकसभा में शुरू हुआ था लेकिन बहस दसवीं लोकसभा में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज के केस के बारे में सरकार के मंत्री और इस सदन के सदस्य श्री कपिल सिब्बल ने दिन भर खड़े होकर आर्ग्यू किया था और दो दिन बहुत बहस हुई थी। उस दो दिन की बहस का निर्णय क्या हुआ, इस बात को सारा भारत और इतिहास जानता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम जिन दस सदस्यों को निकालने जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो हाईस्कूल भी पास नहीं हैं, वे अपना डिफेंस नहीं दे सकते। उनमें से अधिकांश ऐसे है जो पहली बार जीतकर आए हैं और अधिकांश ऐसे है जो दलित, आदिवासी, ओ.बी.सी. और गरीब परिवार के हैं। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि बचपन में उनकी मां जंगल में लकड़ी निकालकर, उसे बेचकर, उनके मुंह में दो दाने डालती थी। उनकी जिंदगी में पहली बार भाग्य खुला क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है और ऐसे गरीब परिवार के लोग संसद में जीतकर पहली बार आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन इस निष्कासन की कार्रवाई से इस देश के गरीब, दलित और कमजोर लोगों में यह भाव न जाए कि संसद के बड़े लोग अपनी जमात में हमारे जैसे कमजोर लोगों को बैठने की इजाजत नहीं देते हैं और उनके लिए संसद में कोई जगह नहीं है। जिस दिन संसद के बारे में यह भाव गरीबों के मन में जाएगा, मैं समझता हूं कि इस संसद के लिए खराब बात होगी। इसलिए इन सब बातों के बारे में आपको गंभीरता से सोचना चाहिए।

सदन के नेता ने इस बात को कहा है कि सदन कोर्ट ऑफ ला नहीं हो सकता। दसवीं लोकसभा में सदन के सामने दलबदल हुआ। दसवीं लोकसभा में श्री शिवराज पाटिल स्पीकर थे, उनके सदन में जाकर सदस्यों ने कहा कि हम दल छोड़ रहे हैं। उनके सामने लोगों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करके वोट दिया। लेकिन वोट देने के बावजूद वे तुरंत नहीं निकाले गए। संविधान की धारा 21 में लिखा है-

> "किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।"

मुदगल कांड हुआ, यह बात सही है। यह कांड कब हुआ? यह कांड प्रोवीजनल पार्लियामेंट में हुआ। प्रोवीजनल पार्लियामेंट क्या थी, अंतरिम संसद क्या थी? अंतरिम संसद, संविधान सभा ही बदल गई थी। संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर शुरू हुई थी और उस संसद ने अपने कानून नहीं बनाए थे इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने सांसद के आचरण की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। लेकिन आज भारत की संसद इतनी विकसित हो गई है कि अपने नियम बना लिए हैं और कार्रवाई करने का अधिकार अपने में ले लिए है। श्री प्रणव मुखर्जी ने बिल्कुल ठीक इशारा किया कि श्रीमती इंदिरा गांधी को वर्ष 1977 में प्रिविलेज कमेटी में जो बहस हुई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर निकाला गया था। मेरी मान्यता है जनता पार्टी ने बहुत सी गलतियां की थीं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के नए राजनीतिक जीवन में एक बड़ी गलती यह भी थी कि बहुमत के आधार पर चुनी हुई, लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रही, महिला को अपने बहुमत के आधार पर सदन से निकालने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये, जब मैंने आपके पिताश्री को 17 साल की उम्र में सुना और जब आप हम लोगों को डांच लगाते हैं, आपकी शक्ल में अपने पिताश्री की दृष्टि नजर आती है। किसी भी वाचाल बेटे को डांटना किसी लायक पिताश्री का कर्तव्य है और 17 साल की उम्र में जब मैंने आचार्य कृपलानी, डा. राम मनोहर लोहिया, आचार्य रघुवीर के साथ जब मैं बी.ए. के प्रथम दर्जे का विद्यार्थी था, उस समय निर्मल चन्द्र चटर्जी का भाषण सुना। मैं उनकी वाकशैली से प्रभावित हुआ। इसलिये इस सदन में जब मैं आपके साथ बैठता था और आज भी अपने पिताश्री के रूप में देखता हूं, उसे आपकी डांट को उसी रूप में स्वीकार करता हूं। मेरी यह मान्यता है कि हर पिता की जो नालायक संतान होती है, उसका उसके प्रति मोह होता है। अगर कहीं भी नालायक बेटा किसी बात में यदि अपने पिता की जेब से चार रुपये चुरा लेता है, तो उस चार रुपये की चोरी के लिये उसे सूली पर चढ़ा दे, ऐसा इतिहास में हमने नहीं सुना।

अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि इन्होंने गलती की और उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिये और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, उतनी मिलनी चाहिये लेकिन उन्हें डिफेंस का अवसर मिलना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि आपने इस कार्यवाही को स्वयं इनीशिएट किया था, इसके लिये मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुये इन लोगों की जिन भावनाओं की आशंकाओं के प्रति ध्यान दिलाया है, उन पर ध्यान दिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कभी-भी किसी विशेष दंड के संबंध में सुझाव नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात और रह गई है। चूंकि 'स्टिंग ऑपरेशन' के बारे में बहुत बातें कही जा रही हैं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में सगारिका घोष ने एक सुन्दर लेख लिखा है जिसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

सामान्यतया 'स्टिंग ऑपरेशन' व्यवसायियों द्वारा अपने उत्पादों को मीडिया बाजार में उच्चतम बोली पर बेचने के लिए किसी को ढूंढने के लिए किये जाते हैं। जैसा कि मीडिया एक बड़ा व्यवसाय बन गया है तो स्वाभाविक रूप से इसे बड़े व्यवसाय की सहायता के लिए अनुषंगी उद्योग उभर कर आये हैं। स्टिंग ऑपरेशन ऐसा ही अनुषंगी उद्योग है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी प्रकार के दंड या किसी दंड का सुझाव कभी नहीं दिया! मैंने यह सभा पर छोड़ दिया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव!

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो मोशन सदन में लाया गया है, इस पर विचार करने के बाद सदन के क्षण दुखद तो हैं ही, लेकिन कठिन भी हैं। यह संवेदनशील मोशन है क्योंकि आज सदन को ऐसा निर्णय लेना है जिसमें हम अपने सहकर्मियों के खिलाफ, जिनके द्वारा गलत आचरण किया गया है, उसके लिये सजा निर्धारित करने में फैसला सदन को करना है। इसलिए विषय बहुत ही संवेदनशील है, दुखद है।

अध्यक्ष महोदय, आज निष्कासन के प्रश्न पर राय देने का अवसर आया है। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। संस्था के सामने कोई भी व्यक्ति आपने आप में बड़ा नहीं होता है। यहां संसदीय लोकतंत्र है और उसके सर्वोच्च मंदिर में हम चर्चा कर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र में सदन सर्वोच्च है। जो भी यहां निर्णय किया जायेगा, उसका प्रभाव राज्य के विधानमंडलों पर पड़ेगा और पूरे देश पर पड़ेगा। आज यह एक ऐतिहासिक क्षण है जिस पर हम अपनी राय रखने वाले हैं। माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर पहले ही इशारा कर दिया है। सदन में इस मोशन पर विभाजन बहुत ही कष्टमय होगा। इतना कष्टकारक क्षण संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में अलग अध्याय के रूप में जुड़ जायेगा।

यदि इस मोशन पर सदन विभाजित हो जाता है, दो भाग हो जाता है, तो हमारे पास अभी भी इसी सदन में इस पर विचार करने का मौका है, इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखने का अवसर है, क्योंकि यदि विभाजित होकर इस पर कोई फैसला निकलता है, सदन में कोई नतीजा निकला है तो वह ज्यादा कष्टकारी, दुखदायी और परेशानी वाला फैसला होगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सांसद हैं, वे संविधान की ओथ लेकर संसद में आते हैं और सांसद बनते हैं। हम में से कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में शिष्टाचार बन जाए। हमने किसी भी हालत में भ्रष्टाचारा को शिष्टाचार नहीं बनने देना है, लेकिन जो दंड निर्धारण हो, उसमें पूरी प्रक्रिया को अपनाने का अवसर मिलना चाहिए, जिसकी बात यहां उठ रही हैं। इसीलिए मैंने जिक्र किया, क्योंकि यह प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। इसलिए पार्टी से ऊपर उठकर इस पर यहां विचार करना चाहिए और दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर ही हम न्याय कर सकते हैं, उन सांसदों के साथ। सदन की गरिमा अक्षुण्ण रहे, इस सर्वोच्च संस्था की जो डिगनिटी है, मर्यादा है, ऊंचाई है, उसे बचाये रखने का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

यहां दो तरह की बात हो गई। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे सामने दो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कुछ न्याय प्रक्रिया की बात उठाई। यहां न्याय प्रक्रिया या कानून की बात करना अप्रासंगिक होगा। उसकी यहां कोई रिलेवेन्सी नहीं है। सदन में अपना निर्णय लेने के लिए हम खुद सक्षम हैं। उन सांसदों की तकदीर, तदबीर और किस्मत का फैसला पूरी तरह से संसद के हाथ में है। यह संसद सर्वोपरि है। इसमें न्याय प्रक्रिया की बात करना, कानून की बात करना, न्यायालय का उदाहरण देना, मैं समझता हूं कि इन सबकी यहां जरूरत नहीं है।

महोदय, माननीय सदस्य लोकतंत्र में मूडी गिने जाते हैं। हम लोग गांवों और देहातों में बोलते हैं। वहां मूडी गिनने का मतलब जनमत जानना होता है। उसमें सिर गिने जाते हैं। यहां

भी कन्सैन्सज देख लिया जाए कि जनमत क्या कहां तक है, माननीय सांसदों की भावना इस मामले में क्या है, तभी लोकतंत्र की गाड़ी चलेगी। 51 जिसके पास होते हैं, वह राज चलाता है और जिसके पास 49 होते हैं वह उधर बैठ जाता है। इसलिए उधर वालों का प्रस्ताव अपनी तरह का है और इधर जो 51 वाले हैं, इनका अपनी तरह का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, आप सर्वोच्च हैं। आप न्याय की पीठ पर आसीन है, आप ऐसी ही जगह बैठे हैं। आपने सदन की समिति बना दी और सारे नेताओं की राय ली। आपने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। लोक सभा के माननीय अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है, उसमें वाइड कंसलटेशन करके आपने सदन की एक समिति बना दी, सदन की उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट की बाबत आज हमारे सदन के नेता ने यहां मोशन प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से हम इस रिपोर्ट के विरुद्ध नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो कुछ भी है, उसके अलावा भी यदि कुछ करना पड़े तो वह सदन पर निर्भर करता है। मैं सदन की समिति की रिपोर्ट के पक्ष में हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हम आज जो इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी परिकल्पना करने से ही हमारा तन, हमारा सिर सिहर उठता है और पूरा शरीर कांप उठता है। आज एक इतिहास को हम रचने का प्रयास करने जा रहे हैं। जो माननीय सदस्य हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनकर संसद में आये थे, जिन्हें जनता ने अपने वोट से चुनकर यहां भेजा था, एक समाचार चैनल पर, टी.वी. पर कदाचार, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद, गठित समिति ने मात्र कुछ दिनों के अंदर उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर दी और माननीय नेता सदन ने हाऊस के सामने प्रस्ताव रखा कि उन सभी 10 माननीय सदस्यों को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए।

महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। परंतु यह मुद्दा आज का नहीं है। हो सकता है कि आज ब्रजेश पाठक इस लोक सभा का सदस्य है, यहां जितने लोग बैठे हैं, कल वे रहें या न रहें, लेकिन हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय आज जुड़ने जा रहा है, जिसमें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि हिन्दुस्तान के लोगों ने अपने कुछ सदस्यों को जांच का मौका दिये बगैर, उनको मात्र कुछ दिनों में निष्कासित कर दिया। यह 12 दिसम्बर की घटना है, जिसके दो दिन बाद समिति गठित हुई और 22 तारीख को समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें सभी माननीय सदस्यों के साथ फांसी पर चढ़ाने जैसा व्यवहार किया गया है। जो सदस्य इस घोटाले में फंसे हैं, उनकी राय है कि इससे तो मर जाना बेहतर है। एक सदस्य ने हमें फोन किया, हालांकि मेरे सामने आने की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई, उसने कहा कि हे भगवान! ऐसा हो कि कोई ट्रक सामने से आ जाए, मैं कार के नीचे आ जाऊं और मर जाऊं। इतनी बड़ी घटना पर एकतरफा निर्णय किया जाना, जिसका पूरा सदन गवाह है, इस पर हिन्दुस्तान का लोकतंत्र, विश्व का महानतम लोकतंत्र मूकदर्शक बना नहीं रह सकता। हम अपनी आवाजा को बुलंदी के साथ पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रखना चाहते हैं। हम मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। हम लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हम पूरे विश्व को बताने जा रहे हैं कि आपने दस सदस्यों को मात्र दस दिनों के अंदर, जांच का मौका दिये बगैर, मात्र इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने कथित कदाचार किया था, प्रश्न पूछने के लिए पैसे लिये थे।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर विषय है। अगर इस बात को लेकर हम माननीय सदस्यों को निष्कासित कर देते हैं तो सोचिये, कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। फिर हमारे लोक सभा सचिवालय पर भी अंगुलियां उठेंगी। आप महान हैं, आप माननीय अध्यक्ष हैं। लोक सभा की कार्रवाई आप देखते होंगे कि ब्रजेश पाठक ने सबसे ज्यादा प्रश्न डाले हैं। क्या कल हमारे ऊपर भी यह आरोप लगेगा? मैं एक किसान का बेटा हूं, गांव से निकला हूं। जब दो-तीन महीने सत्र नहीं चलता है तो मैं अखबार पढ़ता हूं। रोज अखबार में निशान लगाता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान के लोगों की पीड़ा क्या है, कहां दर्द छिपा है। मैं लगातार दो महीने प्रश्न तैयार करता हूं, मेरा कोई पी.ए. नहीं है। मैं प्रश्न सीधे लोक सभा सचिवालय को भेजता हूं। क्या कल हमारे ऊपर भी यह आरोप लगेगा कि ब्रजेश पाठक ज्यादा सवाल पूछता है, क्या हम पर भी घूसखोरी का आरोप लगेगा? जिस आरोप में हम कुछ सदस्यों को निष्कासित करने जा रहे हैं, क्या उससे...* यह बहुत विचारणीय विषय है। इतने हल्के तरीके से हमें इसे नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। हम भ्रष्टाचारियों के साथ कतई नहीं हैं, हम कदाचारियों के साथ कतई नहीं हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी का ऐलान है कि हिन्दुस्तान की सरजमीन पर कदाचार और भ्रष्टाचार नहीं रहने पाएगा। भ्रष्टाचारियों से समझौता करना और भ्रष्टाचार का समर्थन करना हमारे धर्म के विरुद्ध है।

माननीय अध्यक्ष जी, इतनी जल्दी में निर्णय लिया जाना कतई उचित नहीं है। हिन्दुस्तान का इतिहास गवाह है। जस्टिस रामास्वामी के मामले पर इस सदन में चली बहस के कुछ अंश मेरे पास उपलब्ध हैं। उसमें आपने कहा था कि यह एक अत्यंत

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री ब्रजेश पाठक]

गंभीर मुद्दा है। इसीलिए हमने कहा कि हमें भारतीय संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है, उसका अनुसरण करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आपकी कही हुई बातें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। आज हम भारतीय संविधान की अवहेलना करके अपनी आत्मा की आवाज पर सदन में जिसका बहुमत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने तो उनके खिलाफ भाषण दिया था।

श्री ब्रजेश पाठक: हां, दिया था। लेकिन उसमें आपने यह भी कहा था कि प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। मेरे पास आपका भाषण है जिसमें आपने यह कहा है। मैंने रात भर केस की तैयारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे रात को 10 बजे श्री प्रणब मुखर्जी का प्रस्ताव मेरे सर्वेन्ट द्वारा मिला जिसे पढ़कर मुझे रात भर नींद नहीं आई। हमने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में एक काला पन्ना हमारे रहते जुड़ने जा रहा है, तो मैं अपनी बातों को मजबूती के साथ इस सदन में दर्ज तो अवश्य कराऊंगा कि कैसे प्रक्रिया को अपनाए बगैर हिन्दुस्तान की सरजमीन पर ऐसा निर्णय लिया गया, जिसे आजाद कराने के लिए, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे उन्नाव जनपद ने क्या सहयोग दिया, उसके बारे में भी मैं एक दो पंक्तियों में बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है - उन्नाव जनपद सदैव से कलम और तलवार की धनी धरती रही है। अगर उस धरती पर पं. चन्द्रशेखर पैदा हुए, तो पं. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला भी वहां पैदा हुए। उन लोगों ने हिन्दुस्तान की सर-जमीं को खून-पसीने से सींचा है। हम उनकी अन्तर आत्मा की आवाज को इस सदन में मजबूती के साथ रखना चाहते हैं। निर्णय चाहे कुछ भी हो। भले ही उन्हें सरेआम सूली पर लटका दिया जाए, हम नहीं चाहते कि उन्हें बचाया जाए। कोई भी निर्णय लीजिए, हम उसका अनुसरण करेंगे, इस सदन का अनुसरण करेंगे और अध्यक्ष महोदय आपका अनुसरण करेंगे, लेकिन आज सदन में, आनन-फानन में, ऐसी कौन सी घटना घट गई, कौन सा आसमान जमीन पर गिरा जा रहा है कि पांच दिन में ही माननीय सदस्यों को फांसी पर लटकाने जैसी सजा दी जा रही है? ऐसा भी नहीं है कि वे दुबारा चुनकर आएंगे या जिन्दगीभर सांसद बने रहेंगे। मुद्दा यह है कि हम उन्हें दोषी करार दे रहे हैं। इसलिए संसद सवालों के घेरे में आ जाएगी, जब तक लोकतंत्र रहेगा, तब तक यह संसद सवालों के घेरे में रहेगी, आजीवन यह संसद सवालों के घेरे में रहेगी, जब तक यह दुनिया रहेगी, हमेशा संसद सवालों के घेरे में रहेगी। ऐसा न हो, इसलिए हमें पहले यह सिद्ध करना चाहिए, यह विश्वास करना चाहिए कि वास्तव में हमारे सांसदों ने कोई गड़बड़ी की है। जब संसद को विश्वास हो जाए, तब उन्हें दंड देना चाहिए, लेकिन बिना उन्हें पूरा मौका दिए उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। हमारी आपसे यही अपील है।

महोदय, 1959 में मुदगल साहब सांसद थे। पं. जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री हुआ करते थे। उनके माध्यम से सदन में प्रश्न पूछने हेतु इस जमाने में मात्र 20 हजार रुपए तय हुए थे। मुम्बई के एक बिजनैस हाउस ने 500 रुपए में सौदा तय किया और उसमें से 2000 रुपए एडवांस के रूप में दिया जाना तय हुआ। उस फर्म के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स में यह बात लिखी गई और उस प्रोसीडिंग्स की एक कॉपी पं. जवाहर लाल नेहरू को कहीं से मिल गई। इतिहास गवाह है कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने उक्त सांसद द्वारा 2000 रुपए लेने के कदाचार के खिलाफ मार्च महीने में प्रस्ताव रखा। ...*(व्यवधान)*

महोदय, सवाल यह नहीं है कि 2 हजार रुपए थे, 2 लाख रुपए थे या 2 करोड़ रुपए थे। मामला यह है कि मार्च में प्रस्ताव रखा और सितम्बर में रिपोर्ट आई कि उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं माना गया और पं. जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें निष्कासित कर दिया। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने का काम किया, लेकिन उन जैसे व्यक्ति को भी एक सांसद के निष्कासन में 7-8 महीने लगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान कमेटी को ऐसी कौन सी रूहानी, जिस्मानी या जिन्नाती ताकत मिल गई कि उसने 8 दिन में अपनी रिपोर्ट दे दी और सीधे सूली पर चढ़ाने जैसी सजा की सिफारिश कर दी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस विषय में कुछ नहीं करना। समिति के माननीय सदस्यों ने यह निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक तथ्य और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का इसी सदन में घूसकांड हुआ था। शैलेन्द्र महतो जी ने स्वीकार किया था कि उन्होंने दल-बदल के लिए 40 लाख रुपए लिए थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि घूसखोरी हुई थी, लेनदेन का प्रकरण हुआ था। तब भी यही बातें थीं, लेकिन तब जल्दी नहीं थी, लेकिन अब इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? हमें तो इसमें राजनीतिक गंध आ रही है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ पर आरोप न लगाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने इसे सभा पर छोड़ दिया हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का इतिहास गवाह है, ऐसी जल्दी कभी भी नहीं की गई। बिना बचाव का बिना पर्याप्त समय दिए, कभी ऐसी सजा नहीं दी गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा किसी ने भी नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, ये बातें गवाह बनेंगी और क्या हिन्दुस्तान का नौजवान, हिन्दुस्तान का दलित, हिन्दुस्तान का किसान, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में आने से कतराएगा नहीं? आपको इस पर मजबूती से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।

महोदय, मैं आपसे अन्त में, अपील करना चाहता हूं कि चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे ऊधर के सदस्य हों, सबकी अंतर-आत्मा की आवाज है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। वह समिति जो भी निर्णय ले, हम उसके साथ हैं, फिर चाहे उन्हें कुछ भी सजा दी जाए, लेकिन इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें सही संवैधानिक स्थिति को समझना चाहिए कि जो इस सभा को निष्कासन के अधिकारों के सम्बंध में प्राप्त है जो इसकी एक मात्र ताकत है और किसी भी अन्य संस्था को उस प्रक्रिया, जिसके बारे में माननीय सदस्यों द्वारा बहुमत से इस सभा में किसी भी प्रकार से तय किया जाता है कि किसी सदस्य का आचरण उचित है या नहीं तथा उस कार्रवाई विशेष के सम्बंध में जिसके बारे में यह सभा फैसला लेती है, के सम्बंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि आप संसदीय अधिकारों के स्रोत पर विचार करते है, तो आप पायेंगे कि संसद केवल न्यायिक अधिकारों का स्रोत नहीं है बल्कि यह कार्यपालिका सम्बंधी तथा विधायिका सम्बंधी अधिकारों का भी स्रोत है। संसद सभी तीनों प्रकार के अधिकारों का स्रोत थी और यही संसदीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है। लेकिन चूंकि कार्यपालिका को ज्यादा जवाबदेह बनाया गया है इसलिए विधायिका ने अपने विवेक से उन शक्तियों में से कुछ को छोड़ने का फैसला लिया तथा वे शक्तियां अन्य संस्थाओं को सौंप दी हैं। इसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका का निर्माण हुआ।

इस सभा के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार हो यह तय करने का अधिकार इस सभा को है। लेकिन हम उस अधिकार को छोड़ सकते हैं और उसे किसी अन्य संस्था को दे सकते हैं जिसे हमने वर्षों पहले कर दिया है। हम जानते हैं कि संवैधानिक प्रजातंत्र के शुरू के वर्षों में किसी व्यक्ति के सम्बंध में कि वह किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं और उसे अयोग्य करार दिया जाए या नहीं, इस बात का फैसला करने का अधिकार केवल इस सभा को था। यह अधिकार किसी विधि न्यायालय को नहीं प्राप्त था। लेकिन हमने एक कानून बनाया, उस अधिकार को छोड़ दिया तथा ऐसे न्यायिक अधिकारों को इस सभा के बाहर के किसी संस्था को सौंप दिया। इसलिए यह स्पष्ट हो कि संवैधानिक मामलों में हम एक मात्र अधिकार रखते हैं, सभा के किसी सदस्य के आचरण के बारे में निर्णय करने का अधिकार केवल इस सभा के पास है...*(व्यवधान)* अन्य शब्दों में, यह निर्णय करने का अधिकार केवल हमारे पास है कि किसी व्यक्ति विशेष का आचरण प्रतिष्ठा के अनुरूप है या नहीं और इस सम्माननीय सभा के सदस्य होने के नाते सदस्यों के आचरण के दौरान उनसे उच्च नैतिक स्तर को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। हमें यह निर्णय करना है कि हम एक मात्र अधिकार प्राप्त संस्था है या नहीं। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह मामला किसी को दंडित करने का नहीं हैं।

[श्री कपिल सिब्बल]

यह कोई न्यायालय नहीं है कि जहां हम कोई सजा देते हैं। हमें किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। हम सिर्फ यह तय कर रहे हैं कि कोई सदस्य जिसने, हम विश्वास करते हैं, कि कोई विशेष तरह का आचरण किया है वह आचरण उसके लिए तथा इस सभा के लिए उचित है या नहीं। और यदि हम उस साक्ष्य पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हैं तो हम ऐसे सदस्य को सदन से बाहर निस्कासित करने का अधिकार रखते हैं और उस सदस्य को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। इसलिए, हममें से अधिकांश जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वह है: "देखिए यह ऐसा मामला है जिसे सभा के बाहर तय किया जाना चाहिए, हमें उस सदस्य को आपना बचाव करने का अवसर अवश्य देना चाहिए, और उसे नैसर्गिक न्याय के सारे अधिकारों का उपयोग करने का अवसर देना चाहिए जिसे न्यायालय प्रदान करता है," इस मामले का हमारे निर्णय से कुछ लेना-देना नहीं है कि एक विशेष सदस्य ने जो आचरण किया है वह उसकी सदस्यता के लिए उचित है या नहीं। यह एक सीमित दायरे का मुद्दा है जिस पर हम बहस कर रहे हैं। मैं कई ऐसे सदस्यों का उदाहरण दे सकता हूं, जो इस सभा में भी बैठे होंगे, वे अध्यक्ष महोदय के सामने ही ऐसे आचरण करते हैं कि सभा तत्काल उनके विरुद्ध में खड़ी हो जाए और कहे कि यह व्यक्ति इस सभा का सदस्य होने के लायक नहीं है और इसे बिना किसी सुनवाई के निष्कासित किया जाए।

क्यों? इसलिए की सभा की प्रतिष्ठा ही दांव पर लगी है। इस सभा के सामूहिक विचार एक विशेष तरीके से व्यक्त किए जाते हैं। यह मामला ऐसा नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का है या अन्य समुदाय का है। यदि किसी भी समुदाय के किसी सदस्य पर इस तरह के आचरण के आरोप लगते हैं और हमारे पास इस बात के साक्ष्य हैं जैसा कि इस मामले में दिखाने के लिए हमारे पास है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के सदस्य उस व्यक्ति के विरुद्ध वैसी ही कार्रवाई करेंगे।

आपके समक्ष सही संवैधानिक स्थिति रखने के बाद मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इन सभी मामलों में लोगों के हित जुड़े हैं जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इस प्रकार की प्रत्येक स्थिति में, जिसमें पूरा राष्ट्र आमने-सामने के खेमों में बंटा हो, लोगों के अपने-अपने हित होते हैं। मेरे अच्छे मित्र श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा है कि जनहित, का यह मामला कि एक व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किए जाने सम्बंधी निर्णय लेने से पूर्व उसे अपने सभी अधिकारों, नैसर्गिक न्याय के उपयोग का हक होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह प्रशंसनीय है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में इस कार्रवाई का अनुसरण किया जाना चाहिए।

परस्पर विरोधी अन्य हित भी हैं। ये परस्पर विरोधी अन्य हित क्या हैं? श्री मल्होत्रा जी, ये अन्य परस्पर हित वे हैं जो आपने और हमने एक विशेष समाचार चैनल के पर्दे पर देखे हैं। यदि आप अपने दिल से पूछें और अपने आपसे कहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पार्टी के भी कुछ सदस्य हैं जो इसमें लिप्त हैं, उन्होंने आपसे सच्चाई अवश्य बताई होगी कि आपने जो देखा है वह वैसा नहीं है, फिर तो आप सही हैं। लेकिन मैं इसे आपकी अंतरात्मा की आवाज पर छोड़ता हूं। मेरे मन को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने जो देखा है वह सच्चाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें यही परीक्षा लेनी चाहिए। यह कोई पक्षपात का मामला नहीं है जिसमें हम राजनीतिक स्थान लेते हैं। यह प्रत्येक उस सदस्य की अंतरात्मा से जुड़ा हुआ मसला है। जो इस सभा का सदस्य है। क्या वह स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है कि "मैंने जो देखा, एक सदस्य होने के नाते मैं उसे माफ नहीं करूंगा, इस सभा के किसी भी सदस्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप लोगों की अंतरात्मा ठीक वही सोचती है जो होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि इस सभा में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।

यहां दो परस्पर विरोधी जन-हित की बात क्या है? पहला परस्पर विरोधी जनहित उस व्यक्ति का है जो आकर कहता है - 'देखिए आपने यह टेप मुझे दिखाया है।' उसे पता है कि सच्चाई क्या है। वह कहता है - आपने मुझे यह टेप दिखाया है। मैं और अधिक समय चाहता हूं। अब यदि उस व्यक्ति को पता है कि सच्चाई क्या है तो वह समिति के समक्ष अपने बचाव के पक्ष में बातें रखने में सक्षम होना चाहिए। उसे यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि - उसमें मैं नहीं था। यह मेरा चेहरा नहीं है। यह कोई दूसरा व्यक्ति है। यही मेरी आवाज नहीं है।"

इसकी मुदगल की स्थिति से तुलना मत कीजिए। कृपया इसकी तुलना 1951 की स्थिति से मत कीजिए। 1951 में वह प्रौद्योगिकी नहीं थी जो आज उपलब्ध है...*(व्यवधान)* एक सेकंड, कृपया मुझे मत रोकिए। उस समय कोई कैमरा नहीं रहा होगा।

अपराह्न 1.58 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): आपको इस प्रौद्योगिकी के दूसरे पक्ष को भी देखना है...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आपके पास कोई वीडियो कैमरा नहीं था। आपके पास इस तरह का कोई ऑडियो टेप नहीं था। आपके पास उनमें से कुछ नहीं था। इसलिए, उस सिद्धांत का उपयोग मत कीजिए। यदि किसी ने 1951 में कुछ सुना था और किसी ने कहा कि 'मैंने ऐसा कभी नहीं किया' तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहां सच्चाई क्या है? आजकल तत्काल दूरदर्शन पर दिखा दिया जाता है, तत्काल साक्ष्य सामने आ जाता है। यह क्रम-वार होता है। हमें अपनी समिति पर पूरा विश्वास है जिसमें श्री मल्होत्रा भी थे और जिसने असंपादित टेपों के पूरी कड़ी को देखा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: गोबिन्दाजी को निकालिये, गोबिन्दाजी के खिलाफ आज एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने ऐसा नहीं कहा। महोदय, वे जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। कृपया मुझे अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैंने आपकी बात सुनी है...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। आप उस रिपोर्ट में जोड़ नहीं सकते।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): आपको उन्हें बोलने देना चाहिए। आपने उनका नाम लिया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: वर्मा जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): पूरे हाउस में खड़े होकर आपने उस जज को बचाने के लिए स्पीच दी थी...*

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: स्पष्ट तौर पर माननीय सदस्य ने उस प्रथम वाक्य को कभी नहीं सुना जो मैंने उस मामले में कहा था। क्या आपकी जानकारी के लिए मैं इसे दोहरा सकता हूं? जब मैंने उस कार्यवाही की शुरुआत की तो मैंने कहा, "यदि आप समझते हैं कि मैं यहां आज एक भ्रष्ट न्यायाधीश की ओर से खड़ा हूं तो मैं उसके पक्ष की वकालत नहीं करूंगा।" यही मेरा पहला वाक्य था। मैं आज तक समझता हूं कि वह भ्रष्ट नहीं थे...*(व्यवधान)* यह कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि मैं कहता हूं...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री हरिन पाठक: मैं चाहता हूं कि श्री कपिल सिब्बल उन सदस्यों को वास्तव में...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हरिन पाठक जी आप एक सम्मानित सदस्य हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): आप यह राय दे रहे हैं कि वे करप्ट हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से टीवी पर देखा और जिस कमेटी ने यह तय किया कि वह सही है, हम उस कमेटी की बात मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। यह मानते हुए हम उन सदस्यों को कैसे कहें कि वे हाउस में रह सकते हैं...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप कमेटी की बात पर मत जाइए...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: क्या आडियो, विडीयो टेप को सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में एविडेंस माना जाता है...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या कोर्ट में टेप को एविडेंस माना जाता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री उदय सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इन्होंने यह मेंशन किया है कि सारा टेप हमने सही पाया है, लेकिन मेरा कहना है कि यह गलत है। सभी मैम्बर का कहना है कि टेप डॉक्टर्ड है, यह गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आपने क्या कहा, आपने यह भी लिखा कि यह सही नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने कहा कि प्रक्रिया नियमों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। उन्हें अपने बचाव का एक मौका दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मुझे विजय कुमार मल्होत्रा की विसम्मति टिप्पणी पढ़ने दीजिए। उन्होंने अपनी विसम्मति टिप्पणी में यह नहीं कहा है कि वे मानते हैं कि इन टेपों के साथ छेड़-छाड़ हुई है...*(व्यवधान)* इसमें यह नहीं कहा गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: फाइंडिंग की बात तब होती, जब उसकी जांच हो। मैंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। उनको डिफेन्ड करने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

कृपया मुझे आपकी बात कहने के लिए मजबूर न करें। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: वे अपने निष्कर्ष नहीं दे सकते। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि इसे विशेषज्ञों के पास भेजा जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उचित प्रक्रिया अपनाए बिना *(व्यवधान)*। क्या प्रक्रिया है? उन्हें जिरह करने, बहस करने, अपना बचाव करने आदि का अधिकार होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि यह टेप डॉक्टर्ड है। हमने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन हम उनको मौका ही न दें, उसकी जांच ही न करें। आप यह कह रहे हैं कि सब ने मान लिया है कि टेप सही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से अब बोल सकता हूं।

सभापति महोदय: जी हां।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था यहां प्रश्न यह नहीं है कि जो कि टेप में जो कहा गया है वह साक्ष्य है अथवा नहीं। प्रश्न यह नहीं है। यहां प्रश्न यह है कि इस सभा की एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने उस टेप के संपादित तथा असंपादित, दोनों, रूपों को देखा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री त्रिपाठी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: हां, मानते हैं। अगर आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, अगर आप केस का नाम भी जानना चाहते हैं, तो वह भी मैं आपको बता दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: मैं चाहता हूं कि आप इसे इस सभा के बाहर कहते। यहां तो आप कह सकते हैं।...*(व्यवधान)* वकीलों के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं और अपने लोगों को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* यह भी हम जानते हैं कि सच को आप गलत कहेंगे। आपने जो अपनी आंखों से देखा, उसे आप गलत कहेंगे, यह भी हम जानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सिब्बल कृपया केवल पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री सिब्बल के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: कृपया उनको बैठने के लिए कहिए। ...*(व्यवधान)* । कृपया मुझे संरक्षण दीजिए। अन्यथा, मैं अपनी बात जारी नहीं रख सकता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप अपना भाषण जारी रखिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, इस सभा के एक माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद (21) का हवाला दिया और कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार है और इस कारण इस प्रस्ताव को पारित करने के निर्णय से उस अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, इसमें प्राण या स्वतंत्रता से सम्बंधित कोई प्रश्न नहीं है। अनुच्छेद 21 का इस संबंध में कोई अनुप्रयोग नहीं है। यहां मुद्दा यह है कि क्या किसी संसद सदस्य ने, जो इस सभा का सदस्य है, कोई ऐसा आचरण किया है जो अशोभनीय है। इस तथ्य का कि उसे इस सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार से कोई सरोकार नहीं है। वास्तव में उसे अधिकार है, यदि वह चाहता है, कि वह इसके विरुद्ध न्यायालय में जाए और अपना अधिकार सिद्ध करे। अभी सभा का निर्णय यह है कि प्रथम दृष्टया हम समिति के इन निष्कर्षों पर विश्वास करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हमने जो दूरदर्शन पर देखा वह सच्चाई है और हम नहीं चाहते कि ऐसा व्यक्ति इस सभा का सदस्य हो। इस निर्णय में गलत क्या है? आपको एक पूरी सुनवाई की जरूरत नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री इलियास आजमी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: इलियास आजमी जी, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। हम यहां मामले की गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत ही सीमित मुद्दे पर निर्णय ले रहे हैं। क्या आप चाहते है कि इस देश के लोग उन बातों का विश्वास न करें जो उन्होंने टेप पर देखा और वे इस सभा के कुछ लोगों तथा कुछ राजनीतिक दलों के लोगों के विचारों को स्वीकार कर लें जो कहते हैं कि हम उसे नहीं मानते जो हमने देखा? क्या आप चाहते हैं कि देश उस पर विश्वास करे?...*(व्यवधान)* कृपया आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं। आप उन सभी लोगों की आशाओं पर पानी फेर रहे हैं जिन्होंने इस देश में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया था। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने आप पर विश्वास किया। यदि आप किसी विशेष पक्ष को वोट देते हैं तो यह इतिहास में दर्ज होगा कि आप भ्रष्टाचार के पक्ष में है...*(व्यवधान)* कि आप ऐसे आचरण के पक्षधर हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह अत्यंत आपत्तिजनक है...*(व्यवधान)* आप भ्रष्टाचार के लिए है...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यही मेरा विचार है...*(व्यवधान)* यदि आप मतदान करते हैं, तो हम देखेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जब आपके सदस्य बोलेंगे तब आप अपनी बात रखिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: आप भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं। अन्यथा आप ऐसा कदम नहीं उठाते...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अनंत कुमार जी, आप तो पुराने सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मंत्री जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोर्ट में बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: इसके पक्ष में हैं...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: वे हमारे मतदान के अधिकारों पर शंका नहीं कर सकते।...*(व्यवधान)*...मतदान करना हमारा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: एक राजनीतिक दल के रूप में आप भ्रष्टाचार के पक्ष में हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर कोई अनपार्लियामैंट्री शब्द है तो उसे देख लिया जायेगा। आब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर कोई असंगत बात होगी तो उसे देख लिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमने नियमन दे दिया है इसलिए आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: वे हमारे मतदान के अधिकारों को शक की नजरों से नहीं देख सकते...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार: सभापति महोदय, इन्हें यह शब्द वापस लेना चाहिए। यह क्या बात है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमने नियमन दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* मतदान हमारा अधिकार है। हम भी इस सभा के सदस्य हैं...*(व्यवधान)* वे भी माननीय सदस्य हैं और मतदान करना उनका अधिकार है।...*(व्यवधान)* वे मना करने वाले कौन होते है?...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह मेरा विचार है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हमने देख लिया है। कोई असंगत बात होगी तो उसे देख लिया जाएगा। हमने नियमन दे दिया है। हमने बोल दिया है कि कोई असंगत शब्द होगा तो उसे देख लिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ऐसे कैसे होगा?...*(व्यवधान)* क्या यह कोई तरीका है यहां पर बात करने का कि जो ऐसा वोट देगा, वह गलत काम करेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: यहां केवल आप ही फरिश्ते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आसन को तो नियमन करने दें। हम अपना नियमन दे रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, वे केवल राजनीति नहीं बोल रहे हैं बल्कि वे...बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी अपने सदस्यों को बिठाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, वे मेरे मताधिकार के अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते। इसलिए, उन्हें इसे वापस ले लेना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो कुछ भी असंगत बात होगी, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा उसे देखेंगे।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): सभापति जी, इससे हमारे पदाधिकारों पर प्रश्न-चिन्ह लग रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हमने नियमन दे दिया है कि यदि कोई असंगत बात होगी तो प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। अनंत कुमार जी, आप सुनिए। आप चेयर को कम्पेल नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कोई असंगत बात होगी तो प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी। हमने नियमन दे दिया है। सिब्बल जी, आप अपना जारी रखिए। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? चर्चा के दौरान सभा की गरिमा के एक मानक को बनाए रखा जाए। सभा में बनाए रखें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं आपको नहीं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: गुरुदासजी, आप अपने समय में बोलिएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं आपसे केवल यही अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्यगण इस चर्चा के दौरान सभा में गरिमा के स्तर को बनाए रखें,...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं...*(व्यवधान)* महोदय, आज दुःख इस बात का है कि हमारे देश में चारों ओर ऐसी सोच बनती जा रही है कि पूरा राजनीतिक वर्ग ही अपने स्तर के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है जैसा कि हमारे पूर्वजों ने कल्पना की थी। कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): क्या टी.वी. रिपोर्टरों का यही स्तर है कि वे हमारे घरों में स्टींग ऑपरेशन के लिए घुस आएं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: यदि आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया सभा में आपस में बात न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: कुल मिलाकर हम देश के लोगों की यही धारणा है। हमने घोटाले पर घोटाले देखे हैं। यह मामला सामने आया है किंतु मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं और यह मेरी व्यक्तिगत राय है और संभवतः इससे सब सहमत न हों कि 10 में से 9 घटनाएं कभी सामने ही नहीं आतीं। यह अंशमात्र है...*(व्यवधान)*

श्री उदय सिंह: यह सही है। हम सब इस बात से सहमत हैं।

श्री कपिल सिब्बल: यही स्पष्ट बात है। इसलिए कुल मिलाकर इस देश की जनता की यही धारणा है कि जब उनके अपने हितों की रक्षा की बात आती है तो राजनैतिक वर्ग कभी भी मौके पर खड़ा नहीं होता...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है।

श्री कपिल सिब्बल: यह वास्तविकता है। वे हमेशा कोशिश करते हैं और अपने वर्ग का बचाव करते हैं। इसलिए, लोगों को न्यायालय में जाना पड़ता है और न्यायालय अनिवार्य रूप से अभियोग चलाने का निर्देश देते हैं। न्यायालय मुकदमा चलाने का निर्देश देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धारणा यह है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र में अपराधसूचक साक्ष्य आते हैं तो राजनैतिक वर्ग एक वर्ग के तौर पर इस पर ध्यान नहीं देता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्वयं का बचाव करना चाहते हैं...*(व्यवधान)* यदि हमारे देश में ऐसी धारणा है तो कार्यवाही को रोकने के लिए हमारे द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी कार्य, जो कि हम विशेष प्रस्ताव में प्रस्तावित है, उसी दिशा में होगा। कि पुनः राजनैतिक समुदाय अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया है। ऐसा इस

[श्री कपिल सिब्बल]

तथ्य के बावजूद है कि अपराधसूचक साक्ष्य हैं जो सार्वजनिक कार्यक्षेत्र का हिस्सा है।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या हम उन सबको सजा दे दें?...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): बैठ जाओ, क्या बात कर रहे हो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भडाना जी, आप सदन में क्या बोल रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: क्या मैंने कुछ कहा है जो सही नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं माननीय मंत्री से इसे वापस लेने के लिए कहूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यदि माननीय सदस्य को अपनी बात रखनी है तो रखें, बोलने का यह कौन सा तरीका है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: भडाना जी की कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: इसलिए यहां एक प्रस्ताव पारित होने के पश्चात किसी व्यक्ति की इस सभा की सदस्यता समाप्त होने का यह अर्थ नहीं है कि उसके जीवन का अंत हो गया है ...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें तारा मंडल में भेज रहा है। कोई भी उन्हें तारा मंडल में नहीं भेज रहा है...*(व्यवधान)* किसी ने उन्हें फांसी नहीं दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बाबू लाल मरांडी (कोडरमा): यह उससे भी ज्यादा है। ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): कृपया माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनिये। कृपया बैठ जाइये...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, कोई व्यक्ति निश्चित घोषणा के आधार पर नामांकन पत्र दाखिल करता है और निर्वाचित हो जाता है। निर्वाचन करने वाले घटक आप में निश्चित विश्वास व्यक्त करते हैं और वे घटक निश्चय ही अपने संसद सदस्यों से यह आश्य नहीं करते कि वे प्रश्न पूछने के लिए पैसे मांगने लगें। निश्चय ही वे ऐसी आशा नहीं करते।

यदि किसी ने वह भरोसा खो दिया है और यदि आपके सामने अपराधसूचक साक्ष्य हैं तो मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यों को प्रस्ताव पारित होने देने से पहले ही स्वयं सामने आकर कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा देता हूं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाऊंगा। सदस्यों को यह प्रस्ताव पारित नहीं होने देना चाहिए। वे सीधे आकर कह सकते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि किसी ने मुझ पर यह आरोप लगाया है और यह बहुत गम्भीर आरोप है। किसी ने मेरा वीडियो फुटेज दिखाया है अथवा किसी ने मुझे आडियो टेप दिखाये हैं और इस देश में लोग समझते हैं कि यह मैं हूं। यद्यपि यह मैं नहीं हूं और मैं न्यायालय में अपना बचाव करूंगा फिर भी सभा के सदस्यों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं अपना त्यागपत्र देता हूं और मैं अपनी स्थिति न्यायालय में अर्थात सभा से बाहर प्रमाणित करूंगा। उन्हें ऐसा करने से किसने रोका है? उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोकता। उन्हें फांसी नहीं दी जा रही है और वह अपना जीवन और आजादी नहीं खो रहे हैं। वह अपना व्यवसाय जारी रख सकते हैं। उन्हें जेल नहीं भेजा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* वह किसी मृत्युदंड के अध्यधीन नहीं हैं। यह केवल इस सभा की सदस्यता ही है। इस सभा की सदस्यता उन्हें प्राप्त कुछ सुविधाओं के आधार पर दी जाती है और एक सुविधा है प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रथम दृष्टया इन लोगों ने प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेकर उस सुविधा का दुरुपयोग किया है। इसलिए, सभा महसूस करती है कि उन्हें अब सदस्य नहीं रहना चाहिए, बस...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या यही सब कुछ है?...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: उन्हें किसने फांसी दी है? किसने उन्हें जेल भेजा है?...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप उनके विचार सुने बिना उन्हें फांसी देने की कोशिश कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, यही बात है। इसलिए, माननीय सदस्य मानते हैं कि मुद्दा यही है कि एक पूर्ण मुकदमा होना चाहिए और यही बात मैं कह रहा हूं। किस तरह का मुकदमा

चलना चाहिए, कितना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत लागू किया जाए, प्रतिपरीक्षा का कितना अधिकार दिया जाए, यह सब साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि किसी ने मौखिक आरोप लगाया था और समिति ने कहा था: "उन्हें सभा से बाहर निकाल दो," तो मैं आपके साथ खड़ा होकर कहूंगा कि: "नहीं हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए।" इसलिए, यह सब साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने जो देखा उस पर कौन विवाद कर सकता है?...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने इस पर विवाद किया है...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: इस पर कौन विवाद कर सकता है? वे नहीं हैं...*(व्यवधान)* आप इस पर विवाद कर रहे हैं वे नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या आप इस पर विवाद कर रहे हैं?

श्री कपिल सिब्बल: यही प्रश्न है। विधि में जांच...*(व्यवधान)* मैं पूरी विनम्रता से और इस सभा के सदस्यों के प्रति पूरे आदर सहित कह रहा हूं कि विधि में जांच एक वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित एक आत्मनिष्ठ राय है। यह विधि की जांच है...*(व्यवधान)* निश्चय ही आप इसे नहीं देखेंगे क्योंकि इस प्रकार के भ्रष्टाचार का सामना करने के पश्चात प्रभावित होना आपके लिए बहुत कठिन है...*(व्यवधान)* शायद आप इस तरह के भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी ने जो ठीक काम नहीं किए, अगर हम वह सब बताने लगें तो *[अनुवाद]* इसका कभी अंत ही नहीं होगा।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी अपने निर्धारित समय में बोलेगी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

जांच है, "वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित आत्मनिष्ठ राय" ...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री जुएल ओराम (सुन्दरगढ़): सभापति महोदय, क्या आप एक बात हमारी भी सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: मैं तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं नहीं मान रहा हूं...*(व्यवधान)* उन पर न्यायालय में विचारण नहीं हो रहा है। जांच है, "वस्तुनिष्ठ मानदंड पर आधारित इस सभा की आत्मनिष्ठ राय"। यदि वह आत्मनिष्ठ राय आत्मनिष्ठ मानदंड पर आधारित हो तो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह किसी को फांसी देने का प्रश्न नहीं है; यह किसी का जीवन और जीविका छीनने का प्रश्न नहीं है। यह छोटी जांच है।

अब, समिति ने क्या कहा है? हमारे पास रिपोर्ट है। समिति कहती है: "हमने सम्पादित अंश ही नहीं देखा है; हमने पूरा असम्पादित अंश देखा है, और असम्पादित अंश की क्रमिक प्रकृति से पता चलता है कि यह क्रमिक घटनाएं थीं जो घटित हो रही थीं और किसी छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब, यदि कोई कहता है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कृपया समिति से अपने हिसाब से बात मत कहलवाओ। और इसे उद्धृत न करें।

श्री कपिल सिब्बल: मैं समिति की पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने इसी पर आपत्ति की है।

श्री कपिल सिब्बल: आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। समिति का कहना है,

> "तथ्यों की समग्रता और मामलों के हालात के मद्देनजर समिति की राय है कि 10 सदस्यों द्वारा पैसा लेने के आरोप सही पाये गए हैं।"

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मुझे इस पर आपत्ति है।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अल्पमत में हैं और बहुमत इधर है।

> "समिति आगे यह नोट करती है कि इस निष्कर्ष से बच पाना मुश्किल है कि पैसा लेने का सीधा सम्बंध संसद कार्यों से है।"

यही परीक्षा है। समिति ने सही परीक्षा ली है। उसने वस्तुनिष्ठ मानदंडों को अपनाया है, उसने एक निष्कर्ष निकाला

[श्री कपिल सिब्बल]

है कि यह कार्य संसद में सदस्यों के कार्यों से जुड़ा है। इसलिए, अब हमें यह निर्णय लेना है कि इस प्रकार के आचरण जिसे समिति ने तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लिया है - एक संसद सदस्य के लिए शोभनीय है अथवा नहीं - यद्यपि वे इसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं, उन्हें कोई भी मना नहीं कर रहा है। यदि हममें से सभी ऐसा मानते हैं कि यह एक संसद सदस्य के लिए उचित है तो ठीक है, कि इस प्रस्ताव को गिरा दें। तथापि, यदि आप अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि यह एक संसद सदस्य के लिए अशोभनीय है तो अवश्य ही प्रस्ताव के पक्ष में मतदान होना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। हमें यही कहना है।

इसलिए, सुनवाई, फॉसी पर चढ़ा देना, जीवन और स्वतंत्रता आदि से जुड़े मुद्दे कोई मुद्दे ही नहीं है। हम अब सभा के अनुकूल कार्य करें; एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि इस सभा के सदस्य के रूप में और देश की जनता को बता दें कि हम कानून के पालन करने के पक्ष में हैं, हम नैतिकता के पक्ष में हैं, हम मानक स्थापित करने के पक्ष में हैं, हम सिद्धांतों के पक्ष में हैं, हम इस राष्ट्र को एक महान लोकतंत्र बनाने के पक्ष में हैं, हम इस सभा को न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए लोकतंत्र का एक प्रतीक बनाने के पक्ष में हैं।

...*(व्यवधान)*...

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, वह स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभापति महोदय: किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह: इस पर चर्चा करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि हम इस सिफारिश का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, या हम संशोधन की बात कर रहे हैं, अर्थात्, क्या यह उस तरह किया जाना चाहिए जैसा हम सोच रहे हैं या वैसे किया जाना चाहिए जैसा आप सोच रहे हैं। पूरी चर्चा इसी बात पर केन्द्रित है। यह इस बारे में नहीं है कि हम इसके पक्ष में हैं अथवा विपक्ष में हैं। हमें केवल एक संशोधन पारित करना है जिसमें प्रावधान हो कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप प्रैस नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह: मैं, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हूं और आसन की ओर से मेरे प्रति सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन का विरोध हो रहा है या सभी बातों का विरोध हो रहा है। मैं इस मुद्दे पर उनका विचार जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप कम्पैल नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह: सभापति महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं नियम 184 के अंतर्गत लाए गए प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूं। इस समय इस सभा के समक्ष साधारण स्थिति पैदा हो गई है और यदि हम इस सभा की यादों में जाएं तो पायेंगे कि एक मात्र मुदगल का मामला है जिस पर इसके पूर्व नियम 184 के अंतर्गत इस सभा में चर्चा हुई थी।

मैं यह भी कहूंगा कि हमारी पार्टी - जैसा कि सत्ता पक्ष ने कहा है - कि हम इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है। यहां मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि हम नैतिकता के पक्ष में हैं, हम लोक-तांत्रिक प्रणाली के पक्ष में हैं, हम ईमानदारी और सच्चाई के पक्ष में हैं और हम उन सभी बातों के पक्ष में हैं जो यहां कही गई हैं। लेकिन यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मैं सोचता हूं यदि मेरे ही लड़के पर ऐसा कोई आरोप होता तो, क्या मैं उसे त्याग देता? इसलिए, ऐसा न कहा जाए कि राजनीतिक दल ही नैतिक रूप से नैतिक विचारों और आधारों के विरुद्ध गलती कर रहे हैं जिन्हें टी.वी. पर दिखाया गया है।

क्या मैं भी वैसा कारण बता सकता हूं जैसा कि प्रो. मल्होत्रा ने कहा है? क्या इन 11 सदस्यों के लिए निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है? यह बहुत ही दुःखद बात है। हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं। दूसरे पक्ष में बैठे हमारे प्रसिद्ध वकील, जो अभी-अभी जा रहे हैं, यदि वे यहां बैठे होते तो उन्होंने इस मामले में कुछ अलग ही तर्क दिए होते, और उनकी बात पर लोग ऐसे ही विश्वास करते जैसे वे यहीं बैठे थे। लेकिन उस

मामले में तर्क करना एक अलग बात है जहां आप सैकड़ों और हजारों रुपये लेते हैं। आप इस सम्बंध में सही या गलत तर्क दे सकते है जहां आपसे ऐसा करने को कहा जाता है।

महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि देश में अन्यत्र कहीं भी या विश्व में कहीं भी स्टिंग ऑपरेशन की अनुमति नहीं है। जापान में यह प्रतिबंद्धित है। अमेरिका में यह प्रतिबंद्धित है और जहां कहीं भी रिश्वत ली जाती है तो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों को दंडित किया जाता है। यहां मुझे एक बात बताने दीजिए कि मैंने स्वयं एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। यह सुरक्षा से सम्बंधित था। देश में सभी समाचार पत्रों ने मुझे दोषी बताया था और कहा था कि सदस्य ने अपनी कार पर एक जाली पार-पत्र लगा कर संसद में प्रवेश किया था और मैंने उसी समय कहा था कि यह एक स्टिंग ऑपरेशन था। वही मीडिया जो अभी बातें कर रही है, ने मुझसे कहा था कि आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया था। मैं यहां मीडिया से पूछता हूं कि उनको इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार किसने दिया था।

केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो हमारा सबसे बड़ा जांच प्राधिकरण है। संसद सदस्यों से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच भी इसको सौंपी गयी है और वे भी स्टिंग ऑपरेशन चला सकते हैं। लेकिन केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को भी उत्प्रेरण सम्बंधी स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार नहीं है। वह लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए अपने कोष का उपयोग नहीं कर सकता और उनको यह कार्य नहीं सौंप सकता है; यह अधिकार केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को भी नहीं दिया गया है।

पुनः, मैं पूछता हूं कि दुर्योधन और तहलका ऑपरेशन को चलाने का अधिकार इन्हें किसने दिया।

मुझे यह भी बताने दीजिए कि यहां तक कि रक्षा बलों में, दुर्विनियोजन के मामले में भी, कोर्ट मार्शल में सुनवाई होती है। कुछ वर्ष पूर्व ही हमने पढ़ा था कि एक मेजर जनरल को ट्रक से शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसे भी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था क्योंकि वहां कोर्ट मार्शल होता है जो इसकी जांच करता है।

स्टिंग ऑपरेशन के लिए कोई मापदंड होना चाहिए और हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक कार्य है जो हो रहा है और विशेष रूप से हम हमारे साथियों, 11 सदस्यों, के इस काल्पनिक मामले को लें, जिन पर आरोप है। हम कैसे जानते हैं कि पांच या 10 सदस्य नहीं थे अधिक थे और वे सत्ता पक्ष के हो सकते हैं या इस पक्ष के हो सकते हैं? इन्हीं लोगों ने सत्ता पक्ष का, सरकार को ऐसा कहने के लिए भयादोहन किया है, कि हम यही चाहते हैं और यही कारण है कि हम उन नामों के बारे में कभी नहीं जान पायेंगे। हम इनके बारे में कैसे जानते हैं? यह एक संभावना हो सकती है। यही चारों तरफ चर्चा है कि एमपी लैड्स में कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं जिनके नाम वहां थे लेकिन उनके नाम निकाल दिए गए क्योंकि वही लोग उनके पास गए थे और उन्होंने पूरे देश को, पूरी पार्टी को बंधक बनाने को कहा था - हम यही चाहते थे, अन्यथा वे लोग कल लोक सभा से निष्कासित हो जाते। इस बात की संभावना है। ऐसा हो सकता है। मुझे कहा गया था कि केवल 11 सदस्य ही नहीं थे, 11 से ज्यादा सदस्य थे जो इसमें पकड़े गए हैं लेकिन यह समाचार बाहर नहीं आया।

क्या मैं यह भी कह सकता हूं? हमारे विद्वान साथी, श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह सभा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का स्रोत है तथा हमने इन सभी अधिकारों को अन्य में प्रत्यायोजित कर दिया है और हमने केवल विधायिका को अपने पास रखा है। यदि ऐसा ही है तो हम इन सहयोगी, 11 सदस्यों सम्बंधी निर्णय को क्यों दबा के बैठे हैं? वास्तव में यही वह कह रहे हैं। हम ये अधिकार दूसरों को प्रत्यायोजित कर चुके हैं। जो न्यायिक मामलों को देख रहे हैं उनके पास प्राधिकार को रहने दीजिए और उन्हें बताने दीजिए कि उनको क्या सजा दी जानी चाहिए, इन 11 सदस्यों को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक निष्पक्ष सुनवाई हो। श्री कपिल सिब्बल बता रहे थे कि इन सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। उनकी बात दस मिनट तक सुनी गई। क्या अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उनको दिया गया 10 मिनट का समय पर्याप्त था? क्या कोई अन्य साक्ष्य था जिसे वे रखना चाहते थे और जो नहीं रखा जा सका? मैं समझता हूं कि यदि उन्हें श्री कपिल सिब्बल जैसे विख्यात वकील की सेवाएं मिली होती तो नतीजा बिल्कुल उल्टा होता। मैं समझता हूं कि उनको अपनी बात पूरी तरह रखने का एक अवसर दिया जाना चाहिए। क्या मैं एक बात और कह सकता हूं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्लीज आप कन्क्लूड कीजिए। अभी आपकी पार्टी, बी.जे.पी. के बहुत से सदस्यों ने बोलना है।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: ऐसा क्यों है कि हमने यह सब किया है? मैं समझता हूं कि पूरी देश की नजर हम पर लगी हुई हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस घोटाले की विस्तृत जांच के लिए तुरंत एक समिति का गठन

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

करने का निर्णय लिया। लेकिन यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि राज्य सभा ने इस कार्य को आचार समिति को कैसे भेज दिया। हमारे अध्यक्ष महोदय को, अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करते हुए इसे विशेषाधिकार समिति या आचार समिति को भेजना चाहिए था। एक छोटी सी समिति को यह कार्य सौंपने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमारे पास आचार समिति नहीं है? क्या हमारे पास विशेषाधिकार समिति नहीं है? एक पांच सदस्यीय छोटी समिति को यह कार्य क्यों सौंपा गया? मेरी अपील है कि यह सही बात होगी, यदि हम इसे आचार समिति या विशेषाधिकार समिति को सौंप देते हैं तो न्याय होगा। मुझे यही कहना है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं भाषण की शुरूआत में ही निवेदन करना चाहूंगा कि सभा से सदस्यों का निष्कासन एक बहुत बड़ी सजा है। जिस तरह से श्री कपिल सिब्बल तर्क दे रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह एक सख्त सजा है। यह संबद्ध व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन को चौपट करने जैसी बात है। इस बारे में संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं इस तर्क से भी सहमत नहीं हूं कि विगत में जो कुछ भी हुआ वह सब ठीक था और अब जो कुछ हो रहा है वह सब गलत है। यह एक विशिष्ट मामला है, अपने आप में इकलौता मामला है। विगत 57 वर्षों के दौरान, कभी भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। कई लोगों पर आरोप लगाये गये हैं, इस बारे में बहुत प्रचार हुआ है और लोगों में बहुत अधिक वैर और कटुता देखने को मिली है। यह एक ऐसा मामला है जो भारतीय गणतंत्र के मूलभूत ढांचे को हिला सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह किसी दल विशेष से जुड़ा मामला नहीं है। यह मामला किसी बहुमत प्राप्त दल से जुड़ा मामला भी नहीं है। मैं इतने संकीर्ण ढंग से नहीं सोचता और न ही अपेक्षा करता हूं कि दूसरे लोग भी इतना संकीर्ण दृष्टिकोण रखें।

लेकिन मूल प्रश्न यह है कि संदेह सच नहीं हो सकता और न ही वह सच्चाई का विकल्प हो सकता है। माननीय सदस्य ने अभी अपना भाषण देते समय कहा था कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या स्टिंग ऑपरेशन सत्तापक्ष के किसी सदस्य के इशारे पर हुआ था।

यदि मैं गलत नहीं हूं, मैंने कुछ इसी तरह की बातें सुनी हैं। यदि यह संदेह किसी ठोस साक्ष्य पर आधारित है तो उसे सभा के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।

अपराह्न 2.40 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

हम यहां किसी अनुचित संकल्प का समर्थन करने के लिए नहीं आये हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि कुछ गलत होने पर भी उसकी हां में हां मिलाते रहें। यह मुद्दा ही नहीं है। जैसा मुझे महसूस होता है मुख्य मुद्दा यह है कि - और यह संदेह से परे है, यही एकमात्र सच है कि कुछ सदस्यों ने पैसा लिया था और यह पैसा संसद में प्रश्न पूछने के लिए लिया गया था। यही एकमात्र सच है जिसे टी.वी पर भी दिखाया गया और समिति ने भी इसी संबंध में जांच की है।

अभी मेरे माननीय मित्र प्रो. मल्होत्रा ने कई मुद्दे उठाये हैं। पर मुझे उनके वक्तव्य में कुछ विरोधाभास बातें दिखाई पड़ती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जहां एक ओर वह कहते हैं : क्या सदस्यों का निष्कासन उचित सजा है? क्या यह सजा बहुत अधिक नहीं है? दूसरे यह कहते हैं, क्या सभा को सदस्यों को निष्कासित करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं? तीसरे, उन्होंने यह प्रश्न उठाया है - क्या यह उचित नहीं होता कि सदस्यों को निष्कासित करने की कार्रवाई विशेषाधिकार समिति के माध्यम से की जाती? चौथे, वह कहते हैं...*(व्यवधान)* मुझे क्षमा करें। आप मेरे बिचारों से सहमत नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक धमकी का भाव छुपा है। वह क्या कहते हैं: "विधान सभाओं में, जहां राजनीतिक स्थितियां अलग हैं, बहुमत अलग-अलग तरह का है, वहां भी इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए।" यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें गुण-दोष के आधार पर इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। इस मुद्दे की विशिष्ट बात यह है कि हमारे कुछेक सहयोगी सांसदों ने घूस ली और यहां जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह यह है कि क्या उन्हें अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था या नहीं।

महोदय, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 26 के अंतिम पैरा 3.5 में कहा गया है: "इस संदर्भ में समिति स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि समिति के समक्ष उपस्थित होने पर सभी 10 सांसदों से यह पूछा गया कि क्या वे वीडियो फुटेज देखना चाहेंगे ताकि वे विसंगतियों की ओर यदि कोई हों, समिति का ध्यान आकृष्ट कर सकें। इस पर सभी सदस्यों ने संबद्ध वीडियो फुटेज को देखने से साफ इनकार कर दिया।" इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि आरोपित सदस्य पर्दे पर दिखायी जाने वाली सच्चाई का सामना करने से डर रहे थे...*(व्यवधान)* यह मेरा विचार है। आपका विचार भिन्न हो सकता है। पर मेरा विचार यह है कि ये दसों सांसद टी.वी. पर दिखाये गये टेप को पुनः वीडियो पर दिखाये जाने से भयभीत थे। उन्होंने इसे क्यों नहीं देखना चाहा। उन्हें बताना चाहिए था कि टेप में क्या बात गलत दिखायी जा रही है। ऐसा करने पर ही हम कह सकते थे कि समिति ने निष्पक्षता से काम नहीं किया है।

महोदय, प्रो. मल्होत्रा का मानना है कि इस बारे में बहुत अधिक जल्दबाजी की गयी है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा इसी सभा में एक संकल्प लाया गया था और तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की थी कि इस मामले की जांच को 10 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी। उस समय, सत्तापक्ष और विपक्ष के किसी भी सदस्य ने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की थी। उस समय सभा में सभी सदस्य उपस्थित थे और सभा के संज्ञान में भी इस बात को लाया गया था कि इस मामले की सुनवाई बहुत जल्दी होगी। इसलिए समिति के गठन का निर्णय सभा की सर्वसम्मति से लिया गया था और समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें लोकसभा में प्रस्तुत करने को कहा गया था।

इसलिए, इसमें गलत क्या हुआ? उस समय यह नहीं कहा गया कि इस तरह की समिति का गठन न हो, या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए। लेकिन अब माननीय सदस्य और मेरे सम्मानित मित्र प्रो. मल्होत्रा - हम कई वर्षों तक राज्य सभा में साथ-साथ काम कर चुके हैं और अभी आचार समिति में भी साथ-साथ हैं - कह रहे हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास क्यों नहीं भेजा गया और इस समिति को क्यों गठित किया गया। यह तो सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना जैसा है।

जब इस बारे में सभा में निर्णय लिया जा रहा था तब प्रो. मल्होत्रा सहित हम सब वहां उपस्थित थे और तब किसी ने यह सुझाव नहीं दिया कि पांच सदस्यों वाली समिति इसके लिए उपयुक्त नहीं है और इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए। अब इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है?

महोदय, मुझे मेरे माननीय मित्र का तर्क सुनकर हंसी आती है। वह कहते हैं कि "एक सैन्य अधिकारी को शराब की बोतल की तस्करी करते समय जब रंगे हाथों पकड़ लिया गया था तब उसे नौकरी से निकालने की बजाय उसका कोर्ट मार्शल किया गया था।"

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: बोतलों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया था...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं भी वही बात कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह कृपया शांत रहें। आपने अध्यक्षपीठ पर भी कई आरोप लगाये हैं, मैं उनका जवाब दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या वह मानते हैं कि इस तरह के अपराध को क्षमा करना, भले ही यह सेना के बारे में सच क्यों न हो उचित है और इसे लोक सभा के ससंदीय सिद्धान्तों को तिलांजलि देने के बारे में भी अपनाया जाना चाहिए और उन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए। यह कैसा तर्क है?

महोदय, इस बारे में मूलभूत प्रश्न यह है कि आरोपित सांसदों को इस घोटाले से संबंधित आरोपों की प्रतियां प्रदान की गईं और उनकी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई भी की गयी। उनसे पूछा गया कि क्या वे मूल कैसेट को देखना चाहेंगे, पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है - और मैं संसद में काफी लंबे अरसे से हूं - कि इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए कि इसके लिए गठित समिति ने अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया।

महोदय, यहां स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी प्रश्न किया गया है और कहा गया है कि इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन पर जापान में रोक है और अमरीका में भी रोक है। यदि विपक्ष भारत में भी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन पर रोक लगाना चाहता है तो उसे संसद में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि इस स्टिंग ऑपरेशन से 10 सदस्यों के कारनामों का पर्दाफाश हो गया है इसलिए अब हमें मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। मीडिया ने अपना काम किया है। संसद को अपना काम करना है। यह निर्णय संसद करेगी कि इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखायी गयी बातें सच हैं या नहीं। यदि ऑपरेशन का उद्देश्य जनहित है तो संसद दोषी लोगों को सजा देगी, अन्यथा उन्हें माफ कर दिया जायेगा। पर हमें मीडिया पर मिथ्या आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने अपना काम किया है। हमें अपना काम करना चाहिए।

महोदय, इसलिए मुख्य मुद्दा यह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे पता है कि मेरी बातों से उन्हें ठेस पहुंच रही है। मैं जानता हूं मेरे तर्कों से उन्हें चोट पहुंचती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं कृपया आप किसी को उपदेश न दें। अपने स्थान पर बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त के भाषण के अलावा किसी बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिंदी]

श्री जुएल ओराम: यदि आप मानेंगे तो मैं 24 और 30 केवल दो पैरा पढ़ूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, अब नहीं। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल सकते हैं। कृपया अब व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री ओराम, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं मानता हूं कि यह संसद के लिए दुखद स्थिति है; मैं मानता हूं कि मैं भारी मन से बोल रहा हूं और मैं मानता हूं कि इस स्थिति से राष्ट्र और संसद के लिए भी भारी संकट पैदा हो गया है। हम खुशी से निष्कासन के समर्थन में अथवा इसके विरोध में बोलने के लिए यहां खड़े नहीं हुए हैं। हम संसद द्वारा सौंपे गए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम अपने उन सहयोगियों से अलग हो जाते हैं जिन्होंने स्वयं को सभी नैतिक सोच-विचार से अलग कर लिया है और देश के मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए दर्जे को बदनाम करके स्वयं को नैतिक पतन के गर्त में पहुंचा लिया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे यहां एक बात कहनी है।

देश की राजनैतिक प्रणाली की एक दागी प्रणाली के रूप में व्याख्या की जाती है। जब देश के राजनैतिक जीवन पर संदेह और अविश्वास के घने बादल मंडरा रहे हैं जब सभी नहीं परन्तु बहुत सी सरकारी हस्तियां अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही हैं, जब राजनैतिक प्रणाली दागी प्रतीत हो रही है और जब हम जो भी करते हैं उसे लाभ के लिए किया गया कार्य बताया जाता है तब घटनाचक्र को पलटने के लिए कोशिश करने की जरूरत है, संदेश जोरदार और स्पष्ट होना चाहिए कि 14वीं लोक सभा सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने और जनता की उस शंकाओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दृढ़संकल्प है।

जनता की आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए, संसद उन सदस्यों को अभ्यारोपित किया है जोकि आरोपी होकर उसकी निम्नतम सीमा को पार कर गए हैं और पैसा लेते हुए पाए गए हैं। भारी मन से हम निराशा के गहरे अंधकार में घिरे लाखों लोगों के लिए संसद में आशा की ज्योति प्रज्ज्वलित कर रहे हैं। राष्ट्र को पता लगने दो कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पर धब्बा नहीं लगाया जा सकता और कुछ लोगों को कृत्यों द्वारा दाग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुमत ने उन्हें कड़ी सजा देने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदय: अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाने से पहले मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि जब मैं यहां नहीं था तो एक माननीय सदस्य अनावश्यक रूप से अध्यक्षपीठ को बहस में ले आए थे। उन्होंने एक प्रश्न किया था कि अध्यक्षपीठ ने इसे विशेषाधिकार समिति के पास क्यों नहीं भेजा और इसे अध्यक्षपीठ ने आचार समिति के पास क्यों नहीं भेजा इत्यादि। इसका उत्तर बहुत सरल है।

अंततोगत्वा सभा प्रधान है। समिति की संरचना और उसे दिया जाने वाला समय आदि माननीय नेताओं, जिनमें उस दल के नेता भी शामिल हैं जिससे माननीय सदस्य संबंधित हैं, से परामर्श करके तय किया गए थे। उनकी पार्टी इससे सहमत थी। सच यह है कि वह इसके सदस्य बनने के लिए सहमत थे; वह इसके सदस्य बन गए थे। उन्होंने इसमें भाग लिया था।

इसलिए, आपको अब इसमें अध्यक्षपीठ को नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा था कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी वह सभा में प्रस्तुत की जाएगी। इसी सभा में प्रस्तुत किया गया था। सभा को निर्णय लेना है। समिति केवल सिफारिश कर सकती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप पहले ही इसे ले आए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैंने अध्यक्षपीठ की प्रशंसा भी की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अध्यक्षपीठ के प्रति बहुत अनुचित है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैंने आपकी प्रशंसा की है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है। मैंने केवल रिकार्ड सही रखने के लिए ऐसा कहा है। यह मेरा सर्वसम्मत अथवा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब, श्री अनंत गुढ़े।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैं आपका पूरा आदर करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शुरू से मैं कहता रहा हूं कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं करना है। मैंने गुणों पर कोई टिप्पणी नहीं की है; मैंने यह नहीं कहा है कि इसे पारित किया जाना चाहिए या पारित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने केवल इसका जिक्र किया है कि संकल्प लाया गया है। अब यह कहना कि मैंने इसे समिति के पास नहीं भेजा ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: आपने इसके उस भाग का उल्लेख नहीं किया - मैंने कहा था कि अध्यक्ष ने एक अच्छा निर्णय लिया है जिसकी सबने प्रशंसा की है। आपने वह भाग छोड़ दिया। आपने केवल उसी भाग का उल्लेख किया है जिससे आपको दुख पहुंचा है।

अध्यक्ष महोदय: हां इससे मुझे दुख पहुंचा है और इससे संस्था भी दु:खी हुई है क्योंकि आप अध्यक्षपीठ को विवाद में एक पक्ष बना रहे हैं।

[हिंदी]

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, 12 दिसम्बर को मीडिया ने संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने के बारे में बताया था, उससे संबंधित बंसल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस पर आज सदन में चर्चा हो रही है। चर्चा करने की जो मुख्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इन्हें शिक्षा दें। इन्हें शिक्षा देने के बारे में सारे सदन की एक राय है। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष इस बारे में एकमत हैं। उन्हें नियम के अनुसार शिक्षा मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शिक्षा देते समय, उन्हें अपनी सफाई देने की पूरी सुविधा मिलनी चालिए। हम जो सजा उन्हें देने जा रहे हैं, उसके बारे में उन्हें कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसी बात पर जो संशोधन श्री मल्होत्रा जी की तरफ से आया है, उस पर केवल चर्चा हो रही है।

इस देश में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। स्वतंत्रता मिलने के पहले से ही इस देश में भ्रष्टाचार है। एक बार तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में इतना भ्रष्टाचार है कि हम जब गरीबों के लिए यहां से एक रुपया भेजते हैं, तो लोगों तक केवल 15 पैसे पहुंचता है और 85 पैसे करप्शन में चले जाते हैं। जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है, मैंने पढ़ा है, सारे मुद्दे इसमें लिए गए हैं। श्री अनिरुद्ध बहल और टीवी चैनल आज तक के साथ यहां पर जो विटनेस हुई थी, उसमें कहा गया है कि दो सदस्य थे, जिनके पास हम गए थे, लेकिन उन सदस्यों ने पैसे नहीं लिए। उनके पीए ने पैसे लिए। सबसे बड़ा यह सवाल खड़ा होता है कि घूस लेना जितना बड़ा गुनाह है, क्या घूस देना उतना बड़ा गुनाह नहीं है? इन्होंने घूस देने की कोशिश की है और यह सब रचाया है। जिन्होंने घूस ली है, ठीक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हुई है, लेकिन जिन्होंने घूस देने की कोशिश की है, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई? इस रिपोर्ट में क्यों नहीं कहा गया कि वे भी गुनाहगार हैं। यह बात इस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। यहां पर श्री कपिल सिब्बल जी, जो सदन के सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि क्या हम उन्हें फांसी पर चढ़ा रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, लेकिन जो सदस्य 15-20 लाख लोगों में से चुन कर आता है, जो सदस्य लाखों लोगों की तरफ से सदन का सदस्य चुन कर आता है, इतनी बड़ी संसद में आता है, मुझे लगता है कि जेल भेजना, उनकी राष्ट्रीय हत्या है। हम उनकी पोलिटिक्ल हत्या कर रहे हैं। उनका समाज में जो स्थान है, वह आगे चल कर नहीं रहेगा। अगर कोई गरीब गुनाह करता है, तो हम उसे सफाई के सारे अवसर प्रदान करते हैं कि वह अपने आपको निर्दोष साबित कर सके। निचली कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाने की सुविधा है। अगर कोई अधिकारी भष्टाचार करता है, घूस लेता है, तो उसके लिए भी सारे दरवाजे खुले रहते हैं। सारी अदालतें खुली रहती है और बाद में वह फिर से नौकरी में आ जाता है। ऐसे कई केसिस इस देश में हुए हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के लिए कोई फांसी नहीं दी गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 12 दिसम्बर को यह मामला टी.वी. न्यूज चैनल पर आया, 15 दिसम्बर को कमेटी बनी, 22 दिसम्बर को रिपोर्ट सब्मिट हुई और आज 23 दिसम्बर को यहां चर्चा हो रही है। सदन के नेता बोल रहे हैं कि इनको सजा दी जाए। इस संबंध में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मामले की पूरी तरह से परीक्षा हो और इस दृष्टि से इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

महोदय, यदि यह मामला कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट सीधे-सीधे यही कहेगा कि सजा देने की जो प्रक्रिया होती है, वह नहीं अपनाई गई। संसद ने इस पर गहन चर्चा नहीं की और संसद ने एकदम इस बारे में डिसीजन ले लिया। कोर्ट हम पर ऐलीगेशन लगा सकता है। कोर्ट का देखने का नजरिया अलग

[श्री अनंत गुढ़े]

होता है। मैं यह मानता हूं कि संसद सबसे ऊपर और संसद सबसे बड़ी है। इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इस पर सारे सदस्य एक हैं, लेकिन यह सब करते समय और भ्रष्टाचार देश से मिटाने की बात करते समय, यह भी देखा जाना चाहिए कि जो गुनेहगार हैं, उन्हें अपने बचाव का पूरा चांस मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस को अगले सैशन के लिए ट्रांसफर कर देते हैं।

श्री अनंत गुढ़े: महोदय, न्यायालय हमेशा यह कहता है कि भले ही 10 गुनेहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जब कोर्ट इतनी बात कहता है और इन सब बातों को देखता है, तो इस मामले में जिन्हें दोषी करार दिया जा रहा है, उन्हें बचाव का पूरा अवसर देना चाहिए। इसलिए प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि विशेषाधिकार समिति को इस मामले को भेजा जाए, वहां इस मामले में पूरी चर्चा हो, वैसा किया जाए। इस बारे में हमारी शिव सेना पार्टी भी उनसे सहमत है। हमारी पार्टी भी चाहती है कि किसी गुनेहगार को बख्शा नहीं जाए, लेकिन किसी को सजा देने से पहले उसे बचाव का पूरा चांस देना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, यह बहुत ही दुखद दिन है। यह सम्पूर्ण देश के लिए विशेषकर इस सम्माननीय सभा में हमारे लिए और सामान्य रूप से संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

महोदय, मैं सभा को संविधान सभा की एक बहस के बारे में सभा को स्मरण कराना चाहता हूं जो कि विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता के बारे में निर्णय करने के लिए हुई थी।

सभापति महोदय: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य अगले सत्र तक के लिए स्थगित किए जाते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: किसी विधायक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का एक मानक तय करने के बारे में निर्णय लेने हेतु लम्बे समय तक बहस चली थी। परन्तु इस तथ्य के आलोक में कि हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी इसलिए विधायकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का मानक न रखने का निर्णय लिया गया था। किंतु उन्होंने इस बारे में बिल्कुल ठीक बात की थी तथा यह निर्णय लिया था कि "नैतिक शिक्षा" विधायक के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब हम नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर पूरी तरह दिवालिये हो चुके हैं।

महोदय, अब पूरा देश राजनीतिज्ञों में विश्वास नहीं करता। लोगों का जन प्रतिनिधियों से भरोसा और विश्वास उठ चुका है। किंतु मैं इस सभा को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्टिंग ऑपरेशन जो भी हुआ वह संसद से बाहर हुआ है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर चर्चा करने का समय हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब मैंने इसके बारे में कहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया था। गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर अगले सत्र में विचार किया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम उस कार्य पर कार्यवाही करना चाहते हैं जो कार्य संसद से बाहर किया गया है? यही मौलिक प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर दिया जाए। जब इस सभा को संसद से बाहर घटी किसी घटना पर कार्यवाही करने की समझ है तो दागी मंत्री, जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं, यहां क्यों बैठे हैं? उन्हें अयोग्य क्यों नहीं ठहराया गया? उनकी अभी तक सदस्यता समाप्त नहीं की गई है? वे अपने पदों पर बने हुए हैं जबकि जमानत की प्रक्रिया चल रही है। क्या केवल सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करना सही है जबकि ऐसे कथित भ्रष्टाचारी मंत्री, जिन्हें दूसरों के लिए उदाहरण होना चाहिए, यहां बैठे हुए हैं? वे मंत्री और इस सभा के सदस्य बने हुए हैं। इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। जब हम इस मामले पर बहस कर रहे हैं और जब हम इस मामले पर अंतिम निर्णय लें तो इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न का अभी तक जवाब नहीं दिया गया है।

महोदय, आप इस देश के प्रमुख विधि विशेषज्ञ हैं। इसलिए, मैं हरेक बात की व्याख्या नहीं करूंगा। हमारा विधिशास्त्र क्या है? यह क्या कहता है? हमारा विधिशास्त्र पूर्णतया माननीय आधार पर आधारित है। हमारे विधिशास्त्र में माननीय मूल्य प्रतिबिंबित होते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी अपराधी को क्षमा किया जा सकता है अथवा मुक्त किया जा सकता है परन्तु किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम इस तरह के विधिशास्त्र का पालन कर रहे हैं। हमने यह विधिशास्त्र स्वीकार किया है और संविधान ने भी इसी विधिशास्त्र को स्वीकार किया है। हमारा फौजदारी कानून इस विधिशास्त्र

पर आधारित हैं। यहां तक कि यदि कोई अपराध किसी न्यायाधीश की उपस्थिति में भी हुआ है तो भी वह उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता। यदि कोई न्यायाधीश भी किसी अपराध की घटना का साक्षी हो तो उसे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस केस इत्यादि जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।

अपराह्न 3.07 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

उस मामले में भी प्रतिपरीक्षा होगी। इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा है। यदि उसकी उपस्थिति में भी अपराध हुआ है और यदि वह उसका चश्मदीद गवाह भी है तो भी वह अपराधी को दंड नहीं दे सकता। उसे अपेक्षित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी और तभी दोषी को दंड देना पड़ेगा। हमने इसे विधिशास्त्र को स्वीकार किया है और हमने इसका पालन किया है। यदि यही हालत है तो किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त करना कैसे संभव होगा।

मैं समिति के प्रतिवेदन से एक बात सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं पैराग्राफ 29 का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें दस आरोपी सदस्यों में से एक श्री लाल चंद्र कोल ने साक्ष्य दिया है। उन्होंने 18 दिसम्बर, 2005 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में क्या कहा है? पैराग्राफ 29 में यह कहा गया है:

> "वीडियो में जो दिखाया गया है वह सच नहीं है। वस्तुतः जो धन मुझे वीडियो में लेते हुए दिखाया गया है वह मेरा धन है जो मैंने सालिगराम दूबे नामी एक व्यक्ति, जो मेरे गांव के हैं, को बीज खरीदने के लिए दिया था। वह मुझे धन लौटा रहे हैं जिसे गलत तरीके से वीडियो में दिखाया गया है। मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं।"

इसलिए, समिति के समक्ष साक्ष्य कहां है कि वह दोषी हैं? क्या उन्होंने इस बात की जांच की है कि क्या यह सज्जन वास्तव में धन लौटा रहा था और जब वह लौटा रहा था तो यह वीडियो टेप किया गया था? इसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई क्योंकि समय नहीं था। यही पैराग्राफ 29 में कहा गया है। यदि उनकी बात सच है तो हम एक निर्दोष व्यक्ति की सदस्यता समाप्त कर रहे हैं। इसकी और जांच होनी चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है। हम किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दे सकते। जांच पर्याप्त नहीं है। वह कुछ और बता रहे हैं जिसकी प्रतिपरीक्षा अथवा आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, इसका जबाव दिया जाना चाहिए। इसका जबाव दिया जाना आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल वीडियो देखकर ही हमें किसी निर्दोष को सजा नहीं देनी चाहिए। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

महोदय, न्याय में जल्दी करना न्याय से वंचित करना है। इसलिए, हमें किसी को सजा देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला है तो हमें उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने साथियों को प्रस्तुत करके अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर उन्हें दंड देना चाहिए। विगत में कुछ हुआ था। ठीक या गलत विगत में इस सभा ने एक सदस्य को पहले भी निष्कासित किया किया था। हमने विगत में ठीक या गलत, ऐसा किया था। इसलिए, अब भी हम वही बात दोहरा रहे हैं। हम वही गलती फिर करेंगे। क्या हम अपनी गलती सुधारेंगे अथवा हम बार-बार वही गलती करते रहेंगे? इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए।

हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मेरा दल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम लगभग 8 वर्षों से अपने राज्य में सत्ता में हैं और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा दल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आया है। यह भ्रष्टाचार के भी खिलाफ है। इसलिए, भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। किंतु हमें इस मामले पर विचार करते हुए ईमानदार रहना चाहिए। जब हम किसी को सजा दे रहे हैं तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

यहां, मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि आज संसदीय प्रणाली संकट में है। यह संकट में क्यों है? हमें आत्मावलोकन करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। क्या देशों में संसदीय दल हैरान हैं? मैं इस सम्माननीय सभा को एक बात बताना चाहता हूं। क्या ये पारदर्शी हैं? वे जो भी धन एकत्र कर रहे हैं और वे जो भी लेखे रख रहे हैं तथा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वे सही हैं? सभी संसद सदस्य अपने चुनाव खर्च के बारे में अपना विवरण जमा कर रहे हैं। क्या विवरण सही हैं? क्यों? यह हुआ है। इसी तरह यह व्यवस्था विकसित हुई है?

राजनैतिक दान हमारे देश में अवैध नहीं है? किंतु यह मजेदार बात है कि दानदाता चेक के द्वारा धन देने में रूचि नहीं लेता और न ही लेने वाला चेक के द्वारा धन लेने में रूचि लेता है। यही हो रहा है। हम अपने चुनावी उद्देश्यों के लिए राजनैतिक धन एकत्र कर रहे हैं? हम कैसे एकत्र कर रहे हैं? क्या यह पारदर्शी है? इसलिए, पहले हमें पारदर्शी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी स्वयं की राजनैतिक प्रणाली में यह प्रणाली विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, यदि आप हमारे देश में एक पारदर्शी राजनैतिक प्रणाली बनाए रखना चाहते हैं, यदि आप इस संसदीय प्रणाली को जारी रखना चाहते

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

हैं, यदि आप संसदीय प्रणाली को एक स्वस्थ प्रणाली बनाना चाहते हैं तो प्रणाली को पूरी तरह बदलना पड़ेगा।

राजनैतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं है। संविधान राजनैतिक दलों के विषय में मौन है। सदस्यों को दंडित किया जाता है परन्तु राजनैतिक दलों को कभी भी दंडित नहीं किया गया। केवल लोग ही राजनैतिक दलों को दंडित कर सकते हैं। यही हमारी व्यवस्था है। जैसा मैंने अभी कहा कि संविधान उस बारे में मौन है। हमारे पूर्वजों को कभी यह विश्वास नहीं था कि अगली पीढ़ी, राजनैतिक दलों की भावी पीढ़ी गैर-जिम्मेदार होगी; वे इस तरह व्यवहार करेंगे; राजनैतिक व्यवस्था में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होगा; राजनैतिक दल कभी भी अपने आंतरिक लोकतंत्र का पालन नहीं करेंगे इत्यादि। यह अब हो रहा है। हालत यहां तक पहुंच गई है। इसीलिए, हमें पूर्ण व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। हमें राजनैतिक दलों को सुधारना चाहिए। पहले ईमानदारी होनी चाहिए। तब हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए, मेरा कहना है कि हमें सावधान रहना चाहिए। निश्चय ही हमें इन लोगों को दंडित करना चाहिए। किंतु उन्हें समय दिया जाना चाहिए। वे जो कहना चाहते हैं उन्हें कहने देना चाहिए। उन्हें कहने दीजिए। उन्हें निलम्बित होने दीजिये। उन्हें संसद सदस्य के रूप में जो भी मिलता है उसे लेने की अनुमति न दी जाए। यह इस सभा में भाग लेने के रूप में ही नहीं होना चाहिए बल्कि सब चीज निलम्बित होनी चाहिए। जब तक उनका मुकदमा और जांच पूरी नहीं हो जाती उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना है कि आरोपी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। वे जो भी करना चाहते हैं और देना चाहते हैं, उन्हें बचाव करने की अनुमति देनी चाहिए। तभी उन्हें सजा दी जाएगी अथवा हम उन्हें दंड देंगे - जिस दंड के भी वे हकदार हैं।

यदि कोई अनुचित कार्य कर रहा है, यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उन्हें बचकर नहीं जाने देना चाहिए। हमें उस चीज में पक्षधर नहीं होना चाहिए। यह सभा सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण विश्व के सामने एक उदाहरण पेश करने की हकदार है। हम संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हमारे सदस्यों को हर तरह से ईमानदार होना चाहिए। परन्तु उन्हें पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए। यही मेरा कहना है। इस सभा में इस मुद्दे पर मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि सभा में मतभेद नहीं होना चाहिए। यदि सभा में मतभेद होगा तो मेरा दल इसमें एक पक्ष नहीं बन सकता। मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, यदि सभा में मतभेद होगा तो इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं होगी तब हम इसमें एक पक्षधर नहीं बन सकते। इस ओर या उस ओर हम इसमें एक पक्ष नहीं बन सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मेरा आखिरी अनुरोध है कि सभा के नेता और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले को इस पर विचार करना चाहिए। उन्हें दंडित होने दीजिये परन्तु उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। उन्हें निलम्बित होने दो और उनकी सारी सुविधाएं रोकने दो। उन्हें अपनी बात रखने और जो भी वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने की अनुमति दी जाए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): सभापति जी, आज का दिन बहुत दुखद है, आज हम इस सदन में अपने साथियों के खिलाफ कार्यवाही पर चर्चा कर रहे हैं। प्रारम्भ में जब यह बहस शुरू हुई थी, तब अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह दुखद स्थिति है और इस सदन को पार्टी के अल्पमत और बहुमत के आधार पर नहीं बंटना चाहिए, बल्कि इस सदन की, लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च संस्था का जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी रक्षा के लिए सदन को एकमत होना चाहिए। लेकिन चर्चा जैसे ही प्रारम्भ हुई, श्री बासुदेव आचार्य ने उसमें राजनीति घुसाने का काम किया, श्री कपिल सिब्बल ने भी उसमें राजनीति घुसाने का काम किया। आज चर्चा को राजनीति से ऊपर लोकतन्त्र की सर्वोच्च संस्था की रक्षा के सवाल पर रखने की आवश्यकता थी। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है कि इस संस्था की रक्षा करने के लिए हम कौन सा कदम उठाते हैं। इस संस्था के चेहरे पर जो दाग लगा है, उसको धोने के लिए हम कौन सा कदम उठाते हैं। आज सारा देश हमारी तरफ देख रहा है। चर्चा में कायदे, कानून और नियम की बात आयी। मैं कहता हूं कि लोकतन्त्र कायदे, कानून और नियम के साथ-साथ लोक-लाज से भी चलता है। लोक-लाज लोकतन्त्र में सर्वोपरि है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोक-लाज को ध्यान में रखते हुए, लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च संस्था की रक्षा करने के लिए यदि हमें कठोर से कठोर कदम भी उठाने पड़ें तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए।

महोदय, स्टिंग ऑपरेशन की चर्चा हुई और उसमें कई बातों पर चर्चा हुई। कहा गया कि यह गलत है। यह कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन गलत है और मैं भी मानता हूं कि यह गलत है। लेकिन उसके आधार पर जो कृत्य हुआ है, उसे हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। स्टिंग ऑपरेशन के बाद 12 तारीख को सदन में चर्चा हुई। इस सदन ने एकमत से अध्यक्ष जी को अधिकृत

किया कि वे समिति बनाएं। उस समिति के बनने के बाद भी हम लोग टी.वी. पर देख रहे थे कि उन दस सांसदों में से एक सांसद टेलीफोन पर संवाददाता से कह रहा था और उनकी सीधी बातचीत सुनायी पड़ रही थी, वे कह रहे थे कि अगर यह गलत हुआ भी और हमने गलत किया तो भी आपको हमें बताना चाहिए था, सारे देश को नहीं दिखाना चाहिए था। 12 तारीख को यह घटना हुई। पूरा सदन एकमत था और पूरे सदन की सहमति के बाद माननीय अध्यक्ष जी ने एक समिति का गठन किया और 12 तारीख को जब इस सदन में चर्चा हो रही थी, तब कई दलों के नेताओं ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही इस सत्र की समाप्ति के पहले होनी चाहिए। इस सत्र की समाप्ति तक जरूर होनी चाहिए। आज कमेटी ने काम किया है। मैं कमेटी के इस काम के लिए कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने निर्धारित समय में काम पूरा करके सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सभापति महोदय, कमेटी ने जो जांच की, उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उन सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिए गए। कमेटी ने भी सीडी देखी। कमेटी ने ऑफर किया है कि आप उस वीडियो फुटेज को देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी टैम्परिंग हुई है तो आप समिति को बताएं, समिति उस पर कार्यवाही करेगी। सबने उसे लेने से रिफ्यूज कर दिया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक जगह लिखा है और मैं मानता हूं कि वह सही है, कि यदि उसमें टैम्परिंग की गई होती, वीडियो फुटेज में कोई छेड़छाड़ की गई होती, तो शायद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी ओरिजनल टेप समिति को देने में हिचकिचाता। उन्होंने सारे ओरिजनल टेप समिति को सौंप दिए जो इस बात का प्रमाण है कि उसमें कोई टैम्परिंग नहीं हुई। लेकिन नैचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए सब माननीय सदस्यों को इसके पर्याप्त अवसर दिए गए। इसलिए यह कहना गलत है कि उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं दिए गए। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर भी इस राय का हूं कि आज इस सर्वोच्च संस्था के गौरवमयी इतिहास की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना आवश्यक है। यह सही बात है कि अपने साथियों पर कार्यवाही करने में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। जो साथी हमारे साथ सदैव बैठा करते थे, हम उनसे हंसकर बात किया करते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में पीड़ा और कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन बड़े काम के लिए उस पीड़ा और कष्ट को भूलना पड़ेगा और इस संस्था की रक्षा के लिए कठोर कदम लेने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, माननीय सदन के नेता ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका पूरे तौर पर समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है - स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन गलत है, स्टिंग ऑपरेशन गलत है। इस तरह के कानून विदेशों में कई जगह नहीं हैं। आज मैं सरकार और आसन से भी आग्रह करूंगा कि उसे भी इसमें पहल करनी चाहिए, सब पार्टियों को बिठाना चाहिए, सरकार को भी इसमें शामिल करना चाहिए और स्टिंग ऑपरेशन बंद करने का कोई कानून बनाना चाहिए क्योंकि आपके व्यापार के लिए अगर स्टिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, तो वे अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने व्यापार के लिए कर रहे हैं, उसका व्यापारिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं। इस तरह की कार्यवाहियों पर भी रोक लगाने की कार्यवाही सरकारी स्तर पर होनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): सभापति महोदय, मैं यहां पहली बार सांसद बनकर आई हूं। आज मुझे डेढ़ से पौने दो साल इस संसद में हो रहे हैं। जिस तरह मीडिया के थ्रू कुछ सांसदों को भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाया गया, उस बारे में मेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें मैं व्यक्त करना चाहती हूं। जिन्होंने यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, क्या उनका मकसद मात्र भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना था या टी.आर.पी. और अपने पैसे बढ़ाना था? यदि मेरी आत्मा की बात और संसद की गरिमा की बात पूछी जाए, तो मैं यही निर्णय लूंगी कि जितने भी संसद सदस्य इसमें लिप्त पाए गए, उन्हें सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरा मन और मेरी आत्मा इस बात को जरूर कचोटती है कि क्या वह मैम्बर या पूरी सभा के मैम्बर्स इस बात का हक रखते हैं, हम इतने ईमानदार हैं कि उन सदस्यों को सजा दे सकें? मेरे मन में यह बात बार-बार उठती है, मैंने पौने दो साल में यहां जो महसूस किया, उससे पहले भी राजनीतिक पार्टियों के क्रियाकलाप देखे, मुझे 1984 का दंगा भी याद है। मुझे गोधरा का कांड भी याद है। मैं यह नहीं कह रही कि मैं सत्तापक्ष के साथ हूं या विपक्ष के साथ हूं। आज मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि मेरे मन में यह बात कचोटती है कि लोगों ने हमें संसद में अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने के लिए भेजा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हम नये लोग संसद में आये तो मीडिया वालों ने हमसे सवाल किया कि आपको संसद की गरिमा में जाकर कैसा महसूस हुआ। मैं अपने अनुभव को यहां बताना चाहती हूं कि यहां आकर संसद तो हमें बड़ी गरिमामय लगी लेकिन

[श्रीमती रंजीत रंजन]

शायद आपको मेरी बात सुनकर कड़वी लगे। वैसे भी सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। यह मेरा अपना अनुभव भी हो सकता है। अगर मेरी बात से किसी को दर्द महसूस हो, किसी को कष्ट हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। सच्चाई यह है कि संसद भवन में आकर मुझे सीनियर राजनीतिज्ञ उस तरह के आइडियल नहीं लगे जिनको हम आगे चलकर प्रेरणास्रोत बना सकें। हमने खासकर यंगस्टर्स और नये आने वाले सदस्यों ने यही महसूस किया कि यदि हम सत्ता पक्ष में रहेंगे तो हम अपनी गलतियां छिपायेंगे और यदि हम विपक्ष में रहेंगे तो हम उन पर कीचड़ उछालने का काम करेंगे। हमारा मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं होगा बल्कि हमारा मकसद एक दूसरे पर कीचड़ उछालना होगा। इन पौने दो साल में मैंने यही महसूस किया है।

सभापति महोदय, मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जिस पिता का चरित्र सही नहीं है, वह शराब पीता है या दूसरे गलत काम करता है, तो उसका बेटी भी बड़ा होने पर वही काम करता है। अगर वह पिता अपने बेटे से यह एक्सपैक्ट करे कि वह ईमानदार हो, तो वह बेटा कभी भी ईमानदार नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूं कि जो नये सांसद हैं या जो सांसद स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हैं, क्या उनको संसद भवन ने यह प्रेरणा दी? ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। मेरी अंतरात्मा कहती है कि हमें इतने आइडियल पालटिशियन नहीं मिले जिनसे वह सबक ले सकते कि हमें यहां आकर ईमानदार रहना है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि मैक्सिमम सांसद चुनाव में एक-दो करोड़ रुपये खर्च करके संसद में आते हैं। वे उन व्यक्तियों से संसद भवन में मिलते हैं जिनकी तन्ख्वाह 12 हजार रुपये होती है। क्या हम उनसे एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि वे ईमानदारी से अपना काम करेंगे? यह सोचने वाली बात है। अब वे व्यक्ति करोड़ों रुपये कहां से लाते हैं, उनकी पार्टी कहां से लाती है? एक तरफ हम नहीं चाहते लेकिन यहां आकर हम एक्सपैक्ट करते हैं कि वे ईमानदारी से काम करें। जब तक हम अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब इस देश को चलाने के लिए चार स्तंभ हैं जिसमें हम भी हैं, मीडिया के लोग भी है और ज्यूडीशियरी भी है। आज वक्त इस बात का है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सजा देने से पहले अपनी आत्मा से पूछे, अपने आप से पूछे कि क्या वह ईमानदार है? क्या वह दूसरों को सजा देने का हक रखता है? मेरी आत्मा कहती है कि यदि हम ईमानदार नहीं हैं तो हम दूसरों को सजा देने का हक नहीं रखते। आज मैं मीडिया वालों के खिलाफ इसलिए नहीं कह रही कि मेरे पति श्री पप्पू यादव जी को फंसाया गया। मैं मीडिया वालों के खिलाफ इसलिए बोल रही हूं तो यह सच्चाई नहीं है। मैंने महसूस किया कि हर मीडिया वाले खासकर इलैक्ट्रानिक मीडिया के लोग, पालटिशियन्स, ज्यूडीशियरी आदि सबको अपने मन में जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? आज सच्चाई यह है कि पूरे हिन्दुस्तान में 82 परसेंट से 90 परसेंट तक लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। यही सच है, इसे हमें मानना चाहिए। आज संसद में 545 एमपीज हैं। जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, उसे देखकर हम यही कहते हैं कि इस देश में इतने भगवान हुए इसलिए यह देश चल रहा है। यह भी सच्चाई है। यदि एक मुखिया, एम.एल.ए., एम.पी., मिनिस्टर या पी.एम. ईमानदार होगा, तो पूरा हिन्दुस्तान ईमानदारी से चलेगा। लेकिन आप सरकारी आफिसेज में देखिये, सैक्रेटेरियेट में देखिये कि एक फाइल को पुटअप करने के लिए 10 रुपये से लेकर हजारों-लाखों रुपये लगते हैं। हम किस तरह से एक व्यक्ति से एक्सपैक्ट करेंगे कि वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा?

सभापति महोदय, सबसे पहले हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है। सबसे पहले हमें ऐसा माहौल बनाना है जिसमें हम जी सकें ताकि हमें यह प्रेरणा मिल सके कि हां, हमें ईमानदार बनना है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि हम लोग सत्र चलाते हैं, हर बार सत्र चलता है लेकिन सत्र के पहले दिन और अंतिम दिन हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों को हर बार अपनी उस शपथ को याद करना चाहिए। हमें हर बार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डा. राजेन्द्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे शहीदों तथा राजनीतिज्ञों को याद करना चाहिए ताकि हमें यह महसूस हो कि हमें जो यह आजादी मिली है, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हम लोग आज इतने भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इन लोगों ने जब राजनीति शुरू की थी, वे लोग बहुत महान थे और हम आज उन्हीं की गरिमा को संभालने के लिए आए हैं, यह एक सच्चाई है। लेकिन यह बड़े शर्म की बात है कि हम लोग जो आज उन्हीं के उत्तराधिकारी बने हैं, सही नहीं बने हैं।...*(व्यवधान)*

मैं केवल इतनी ही बात कहूंगी और मैं आज यह कहने में असमर्थ हूं कि उन व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि हम मीडिया वालों को, हर सांसद को उन व्यक्तियों को सजा देने के पहले अपने दिल में जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम इस काबिल हैं कि हम उन व्यक्तियों को सजा दे पाएं? इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सभापति महोदय, आज संसदीय प्रणाली में हम एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं क्योंकि यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह इस हाउस की गरिमा का सवाल है। जब टी.वी. पर स्टिंग ऑपरेशन हम देख

रहे थे, सभी एमपीज का सिर शर्म से झुक रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें बहुत दुख भी हो रहा था और इसमें स्पीकर साहब ने बहुत अर्जेंटली उस पर एक्शन लिया, सभी दलों की एक मीटिंग बुलाई और एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी को थोड़ा समय दिया गया लेकिन उस थोड़े समय में उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी इसके खिलाफ है। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं और जो टी.वी. पर पैसा लेते हुए दिखाये जा रहे हैं और वह भी प्रश्न पूछने के लिए पैसा ले रहे हैं, यह बड़े ही दुख की बात है। हमारी पार्टी इसके खिलाफ है लेकिन जो हमने इस पर बहस शुरू की है, स्पीकर साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है। यह नहीं है कि वैसे ही पास करा दिया और हो गया। मैम्बर्स की जो राय है और मोहन सिंह जी कह रहे थे कि जो आज हम इसे पास करने जा रहे हैं, हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसके रिपर्कशंस क्या होंगे? मैं कहता हूं कि उन्हें निकालना चाहिए। आज दस की बात है, कल एमपीलैड के सात आ गये और बहुत आएंगे। यही नहीं है। यहां पर मोहन सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है। कल को असेम्बली में जाएगा, कोई भी रूलिंग पार्टी आएगी, किसी पेपर में फिर आएगा और इसके पीछे क्या-क्या होगा, यह किसी को मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा। यह ऐतिहासिक फैसला है। इतनी जल्दी से अगर हम लेंगे तो इसके जो रिपर्कशंस होंगे, उसका अन्दाजा आप नहीं लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बेगुनाह नहीं मानता हूं कि वे बेगुनाह हैं। कोई कहता है तो कहे लेकिन इसे पास करने के बाद जो कुछ होगा, इसके लिए मेरी चिंता है कि इसके बाद क्या होगा और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आप आज उनको निकाल देते हैं, कल को वे फिर चुनकर आ गये तो उसकी क्या पोजीशन होगी? लोग उनको फिर दुबारा चुनकर भेज देते हैं, फिर क्या होगा? क्या वे फिर यहीं पर बैठेंगे? इसके अलावा बसुदेव आचार्य जी के जो सुझाव हैं, मैं उसके हक में हूं कि संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए कि लोगों को अधिकार मिलना चाहिए कि अगर उनका कोई नुमाइंदा चाहे वह एम.एल.ए. हो या एम.पी. हो, जब कोई गलत काम करेगा तो वापस बुला सकें। सबसे अच्छा यही होगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य चीज जिस पर मुझे दुख हुआ वह यह है कि यह सदन की गरिमा का सवाल है, लेकिन इसमें जिस तरह से पॉलिटिक्स लाई गयी, वह गलत है। हमारे लिए सोचने की बात यह है कि हमारा जो पूरा सिस्टम खराब हो गया है, उसे कैसे सुधारा जाए? माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह जी ने ठीक कहा है कि कितने ऐसे एम.पी. हैं जो अपना सही एकाउण्ट देते हैं कि चुनाव में कितना खर्च किया और अपनी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा देते हैं? कल को मीडिया हो या कोई अन्य आर्गनाईजेशन हो, वह कोई बात सामने लाए तो क्या आप सभी को निकाल सकेंगे? इसलिए इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। न तो मल्होत्रा जी ने और न ही इस सदन के अन्य किसी सदस्य ने यह कहा है कि उन दोषी सदस्यों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यह कहा है कि अगर इसके लिए कुछ और समय दिया जाए, जब तक बजट सत्र आता है, बंसल कमेटी को ही इसे दे दीजिए कि वह अन्य सदस्यों को भी सुने जो अपने सुझाव देना चाहते हैं और इस पर विचार करे कि इस कदम के क्या-क्या रिपर्करशन्स भविष्य में हो सकते हैं। अगर इस पर एक-दो महीने का और समय डिस्कस करने के लिए दिया जाए और इस प्रस्ताव को अगले सत्र में लाया जाए तो मैं और मेरी पार्टी इस हक में हैं कि ऐसा करने वाले मेम्बर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए इतनी भी क्या जल्दी है? इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि कुछ और समय दिया जाए और यह देखा जाए कि इसके क्या रिपर्कशन्स हो सकते हैं। इसलिए हम मोशन का सपोर्ट करते हैं लेकिन माननीय सदस्यों ने अपने जो सुझाव रखे हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है, हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है कि लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आज पार्लियामेंट क्या फैसला करती है, साथ ही मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि उनको माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, उनको हाउस से निकाल देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पूरी बहस होनी चाहिए। यही बंसल कमेटी इस पर विचार करे, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करे, चर्चा करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मल्होत्रा जी ने यह बात कही तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका यह कहना तो नहीं है कि हम उनको माफ करने जा रहे हैं, हम सभी उसके खिलाफ हैं। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है, यह तो पूरे सदन की बात है और इससे पूरे सदन की बदनामी हुई है। आज बी.जे.पी. के ज्यादा सदस्य इसमें हैं, कांग्रेस के कम हैं, कल को किसी अन्य दल के ज्यादा होंगे तो यह पार्टी का सवाल नहीं है, यह सवाल है सदन की गरिमा का। उस गरिमा को कैसे बचाना है, उस पर आपको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर बैठकर, जो लीडर ऑफ दि हाउस हैं वे अगर इस पर दुबारा विचार कर सकें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हम इस मोशन के साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर विचार करने के लिए कुछ समय दे दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं होगा। यही मेरा सुझाव है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यो, मद संख्या 30 नियम 377 के अधीन मामले जो कि आज की कार्य-सूची में दिए गए हैं उन्हें सभा पटल पर रखा माना जाए। ये कार्यवाही का भाग बनेंगे।

[हिन्दी]

(एक) गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री किसनभाई वी. पटेल (बलसाड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बलसाड में वापी शहर में अहमदाबाद-मुम्बई रेलवे लाईन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में वापी के पास रेलवे लाइन की एक तरफ जी.आई.डी.सी. का इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जी.आई.डी.सी. की बहुत बड़ी टाउनशिप है इसके दूसरी तरफ पूरा वापी शहर है। इस शहर के लाखों नागरिकों को अपने काम धंधे के लिए रोज रेलवे लाइन पार करके जी.आई.डी.सी. के इंडस्ट्रियल एरिया में आना जाना पड़ता है। इसी प्रकार वापी शहर के हजारों छात्रों को भी अपने स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए इस रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है, किंतु इस रेलवे लाइन पर यातायात इतना अधिक है कि वापी के नागरिकों को अपना बहुत समय व्यर्थ बरबाद करना पड़ता है। यहां के लोग लंबे समय से वापी में इस रेलवे लाइन पर एक पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस रेलवे लाइन पर वापी में एक पैदल पुल का निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें।

(दो) राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक है। इसका 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। इसमें लिखित लाखों हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहालयों में पड़े हैं। राजस्थानी की स्वतंत्र व्याकरण है। पाकिस्तान में जो राजस्थानी व्याकरण चलती है, उसका नाम राजस्थानी कायदो है। शिकांगो विश्वविद्यालय, अमेरिका के दक्षिण एशियाई भाषा विभाग में राजस्थानी व्याकरण। इसके कई तरह के शब्दकोष हैं। पदमश्री सीताराम लालस का सबसे बड़ा राजस्थानी शब्दकोष है, जिसमें 2 लाख 50 हजार शब्द हैं। राजस्थानी की मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी, मारवाड़ी, ढूंढाडी, हाडौती, मेवाती, भीली, ब्रज, खानाबदोषी बोलियां इसके अंग हैं एवं डिंगल व पिंगल इसकी प्राचीन शास्त्रीय कविता की शैलियां हैं। इस तरह राजस्थानी भाषा रेडियो, दूरदर्शन के समाचारों व अन्य कार्यक्रमों में दशकों में मान्य भाषा है। केन्द्र सरकार की साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं के समकक्ष राजस्थानी को मान्यता दे रखी है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भी काम कर रही है। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये। इस संबंध में 25 अगस्त, 2003 को राजस्थान की विधान सभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेज दिया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा जाये।

(तीन) पौंग डैम के शेष विस्थापितों को बसाए जाने की दृष्टि से "आवंटन नियमों" में संशोधन के लिए राजस्थान सरकार को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): मैं राजस्थान में पोंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दा उठाना चाहता हूं। लगभग 35 वर्ष पूर्व बांध के लिए लगभग 75 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी थी जो बाद में पानी में डूब गयी। इससे लगभग 339 गांवों के 20 हजार परिवार प्रभावित हुए। 339 गांगों में से 223 गांव पूरी तरह पानी में डूब गये थे जबकि शेष गांव आंशिक रूप से पानी की चपेट में आये। राजस्थान सरकार के आवंटन नियमों के तहत 16,352 विस्थापितों को भूमि आवंटित करने हेतु योग्य घोषित किया गया था। पहले चरण में 1980 में 9196 तथा वर्ष 2000 के बाद दूसरे चरण में शेष 1384 विस्थापितों को भूमि आवंटित की गयी। बाकी बचे विस्थापितों को पुनर्वासित करना अभी शेष है। जो आवेदनकर्ता समय पर अपने योग्यता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके थे उनके आवेदन भी बाद में राजस्थान सरकार को भेज दिये गये। लेकिन राजस्थान सरकार ने इन प्रमाणपत्रों को इस आधार पर मंजूर नहीं किया कि इन्हें नियमों का उल्लंघन कर जारी किया गया है। लगभग 3000 योग्यता प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया

*सभा पटल पर रखे माने गए।

गया। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा 1992 में आवटंन नियमों, विशेषकर नियम 6(क) में किये गये संशोधनों को रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर विभिन्न जिला न्यायाधीशों द्वारा 2000 से अधिक रद्द किये गये आवंटनों की समीक्षा की गयी थी। राजस्थान सरकार के "आवंटन नियम" (1975 के नियमों का उपनिवेशन) पोंग बांध विस्थापितों हेतु सरकारी जमीन आवंटित करने में सबसे बड़ी बाधा हैं। राजस्थान सरकार को इन नियमों में संशोधन करना चाहिए ताकि शेष बचे विस्थापितों को शीघ्र पुनर्वासित किया जा सके। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले को राजस्थान सरकार के समक्ष उठाये ताकि शेष विस्थापितों को यथाशीघ्र पुनर्वासित किया जा सके।

(चार) दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): हाल में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा डी.जी.एच.सी. ने गोरखा हिल कौंसिल, दार्जिलिंग को छठी अनुसूची में शामिल किये जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए, अब गोरखा हिल कौंसिल को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए, मेरा मानना है कि गोरखा हिल कौंसिल के लोगों के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग पूरी तरह जायज है क्योंकि उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय दार्जिलिंग हिल के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इस विश्वविद्यालय ने गत 43 वर्षों से दार्जिलिंग हिल्स के शैक्षणिक विकास को बाधित किया हुआ है। वर्तमान में दार्जिलिंग के संबद्ध महाविद्यालय उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को अपनाते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नहीं बनाये गये हैं और न ही पहाड़ी लोगों की जरूरतों से मेल खाते हैं। उचित शिक्षण तथा स्वयं का अनुसंधान केन्द्रित विश्वविद्यालय न होने के कारण हिल्स में हिल्स से संगत विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दक्ष, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिल पाते। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र दार्जिलिंग हिल क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों के अनुकूल नहीं रहता क्योंकि दार्जिलिंग हिल में शीतावकाश बहुत लंबा होता है और यह दिसम्बर से फरवरी के अंत तक रहता है।

दार्जिलिंग हिल्स के छात्र-छात्राओं तथा लोगों ने यह मांग कभी नहीं उठायी कि उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध दार्जिलिंग हिल्स के महाविद्यालयों में पहाड़ी क्षेत्र उन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाये। इससे बड़ी विभ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की यह पुरजोर और सर्वसम्मति से मांग है कि वर्तमान सरकार वहां एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे। छठी अनुसूची के अंतर्गत गोरखा हिल कौंसिल का गठन तब तक अधूरा रहेगा जब तक वहां एक उपयुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जाती।

दार्जिलिंग हिल्स जैव-विविधता वाले महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है और जैव-संसाधनों में यह बहुत अधिक सम्पन्न है। विकास गतिविधियों हेतु जैव-संसाधनों, जैव-विविधता जैव-तकनीक का अध्ययन और यहां तक कि दार्जिलिंग हिल्स में सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी भाषाओं से संबंधित अध्ययन विश्वविद्यालय न होने के कारण पिछड़ रहा है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह संसद के अधिनियम के तहत एक पूर्णकालिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दार्जिलिंग के लोगों के सपनों को पूरा करें।

(पांच) उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने के लिए अनुच्छेद 371 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र को दिये गये विशेष दर्जे की भांति उत्तर कर्नाटक क्षेत्र - जिसमें गुलबर्ग, बीदर, बेल्लारी, कोप्पल तथा रायचूर जिले आते हैं - को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371 में संशोधन किये जाने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय गृहमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है।

यहां पर मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्रालय के एक पत्र के जवाब में अपने पूर्व के इस प्रस्ताव को दोहराया है कि केन्द्र सरकार उत्तर कर्नाटक के इन जिलों में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत प्रावधान करे।

कर्नाटक के गुलबर्गा, बीदर, बेल्लारी, कोप्पल तथा रायचूर जिला बुनियादी ढांचा तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में आते हैं।

इस क्षेत्र के लोगों की काफी समय से लंबित और लगातार की जा रही इस मांग के मद्देनजर मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन किया जाये जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में किया गया है।

(छह) मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सी.जी.एच.एस. औषधालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर): इंदौर में रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी की बहुत अधिक आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी होने के कारण इंदौर में 20 हजार से भी अधिक केन्द्रीय कर्मचारी रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोग सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिन्हें अपनी चिकित्सा सुविधाओं के लिए मात्र 1000 रुपये प्राप्त होता है। वर्तमान में तो डाक्टर के पास एक बार जाने का ही खर्च, यदि जांच और दवाई आदि को जोड़ लें, एक हजार रुपये से अधिक हो जाता है। अब हम सोच सकते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी पर कितना अधिक खर्चा आता होगा। वृद्धावस्था में तो स्वास्थ्य की ओर और अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। केन्द्र सरकार कर्मचारी समन्वय समिति ने डिस्पेंसरी के लिए एक चार सदस्यीय एम.आई.सी. क्वार्टर का भी प्रबन्ध किया है। जुलाई, 2003 में माननीय मंत्री जी ने इंदौर में सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खोलने की घोषणा की थी लेकिन इसे अभी तक खोला नहीं गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इंदौर में शीघ्र सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी खुलवाये।

(सात) राजस्थान में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पूरे साल के दौरान विद्युत की बहुत कमी रहती है। राज्य में पारम्परिक ऊर्जा स्रोत कोयला, गैस एवं जल नहीं है। विद्युत मांग में निरंतर तेजी से वृद्धि हो रही है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना (आर.ए.पी.पी.) की प्रथम इकाई के बंद होने के कारण अक्तूबर, 2004 से विद्युत उत्पादन बंद है और उसके पुनः चालू होने की संभावना बहुत कम है, राजस्थान आणविक विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 220 मेगावाट थी परन्तु उत्पादन केवल 200 मेगावाट ही हो रहा है। आर.ए.पी.पी. की तृतीय एवं चतुर्थ इकाई जो क्रमशः दिसम्बर, 1999 एवं दिसम्बर, 2000 में चालू हुयी थी, परन्तु इन इकाइयों में भी आबंटन में कमी के कारण विद्युत उपलब्धता की स्थिति और भी खराब हुयी है। यद्यपि तीसरी और चौथी इकाई से उत्पादित विद्युत की लागत अधिक होने के कारण इन इकाइयों से कोई भी राज्य विद्युत क्रय करने को रजामंद नहीं था। अतः राजस्थान ने 01 दिसम्बर, 2000 से अधिक लागत वाली विद्युत क्रय करने के लिए अपनी सहमति दी थी। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 27 दिसम्बर, 2000 से आर.ए.पी.पी. की तृतीय इकाई से राजस्थान का विद्युत आबंटन बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया था, परन्तु चौथी इकाई से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान को किसी प्रकार का आबंटन नहीं किया गया। इसलिए यह आबंटन पीक ऑवर्स से ऑफ पीक ऑवर्स के दौरान परिवर्तनीय रहने के साथ साथ अन्य राज्यों का आबंटन भी परिवर्तनीय रहा। परिणामस्वरूप राजस्थान के किसानों एवं उद्योगों की मांग की पूर्ति करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

चूंकि राजस्थान कोयला क्षेत्र से अत्यधिक दूरी पर स्थित है और राज्य में ऊर्जा स्रोत भी कम हैं। अतः ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध है कि आर.ए.पी.पी. की प्रथम इकाई के स्थायी तौर पर बंद होने के कारण उसकी भरपायी हेतु तृतीय एवं चतुर्थ इकाई के आबंटन में वृद्धि की जाये तथा तृतीय एवं चतुर्थ इकाई की शेष क्षमता का 85 प्रतिशत भी राजस्थान को आबंटित किया जाये। पांचवीं एवं छठी इकाई से आबंटन अधिष्ठापित क्षमता का 85 प्रतिशत किया जाये।

(आठ) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग पर फाटकों का निर्माण करने के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के चुरू संसदीय क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काफी सड़कों का निर्माण किया गया है व किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन जिन गांवों को इस योजना में जोड़ा गया है, जहां रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है, वहां रेलवे फाटक के अभाव में इन सड़कों को जोड़ने का कार्य अधूरा है। ग्रामवासियों को इसमें लाभ होने वाला नहीं है। ये गांव कागजों में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन धरातल पर यहां के ग्रामवासी सड़क के उपयोग से वंचित हैं। चुरू संसदीय क्षेत्र की विधान सभा क्षेत्र चुरू, सादुलपुर, राजगढ़, तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़ व लाडनूं क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत काफी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें काफी सड़कों के लिए रेल लाइन को क्रोसिंग करना पड़ता है। अतः ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इन रेलवे क्रोसिंग के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें ताकि रेलवे लाइन पर फाटक का निर्माण हो सके, जिससे ग्रामीण जनता इस सुविधा का लाभ उठा सके।

(नौ) हरियाणा में एक रक्षा अकादमी स्थापित किए जाने और सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने जिससे कि

उन्हें कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों के समान मुआवजा उपलब्ध हो सके, की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार को शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को, कम से कम उन बच्चों को जो सैन्य बलों हेतु आवश्यक शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं करते, अपनी ओर से रोजगार प्रदान करना चाहिए। राज्य के सशस्त्र बलों में उनकी वर्तमान संख्या आनुपातिक प्रतिनिधित्म में हो इसके लिए शहीद परिवारों की उचित देखभाल होना जरूरी है।

आजादी के बाद के विभिन्न युद्धों/आपरेशनों में अब तक जितने शहीद हुए हैं उन सबको करगिल के शहीदों के समान मानते हुए समान वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इससे स्वतंत्र भारत में सभी शहीदों को बराबरी का हक मिल सकेगा।

यहां तक कि जो सैनिक आतंकवाद विरोधी आपरेशनों अथवा आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों से जूझते हुए मारे गये हैं उन्हें भी युद्ध के नायक का दर्जा दिया जाये और करगिल युद्ध के नायकों की भांति उन्हें भी वैसी ही आर्थिक सहायता और सुविधाएं दी जायें।

हरियाणा में एक रक्षा अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। सशस्त्र बलों में हरियाणा की संख्या को देखते हुए यह सर्वथा उपयुक्त मांग है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

(दस) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के उन किसानों को जिनकी जमीनें वायुसेना द्वारा अधिगृहीत कर ली गई है, मुआवजा दिलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में मेरे लोक सभा क्षेत्र श्री गंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तहसील की 47 एकड़ भूमि 1995 में वायुसेना ने अधिग्रहण की थी तब से लेकर अब तक सेना वहां विकास का कोई भी कार्य नहीं करने देती है। किसानों की भूमि पर कोई मकान तक नहीं बना सकता। सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने के बाद ऐवार्ड भी कर दिया। कुल भूमि का एवार्ड केन्द्र सरकार ने 1 अरब 59 करोड़ की अनुमानित लागत कर बजट भी बनाया, परन्तु अभी तक मुआवजा जारी नहीं किया।

मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसानों की जमीन का मुआवजा तुरंत जारी करें अन्यथा किसानों को जमीन वापस लौटायी जाये। पूरा का पूरा किसान बरबाद हो गया, वहां पर किसानों को खाने का अन्न पैदा भी नहीं होता। इसलिए किसान दयनीय स्थिति में है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा तुरंत जारी करे ताकि किसान परेशान न हो।

(ग्यारह) छंटनी किए गए उन मजदूरों जिन्हें कन्याकुमारी जिले के त्रिवेन्द्रम रेलवे डिवीजन में निर्माण कार्य में लगाया गया था, को पुन: वापस लेने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): कन्याकुमारी जिले में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान सैकड़ों मजदूर कई वर्षों के लिए नियुक्त किए गए थे। जब 1989 में रेलवे शुरू हुईं तो इन मजदूरों की सेवा समाप्त कर दी गई। यह श्रम कानूनों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनमें कुछ ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी तथा माननीय न्यायालय ने रेलवे प्राधिकारियों को उन मजदूरों के पैनल बनाने तथा उन्हें भविष्य में चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध आमेलित करने का आदेश दिया था। उनमें से कुछ लोगों के नाम पैनल में दर्ज किए गए थे। कुछ लोगों को पंजीकृत करने से मना कर दिया गया। पंजीकृत मजदूरों में से बहुत ही कम लोगों को रोजगार दिया गया। उनमें से कई लोग पैनल की प्रतीक्षा सूची में हैं। वे लोग भी जिनका नाम पंजीकृत नहीं है रेलवे में रोजगार की प्रतीक्षा में है। वे गरीबी में जीवन जी रहे हैं और उनमें से अधिकांश बूढ़े हो गए हैं। सरकार को चाहिए कि वह रेलवे के त्रिवेन्द्रम डिवीजन में छंटनी किए गए सभी मजदूरों को आमेलित करने के लिए एक योजना बनाने की पहल करे।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सम्भल और गजरौला के बीच हसनपुर होते हुए एक नई रेलवे लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद के अंतर्गत काफी दिनों से विचाराधीन पड़ी कम दूरी की एक रेलवे लाइन संभल-गजरौला वाया हसनपुर मुरादाबाद मंडल की ओर दिलाना चाहता हूं। कई साल पहले इस लाइन का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से सर्वे होकर भी यह

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

प्रोजेक्ट पैंडिंग पड़ा हुआ है। कुल 50 कि.मी. से भी कम दूरी के इस रेल मार्ग को बनाने की मांग बरसों से यहां के लाखों नागरिक करते आ रहे हैं। संभल में ऐरिया की मैंथा ऑयल की मंडी होने की वजह से भी यह रेलवे लाइन व्यवसायिक रूप से बहुत जरूरी है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप संभल-गजरौला वाया हसनपुर के इस छोटे से रेल मार्ग का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू करवाने का कष्ट करें।

(तेरह) सम्राट अशोक के जन्म दिवस पर सार्वजनिक आवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की यह विशेषता रही है कि हम सदैव महान और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करते रहे हैं, पर आजादी के 57 साल बीत जाने के बाद भी हमने इस देश के ऐसे महान सम्राट के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं प्रकट की, जिसके वह वाकइ हकदार थे। सम्राट अशोक महान जिनके द्वारा सारनाथ में भगवान बुद्ध के प्रथम धाम्य दर्शन स्थल को चिर-स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक लाट (स्मृति चिन्ह चार सिंह) शीर्ष स्तंभ बनवाया था। सम्राट अशोक महान की लाट को भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकारा गया है जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और मानव मंगलकारी आदर्श का प्रतीक है। आज तक हमारे देश में सम्राट अशोक महान के नाम से न तो कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है और न ही उनके जन्मदिन (चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टी 296 इ.पू.) पर कोई अवकाश घोषित है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त जन्मदिन पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाये।

(चौदह) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसदों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेंद्र अग्रवाल (चतरा): अध्यक्ष महोदय, देश के विकास एवं लोगों को सुविधायें दिलाने हेतु केन्द्र सरकार की कई प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, उनका फायदा लोगों को हो एवं आबंटित राशि का पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं इसके लिए केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिये हैं, जिसके कारण इन योजनाओं के लिए आबंटित होने वाली पैसे का केवल 15 से 20 प्रतिशत ही इन कामों पर खर्च हो रहा है। इन कार्यों को करने में स्थानीय सांसदों के सुझावों को नहीं माना जाता है और राज्य सरकार के अफसर अपने तरीके से काम करते हैं जो उनको सुविधाजनक होता है। राज्यों में जो राज्यों की तरफ से योजनाएं चलायी जाती हैं उसमें स्थानीय विधायकों की राय एवं सुझाव माने जाने हेतु राज्य सरकारों के निर्देश हैं, परन्तु केन्द्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसदों की बात नहीं मानी जाती है जिसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की अनपढ़ एवं कम पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि उनके लिए केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है केवल राज्य सरकार ही उनके लिए काम कर रही है। केन्द्र सरकार कई गैर सरकारी संगठनों को कई योजनाओं को लागू करने हेतु केन्द्र स्तर पर पैसा देती है उनमें भी सांसदों की कोई भूमिका नहीं है और न ही उनकी कोई राय मानी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं सांसदों के क्षेत्र में चल रही हैं और निगरानी एवं सतर्कता कमेटी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की हैसियत से राज्य सरकार के अधिकारियों की शिकायतें केन्द्र सरकार को करते हैं वह भी राज्य सरकार के अधिकारियों को जांच हेतु भेजी जाती हैं जोकि न्यायसंगत नहीं है।

सदन के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में स्थानीय सांसद की राय लेने का नियम बनाया जाये।

(पन्द्रह) नई दिल्ली के साथ हवाई सम्पर्क सहित बिहार में गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र, गया, बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य में काफी अनियमितता भी बरती जा रही है जिसके कारण इसमें देरी हो रही है। गया एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक एवं धार्मिक स्थल है। दिल्ली से गया के लिए कोई उड़ान नहीं होने के कारण, पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विदेशी पर्यटक उससे निरूत्साहित हो जाते हैं।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाया जाये एवं दिल्ली से गया के लिए एवं फिर गया से दिल्ली के लिए एक उड़ान की अनुमति यथाशीघ्र दी जाये।

(सोलह) उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की कृषि योग्य भूमि को यू.पी.एस.आई.डी.सी. और एल.आई.डी.ए. द्वारा अधिगृहीत किए जाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, लखनऊ औद्योगिक

विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत किया जा रहा है तथा कानपुर के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस. आई.डी.सी.) द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के किसानों की भूमि को अधिग्रहीत किए जाने की योजना है। वर्तमान में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का बाजारी दर 8 लाख रुपये प्रति बीघा के आसपास है। लेकिन लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की दर बहुत ही कम जो कि नाममात्र की है, दिया जाना प्रस्तावित है।

मेरा संसदीय क्षेत्र उन्नाव एक बहुत ही अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मेरे क्षेत्र के कृषकों की आय का एकमात्र साधन भी केवल कृषि भूमि ही है। उनकी भूमि अधिग्रहीत किए जाने के पश्चात इन कृषकों की जीविका का सहारा छूट जायेगा। इस प्रकार से लखनऊ और कानपुर के विकास के लिए मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र उन्नाव के गरीब कृषकों की भूमि को अधिग्रहीत किया जाना उचित नहीं है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र उन्नाव के गरीब कृषकों की भूमि को अधिग्रहीत न किए जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करें।

(सत्रह) तमिलनाडु के होसूर में आई.टी. कंपनियां और टाइडल पार्क स्थापित किए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरी): महोदय, मेरे कृष्णागिरि चुनाव क्षेत्र में होसूर एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बंगलौर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। होसूर के पास पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं और सड़क तथा रेल से इसके अच्छे संपर्क हैं। विभिन्न प्रकार के बड़े, मझोले तथा छोटे उद्योग जैसे विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल, अभियांत्रिक लौह तथा स्टील के उद्योग यहां फल-फूल रहे हैं। होसूर का उद्योग इस जिले के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने का एक मात्र साधन है। इन उद्योगों में एक पिन से लेकर वायुयान तक बनते हैं और इसका श्रेय यहां के अच्छे जलवायु संबंधी स्थिति को जाता है।

बागवानी तथा पुष्पकृषि इस जिले को और सम्मान दिलाती है। यहां पर कई बागवानी तथा पुष्पकृषि की इकाइयां अवस्थित हैं। सभी फलों में आम के उत्पादन का पहला स्थान है। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

बंगलौर से इसकी नजदीकी के कारण सूचना प्रौद्योगिकी में यहां निवेश के लिए काफी गुंजाइश है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण होसूर सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए एक आदर्श स्थान है।

यहां मौजूद संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए होसूर को संभाव्य उपग्रह शहर बनाने की अत्यंत आवश्यकता है तथा चेन्नई की तरह होसूर में और औद्योगिक कम्पनियां तथा टाइडल पार्कों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए जिससे पास के बंगलौर शहर पर आबादी का दबाव निश्चित रूप से कम होगा तथा देश में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक लोगों को और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

(अठारह) केरल में चाय, कॉफी और रबर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाए किए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, केरल में चाय कॉफी और रबर के बहुत सी भूसम्पत्तियां हैं। इन भूसम्पत्तियों पर लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। अधिकांश भूसम्पत्तियां निजी व्यक्तियों और बड़े व्यापारिक घरानों की हैं। हाल में यह देखा गया है कि बड़े व्यापारिक घराने इस व्यवसाय को छोड़ रहे हैं और वे अन्य विविध व्यवसायों में जा रहे हैं। वे लोग अपनी भूसम्पत्तियों को निजी हाथों में तथा अन्य दिलचस्पी रखने वाले लोगों जैसे - प्रवासी भारतीयों को टुकड़ों में बेच रहे हैं। इन भूसम्पत्तियों के नये मालिकों को यहां पर काम करने वाले मजदूरों की भलाई के बारे में जरा भी चिंता नहीं है। वे मजदूरों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के लिए या ठेके पर काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वे नियमित कर्मचारियों की भी छंटनी कर रहे हैं। लाखों मजदूरों की आजीविका के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि मजदूरों को आजीविका वंचित न होना पड़े।

(उन्नीस) कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के स्थायी हल ढूंढने के लिए महाजन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): महोदय, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेलगाम नगर निगम ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें कहा गया है कि बेलगाम को महाराष्ट्र को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इस समय, सीमा क्षेत्र

[श्री एम. शिवन्ना]

में कानून और व्यवस्था की समस्या है। दोनों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। आम जनता को इस थोड़े से अनैतिक लोगों द्वारा लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

हमारे पूर्वज, स्वतंत्रता सेनानी तथा नित्तुर रानीचेन्नाम्मा जैसे शासक पूरे देश की आजादी के लिए लड़े थे, किसी एक राज्य के लिए नहीं। इस तथ्य को राज्य तथा केन्द्र दोनों ने समझा है। लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या का कोई स्थायी समाधान खोजना होगा।

इसलिए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह महाजन आयोग की रिपोर्ट को अविलम्ब पूर्ण रूप से लागू करे।

(बीस) आरक्षण नीति को सांविधिक आधार प्रदान करते हुए विधि अधिनियमित करने जिसमें इसे कार्यान्वित न करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का उपबंध हो, की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): वर्तमान में आरक्षण की नीति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यपालिका अनुदेशों द्वारा शासित होती है। चूंकि यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हुई है, यह सिफारिश की जाती है कि इस नीति को सांविधिक आधार देने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें उन व्यक्तियों/प्राधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान किए जाएं जो इसको क्रियान्वित न किये जाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए। लोक सभा, विधान सभा सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं और अन्य सभी संगठनों, निगमों आदि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सभा तथा राज्यों में विधान परिषदों में अनु. जाति और अनु. ज. जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यह आरक्षण सख्ती के साथ उनकी जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए।

भूमि सुधार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अनु. जाति और अनु. ज. जाति के बीच अतिरिक्त भूमि के वितरण के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अंतरण विनियमों के क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए और जहां कहीं भी जनजातीय लोगों की भूमि का अनधिकृत रूप से अंतरण हुआ है वहां भूमि के मालिकों को उनकी भूमि वापस करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उन्हें अपने हितों के लिए लड़ने हेतु एसोसियेशन बनाने में उनकी मदद की जानी चाहिए।

यह अनुरोध किया जाता है कि इस सम्बंध में कृपया तत्काल कार्रवाई की जाए।

अपराह्न 3.40 बजे

कुछ सदस्यों द्वारा कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने हेतु समिति की रिपोर्ट के बारे में प्रस्ताव - *जारी*

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

जब मैं 22 वर्ष की एक युवा लड़की थी तो मुझे याद है वो दिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी को इसी सभा से निकाला गया था जबकि वे हमारी इसी सभा के लिए एक बहुत कठिन और संघर्षपूर्ण चुनाव लड़कर आई थीं। मुझे वह दिन याद है जब उन्हें निष्कासित किया गया था। उन्हें यहीं से कहा कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। मुझे याद है कि हम सब कितने दुखी थे। मैं पहली बार उन्हें ले जाने के लिए संसद आई थी। हम दोनों मिले और मुझे याद है कि वे एक छोटा सा गाना गा रही थीं। मुझे याद है कि वह गाना बिना सुनवाई के किसी को फांसी दिए जाने के बारे में था; और मुझे याद है कि वह एक बुरा दिन था। उन्होंने कहा था कि इसका भविष्य की घटनाओं पर बड़ा गहरा साया बना रहेगा - उन्होंने 'शैडो' शब्द का उपयोग किया था। कई वर्षों के बाद हम उसी की पुनरावृत्ति देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि, वे जो कुछ भी थीं, अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि उस शाम का वह साया कितना गहरा है। आज, हम दस लोगों के साथ वैसा ही कर रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और श्री प्रणब मुखर्जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए हैं जिसमें दोनों ने, प्रो. मल्होत्रा के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अलावा, मूल रूप से एक ही बात कही है।

मैं यह पूछना चाहती हूं कि इस सभा का मानदण्ड क्या है? हम भ्रष्टाचार के बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित करना चाहते हैं? आज हम मूलतः इस बात का निर्णय कर रहे हैं - दस लोगों को निष्कासित करने का नहीं क्योंकि वह अप्रासंगिक है - कि सम्मान को लेकर हमारा व्यक्तिगत मानदण्ड क्या है। क्या यह मानदण्ड बनने जा रहा है कि कोई भी धन के लिए प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि इन दस लोगों ने यही किया था? क्या यही हमारा मानदण्ड होने जा रहा है और अन्य कुछ भी नहीं? क्या यह इससे आगे नहीं जाता? क्या हमें अपने मानदण्ड में उन लोगों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनके विरुद्ध आरोप

पत्र दाखिल किया गया है, जो लोग जमानत पर हैं और इस सभा में बैठे ऐसे लोग जिन्हें पुलिस ने फरार घोषित किया है। यह मानदण्ड रहा है कि जो लोग जमानत पर हैं या उनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है या उन्हें पुलिस द्वारा फरार घोषित किया गया है, जो कि बाद में आता है, को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। आज, हम जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें वह मानदण्ड बिलुप्त हो गया है।

मैं अगली बात यह कहना चाहती हूं कि यदि आप यह कहते हैं कि यह टेलीविजन पर था और इसलिए ठीक ही है, तो क्या हम टेलीविजन को ही स्वीकार कर लेंगे या हम अपना दायरा किताबों और साहित्य तक भी विस्तृत करेंगे? उस मामले में क्या हम वोल्कर समिति के प्रतिवेदन को लेंगे और क्या हम मित्रोखिन अभिलेख को भी लेंगे? मेरे पति के बारे में बहुत निरर्थक बातें लिखी गई। क्या हमें उन्हें पूर्णतया सही मानकर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए? क्या हमें उन्हें अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए? यदि हम उन्हें सत्य नहीं मानते तो हमें संभवतः यह भी देखना चाहिए कि टेलीविजन के उस खुलासे के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है और किसने इसे प्रेरित किया। क्योंकि जब तक हम परिदृश्य को नहीं देख लेते तब तक हम किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं मान सकते।

इसका अगला पहलु यह है कि इन लोगों ने रिश्वत ली है। ठीक है, भारतीय दण्ड संहिता में रिश्वत लेने वालों और रिश्वत देने वालों दोनों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। क्या उनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है? उन पर मुकदमा चलवा दीजिए; उन्हें जमानत लेने दीजिए या फिर वे जेल जाएंगे। कानून को अपना काम करने दीजिए; अभी कानून ने अपना काम नहीं किया है। इसमें से किसी ने भी या इस सभा में से कोई भी न्यायालय नहीं गया है या प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। किसी भी पक्ष ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमने यह किया है कि हमने जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त समझा उन्हें लागू कर दिया क्या ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त हैं? क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सजा का निर्धारण अपराध के अनुसार नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कि हम उन्हें निष्कासित कर देते हैं। यदि हम उन्हें निष्कासित कर देते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है परन्तु यदि उनके दल - जो कि उनके क्षेत्राधिकार में भी है और जैसा कि पार्टियां करती हैं - पुनः उन्हें ही टिकट दे देती हैं और वे चुनाव में खड़े हो जाते हैं और फिर आज हमने जातिगत ढांचों और अन्य चीजों से जो एक अस्त-व्यस्तता का माहौल जैसा बना दिया है उसमें वे जीत जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं तो क्या वे दोषमुक्त हो जायेंगे?

क्या हम उन्हें पुनः माननीय सदस्यों की भांति स्वीकार कर लेंगे? क्या हम प्रसन्न होंगे और यह कहेंगे कि उनके पाप समाप्त हो गये हैं? क्या हमारे मानदण्ड तब भी बने रहेंगे क्योंकि वे चुनाव जीत चुके हैं? क्या हमें प्रत्येक अपराध को जनमत पर छोड़ देना चाहिए या उसे समुचित रूप से अभियोजित न होने देने के अपने दुष्परिणाम होंगे?

कई वर्ष पूर्व एक न्यायधीश पर इस माननीय सभा में महाभियोग लगाया जाना था। उस समय, यहां उपस्थित माननीय मंत्री जी, जो आज उन्हें निष्कासित करने के निर्णय के पक्ष में हैं, उनके वकील थे और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उनका बचाव किया कि उनपर महाभियोग नहीं लगाया जा सका। यदि इन आरोपियों के पास एक वकील होता और यदि इन्हें एक वकील की सेवाएं लेने की अनुमति दी जाती तो संभवतः, तो कौन जानता है कि यह मामला क्या रूप लेता? वे परेशानी की हालत में जांच समिति के सामने आए। अंततः वे एक अरब लोगों के सम्मुख एक घृणित अपराध के आरोपी थे। संभवतः उन्हें यह नहीं सूझ रहा था कि वे क्या कहें। क्या हमें उन्हें इसके लिए संदेह लाभ नहीं देना चाहिए? यदि आप उन्हें निष्कासित ही करना चाहते हैं तो उन्हें वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर लेने के बाद निष्कासित कीजिए, जैसा कि उस न्यायशीध के मामले में किया गया था। न्याय न केवल किया जाना चाहिए अपितु ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय किया गया है; अन्यथा हम सभी बुरा दिखने और लोगों के सामने कलंकित होने के भय से भयभीत रहेंगे। आज हम इन लोगों को संसद से बाहर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यह लक्ष्मण-रेखा कहां तक जायेगी? क्या हम यह कहने की सीमा तक जाएंगे: "ठीक है, हमें यह व्यक्ति पसंद नहीं है, इसे उसी प्रकार बाहर कर दो जिस प्रकार हमने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को किया था।" क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखेंगे कि उसकी राजनैतिक विचारधारा क्या है और फिर उसके पश्चात उसे बाहर करेंगे? कौन जानता है कि यह सिलसिला कहां तक जायेगा?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा व अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है: "उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दीजिए फिर चाहे वह विशेषाधिकार समिति के सम्मुख हो या जो भी आप श्रेष्ठ समझें।" रिश्वत देने और रिश्वत लेने के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जो सही प्रक्रिया अपनाई जाती है वे भी उसी के अन्तर्गत आने चाहिएं।लेकिन आज हम यह कर रहे हैं कि हमने दिखावे के लिए एक जूरी सहित असंवैधानिक न्यायालय गठित कर दिया और उसे चार दिन का समय दिया है। यदि वहां सर्वाधिक उत्कृष्ट व्यक्ति भी बैठा हो तो भी उसके पास केवल चार दिन का ही समय है और उसे उसी में उनको फांसी देनी है या उन्हें निष्कासित करना है और अब हम उनका बचाव करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): सभापति जी, हम लोग पहली बार संसद में जीत कर आये हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि किसी को संसद से निकालने के लिए हमें बोलने की जरूरत होगी। लेकिन हमारे सहयोगी दल द्वारा जो मोशन लाया गया है, उसका हम समर्थन करते हैं और साथ ही साथ जिस तरह माननीय सांसदों को अपनी-अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बोलने का मौका दिया गया, मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने विचार रखना चाहता हूं। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपने विचार खुलकर रखे हैं उसकी तरह से इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट-मीडिया के अधिकारियों को भी एक दूसरे की आलोचना और आत्मावलोकन करने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी जाकर हमें कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए।

सभापति जी, आज जिनको इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाया गया है वे आरोपित हैं और उस पर किसी भी सांसद को आपत्ति नहीं हैं कि उन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा यह भी कहना है कि इन सांसदों को अपना पक्ष संसद में या माननीय स्पीकर साहब के सामने रखने का भी मौका मिलना चाहिए या इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। बहुत ही मेहनत और जीवन भर तपस्या करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस सदन की सीढ़ी पार कर पाता है, इसलिए आज भारतवर्ष का हर समाजसेवी, हर राजनेता, बड़े-बड़े पूंजीपति और मीडिया से जुड़े हुए लोग भी आज किसी न किसी रूप में चाहे लोकसभा हो या राज्य सभा, आने का प्रयास करते हैं। मेरा कहना है कि जिस तरह से इस विषय को और आपरेशन को दिखाया गया है, आज पूरी दिल्ली में और प्रायः लोकसभा तथा राज्यसभा व सारे संसद में आतंक का वातावरण है। कल हम लोग एक गाड़ी में बैठे, हमारे सामने ड्राइवर वहां की फेरी गाड़ी से बात करते हुए जा रहा था, हमें डर लगा, हमने उससे कहा कि ड्राइवर साहब यह सब बातें मत बोलिए। परसों रात को दो बजे एक आदमी ने हमारा दरवाजा खटखटाया और कहा कि सांसद जी आपसे रिजर्वेशन के लिए चिट्ठी लिखाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि माफ कीजिए, हम लोग रात में आपसे नहीं मिलेंगे। ऐसा वातावरण बना हुआ है, जिसमें हमें लगता है कि दिल्ली छोड़कर कब गांव जाएं, क्योंकि दिल्ली में आने के बाद अपने आदमी से भी बात करने में डर लग रहा है कि उनसे मिले या नहीं मिलें। ऐसी परिस्थिति बनी हुयी है। कामर्शियल चैनल वाले लोगों का उद्देश्य क्या था? उनका एकमात्र उद्देश्य था कि किस तरह से सनसनीखेज तरीके से पैसा आए और हमको लग रहा है कि जितने पैसे में उन्होंने शूटिंग किया था, उससे सौ गुना पैसा इस चैनल ने कमाया।...*(व्यवधान)* एक चैनल "आज तक" ने दिखाया, "इंडिया टी.वी." ने दिखाया और दूसरे टी.वी. चैनल भी फंड रिलीज कर रहे हैं कि दो-चार बकरों को खोजकर लाओ, हमारे चैनल की पापुलरिटी खत्म हो रही है। दूसरे चैनल वाले भी इस काम में लगे हुए हैं कि खोजो, वे कहां हैं। इसके पहले भी जब प्रिंट मीडिया थी, उन्होंने देश की समृद्धि, उन्नति और शांति के लिए प्रयास किए होंगे, लेकिन आज इलेक्ट्रानिक मीडिया जब से आया और जिस तरह से काम कर रहा है, यह तो पार्लियामेंट और दिल्ली की बात हैं, हमारे क्षेत्र में तो धमकी देकर कहा जाता है कि हम लोगों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से हम तुम्हारे बारे में उल्टा-सीधा लिखेंगे और दिखायेंगे। आज जिस तरह से माननीय सांसद लोगों ने कहा कि इस प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी यह इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया है। आज बालीवुड में भी फिल्मों द्वारा नेता को इतना बदनाम कर दिया गया है कि नेता का मतलब करप्ट, बेईमान, मक्कार, दोषी, उसको गोली देना, उसको लात मारना, सारी हिंदी फिल्मों में आज तक हम इसी चीज को देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि सारे देश में आज नेता की आर्थिक स्थिति क्या है? लेकिन सबसे ज्यादा नेता बदनाम है। आज भारतवर्ष में आई.ए.एस., आई.पी.एस. जो भी भारत के पॉश एरिया में हैं वहां देखिए, आई.जी., कमिश्नर के घर की स्थिति क्या है? पॉश एरिया में 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ का अपना घर खरीदे हुए हैं, लेकिन नेता ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप विषय से हट रहे हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: महोदय, हम लोग बहुत ही साधारण परियार से और विशुद्ध गांव से आए हैं। हमारे बाप-

दादा कभी राजनीति में नहीं थे, हम लोगों ने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था, हम लोग एम.पी. बनकर यहां आएंगे। हम बहुत ही साधारण घर से आए हैं और कैसे आए हैं, लोगों की सेवा करके, दुख-तकलीफ में साथ खड़े होकर, संघर्ष करके इस सदन में पहुंचे हैं और एक ही झटके में जमीन पर गिराने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस देश में एक कानून होना चाहिए। जब झारखंड सरकार बनी तो कुछ नेताओं और पदाधिकारियों के बारे में आउटलुक में छापा गया, प्रिंट मीडिया में आया कि इस तरह से पैसे का भारी हेरफेर हुआ था। हमने पार्लियामेंट में, इसी जगह आउटलुक के प्रचार के बारे में बताया था लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें फिर से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देश में वे सारे पत्रकार जो पहले साईकिल पर घूमते थे आज बड़ी-बड़ी गाड़ी में घूमते हैं। आज सब लोगों के फार्महाऊस हैं, दिल्ली में बड़े-बड़े फार्महाऊस हैं, ये सब इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के पास कहां से आया, यह जांच का विषय होना चाहिए। आज ऐसा लग रहा है कि इस देश में जितने आई.ए.एस. और आई.पी.एस. हैं, ये नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र है इनकी भी जांच होनी चाहिए। आज तक यह प्रक्रिया नहीं चल रही थी, इस सचिवालय में क्वैश्चन ब्रांच में कई क्वैश्चन लाने का प्रयास किया गया। बैलेट होने के बाद सूची बनती है और उसे काट दिया जाता है या उस विभाग के पदाधिकारियों को इस बात की सूचना भेज दी जाती है और...* यह मेरा शतप्रतिशत आरोप है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप बजट सत्र के दौरान इन सब विषयों पर बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: इसलिए पार्टी के सिर्फ एक-एक आदमी के विचार सुनने से काम नहीं चलेगा, सदन के पूरे 545 सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिए और सबके विचार सुनने चाहिए। इसके लिए चाहे कितना भी समय लगे लेकिन निर्णय उसके बाद ही लेना चाहिए तभी यह कार्य सार्थक होगा। उन सभी सांसदों, जिनके नाम पर एलीगेशन आया है, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। क्वैश्चन के मामले में जो रिपोर्ट आई है उसके बाद एमपीलैड का मामला आया है। एमपीलैड का मामला इस तरह से पेश किया गया है इसके कारण एक सदस्य तो आत्महत्या करने की स्थिति में हैं, वे सुसाइड करना चाहते हैं। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और आज यहां निर्णय लिया जाना है। इस सदन को करोड़ों लोग देख रहे हैं इसलिए निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। हम भी इन सब बातों से अवगत हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: आज सब लोगों की भावनाओं को देखते हुए प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण करने का काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि उन्होंने लोक सभा सचिवालय के बारे में कुछ भी बोला है तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया जाए।

श्री एम. जगन्नाथ (नगर-कुरनूल): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं तेलगु देशम पार्टी की ओर से सभा में माननीय नेता द्वारा पुरःस्थापित किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे अपने साथियों को इस सभा से निष्कासित करने जैसी परिस्थिति पर बोलना बहुत दुखदायी होता है। लेकिन जिस प्रकार इस सभा के कुछ सदस्यों ने व्यवहार किया है वह अनैतिक और अवांछित है जो संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल है।

महोदय, संसद सदस्यों से, जो अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह आशा की जाती है कि वे नैतिक रूप से उत्कृष्ट व्यवहार करेंगे और उन्हें दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

लेकिन, दुर्भाग्यवश, हाल ही में ऐसा कुछ घटित हुआ है और उसे टेलीविजन चैनलों पर दर्शाया गया है। इससे इस संस्था, जिसका नाम संसद है, की मर्यादा आहत हुई है।

दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार तेजी से घटनाक्रम चल रहा है उससे माननीय सदस्यों को समिति के सम्मुख अपना मामला प्रस्तुत करने और उसकी पैरवी करने का एक उचित अवसर नहीं मिला है। मेरे विचार से, इस सभा के दस माननीय सदस्यों को निष्कासित करने का प्रस्ताव लाए जाने से पूर्व उन्हें संसद की किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत अपना मामला सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग दिया जाना

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री एम. जगन्नाथ]

चाहिए। केवल ऐसा करने के पश्चात ही उन्हें इस मुद्दे पर कोई निर्णय लेना चाहिए।

मैं मेरे कुछ साथियों द्वारा व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत हूं कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मामले में कैसा व्यवहार किया है। कुछ सदस्यों के प्रतिरोध के बावजूद ऐसे आरोप हैं कि उनमें से कुछ को इसे स्वीकार करने के लिए यह कहकर बाध्य किया गया है कि वे बाद में इसका समायोजन कर लेंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि एक सदस्य को किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस प्रश्न पर विचार किया जाये। क्या ये सदस्य किसी के घर गये थे या ये लोग इन सदस्यों के घर आए थे। इस प्रश्न पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

अंततः, मेरा यह अनुरोध है कि जिसने गलती की है उसे दण्ड दिया जाना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन, इसी के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्य - संसद सदस्यों के घर में प्रवेश करना और सनसनीखेज समाचार बनाना - की भी जांच होनी चाहिए तथा समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं बोलने से पहले वर्तमान यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन, देश के प्रधान मंत्री और माननीय प्रणब बाबू के प्रति इस मोशन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह आभार व्यक्त करने का हमारा मकसद यह नहीं है कि यह मोशन हाउस में आया है बल्कि पिछले 20-25 सालों से या यूं कहिये इनके पहले जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही थी, जिस तरह से जन-प्रतिनिधियों की इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा रहा था, डैमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंटरी सिस्टम पर या समाज के तमाम पक्षों पर अटैक किया जा रहा था और यह जो प्रयास किया जा रहा था कि जो भी जन-प्रतिनिधि हैं, जो राजनेता हैं या जो सरकारें या मंत्री हैं, सब कहीं न कहीं भ्रष्ट हैं। इस मोशन के माध्यम से यू.पी.ए. सरकार की चेयरपर्सन और सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, टी.वी. चैनल पर एक स्टोरी दिखाई गई। माननीय अध्यक्ष के आसन से एक व्यवस्था दी गई जिसके अंतर्गत श्री बंसल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। यदि वह समिति इस प्रकार का प्रस्ताव करती होती कि इन सम्माननीय सदस्यों को और भी सुना जाना चाहिये, उन्हें और मौका दिया जाना चाहिये था तो बात समझ में आती कि उन्हें और मौका दिया जाना चाहिये। समिति ने यह निर्णय नहीं किया, समिति ने अपनी फाइंडिंग्ज की, और अपनी रिपोर्ट दी। समिति द्वारा कहा गया कि कहीं न कहीं ये लोग आरोपित हैं, इसमें कुछ सत्यता है, इसलिये इस पर कार्यवाही होनी चाहिये। यह सही है कि जब अपने साथियों पर जो आरोप लगे हैं, उन पर कार्यवाही किये जाने के लिये जब हम लोग बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कष्ट होता है लेकिन दूसरी तरफ जब हम यह देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर, संसदीय व्यवस्था के अंदर जो सर्वोच्च संस्थायें हैं और यह भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जब सर्वोच्च संस्था आरोपित हो रही है तो बलि तो देनी ही पड़ेगी, यदि हमें भ्रष्टाचार को रोकना है। जब हम लोग सांसदों की सदस्यता की समाप्ति की बात करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके बारे में मैं आज सदन में चर्चा करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हम सांसदों की सदस्यता को समाप्त करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पायेंगे? यह एक अहम् विषय है।

सभापति महोदय, लोकतंत्र की चार व्यवस्थाएं हैं - व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। आज इस पर भी बहस होनी चाहिए और हमें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि हम क्या हैं? इसके बाद हम दूसरे को आरोपित करें। इस सदन में कभी-कभी ऐसी बहस भी हुई है। हम लोग न्यू कमर्स हैं, लेकिन हमने सुना है और तमाम चर्चाओं में ये बातें आती हैं कि आज हमें ज्यूडिशियरी डिक्टेट कर रही है। आज यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है और अभी तक इस बात को कहा जाता था कि हमें सिर्फ ज्यूडिशियरी डिक्टेट करती थी, लेकिन अब क्या हमें मीडिया डिक्टेट करेगा, क्या मीडिया इस हाउस को चलायेगा? आज यह बहुत ही अहम् प्रश्न है। हम किसी को आरोपित नहीं करते, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो स्टिंग ऑपरेशन चला था, उसके बारे में हमने तथा तमाम हमारे साथियों ने सुना है कि दो करोड़ रुपये में इस सी.डी. को बेचने का प्रयास किया गया। लेकिन अधिकतर चैनलों ने इतना पैसा देना कबूल नहीं किया, इसलिए यह सी.डी. उन्हें नहीं दी गई। लेकिन जिस चैनल ने पैसा देना कबूल किया, उस चैनल को यह सी.डी. दे दी गई। इससे उन्हें कितना लाभ हुआ, उनके पास यह पैसा कहां से आया? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। मीडिया को लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि जिसे स्वतंत्रता मिले, उसे स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। मैं एक

छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं - जब तमाम हमारे साथी चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के समय मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं, इसलिए मुझे यह बात सदन में कहनी पड़ रही है कि मीडिया के लोगों ने चुनाव में हमें फोन करके कहा था कि आप पांच लाख रुपये दीजिए, हम आपके पक्ष में लगातार स्टोरी छापेंगे। ...*(व्यवधान)* यह बात हमसे कही गई थी। यह क्या है?

इसके अलावा जहां मैं रहता हूं, उस ब्लॉक में कल दोपहर को तमाम गाड़ियां खड़ी थीं। पता नहीं किन लोगों की गाड़ियां हैं। मैं यहां संसद में मौजूद था और जब मैं रात को घर पहुंचा तो हमें मालूम हुआ कि वहां किसी सज्जन की लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी थी और कोई मीडिया का व्यक्ति कह रहा था कि लाल बत्ती की गाड़ी लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं सदन से जानना चाहता हूं कि इस तरह के इन्वैस्टिगेशन का अधिकार इन्हें किसने दिया है? मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार ने करप्शन पर बहुत करारा प्रहार जरूर किया है, लेकिन यदि हमें भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोकना है तो आज पूरे सदन को यह शपथ भी लेनी चाहिए कि लोकतंत्र की जो चार विधायें हैं, इन चारों विधाओं को स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। यदि एक सम्मानित सांसद को स्वच्छंदता नहीं है तो इसके दूसरे अंगों को भी स्वच्छंदता नहीं मिलनी चाहिए। यदि इसी तरह से स्वच्छंदता मिलेगी तो एक एनार्की पैदा होगी और यदि एनार्की (अराजकता) पैदा होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी व्यवस्था है, वह व्यवस्था समाप्त हो जायेगी।

यह बात कहते हुए मैं इस मोशन का समर्थन करता हूं और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वह कैसेट कितने में बिकी थी, उन लोगों की मंशा क्या थी और इस स्टिंग ऑपरेशन से पहले उनके पास इतना पैसा कहां से आया, जिसके द्वारा यह ऑपरेशन किया गया और नकद पैसा लिया गया, इन सब तथ्यों की सी.बी.आई. द्वारा पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन - नहीं बोल रही हैं।

श्री खारबेल स्वाईं बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, जब मैं पहली बार संसद में आया था तो मुझे बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मिली थी। यह आचार समिति की रिपोर्ट थी। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं है कि आचार समिति की क्या भूमिका है, इसका गठन क्यों किया गया और इसके क्या कार्य हैं?

आज मैं बंसल साहब की रिपोर्ट पर आता हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आचार, सार्वजनिक जीवन में मानक विशेषाधिकार और सदस्यों की सुविधाओं तक अन्य संबंधित मामलों को उद्धृत किया है। इस रिपोर्ट के पृष्ठ 30 पर दूसरे पैराग्राफ के अंतिम वाक्य में कहा गया है:

"इसी तरह सदस्यों द्वारा सभा में प्रश्न पूछने के लिए अथवा सभा में या इसकी समिति में प्रस्तुत किसी विधेयक, संकल्प या मामलों पर गड़बड़ पैदा करने अथवा विरोध करने के लिए लालच और रिश्वत स्वीकार करने पर विशेषाधिकार और अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।"

सभापति महोदय: उन्होंने इसे केवल उद्धृत किया है। यह उनकी राय नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: इसमें सदस्यों द्वारा सभा में प्रश्न पूछने के लिए लालच और रिश्वत स्वीकार करने की बहुत साफ-साफ बात की गई है। इसका तात्पर्य है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजना पड़ेगा। श्री बंसल की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह साफ उल्लेख किया गया है।

मेरा सीधा सा प्रश्न है कि क्या विशेषाधिकार समिति के सभापति की किसी अन्य समिति में उपस्थिति से ही यह हो जाता है कि अन्य समिति विशेषाधिकार समिति बन जाती है? नहीं, यह नहीं बनती। इसलिए, यदि आप नियम देखें कि ऐसा कोई भी आरोप विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए तो यह मामला भी विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए था।

सभापति महोदय: मेरे मित्र, जांच समिति के सभापति यानी श्री बंसल विशेषाधिकार समिति के भी सभापति हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैंने अभी यही कहा है। मैंने कहा था कि विशेषाधिकार समिति के सभापति की इस समिति में केवल उपस्थिति से ही यह समिति विशेषाधिकार समिति नहीं बन जाती।

सभापति महोदय: जी हां। आप आगे बोलिये।

श्री खारबेल स्वाईं: मेरा दूसरा प्रश्न है कि विशेषाधिकार हनन कैसे होता है। कौल और शकधर संसद की पद्धति और प्रक्रिया में (पृष्ठ 256) पर कहा गया है:

"विशेषाधिकार भंग शब्द का अर्थ व्यक्तिगत रूप से किसी संसद सदस्य अथवा सामूहिक रूप से संसद के किसी अधिकार, विशेषाधिकार या उन्मुक्ति के प्रति असम्मान दर्शाना है।"

सभापति महोदय: 'सामूहिक' शब्द महत्वपूर्ण है।

श्री खारबेल स्वाई: जी हां, यही मैं कह रहा था। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिये।

सभापति महोदय: माननीय स्वाई जी आपको व्यवधान पहुंचाने के लिए अफसोस है परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में कहीं भी विशेषाधिकार किसी सांविधि में पारिभाषित नहीं किए गए हैं। विशेषाधिकार अभी तक पूर्वोदाहरणों के अनुसार तय किया जाता है। भारत में कहीं भी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध नहीं किया गया है। हम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के पूर्वोदाहरण का अनुसरण करते हैं। वह हमारे संविधान में भी उल्लिखित है।

श्री खारबेल स्वाई: धन्यवाद, महोदय। इसमें यह भी कहा गया है कि आवश्यक जांच के पश्चात विशेषाधिकार की उसी तरह सजा दी जाती है जिस तरह न्यायालय अपनी प्रतिष्ठा अथवा प्राधिकार की अवमानना के लिए सजा देते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, 'आवश्यक जांच के पश्चात'।

माननीय कपिल सिब्बल ने एक बात कही है कि हम यहां एक सीमित मामले पर बहस कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि यदि प्रथम दृष्टया पर विश्वास करें तो हम निर्णय ले सकते हैं। परन्तु महोदय, क्या एक निर्णय का तात्पर्य केवल निष्कासन ही है? क्या चेतावनी का कोई प्रावधान नहीं है? क्या भर्त्सना करने का कोई प्रावधान नहीं है? क्या निलम्बन का कोई प्रावधान नहीं है? क्या हम केवल निष्कासन की ही कार्यवाही कर सकते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ यही है?

माननीय गुरुदास दासगुप्त द्वारा एक प्रश्न उठाया गया था कि हमने शुरू से ही इस समिति के गठन पर आपत्ति क्यों नहीं की और हमने पहली बार ही इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि यह विशेषाधिकार समिति के पास जाना चाहिए था। इन्होंने पूछा है कि हम इस पर अब इंतने विलम्ब से क्यों आपत्ति कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी यह आशा नहीं की थी कि जांच समिति सिफारिश करेगी कि उन सदस्यों का निष्कासन किया जाए। हमने कभी भी यह आशा नहीं की थी।

मैं पंद्रह वर्षों तक सिविल सेवक था। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: किसी प्रश्न और व्यवधान की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री स्वाई बेझिचक बोल सकते हैं। कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, सरकारी अधिकारियों का उदाहरण लीजिए। उनमें से कुछ सी.बी.आई., सतर्कता और आयकर विभाग द्वारा पकड़े जाते हैं। इस तथ्य से कि वे इनमें से किसी संगठन द्वारा पकड़े जाते हैं, का अर्थ यह है कि उनके विरुद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है। ऐसे मामलों में क्या संबंधित विभाग तत्काल उन्हें उनकी नौकरियों से बर्खास्त करते हैं? नहीं, उन्हें पहले जांच लम्बित रहने तक निलंबित रखा जाता है। ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री स्वाई आप जारी रखिये। सदस्यों द्वारा अपनी सीटों पर बैठकर पूछे गए प्रश्नों को कभी भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, सामान्यतः जब भी किसी के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है तो जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति को निलम्बित किया जाता है। जांच होती है। इसमें समय लगता है क्योंकि वे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। न्यायापालिका में 'आवश्यक कानूनी प्रक्रिया' होती है। 'आवश्यक कानूनी पद्धति' नामक एक ओर पद होता है। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। मैं वकील नहीं हूं परन्तु सभा में उस तरफ विपक्ष में प्रतिष्ठित वकील हैं और जब भी वे अपने मामलों में तर्क देते हैं तो वे 'आवश्यक कानूनी प्रक्रिया' की बात करते हैं।

रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सदस्यों को नियम देखने के लिए कहा गया था और उस पर यदि कोई आपत्तियां हों तो उन्हें सामने लाने के लिए कहा गया था। जिन सदस्यों ने इस पर आपत्ति की है उन्होंने ऐसा तकनीकी आधार पर किया है। इसका तात्पर्य है कि वे कह रहे हैं कि टेप से छेड़खानी की गई है। किंतु जिन सदस्यों ने इस पर तकनीकी आधार पर आपत्ति की है वे तकनीकी लोग नहीं हैं। इसलिए, जब वे टेप पर आपत्ति करते हैं तो वे उनमें तकनीकी दोष कैसे पता लगा सकते हैं? उन्हें अपने वकील के रूप में एक तकनीकी व्यक्ति चाहिए ताकि वे दोष पता लगा सकें और फिर वे कह सकते हैं कि अमुक-अमुक स्थान पर टेप से छेड़खानी की गई है।

यदि माननीय कपिल सिब्बल एक ग्राहक के लिए मामले में तर्क दे रहे हों और प्रारंभ में ही अर्थात् दस मिनट के भीतर ही न्यायाधीश कहते हैं कि मामला खारिज किया जाता है तो क्या वे इससे सहमत होंगे? नहीं वे सहमत नहीं होंगे। यही कारण है कि अनेक वर्षों से बहुत से मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं देश में इतने सारे मामलों के निपटारे में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है? इसलिए, क्या हमें स्वयं को दूसरे से अच्छा समझने का रवैया अपनाना चाहिए? क्या हमें यह मानना

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहिए कि आम आदमी को सभी अवसर मिलेंगे परन्तु एक संसद सदस्य को स्वयं के बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा? इसीलिए, मैं इस संबंध में कांग्रेस पार्टी से अपील करूंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि समिति ने कार्य नहीं किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। समिति ने अपना कार्य किया। मैं बंसल समिति के निष्कर्षों पर सवाल नहीं उठाता। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं आरोप की वैधता पर भी संदेह नहीं करता। मैं उस पर भी संदेह नहीं करता। मैं यही कह रहा हूं कि समिति ने अपना कार्य किया परन्तु समिति ने पर्याप्त रूप से अपना कार्य नहीं किया। आरोपियों को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। समिति द्वारा अवसर नहीं दिया गया और इसमें इस समिति के माननीय सभापति का दोष नहीं है। मैं उनपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्हें कुछ समय दिया गया था और उन्होंने रिपोर्ट दे दी। हम केवल यह कह रहे हैं कि जांच पर्याप्त नहीं थी और पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था।

मैं पूर्णतः सहमत हूं कि यह केवल इसमें देखना ही है। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम यह नहीं कह सकते कि हम फांसी नहीं दे रहे हैं बल्कि केवल निष्कासित कर रहे हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि जन प्रतिनिधि जिसे जनता द्वारा चुना गया है, के निष्कासन से फांसी देना बड़ी सजा है। मेरा कहना है कि यदि मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो इसकी अपेक्षा तो मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा। यदि मुझे इस सभा से निष्कासित किया जाता है, यदि मेरे विरुद्ध इस तरह का कोई आरोप लगाया जाता है, तो मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा। हमें इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं इस सभा के माननीय नेता और श्रीमती सोनिया गांधी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इस विषय को प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनायें। इसके लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। हो सकता है विशेषाधिकार समिति का भी यही निर्णय हो। लेकिन तब यह सभी को स्वीकार्य होगा। कोई आफत नहीं आ जायेगी यदि सजा दो तीन महीने बाद बजट सत्र के दौरान फरवरी महीने में घोषित की जाती है। इस सभा में अधिकतर सदस्यों ने इस विषय पर दलगत भावना से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किये हैं। हो सकता है किसी सदस्य ने दलगत भावना से प्रेरित होकर बात की पर अधिकतर सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अपने एकसमान विचार व्यक्त किये हैं। आपको सभा का मंतव्य समझना चाहिए था कि किस तरह सदस्यों ने यहां अपनी बात शुरू की और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए।

मैं कौल और शकधर से इस बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। इसके पृष्ठ 286 पर - सदस्यों के संसदीय आचरण पर अनुचित साधनों से प्रभाव डालने के प्रयास - शीर्षक के अंतर्गत कहा गया है:

> "सदस्यों के संसदीय आचरण पर अनुचित ढंग से प्रभाव डालने का कोई प्रयास विशेषाधिकार भंग है। अतः किसी सदस्य को रिश्वत देना या सदस्य के नाते उसके आचरण पर प्रभाव डालने के लिए कोई धन देना, अथवा किसी विधेयक या संकल्प या किसी ऐसे विषय या बात के समर्थन या विरोध के लिए, जो सभा या उसकी किसी समिति के सामने विचार के लिए आने या रखी जाने वाली हो, कोई शुल्क या इनाम देना विशेषाधिकार भंग माना गया है।"

इस मामले में मीडिया द्वारा संसद सदस्य को रिश्वत की पेशकश की गयी है। संसद सदस्य को रिश्वत दी गयी है। इसलिए कृपया इसे विशेषाधिकार बंग का मामला समझा जाये।

श्री उदय सिंह (पूर्णिया): सभापति महोदय, इस विषय पर बोलना ही एक दुःस्वप्न की भांति है, एक ऐसा दुःस्वप्न जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम यहां पर अपने ही सदस्यों को जिन पर अनुचित आचरण का आरोप है, को सभा से निष्कासित करने जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

अपराह्न 4.25 बजे

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

इस विषय पर बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं पहली बार सदस्य चुना गया हूं और विगत 20 महीनों में एक सदस्य के रूप में मैंने जो कुछ यहां देखा है वह मेरे लिए एक बहुत ही दुःखद अनुभव रहा है। मैं यह सोचकर संसद आया था कि मैं राष्ट्र निर्माण में कुछ योगदान कर सकूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों की तकदीर संवार सकूंगा। मैं यह सोचकर बेहद खुश था कि डा. मनमोहन सिंह जैसा योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेगा। पर जब मैंने देखा कि कैबिनेट में किस तरह के लोग लिये गये हैं और उसके बाद जो घटनाएं घटीं वह वास्तव में बहुत ही आघात पहुंचाने वाली थीं कि किस तरह उचित और अनुचित का निर्णय करने के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाये जा रहे हैं। कैबिनेट के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके विरुद्ध अदालत में गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं पर इस बात में कुछ भी अनुचित नहीं समझा जाता। पर सभा द्वारा शक्ति संपन्न एक समिति द्वारा संक्षिप्त सुनवाई के बाद केवल एक वीडियो टेप के साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय ले लिया जाता है कि हमें संसद के दस सदस्यों को तुरन्त निष्कासित कर देना चाहिए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

[श्री उदय सिंह]

सबसे पहले मैं इस बारे में अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करना चाहूंगा। जब इस घटना को पहली बार टी.वी. पर दिखाया गया तो मैं नहीं समझता कि मेरी पार्टी द्वारा इस बारे में उचित कदम उठाये जाने में कोई देरी की गयी। हमारी पार्टी ने इस घटना के दिखाये जाने के तुरन्त बाद आरोपित सांसदों को संसदीय दल से निलंबित कर दिया। इस बारे में सभी दलों के नेताओं की इस राय से भी हमने सहमति व्यक्त की कि एक समिति बनायी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में ऐसी समझबूझ दिखायी गयी जिससे इस सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी हुई। इसलिए यह आरोप लगाना हम इस बारे में समिति की सिफारिशों की अवहेलना कर रहे हैं ठीक नहीं है। वस्तुत: हमारी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि उस हरेक व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने इस सम्मानित सभा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायी है। इस बात पर कोई विवाद या मतभेद नहीं है।

आपने जिस भावी से सुबह हमें यह सलाह दी थी कि यह एक गंभीर मामला है और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए तथा वाद-विवाद का स्तर ऊंचा रखा जाना चाहिए, पर दुर्भाग्य से इन बातों का पालन नहीं किया गया। सभी पक्षों ने इसका उल्लंघन किया है। लेकिन सबसे अधिक अचम्भे वाली बात है कि सरकार के ऐसे वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा इसका उल्लंघन किया गया है जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के विरुद्ध कोई न कोई आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूं कि आप के कहने का आशय यह कदापि न रहा होगा। इसलिए इस सभा से मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि यदि कोई सदस्य सभा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए और हम इस बात की सराहना करते हैं, इससे अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरा यह अनुरोध भी है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करने से पहले उ.. अपना पक्ष रखने के लिए समुचित समय दिया जाना चाहिए। यहां यह तर्क दिया जा रहा है कि समिति ने वे वीडियो के असंपादित फुटेज देख सकते हैं। हम इस बात को सराहेंगे कि यह समिति इस मामले के तकनीकी और कानूनी पक्ष पर विचार करने के लिए तकनीकी और कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। वीडियो टेप के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आज ही सुनने में आया है कि किसी न्यूज चैनल ने ऐसे बड़े नेताओं के वीडियो टेप पर कुछ ऐसी बातों के दिखाने की बात कही जो उन्होंने कही ही नहीं थी और चैनेल भी कह रहा है कि ये छद्‌म चेहरे हैं। अत: हम इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में जब तकनीक का प्रयोग कर टेपों में छेड़छाड़ की जा सकती है तो हम ऐसे कदमों को उठाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता?

यह बात समझ में आती है कि इन सदस्यों को कुछ महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाये, ताकि समय बीत जाने के बाद वे सदस्य पुन: सभा में वापस आ सकें। ऐसा होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात पर जोर नहीं दूंगा कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाये। तब यह माना जायेगा कि ठीक है, सभा ने जो दंड देने का निश्चय कर लिया है उसे पूरा होने दिया जाये। लेकिन आज सभा एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है जो उन्हें स्थायी रूप से सभा की सदस्यता से वंचित कर देगा। इसके पहले कि आप उन्हें स्थायी रूप से दंडित करें आप उन्हें समयबद्ध ढंग से अपना पक्ष रखने की अनुमति दें। मैं नहीं जानता कि यदि कुछेक सप्ताह के बाद उन्हें यही दंड सुनाया जाता है और सभा उसकी पुष्टि कर देती है, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: दो-तीन आदिवासी लोग हैं, उनके बदले हम थोड़ा बोल सकते हैं क्या?

अध्यक्ष महोदय: बोलिये। आपका नाम भी आपकी पार्टी ने नहीं दिया।

श्री जुएल ओराम: नहीं दिया, क्योंकि आदिवासी को सब बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, चौबे जी को बुलाते हैं, चौबे जी का नाम है। आपकी पार्टी ने आपको सलैक्ट नहीं किया। चौबे जी का नाम उन्होंने भेजा है। उनके बाद आप को बुलाएंगे।

श्री जुएल ओराम: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: ज्यादा टाइम एग्जास्ट हो गया, आप सीनियर मैम्बर हैं, थोड़े टाइम में बोलिये, प्लीज।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): थोड़ा टाइम मुझे चाहिए था। मैं बिहारी नहीं हूं, उनका एक दोहा है:

"सतसई के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर,
देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।"

मैं गागर में सागर नहीं भर सकता लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं, चूंकि समय कम है। समय तो इस पर विचार के लिए 2-4 दिन का चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बोलने के लिए?

श्री लाल मुनी चौबे: नम्बर एक, श्री प्रणब जी का जो प्रस्ताव है, वे इस सदन के आदरणीय हैं और बहुत पुराने सदस्य हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखते समय 1947 से जिक्र शुरू किया। उन्होंने यह बताया कि जनतंत्र की स्थापना हुई और संविधान बनकर तैयार हुआ तो इंग्लैंड के कुछ बड़े लोगों ने और अमेरिका के कुछ बड़े लोगों ने बड़ी भारी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसकी सराहना की कि भारतीय जनतंत्र का जो संविधान बना है, वह उसकी अपनी सभ्यता के अनुकूल है और उसने साबित किया है कि यह संविधान सर्वोत्कृष्ट संविधान है। प्रणब जी ने यह भी बताया कि हमारे सदस्यों को बहुत बड़ा अधिकार है। उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा अधिकार हासिल किया है कि जिसे उनकी मान्यता भारी पड़ती है। मैं प्रणब जी से जानना चाहूंगा कि जब सब अधिकार सांसदों के हाथ में हैं तो क्या यह अधिकार भी सांसदों या संसद के हाथ में है कि किसी सांसद की सदस्यता छीन ली जाये। यह अधिकार कहीं संविधान में वर्णित है, इसका कहीं उल्लेख है कि सदस्यता छीन ली जाये और छीनने का अधिकार आपको है। मैं चूंकि चिदम्बरम साहब, आचार्य जी और कपिल सिब्बल जी जैसा विधि विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सांसदों का अधिकार, सदस्यता को छीन लेना इनके हाथ में है। प्रताड़ना का है, प्रताड़ित कर सकते हैं, निलम्बित कर सकते हैं, लेकिन सदस्यता छीन सकते हैं, ऐसा अधिकार है, यह मुझे कहीं नहीं मिलता। पढ़ा हो तो आप लोग बता दें, उसका उद्धरण जरूर देना चाहिए कि सदस्यता छीनने का हमको अधिकार है, ताकि लम्बे समय के बाद मैं भी जान सकूं कि संसद को यह अधिकार है।

दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात अगर हम करें तो यह पौराणिक काल से है। कुछ लोग पौराणिक काल को नहीं मानते हैं, तो वे ऐतिहासिक काल को देख लें। भ्रष्टाचार एक दोष के रूप में माना जाता था और कहा जाता था कि भ्रष्टाचार एक दोष है, लेकिन आज भ्रष्टाचार एक दैत्य के रूप में ऊभरा है। यह समुची प्रणाली को खा जाना चाहता है। इससे कैसे बचें, और कैसे बचाया जा सकता है? मैं तो देख रहा हूं, जब से सत्र में आया हूं, यह शीतकालीन अधिवेशन से भ्रष्टाचार विचार अधिवेशन बन गया है। शुरू में वोल्कर आए और अब जब सत्र खत्म हो रहा है, तो सांसद भ्रष्टाचार कांड आ गया है। उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक भ्रष्टाचार में दो लोग आए, एक पर कार्यवाही हो गई और दूसरा छूट गया। टी.वी. पर कितने लोग आए हैं, इस बारे में बहुत से लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को दिखाया ही नहीं गया। अब यह संशोधन आया है, जबकि कमेटी को पता है या नहीं भगवान जाने। कोई विधि विशेषज्ञ जानता हो कि अधिकार है या नहीं। ऐसे ही एक अधिकार का इस्तेमाल थोड़े दिन पहले हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह फैसला असंवैधानिक था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे: आप जब कहिएगा, मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप यह सैंटेंस कम्प्लीट करके बैठ जाइए।

श्री लाल मुनी चौबे: आप ऐसी कोई छुरी चलाएं जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि वह महिला जो कि श्री पप्पू जी की पत्नी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि 90 प्रतिशत तक लोग करप्ट हो चुके हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दु:ख की बात है।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: इसे जनता में जा कर परख सकते हैं, इसमें कोई इन्क्वायरी काम नहीं कर सकती है। जनता बता दे कि एमपीलैड का पैसा कौन खा जाता है, कौन कमीशन देता है, कौन लेता है? मैं एक वाक्य में पूरा कर रहा हूं कि संशोधन लिया जाए और उन्हें सफाई देने का समय मिले।

दूसरी बात, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहा है। कातिल कत्ल का विरोध कर रहा है। तस्कर तस्करी का विरोध कर रहा है। यह आज से नहीं है, इसका नमूना आपको 1967 से मिलेगा। जिस समय श्री जॉर्ज जी ने एक प्रश्न किया था, जिसमें बड़े-बड़े लोगों ने, ए.के. गोपालन जैसे लोगों ने हिस्सा लिया था, उस डिबेट को पढ़ना चाहिए। श्री राजनारायण जी ने सभी दलों को लिया था कि करोड़ों रुपये आकर बंटता है। ये दल विदेश से पैसा लेते हैं। अगर ये विदेश से पैसा लेते हैं तो विदेश प्रभावित राजनीति भारत की बनी या नहीं। सफाई देने का मौका सभी को है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप आठ मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं तो किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे बड़ा विधि-विशेषज्ञ किसी को नहीं मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे: मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आठ-दस दिन बहस हो और खुलकर बहस हो। जब तक खुलकर बहस नहीं होगी, सभी लोग बेनकाब नहीं होंगे, भ्रष्टाचार की आधी-अधूरी बात करने से जनता में गलत संदेश जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्हें सफाई का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने किसी को मौका देने से इंकार नहीं किया है।

श्री लाल मुनी चौबे: सफाई का मौका देने के बाद उन पर जो कार्यवाही हो, वह मान ली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि आपको सदस्यता छीनने का अधिकार है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री जुएल ओराम। आपकी पार्टी के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। आपने दो मिनट मांगा है, इसलिए आपको दो मिनट ही मिलेगा।

श्री जुएल ओराम: महोदय, इस ऑपरेशन में लगे हुए आदमी ने बयान दिया है कि उन्होंने हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा है।

उस लेख के कारण, उन्हें लोक सभा से प्रिविलेज नोटिस दिया गया कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे सही करना चाहूंगा। यह एक बहुत ही गलत संदेश दिया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ को नहीं बोलने दे रहे हैं। उस स्टोरी के प्रकाशित करने पर एक माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार की सूचना दी थी और उसे रिपोर्टर की टिप्पणी के लिए उसके पास भेज दिया गया था।

श्री जुएल ओराम: मैं वही बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने उसके विरुद्ध कोई विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनाया। यह कहा जा रहा है कि हमने उसे विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा था।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं माफी चाहता हूं।...*(व्यवधान)* रिपोर्ट उनके कमैंट्स के लिए दी गई।...*(व्यवधान)* उसे रिपोर्ट करनी है, इस्टैबलिश करना है, इसलिए वह स्टिंग ऑपरेशन में आ गया।...*(व्यवधान)* यह स्वीकार किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जैसे ही वह नोटिस उन्हें भेजा गया हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता और संपादक ने अपनी ओर से तुरन्त क्षमायाचना की। हमने उनसे कभी माफी मांगने को नहीं कहा। इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा ही नहीं गया। पर वह जो कह रहे हैं कि ऐसा विशेषाधिकार समिति की नोटिस के कारण हुआ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, बोलने में बड़बड़ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बहल ने कहा चूंकि मुझे वहां से विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिला था इसलिए उन्होंने यह स्टिंग ऑपरेशन किया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने एक माननीय सांसद से प्राप्त पत्र उनके पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा था।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: उनका कहना है कि क्योंकि मुझे नोटिस गया, इसलिए मैंने वह काम किया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल रिकार्ड्स में सही बात दर्ज कराना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: महोदय, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम सांसद इतना परिश्रम करके जीतकर यहां आते हैं, यह मीडिया की रियासत नहीं है।...*(व्यवधान)* उसे 'आज तक' ने दिखाया, फिर आपका 'स्टार न्यूज' दिखा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारा! हम तो नहीं गए।

...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम: ऐसा सुनने में आ रहा है कि वे और किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं।...*(व्यवधान)* मैं आदिवासी हूं, इसलिए बोल रहा हूं।

मध्य प्रदेश में एक आदिवासी से जज ने फाइनल हियरिंग के समय सवाल पूछा। उस आदिवासी के वकील ने उसे यह कहकर भेजा था कि आप यह बोलिए कि मैं इस मर्डर केस के बारे में नहीं जानता। यह लेख आया था, बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा होगा। उसने कहा, मैं आदिवासी हूं, मैंने मर्डर किया है, मैं गलत कैसे बोलूंगा। उसने जज के सामने कहा कि मैं आदिवासी हूं और मुझे वकील ने बोला कि आप ऐसे बोलेंगे कि आपने मर्डर नहीं किया, तो छूट जाएंगे। उसने कहा कि मैं आदिवासी हूं, इसलिए मैंने ऐसा नहीं बोला। उसने जज से कहा, जज साहब, मैं सच बोल रहा हूं कि मैंने मर्डर किया था।...*(व्यवधान)* यही विशेषता है इसलिए हमें रिजर्वेशन भी मिलती है।...*(व्यवधान)* इसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों को फंसाया।...*(व्यवधान)* आप भी एम.पी. हैं।...*(व्यवधान)* यह ठीक है कि आप स्पीकर हैं। ...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि *...क्यों हमें बकरा बनाया गया?...*(व्यवधान)* ऐसा सुनने में आ रहा है कि 76 लोगों के ऐसे टेप हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको ऐसा कोई ज्ञान है? हम यहां काम करते हैं, हमें सिर्फ तनख्वाह मिलती है और कुछ नहीं मिलता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम: मैंने ऐसा सुना है कि 76 लोगों का टेप आया है। कमेटी ने इसका उल्लेख नहीं किया है कि उसके पास कितने लोगों के टेप हैं। आप दस लोगों को निकाल रहे हैं, बाकी लोग कहीं पैसे देकर तो पार नहीं हो जाएंगे।...*(व्यवधान)* उनका क्या होगा, उसके लिए भी निर्णय होना चाहिए।...*(व्यवधान)* उनकी भी सी.बी.आई. इन्क्वारी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

मैं आदिवासी हूं और आदिवासियों के बारे में बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने दो मिनट का समय मांगा था और पांच मिनट हो गए हैं। पार्टी ने आपका नाम भी नहीं दिया, पार्टी का टाइम समाप्त हो गया है, फिर भी हमने आपको समय दिया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे हमारी आबादी के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं। हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग कर सकते हैं?

श्री जुएल ओराम: श्री लाल चन्द्र कोल ने 18 दिसम्बर, 2005 को समिति के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "वीडियो में जो दिखाया गया है वह सत्य नहीं है। वास्तव में, जो पैसा मुझे लेते हुए दिखाया गया है वह मेरा पैसा है जिसे मैंने श्री सालिग राम दूबे को दिया था जो मेरे गांव का रहने वाला है और उसने वह बीज खरीदने के लिए लिया था।"

[हिन्दी]

क्या श्री सालिग राम दूबे से कमेटी वालों ने पूछा था कि यह सच बोल रहा है या नहीं? क्या श्री सालिग राम दूबे की कोई हियरिंग हुई? *[अनुवाद]* फिर उसने आगे कहा, "वह मुझे वही पैसा लौटा रहा है जिसे वीडियो में तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है। मैं एकदम दोषी नहीं हूं।" *[हिन्दी]* क्या सालिग राम दूबे से कमेटी वालों ने पूछा था कि यह सच बोल रहे हैं या नहीं? क्या उसकी कोई हियरिंग हुई थी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अपनी पार्टी का मुख्य वक्ता होना चाहिए था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम उस समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने कुछ बिंदुओं के स्पष्टीकरण के लिए एक मौका दिए जाने की मांग की है। प्रक्रिया के तहत मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: अध्यक्ष महोदय, इस केस में, स्टिंग ऑपरेशन में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जुएल ओराम: अब उसको स्टिंग ऑपरेशन करने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया?...*(व्यवधान)* प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं। अब प्रिविलेज कमेटी में क्या होता है? क्या प्रिविलेज कमेटी में आप एम.पी. लोगों को बर्खास्त करने की रिकमंड करेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम किसी को निकालते नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जुएल ओराम: आप श्री अनिरुद्ध बहल के बारे में क्यों नहीं रिकमंड करेंगे? मुझे पता है कि एक सदस्य ने ऐसा किया है।...*(व्यवधान)* क्यों नहीं आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* हम लोगों ने वोल्कर कमेटी का मुद्दा उठाया, *...के बारे में बात उठायी इसलिए जानबूझकर ऐसा किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसका बिलोप कर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जुएल ओराम: मैंने एक बात सुनी है कि *...आप हिन्दुस्तान के कस्टोडियन हैं। मैं आपको मानता हूं। यहां कोई गलती कर रहा है और उसकी कम्पलेंट करने वाले को *...हमारा कहना है कि आप इसे ठीक करें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। अब मैं यह पद छोड़ दूंगा। इस आसन के विरुद्ध जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो किसी अन्य माननीय सदस्य को इस आसन पर बैठने दें। श्री जुएल ओराम, आपकी पार्टी ने आपका नाम नहीं दिया है। क्या बोलने का यही तरीका है? यह तो अति है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने सुबह ही अपील की थी। हर पार्टी के प्रत्येक सदस्य को अपना विचार रखने का अधिकार है तथा बिना किसी समस्या के उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। सिर्फ एक शर्त है कि हम एक उचित गरिमा को बनाए रखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं नहीं समझता कि कभी भूतकाल में लोक सभा के समक्ष इस तरह की गंभीर स्थिति और इतने बड़े पैमाने पर आई होगी। अनेक माननीय सदस्यों ने अवांछित तरीके से बोला। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई विचार नहीं व्यक्त किया। सभी नेताओं ने एक साथ मुझे निदेश दिए और मैंने उन सभी से हर रोज और हर अवसर पर चर्चा की है जिन्हें इस विषय में कुछ कहना था। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुले तौर पर मेरे विरुद्ध आरोप लगाए गए। मुझे पता नहीं है कि लोक सभा की वर्तमान स्थिति क्या रहेगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया यथासंभव संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज बिहार): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उस संबंध में माननीय मल्होत्रा जी द्वारा संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया है। हम सभी माननीय सदस्यों का भाषण सुन रहे थे। किसी ने यह नहीं कहा कि दोषी को सजा नहीं होनी चाहिए। श्री मल्होत्रा जी के प्रस्ताव में यह कहा गया है कि प्रक्रिया में त्रुटि हुई है, इसलिए प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन टी.वी. पर यह सब दिकाया जा रहा था, उस समय आप इनीशिएट करके सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में हम सबने दुख व्यक्त किया था और यह कहा था कि कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। हमने यह भी कहा था कि एक कमेटी बना देनी चाहिए। इस संबंध में सदन में भी चर्चा हुई। सदन के सभी सदस्यों ने कहा कि एक समिति बनाई जाये। इसके लिए आपको अथोराइज्ड किया गया। आपने समिति बनाई। समिति बनाने के बाद हम लोगों ने कहा कि इसमें जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों के सुझाव के अनुसार आपने समिति को यह निर्देश दिया कि वे 21 दिसम्बर तक अपनी जांच संबंधी प्रतिवेदन संसद में समर्पित कर दें। अब जांच प्रतिवेदन आया है। उसे हमने पढ़ा है। मल्होत्रा जी ने कहा कि चूंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, इसलिए इसमें मैम्बर्स को सफाई देने के लिए और समय देना चाहिए। मल्होत्रा जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब न्यायालय में मुकदमा चलता है और पक्ष विपक्ष की बात चलती है और न्यायालय यह महसूस करता है कि मुद्दई जानबूझकर केस को टालमटोल करने की नीति से समय लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भी समय के आवेदन को रिजैक्ट कर देता है और समयावधि के बीच में ही उस पर अपना निर्णय देता है।

समिति के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों ने सभी माननीय सदस्यों को बुलाया और आग्रह किया कि पूरा कैसेट देख लें। सभी ने कहा कि हम कैसेट नहीं देखेंगे। कैसेट नहीं देखने का कारण क्या था? कैसेट नहीं देखने का एक ही मतलब होता है कि सभी ने अपने दोष को स्वीकार किया है और जब दोष को

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वीकार किया है तो फिर इसमें बहस की और समय की जरूरत कहां से आती है?

सदन बंटा हुआ दिखाई देता है, बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग समय-समय पर नैतिकता की बात भी करते हैं। ईमानदारी की बात करते हैं। यदि इस नैतिकता की बात करते हैं तो मैं मल्होत्रा जी, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नटवर सिंह जी का इस्तीफा मांगा था। उनके इस्तीफा मांगने का क्या आधार था? किसी कैसेट में किसी का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन हम लोगों ने बाध्य किया और सदन नहीं चलने दिया और नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा। हम लोगों की ही जब सरकार थी तब कहीं भी किसी कैसेट में जार्ज फर्नांडीज का चेहरा नहीं दिखाया गया था लेकिन उन्हें बुलाकर इस्तीफा लिया गया। इसका कारण क्या था? जब हम लोगों ने परम्परा बनाई है कि किसी पर दोष होगा तो हम उन्हें सजा देंगे तो सजा पाने में कोई हिचकिचाहट क्यों है? शर्म से माथा झुक जाता है जिस तरह से कैसेट में सांसदों को रुपया गिनते हुए, पॉकेट में रखते हुए तथा सोफे के नीचे रखते हुए दिखाया गया है। क्या इसमें भी किसी साक्ष्य की जरूरत बचती है? हां, इतना जरूर है कि जिस ढंग से एमपीलैड में जिन सांसदों को दिखाया गया है, वह बनावटी है। उसकी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसी कैसेट तैयार करने का काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले जो ऑपरेशन दुर्योधन दिखाया गया है, उसमें कुछ बचा नहीं है और हम कहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। हम लोगों को जनता घेर-घेर कर हमारा इन्तजाम करेगी और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। कारण, चेहरा नहीं बचेगा तो हम जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं रहेंगे।...*(व्यवधान)* एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब कोई चर्चा चलती है तो बड़े लोग इन घटनाओं से बच जाते हैं। हम यह भी मानते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हैं, इतने ही लोग नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे। अभी सदन में हमारे मोहन बाबू नहीं हैं। वह बड़ी भावनात्मक बात कह रहे थे। आपको पिता समान कह रहे थे। दो-तीन चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। एक उन्होंने जिक्र किया कि ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं, उन लोगों के मन में यह बात चली जाएगी कि बड़े लोग इन लोगों को सदन से निकाल रहे हैं। मोहन बाबू रहते तो हम मोहन बाबू से जानना चाहते कि क्या किसी कानून में और संविधान में ऐसा दिया गया है कि यदि कोई आदिवासी किसी की हत्या कर दे तो उसे इसलिए सजा नहीं होगी कि वह आदिवासी है। लकड़ी चुनने वालों के घर से यहां आए हैं। हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं यहां लकड़ी चुनने वालों की बात नहीं चल रही है। यहां सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा की बात चल रही है। इस सदन में चाहे वह लकड़ी चुनने वाले का बेटा हो या रानी के पेट से पैदा हुआ हो अगर सदन की मर्यादा भंग करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इस जांच को गरीबी, अमीरी और जाति के बीच में नहीं बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परम्परा बन जाएगी। कल कुछ सदस्यों के विषय में निकलेगा कि कुछ सदस्यों ने मकान किराये पर दिये हुए हैं। अजीब बात है कि सदस्यों ने मकान किराये पर दिया क्यों है? यह बात सच है कि और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन सदस्यों ने मकान किराये पर दिया हुआ है, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। इसकी जांच कराई जाए तो बहुत से सदस्य इसमें शामिल हो जाएंगे। इसलिए यह जो चिंता है कि सदस्यों को अपने चरित्र का निर्वाह करना है तो कम से कम आज के बाद वे किरायेदार को हटाकर अपने मतदाता को रखें, किरायेदार को न रखें।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अपनी बात बंद कर दें? कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, सेंटेंस पूरा कर दें और इतना लम्बा नहीं खींचे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम यही निवेदन करना चाहते हैं और हम इसमें लम्बा-चौड़ा समय नहीं खींचना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, हम और हमारी पार्टी इस प्रस्ताव के पक्ष में है और मतदान भी होगा तो हम मतदान पक्ष में करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद सलीम क्या आप स्पष्टीकरण के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक-दो बिन्दु पर बोलूंगा। मैं भाषण नहीं दूंगा। मैं सदन के नेता का धन्यवाद करता हूं कि वे यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया सहयोग दें। साढ़े चार घंटे पहले ही बीत चुके हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: चूंकि मल्होत्रा जी एक विकल्प प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसी के चलते उन्होंने कुछ बातें भी रखी हैं।

मैं चूंकि इस समिति का सदस्य रहा हूं, इसलिए मैंने बहस में हिस्सा नहीं लिया है, न लेना चाहता हूं और न ही मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। मैं समिति का एक सदस्य होने के नाते, समिति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो बातें यहां उठाई गयी हैं, उनका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि रिपोर्ट में ही पृष्ठ संख्या 5 पर, आपका जो निर्देश था, वह लिखा गया है:

"मैंने सदन के माननीय नेता, प्रतिपक्ष के माननीय नेता तथा लोक सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा की और सभी सर्वसम्मति से मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत हैं।"

महोदय, यह बात आपने सदन में कही थी जिसे मैं कार्यवाही रिपोर्ट से कोट कर रहा हूं। इसके लिए जो बुलेटिन किया गया था, जो आपने ऐलान किया था, उसके बारे में पृष्ठ संख्या 6 पर भी लिखा है:

"समिति को अपनी प्रक्रिया अपनाने का प्राधिकार दिया गया है।"

महोदय, इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि समिति को अपनी प्रक्रिया अपनानी थी, जब समिति ने अपनी पहली बैठक की, वह बैठक तब तक नहीं की गयी जब तक कि अभियुक्तों के जो जवाब थे वे आपके पास जमा नहीं हो गए थे। जब वे जवाब हमारे पास आए तभी हमने कार्यवाही शुरू की। सदस्यों को सुने बिना हमने कोई कार्यवाही, यहां तक कि समिति की अनौपचारिक बैठक भी नहीं की। चूंकि हमारी पूरी कोशिश थी और हम पांचों सदस्यों ने यह डिसाइड किया था कि हम एक साथ चलेंगे और हम समिति तथा सदन को विभाजित नहीं करना चाहते हैं। समिति की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले तक हम पांचों सदस्य एक साथ सहमति के आधार पर चले और हमने डिसाइड किया था कि हम अलग से किसी प्रकार रिपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए हम पांचों एक साथ निकलते थे और पत्रकार वगैरह जो अपेक्षाएं करते थे, उनके बारे में बारी-बारी कह दिया जाता था। हम लोगों ने जब पहले दिन बैठक की, आपने समिति को जो प्राधिकार दिया था, उसके तहत हमने अपनी प्रक्रिया तय की। इसलिए आज यहां फैसला होने के बाद यह सवाल उठाना गलत है।

महोदय, जब आप किसी व्यक्ति को किसी समिति में रखते हैं तो उससे कंसेन्ट मांगते हैं। उसी समय हम कह सकते हैं कि आप हमें इस कमेटी में नहीं दूसरी कमेटी में रखिए, प्रिविलेज कमेटी में भेज दीजिए। जब मैंने एक बार इसे स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होता है कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया। हम पांचों एक साथ बैठे, हमने इसे मान लिया, लेकिन अब फैसला सुनाने के बाद, हम अपने को उससे अलग कर लें, लोकतांत्रिक परम्परा में यह शोभा नहीं देता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि यह शोभा नहीं देता है, अपने को निर्णय से अलग कर लिया।...*(व्यवधान)* कमेटी में क्या-क्या हुआ अगर मैं यह बताना शुरू करूं तो क्या होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप अपना विचार रख चुके हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: महोदय, दूसरा बिन्दु यह है कि उनको कुछ अधिक समय देकर और वकील के साथ उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप विस्तार में न जाएं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने एक साथ बैठकर यह तय किया था कि किसे कब बुलाना है, कितना समय देना है। उस समय भी किसी ने यह नहीं कहा कि एक घण्टा नहीं, दो घण्टे दीजिए, दो दिन नहीं सात दिन दीजिए। हमने एक साथ इसे तय किया था। महोदय, मैं कुछ समय ज्यादा लेता हूं, जब मैं ज्यादा प्रश्न कर रहा था तो मल्होत्रा जी ने कहा कि अब इतने ज्यादा प्रश्न पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन आज यह जो कहा गया कि ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह एकदम गलत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका कथन कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रणब मुखर्जी, कृपया बोलें।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, क्या आप इस सभा में एक समिति की आंतरिक घटनाओं पर चर्चा की अनुमति देते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। लेकिन वे एक सदस्य के रूप में बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया। उन्होंने इसे छोड़ दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रक्रिया में भी इस बात का प्रावधान है कि वे स्पष्टीकरण देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन आप कहते हैं कि यह सही नहीं है, यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। मैंने इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करवाया है। आप कह रहे हैं कि यह गलत है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मल्होत्रा जी ने कहा, 'यह गलत है।'

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और अपना योगदान दिया। महोदय, मैं प्रत्येक मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि सबसे पहले जब मैंने प्रस्ताव पेश किया था, मैंने कहा था कि मैं बहुत भारी मन से इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि हम अब जिस जिम्मेदारी और जिस कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं यह वास्तव में बहुत दुखद है। यदि यह स्थिति पैदा न होती तो हम सबको प्रसन्नता होती और बात यहां तक न पहुंचती कि हमें इस तरह के निर्णय लेने पड़ते।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। शुरू से ही, 12 दिसम्बर की सुबह से जो भी कदम उठाये गए अथवा उठाने से पूर्व भी, जिन कदमों पर विचार किया गया था, आपने मेरे सहित सभी राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ अपने विचार साझे किए। इसलिए, हममें से किसी का भी यह कहना गलत होगा कि निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया गया था। कोई यह प्रश्न उठा सकता है कि क्या निर्णय सही था या गलत था। मैं उसके गुण-दोष पर नहीं जा रहा हूं। किंतु निर्णय नेताओं से परामर्श करके ही लिए गए थे। मुझे ठीक-ठीक ध्यान है और यदि मैं गलत हूं तो कोई मुझे सही कर दे कि हमने यह भी विचार किया था कि संबंधित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण देने हेतु कितना समय दिया जाए। इस बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे कि हमें आज ही उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था कि हमें उन्हें टेलीफोन करना चाहिए और उनसे स्पष्टीकरण लेना चाहिए। परन्तु हमने सुझाव दिया था कि उन्हें कम से कम 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए क्योंकि उनमें से कुछ शायद यहां उपलब्ध न हों और इसलिए हमें उनसे फोन पर सम्पर्क करना चाहिए। यह तय किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे संदेश भेजा जाना चाहिए और उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए निश्चित समय तय किया गया था। संबंधित माननीय सदस्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात समिति ने अपना कार्य शुरू किया था। हम सबको समिति के कार्य का अनुभव है। समितियों के कार्यकरण के लिए नियमों में निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस तरह की तदर्थ समितियों के लिए या तो आप या समिति विचारार्थ विषयों को तय करे अथवा आप समिति को अपनी प्रक्रिया तय करने की अनुमति दें जैसा आपने वर्तमान मामले में किया है। समिति ने अपनी प्रक्रिया तैयार की और उस प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने कार्य किया। यह कहते हुए कि पूरा मामला सभा का विशेषाधिकार हनन दिखाई देता है, कि यह सभा की अवमानना है, इसे उस समय भी उठाया जा सकता था और इसलिए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने दो। कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। उसी समय यह किया जा सकता था।

महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि हम सबने महसूस किया कि ऐसा वातावरण तैयार किया गया है जहां सम्पूर्ण संस्था और इसकी विश्वसनीयता को चुनौती दी जा रही है और संस्था से संबंधित लोग होने के नाते हमें जितना जल्दी संभव हो नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास करना चाहिए और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जितना जल्दी संभव हो। इसलिए यह कहना सही नहीं था कि समिति ने इसे इतना जल्दी किया और अधिक समय नहीं दिया गया था। परन्तु हमने यह तय नहीं किया कि वे किस तरह से कार्य करेंगे।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

महोदय, आपको ध्यान होगा कि उस पक्ष के माननीय सदस्य भी और इस पक्ष के बहुत से सदस्यों ने कहा: "नहीं हम सारा कार्य निलम्बित करके अभी मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।" सभा में यह मांग की गई थी किंतु आपने चुतराई से सभा का कार्य कराया। इसलिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुदृष्टि में हम इसके बारे में सोच सकते हैं। आखिरकार 10 दिन गुजर चुके हैं।

उस दिन मूड ऐसा था कि काफी माननीय सदस्य सभा में इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे। आज हम बेहतर स्थिति में हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है। हमारे कुछ सहयोगियों ने उनके साथ बातचीत की थी और उनके विचार लिए थे। मैं कह रहा हूं और दोहराने का भी जोखिम उठा रहा हूं कि हमने दंड विधिशास्त्र की प्रक्रिया का पालन नहीं किया और दंड प्रक्रिया संहिता कोई दिशानिर्देश नहीं थी। मुदगल मामले और विशेषाधिकार के मामले में घटी घटना के पूर्वादोहरण से संकेत लेकर हमने अपनी समझ का प्रयोग किया और उसके आधार पर प्राकृतिक न्याय की अपनी समझ का प्रयोग किया।

महोदय, इस सभा में हुई बहस के दौरान एक माननीय सदस्य संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को देख रहे थे। संविधान के अनुच्छेदों में सदस्यों के निष्कासन का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में एक प्रावधान है।

वह प्रावधान है कि यदि सभा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई अपने आचरण से सभा का अपमान करने के लिए जिम्मेदार है तो सभा निर्णय ले सकती है। आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यह पार्टी का मामला नहीं है। किसी पार्टी के हित अथवा गैर-हित का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि सामूहिक रूप से हमने सोचा था कि हमें कुछ कदम उठाने चाहिएं जो सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे।

हां, उलझन होगी और उलझनें हो सकती हैं। प्रत्येक क्रिया की अपनी प्रतिक्रिया होती है। परन्तु वह हमें कोई कार्यवाही करने से नहीं रोकती। न्यायपालिका क्या करेगी, बाहरी लोग क्या करेंगे ये सब संयोग की बात है। परन्तु नियमों के ढांचे के भीतर और पद्धति तथा पूर्वोदाहरण के ढांचे के भीतर मैं बधाई देता हूं कि समिति ने जो भी किया है उसने अपने पास उपलब्ध समय सीमा के भीतर अच्छा कार्य किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टिप्पणी को और लम्बा नहीं करना चाहता परन्तु मैं एक बात पर टिप्पणी करना चाहता हूं। आज जो भी वक्ता बोले हैं उनमें प्रक्रिया के बारे में मतभेद हो सकते हैं। उनमें इस बात पर मतभेद हो सकते हैं कि किस समय कार्रवाई की जाए परन्तु भाग लेने वाले किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और वे मतबेद प्रक्रिया संबंधी हो सकते हैं। किंतु यहां मैं आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड की कुछ पंक्तियों का स्मरण करें:

"शेड विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर,
पैरालाइज्ड फोर्स, जेस्यर विदाउट मोशन।"

लेट अस नॉट स्टैंड ऑन फार्म एलोन।

हमें प्रारूप पर नहीं जाना चाहिए, हमें फॉर्म पर नहीं जाना चाहिए; हमें विषयवस्तु पर जाना चाहिए, इस सभा को एक बार फिर अपने अधिकार पर दृढ़ रहना चाहिए और संप्रभु संसद की प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव को बनाए रखना चाहिए।

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा के मत के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि प्रस्ताव में,-

"इस समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कोल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

के स्थान पर-

"संकल्प करती है कि मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए।"

प्रतिस्थापित किया जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक दुखद अवसर है और मैं उनमें से हूं जिन्होंने हमेशा

माना है कि सार्वजनिक जीवन में यदि भ्रष्टाचार के अशोभनीय आचरण के उदाहरण हैं तो उन्हें दंडित करना ही पड़ेगा। इसलिए, मैं सदन के नेता द्वारा अभी कही गई बात से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सहित प्रत्येक वक्ता प्रक्रिया के बारे में आपत्तियां व्यक्त कर रहा है किसी अशोभनीय आचरण या भ्रष्टाचार को दंडित किए जाने की आवश्यकता के बारे में नहीं।

मैंने सिब्बल जी की पूरी बात सुनी है। उनका जोर इस बात पर था कि सदस्य के अशोभनीय आचरण पर सजा दी जानी चाहिए। मैं अशोभनीय आचरण के मामलों को उद्धृत करने नहीं जा रहा हूं जिसमें हमें यह मानने के लिए कि यह अशोभनीय आचरण है, हमें टेलीविजन कैमरा या फोटोग्राफ की आवश्यकता नहीं है और यदि उसके लिए हम इस प्रकार की सजा देते हैं तो क्या यह उचित होगी? मैं मामले उद्धृत नहीं करने जा रहा हूं।

एक दिन मुझे बताया गया था कि कितने सदस्यों ने अपने गैराज या घर किराये पर दे रखे हैं। यह बहुत अशोभनीय आचरण है। एक तरह से मेरा कहना है कि मैंने उस दिन स्वयं टेलीविजन पर कुछ अंश देखा था जिस पर मेरी तत्काल प्रतिक्रिया थी कि उनमें से जो मेरे दल से संबंधित हैं उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाना चाहिए।

यह मेरी तत्काल प्रतिक्रिया थी। इसलिए, यदि हम उस निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं तो वह बिल्कुल ठीक है; हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे। मेरी केवल यही दलील है कि यदि अशोभनीय आचरण के गुण-दोष देखे जाएं तो संसदीय भाषा में जिसे मृत्यु दंड कहा जा सकता है, यह ठीक है। हम यह मिसाल कायम कर रहे हैं कि किसी अशोभनीय आचरण के लिए भी इन मामलों में मेरा कहना है कि मैंने देखा है कि वहां भ्रष्टाचार था। किंतु उससे भी अधिक यह बेवकूफी थी। यह बेवकूफी थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये गैर-सरकारी संगठन थे...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इसे और लम्बा न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी: कम से कम कुछ मामलों में यह तर्क मूर्खतापूर्ण लगता है कि वे लालच में आ गए और स्टिंग ऑपरेशन के जाल में फंस गए। अतएव मैं महसूस करता हूं कि इस प्रस्ताव में मिलने वाला दंड उनके अपराध के समानुपातिक नहीं है। उन्होंने एक अपराध किया है परन्तु यह दंड उसके अनुरूप नहीं है। अतः मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने के अंतिम निर्णय से स्वयं को सम्बद्ध नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.22 बजे

(इस समय श्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हमें एक-दूसरे का आदर करना चाहिए। यह क्या है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम इन बातों में हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। साथ ही इसमें भ्रष्टाचार का प्रश्न है सभा इस पर एकमत होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सभा को बंटना नहीं चाहिए पर ऐसा लगता है कि सभा इस पर बंट चुकी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको अपना निर्णय लेने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सभा इस मुद्दे पर बंट गयी है। हम इसका हिस्सा नहीं हो सकते। अतः हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं। हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम सभा में मतदान का बहिष्कार करते हैं। हम ऐसी बातों का हिस्सा नहीं हो सकते। चूंकि यह सभा इस मुद्दे पर विभाजित है, हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.23 बजे

(इस समय श्री बृज किशोर त्रिपाठी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा कुछ सदस्यों पर लगाए गए अनुचित आचरण के आरोपों की जांच के लिए 12 दिसम्बर, 2005 को गठित समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान देते हुए इस

*कार्यवाहीवृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अध्यक्ष महोदय]

समिति के इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि लोक सभा के दस सदस्यों, अर्थात् श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील, श्री मनोज कुमार, श्री वाई.जी. महाजन, श्री प्रदीप गांधी, श्री सुरेश चन्देल, श्री रामसेवक सिंह, श्री लाल चन्द्र कोल, श्री राजाराम पाल और श्री चन्द्र प्रताप सिंह का आचरण अनैतिक है और संसद् सदस्यों के लिए अशोभनीय है और उनका लोक सभा के सदस्यों के रूप में बने रहना असमर्थनीय है और यह संकल्प करती है कि उन्हें लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.24 बजे

चार्टर्ड अकाउटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हमारे पास तीन बहुत छोटे विधेयक हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। आप विधेयकों पर विचार के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें विदाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वंदे मातरम होगा।

...*(व्यवधान)*

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम, 1949, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि चार्टर्ड अकाउटेंट अधिनियम, 1949, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 25 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 26

धारा 30 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 7-8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, -

"26. मूल अधिनियम की धारा 30 में, -

(क) उपधारा (1) में 'और ऐसे विनियम की एक प्रति संस्थान के प्रत्येक सदस्य के पास भेजी जाएगी' शब्दों का लोप किया जाए।

(ख) उपधारा (2) में, -

(i) खंड (घ) में "परिषद और" शब्दों का लोप किया जाए,

(ii) खंड (ञ) में "क्लर्कों" शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वह आया है 'सहायकों' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

(iii) खंड (द) में 'और' शब्द अन्त में अन्तःस्थापित किया जाए।

(iv) खंड (ध) का लोप किया जाए।" (1)

(श्री प्रेमचंद गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.15 बजे

लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 29 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 30

धारा 39 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

(ii) उपधारा (2) में, -

(क) खंड (ज) में "परिषद और" शब्दों का लोप किया जाए;

(ख) खंड (न) का लोप किया जाए;

(iii) उपधारा (5) का लोप किया जाए।" (1)

(श्री प्रेमचंद गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 और 32 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.17 बजे

कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 29 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 30

धारा 39 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13, पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, -

"30. मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

धारा 39 का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, -

(क) खंड (क) में, "मद (1), (3)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "मद (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) में, "का खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (छ), खंड (ठ) और खंड (थ) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (झ) में, "खंड (झ)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (छ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) खंड (ञ) में, "खंड (ञ)" शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ज)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) खंड (ट) में "धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ट)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 15क के खंड (च)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (4) का लोप किया जाए।" (1)

(श्री प्रेमचंद गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 और 32 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री प्रेमचंद गुप्ता: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से, मैंने राजधानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया है।

अपराह्न 5.20 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, चौदहवीं लोक सभा का छठा सत्र जो 23 नवम्बर, 2005 को आरंभ हुआ था आज समाप्त हो रहा है। इस दौरान 23 बैठकें, 119 घंटे तक चलीं। पहले दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन और कुछ अन्य सभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत सभा की कार्यवाही स्थगित हो गयी थी। दिनांक 19-12-2005 को भी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पी.एम. सईद को श्रद्धांजलि देने के उपरांत सभा की कार्यवाही स्थगित हो गयी थी।

सत्र के दौरान सभा ने कई महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और अन्य कार्य निपटाए।

लगभग 4 घंटे 23 मिनट और 3 घंटे 58 मिनट तक हुई चर्चा के उपरांत क्रमशः वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) और सामान्य तथा सम्बन्धित विनियोग विधेयक मतदान के उपरांत पारित हुए।

इराक में संयुक्त राष्ट्र के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के गैर-संविदात्मक लाभभोगियों के रूप में कतिपय भारतीय संस्थाओं और व्यक्तियों की कथित अंतवर्लिता जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में प्रतिवेदित है के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की उचित कार्यवाही करने में विफलता पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सभा द्वारा चर्चा की गयी थी। लगभग 5 घंटे 50 मिनट तक चली चर्चा के उपरांत प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान सभा ने 14 विधेयक पारित किए। कुछ महत्वपूर्ण पारित किए गए विधेयक हैं - संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005; आपदा प्रबन्धन विधेयक, 2005; बालक अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 और राष्ट्रीय कर अभिकरण विधेयक, 2004 हैं। संविधान (एक सौ चारवां संशोधन) विधेयक, 2005 का प्रयोजन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा निजी/गैर-अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण है। आपदा प्रबन्धन विधेयक 2005 का प्रयोजन चार विभिन्न स्तरों पर आपदाओं का प्रभावी प्रबन्धन है। मेरा विचार है कि विधेयक के पारित होने के उपरांत प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रयासों और आपदा उपरांत राहत तथा पुनर्वास उपायों में काफी बदलाव आएगा। इस विधेयक की सराहना हाल ही में हुइ द्वितीय भारत तथा एशिया क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, 2005 में भी हुई। बालक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2005 का उद्देश्य केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग और राज्य स्तरों पर विभिन्न राज्यों में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग का गठन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य बाल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के लिए त्वरित न्याय दिलाने के लिए बाल न्यायालय स्थापित करना भी है। एक अन्य महत्वपूर्ण विधायी कदम राष्ट्रीय कर अभिकरण विधेयक, 2004 है जिसका उद्देश्य कर संबंधी मामलों का शीघ्र निपटान और कर कानूनों के सरलीकरण का उद्देश्य भी है।

नियम 193 के अधीन सभा ने 14 घंटे और 55 मिनट तक चली चर्चाओं के दौरान अत्यंत लोक महत्व के महत्वपूर्ण पांच विषयों पर सार्थक चर्चाएं की। ये चर्चाएं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गए निम्नलिखित वक्तव्यों अर्थात् (एक) दिल्ली में 29-10-2005 को हुए बम विस्फोटों, (दो) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा, (तीन) 13-11-2005 को बिहार के जहानाबाद में हुआ नक्सली हमला, (चार) 11-11-2005 को झारखंड गिरिडीह में होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर नक्सली हमला; हांगकांग में होने वाले छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के विशेष संबंध में डब्ल्यू.टी.ओ. में भारत की भूमिका; यात्री और माल ढुलाई की बढ़ोतरी के मद्देनजर हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता; कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही समस्याएं और आगामी खेल स्पर्धाओं के आयोजनों के संबंध में देश में आधारभूत ढांचे के विकास की आवश्यकता, पर हुई थीं। आखिरी दो विषयों पर चर्चाएं पूर्ण नहीं हुईं।

सत्र के दौरान 12 महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए और संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। प्रधानमंत्री ने वोल्कर समिति रिपोर्ट के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत सोलह गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित किए गए। एक संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 जिसका आशय एक नये अनुच्छेद 47क का अंतःस्थापन करके प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना है, पर चर्चा पूरी नहीं हुई।

एक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जिसके द्वारा सरकार से (एक) पनीकोइली और राजामुंदरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 215, (दो) बारहपल और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और (तीन) तालचर से बिमलगढ़ तथा दैतारी से बांसपानी तक रेल लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने की सिफारिश करने का आग्रह किया गया, पर सभा की अनुमति से वापस लिए जाने से पूर्व चर्चा हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में विकास की कमी के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति के बारे में एक और संकल्प पर आंशिक चर्चा हुई।

सत्र के दौरान 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए थे जिनमें से 86 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार औसतन प्रतिदिन 3.7 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अलावा दो आधे घंटे की चर्चाएं भी उठाई गईं। 4,643 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप से सभा पटल पर रखे गए।

इस सत्र में विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 46 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

[अध्यक्ष महोदय]

कथित 'शून्यकाल' के दौरान रात में देर तक बैठकर भी सदस्यों द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के 233 मामले उठाए गए। अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए पांचवें सत्र के दौरान अपनाई गई इस नई प्रक्रिया से न केवल विधायी कार्यों और अन्य सूचीबद्ध कार्यों का समय पर निपटान सुनिश्चित हुआ है बल्कि इससे सदस्यों को अपने मामलों को उठाने के लिए एक निश्चित अवसर भी मिला है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अंतर्गत 265 मामले भी उठाए।

इस सत्र में व्यवधानों और स्थगनों के कारण हमने 27 घंटे और 20 मिनट का समय गंवाया। सत्र के दौरान व्यवधानों इत्यादि के कारण बर्बाद हुए समय की पूर्ति करने और सूचीबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए लोक सभा 12 दिन 18 घंटों और 33 मिनट से अधिक समय तक के लिए देर तक बैठी। ऐसा सदन के सभी पक्षों के खुले दिल से मिले सहयोग और समर्थन के कारण संभव हो सका। मैं पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ वाद-विवाद में प्रभावी रूप से भाग लेने में सदस्यों द्वारा दिखाई गई सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं।

अब, जैसा कि आप जानते हैं, मुझे बड़े दुःख के साथ कुछ मामलों का उल्लेख करना है।

इस मौके पर मैं पुनः कुछ सदस्यों द्वारा कदाचार के संबंध में 12 दिसम्बर, 2005 को मीडिया की खबरों पर दुःख व्यक्त करता हूं जिसमें आज तक टी.वी. न्यूज चैनल पर सदन में प्रश्न पूछने/अन्य मामले उठाने के लिए 10 लोक सभा सदस्यों के द्वारा पैसा लेने सम्बन्धी समाचार बुलेटिन दिखाया गया था। मैंने नेताओं से परामर्श करके और उनकी सहमति से कदाचार के इन आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की। मैंने इस बात की घोषणा सदन में भी कर दी। इस समिति की रिपोर्ट 22 दिसम्बर, 2005 को सभा पटल पर रखी गई। मैं विहित समय के भीतर एक सुविचारित रिपोर्ट देने के लिए समिति को धन्यवाद देता हूं।

अब, आज हमें एक बहुत ही दुःखद अनुभव हुआ, जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, कि इस सभा ने कुछ सदस्यों को निष्कासित करने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा कदाचार के संबंध में 19 दिसम्बर, 2005 को स्टार न्यूज चैनल पर न्यूज बुलेटिन में किए गए खुलासे के बाद मैंने नेताओं के साथ परामर्श करके और उनकी सहमति से सात सदस्यों वाली एक जांच समिति गठित कर दी है जो मामले की जांच करके 31 जनवरी, 2005 तक अपना प्रतिवेदन दे देगी, जिसकी घोषणा मैंने सदन में कर दी है।

इन घटनाओं से आमतौर पर सफल एक सत्र पर थोड़ा दाग लगा है। मैं समूचे सदन का अत्यंत धन्यवादी हूं कि उन्होंने सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की एक स्वर में भर्त्सना की और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह संदेश पूरे देश में जाएगा और जनता यह महसूस करेगी कि यह सदन भ्रष्टाचार या कदाचार के किसी कार्य से कभी भी समझौता नहीं करेगा।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का और माननीय उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका में शामिल मेरे सहयोगियों का सदन की कार्यवाही पूरा करवाने में मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे और मेरे सहयोगियों को सम्पूर्ण सहयोग देने के लिए मैं सदन के नेता, प्रतिपक्ष की नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी की ओर से मैं प्रेस और मीडिया वालों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मौके पर सदन के प्रति समर्पित सेवा के लिए लोक सभा के महासचिव और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं सदन की कार्यवाही के संचालन में अपनी योग्य सहायता देने के लिए संबद्ध एजेंसियों का भी धन्यवाद करता हूं।

मैं सभी सदस्यों को क्रिसमस और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।

अपराह्न 5.28 बजे

राष्ट्रगीत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय सदस्य वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

अध्यक्ष महोदय: लोक सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.29 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	442
2.	श्री बसुदेव आचार्य	443
3.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	444
4.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	445
5.	श्री शिशुपाल पटले प्रो. महादेवराव शिवनकर	446
6.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण श्रीमती किरण माहेश्वरी	447
7.	प्रो. एम. रामदास श्री बाडिगा रामकृष्णा	448
8.	श्री महावीर भगोरा	449
9.	श्री के.एस. राव	450
10.	श्री गणेश सिंह श्री श्रीचन्द्र कृपलानी	451
11.	श्री निखिल कुमार	452
12.	श्री हरिसिंह चावड़ा	453
13.	श्री सुब्रत बोस	454
14.	श्री रायापति सांबासिवा राव	455
15.	श्री एल. गणेशन	456
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	457
17.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	458
18.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	459
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्रीमती सी.एस. सुजाता	460
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	461

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	4539
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	4541, 4573, 4613, 4625
3.	आदित्यनाथ, योगी	4553
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4575, 4622, 4628, 4645
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4488
6.	अजय कुमार, श्री एस.	4542
7.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	4495, 4569, 4578
8.	आठवले, श्री रामदास	4512, 4637
9.	बैठा, श्री कैलाश	4531
10.	बारड़,श्री जसुभाई धानाभाई	4502, 4596
11.	बर्मन, श्री हितेन	4545
12.	बखला, श्री जोवाकिम	4532
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4539
14.	भगोरा, श्री महावीर	4592
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4541
16.	चटर्जी, श्री सांताश्री	4527
17.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4550
18.	चिन्ता मोहन, डा.	4535, 4586, 4589
19.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4521, 4536, 4599
20.	डांगावास, श्री भंवर सिंह	4555
21.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	4635
22.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4515

1	2	3
23.	गांधी, श्रीमती मेनका	4518, 4579
24.	गोहेन, श्री राजेन	4530
25.	गुढ़े, श्री अनंत	4534
26.	हमजा, श्री टी.के.	4491, 4574, 4610, 4624
27.	झा, श्री रघुनाथ	4510, 4619
28.	जिन्दल, श्री नवीन	4633
29.	जोगी, श्री अजीद	4522
30.	जोशी, श्री प्रहलाद	4507
31.	करूणाकरन, श्री पी.	4504
32.	कस्वां, श्री राम सिंह	4555
33.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4546
34.	खां, श्री सुनील	4517, 4593
35.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4531
36.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4513, 4537
37.	खारवेन्थन, श्री एस.के.	4489, 4571, 4607, 4623, 4630
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4498, 4564, 4609
39.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4557, 4565
40.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4535, 4586
41.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4561, 4603
42.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4526
43.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4490, 4597, 4618
44.	महरिया, श्री सुभाष	4558
45.	महतो, श्री बीर सिंह	4517, 4547
46.	महतो, श्री सुनिल कुमार	4547
47.	मंडल, श्री सनत कुमार	4600

1	2	3
48.	माने, श्रीमती निवेदिता	4515
49.	मसूद, श्री रशीद	4515, 4525, 4638
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	4493, 4568, 4614
51.	मेहता, श्री आलोक कुमार	4536
52.	मिश्रा, डा. राजेश	4508, 4539
53.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4506
54.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4531
55.	मुकीम, मो.	4536
56.	मो. ताहिर, श्री	4557, 4565
57.	मोहिते, श्री सुबोध	4496
58.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4541
59.	मूर्ति, श्री ए.के.	4503, 4567, 4606
60.	मुन्शी राम, श्री	4557, 4565
61.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4588
62.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4549
63.	नायक, श्रीमती अर्चना	4538
64.	निखिल कुमार, श्री	4594, 4617
65.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4562, 4581, 4611, 4643
66.	पलनिसामी, श्री के.सी.	4509
67.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4548
68.	पासवान, श्री सुकदेव	4636
69.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	4578, 4612, 4626, 4627
70.	पटेरिया, श्रीमती नीता	4501
71.	पाठक, श्री ब्रजेश	4520, 4582, 4621, 4644
72.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4514

1	2	3
73.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4552
74.	पटले, श्री शिशुपाल	4557, 4565
75.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4528, 4621
76.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	4544
77.	रामदास, प्रो. एम.	4591
78.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4580
79.	राणा, श्री काशीराम	4540
80.	राव, श्री के.एस.	4584, 4625
81.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4528, 4570, 4589
82.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4537
83.	रावले, श्री मोहन	4602
84.	रावत, श्री अशोक कुमार	4557
85.	रावत, श्री कमला प्रसाद	4487, 4572, 4608
86.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4499, 4601
87.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4559
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4517
89.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4505, 4560, 4577
90.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	4634
91.	सरोज, श्री तूफानी	4627
92.	सेन, श्रीमती मिनाती	4492
93.	सेठी, श्री अर्जुन	4523, 4590, 4640
94.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	4556
95.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4529
96.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4557, 4565
97.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	4501
98.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4500, 4566, 4605

1	2	3
99.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4540
100.	सिंह, श्री अजीत कुमार	4537
101.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4524, 4598
102.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4501
103.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4515
104.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4511, 4516, 4576
105.	सिंह, श्री राकेश	4587
106.	सिंह, डा. राम लखन	4531
107.	सिंह, श्री रेवती रमन	4519
108.	सिंह, श्री सुग्रीव	4585, 4615, 4629, 4631
109.	सिंह, श्री उदय	4551, 4595
110.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	4494, 4536, 4583, 4616, 4642
111.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4497, 4563, 4589, 4599, 4604
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	4589
113.	तुम्मर, श्री वी.के.	4550
114.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4581, 4620, 4627, 4632
115.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4533
116.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4529, 4602, 4641
117.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4589
118.	यादव, श्री पारसनाथ	4533, 4554
119.	यादव, श्री राम कृपाल	4521, 4543, 4636, 4639
120.	यास्खी, श्री मधु गौड	4536

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		
वित्त	:	442, 444, 452, 453
विधि और न्याय		
खान	:	449, 455
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	459
महासागर विकास	:	454, 456
विद्युत	:	443, 448, 451, 457
ग्रामीण विकास	:	458, 461
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	447, 450
वस्त्र	:	445, 446, 460.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	4536, 4568
वित्त	:	4488, 4489, 4490, 4491, 4493, 4494, 4495, 4496, 4498, 4504, 4505, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4530, 4531, 4533, 4535, 4537, 4538, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4548, 4549, 4554, 4557, 4558, 4559, 4560, 4562, 4566, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4586, 4588, 4594, 4598, 4599, 4602, 4605, 4607, 4608, 4611, 4615, 4616, 4619, 4623, 4625, 4630, 4632, 4633, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645
विधि और न्याय	:	4571, 4590, 4621, 4634
खान	:	4492, 4555, 4563, 4585, 4604, 4626, 4627, 4635
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	4497, 4503
महासागर विकास	:	
विद्युत	:	4525, 4526, 4534, 4540, 4541, 4547, 4553, 4556, 4561, 4565, 4569, 4570, 4573, 4589, 4592, 4593, 4603, 4613

ग्रामीण विकास	:	4500, 4501, 4502, 4506, 4532, 4539, 4551, 4552, 4572, 4584, 4587, 4595, 4612, 4620, 4629
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	4499, 4507, 4508, 4528, 4529, 4550, 4564, 4574, 4591, 4601, 4609, 4610, 4614, 4624, 4631
वस्त्र	:	4487, 4509, 4524, 4527, 4567, 4575, 4596, 4597, 4600, 4606, 4617, 4618, 4622, 4628.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/16/23/2005 (एन.)

232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।